WHITE BOOK

COACH UP IAS
YOUR SELECTION Is OUR BUSINESS

भारतीय शासन

सिविल सेवा परीक्षा के लिए

IAS COACH ASHUTOSH SRIVASTAVA

IAS COACH MANISH SHUKLA

8009803231 / 9236569979

Saarthi

THE COACH

1 : 1 MENTORSHIP BEYOND THE CLASSES

- **Diagnosis** of candidates based on background, level of preparation and task completed.
- **Customized solution** based on Diagnosis.
- One to One **Mentorship.**
- Personalized schedule **planning.**
- Regular **Progress tracking.**
- **One to One classes** for Needed subjects along with online access of all the subjects.
- Topic wise **Notes Making sessions**.
- One Pager **(1 Topic 1 page)** Notes session.
- **PYQ** (Previous year questions) Drafting session.
- **Thematic charts** Making session.
- **Answer-writing** Guidance Program.
- **MOCK Test** with comprehensive & swift assessment & feedback.

Ashutosh Srivastava
(B.E., MBA, Gold Medalist)
Mentored 250+ Successful Aspirants over a period of 12+ years for Civil Services & Judicial Services Exams at both the Centre and state levels.

Manish Shukla
Mentored 100+ Successful Aspirants over a period of 9+ years for Civil Services Exams at both the Centre and state levels.

1 सरकारी नीतियाँ और उनका क्रियान्वयन

परिचय

- सार्वजनिक नीति विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक कार्य योजना है। सार्वजनिक नीतियाँ सरकारी निर्णय होते हैं जिनमें यह तय किया जाता है कि क्या किया जाएगा, किसे लाभ मिलेगा और लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किए जाएँगे?
- ये नीतियाँ प्रायः स्पष्ट नियमों, प्रक्रियाओं, निष्पक्षता तथा प्रभावशीलता एवं राजनीतिक वास्तविकताओं के विचारों का मिश्रण होती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये नीतियाँ ही तय करती हैं कि किसे क्या, कब और कैसे प्राप्त होगा?
- यह प्रमुख सरकारी एजेंसियों जैसे राजनीतिक कार्यपालिका, विधायिका, नौकरशाही और न्यायपालिका के बीच गहराई से जुड़े अंतर्संबंध और समन्वय की आवश्यकता को दर्शाता है।

सार्वजनिक नीति के प्रमुख प्रकार

सार्वजनिक नीतियों को उनके उद्देश्य, लक्षित लाभार्थियों और व्यापकता के आधार पर कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ कुछ मुख्य वर्गीकरण निम्न है:

I. लक्षित समूह के आधार पर:

- **सारगर्भित नीतियाँ:** ये नीतियाँ समग्र सामाजिक कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करतीं हैं। उदाहरण के लिए:
  - **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** जो 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है।
  - आर्थिक स्थिरीकरण नीतियाँ जिनका लक्ष्य मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक विकास को नियंत्रित करना है।
- **वितरणात्मक नीतियाँ:** ये नीतियाँ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए समाज के विशिष्ट वर्गों को लक्षित करती हैं।
  - **उदाहरण:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), जो नागरिकों को रियायती कीमतों पर आवश्यक खाद्य पदार्थ प्रदान करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम जो चिकित्सा देखभाल के लिए रियायती कीमतों पर सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं।
- **पुनर्वितरणात्मक नीतियाँ:** इन नीतियों का लक्ष्य मौजूदा नीतियों का पुनर्गठन करके सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करना है।
  - **उदाहरण:** JAM ट्रिनिटी (जन धन-आधार-मोबाइल) और DBT योजना, जो बैंक खाता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को जोड़कर सरकारी सब्सिडी के वितरण में सुधार करती है।
- **पूँजीकरण नीति:** यह केंद्र सरकार , राज्य और स्थानीय सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - **उदाहरण: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)** गैर-संगठित, गैर-कृषि तथा लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करती है।

II. कार्यक्षेत्र के आधार पर:

- **आतंरिक/घरेलू नीतियाँ:** ये वे नीतियाँ हैं जो सरकार द्वारा सीधे अपने नागरिकों पर प्रभाव डालने के लिए की बनाई जाती हैं। **उदाहरण:**
  - **नियामक नीतियाँ: ये व्यवसायों, सुरक्षा और सार्वजनिक उपयोगिताओं (जैसे, आरबीआई नियम)** के लिए विनियम और मानक निर्धारित करती हैं।
  - **आर्थिक नीतियाँ:** ये आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं (जैसे- मुद्रा योजना, एलपीजी सुधार)।
  - **सामाजिक नीतियाँ:** ये सामाजिक मुद्दों का समाधान करती हैं और कल्याण को बढ़ावा देती हैं (जैसे- राष्ट्रीय पोषण नीति)।
- **विदेश नीति:** यह अन्य राष्ट्रों के साथ बातचीत के लिए एक देश की रणनीति को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए:
  - **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)** तटस्थता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्त्व को बढ़ावा देता है।
  - **पड़ोसी प्रथम की नीति** पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है।

सार्वजनिक नीति की प्रकृति/विशेषताएँ

- **जनहित:** नागरिकों का कल्याण ही प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत है। उदाहरण:सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विकलांग नीति (PwD) प्रस्तुत की गई है, जो जनहित पर ध्यान केंद्रित करने का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- **लक्ष्य-उन्मुख:** सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ तैयार की जाती हैं। उदाहरण: स्वच्छ भारत मिशन (Clean India Mission) एक लक्ष्य-उन्मुख नीति है जिसका उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है।
- **सामूहिक कार्रवाई:** नीति निर्माण में सरकारी अधिकारियों और विभिन्न हितधारकों के मध्य सहयोग शामिल होता है।
  - **उदाहरण:** स्वच्छ भारत मिशन के तहत, सरकार नागरिकों और संस्थानों दोनों को स्वच्छता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
- **गतिशील और विकासशील:** नीतियाँ बदलती परिस्थितियों और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल होती हैं। उदाहरण: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020।

- **भविष्य-उन्मुख:** नीतियाँ दीर्घकालिक निहितार्थों और संभावित चुनौतियों पर विचार करती हैं। उदाहरण: जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित नीतियाँ।
- **सरकार की प्रतिबद्धताएँ:** नीतियाँ प्रमुख मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया को दर्शाती हैं और कानूनी प्राधिकरण द्वारा समर्थित होती हैं। उदाहरण: न्यूनतम वेतन विनियम और मोटर वाहन अधिनियम जैसी नीतियाँ सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं और कानूनी ढांचे के माध्यम से लागू की जाती हैं।

भारत में सार्वजनिक नीति

भारत का सार्वजनिक नीति परिदृश्य इसकी विविध जनसांख्यिकी, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं से प्रभावित है, जो राष्ट्र के लोकतांत्रिक आदर्शों और समावेशी विकास, सतत् विकास एवं सामाजिक न्याय की आकांक्षाओं को दर्शाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **स्वतंत्रता-पूर्व:** स्व-शासन की लड़ाई **शिक्षा, सामाजिक सुधार और आर्थिक आत्मनिर्भरता** को बढ़ावा देने वाली नीतियों से जुड़ी हुई थी।
- **स्वतंत्रता के बाद (1947):**
  - **राष्ट्र-निर्माण पर ध्यान:** संविधान ने समानता, न्याय और मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए इस नीति के लिए रूपरेखा प्रदान की।
  - **नियोजित विकास:** पंचवर्षीय योजनाओं ने औद्योगिक और कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास को निर्देशित किया।
  - **आर्थिक सुधारों का युग (1991):** भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण और उदारीकरण के लिए खोल दिया, सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण की ओर रुख किया।
- **भारत में सार्वजनिक नीति:**
  - **संरचनात्मक हस्तक्षेप:** भूमि सुधारों का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक संरचना को बदलना था, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, लालफीताशाही और सीमित सार्वजनिक भागीदारी के कारण कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
  - **तकनीकी हस्तक्षेप:** हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया लेकिन इसके तहत क्षेत्रीय असमानताएँ भी उत्पन्न हुईं यह संतुलित विकास रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
  - **गरीबी-विरोधी हस्तक्षेप:** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य निर्धनता को कम करना था, लेकिन इसे अपर्याप्त वित्त, भ्रष्टाचार और कमजोर निगरानी जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ा।
- **अनुभव से सीखना:** भारत का सार्वजनिक नीति सम्बन्धित सबंधित अनुभव समग्र दृष्टिकोण के महत्त्व को रेखांकित करता है। प्रभावी नीति के लिए निम्न कार्यों की आवश्यकता है:
  - **सशक्त कार्यान्वयन:** सफल कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट रणनीतियाँ, **कुशल नौकरशाही और सार्वजनिक भागीदारी महत्त्वपूर्ण हैं।**
  - **मूल्यांकन और निगरानी:** नियमित रूप से नीतिगत प्रभावों का आकलन करने से कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में मदद मिलती है।
  - **संतुलित विकास:** समान प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को **संभावित सामाजिक और आर्थिक परिणामों** पर विचार करना चाहिए।

भारत में नीति प्रक्रिया: समीक्षा

भारत में नीति प्रक्रिया चक्र को आगे बढ़ाने में कई प्रमुख चरण शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक, प्रभावी शासन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं:

- **समस्या की पहचान:** नीति निर्माता, ऐसे गंभीर मुद्दों की पहचान करते हैं जिनमें प्रायः सामाजिक माँगों या उभरते संकटों के प्रत्युत्तर में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

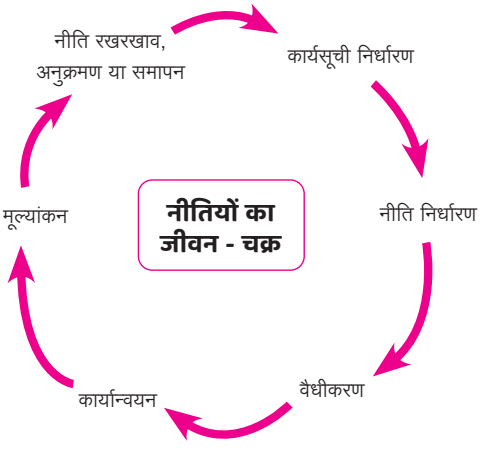

- **कार्यसूची निर्धारण:** इस चरण में जनसंचार माध्यमों के माध्यम से विशिष्ट समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करके उन्हें प्राथमिकता देना और सार्वजनिक अधिकारियों को शामिल करके, उत्तरवर्ती निर्णय लेने के लिए आवश्यक आधार तैयार करना शामिल है।
- **नीति निर्माण:** नीतिगत प्रस्तावों को विकसित करने के लिए, हितधारकों द्वारा, जिनमें हित समूह, कार्यकारी कार्यालय, और विधायी समितियाँ शामिल होती हैं, उद्देश्यों को परिभाषित, लागत का आकलन, उचित उपकरणों का चयन और प्रासंगिक हितधारकों को शामिल किए जाने जैसों चरणों को शामिल करते हैं।
- **अंगीकरण/वैधीकरण:** निर्णय-निर्माता, जिसमें **विधायी निकाय, कार्यकारी प्राधिकरण या हित समूह** शामिल हो सकते हैं, सबसे व्यवहारिक नीति समाधान का चयन करते हैं और भारत के संघीय ढाँचे के भीतर अनुमोदन तंत्र के माध्यम से इसकी वैधता सुनिश्चित करते हैं।
- **कार्यान्वयन:** नीतियों को **नौकरशाही संरचनाओं और कार्यकारी एजेंसियों** के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिससे समन्वय और जवाबदेही को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रभावी तंत्र के निर्माण की आवश्यकता होती है।
- **मूल्यांकन:** सरकारी एजेंसियाँ कार्यान्वित नीतियों के प्रभाव और प्रभावशीलता का आकलन करती हैं, परिणामों के आधार पर सुधार और समायोजन के क्षेत्रों की पहचान करती हैं।
- **नीति का रखरखाव, उत्तराधिकार या समाप्ति:** नीति निर्माता बदलती परिस्थितियों में निरंतर सुधार और अनुकूलन पर ध्यान देने के साथ, अपने प्रदर्शन और उभरती जरूरतों के आधार पर नीतियों को बनाए रखने, संशोधित करने या समाप्त करने का निर्णय लेते हैं।

भारत के गतिशील शासन परिदृश्य में, नीति-निर्माताओं को नीति के प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए संघवाद, विविध हितधारकों और विकसित सामाजिक-आर्थिक संदर्भों पर ध्यान देना चाहिए।

भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण के हितधारक

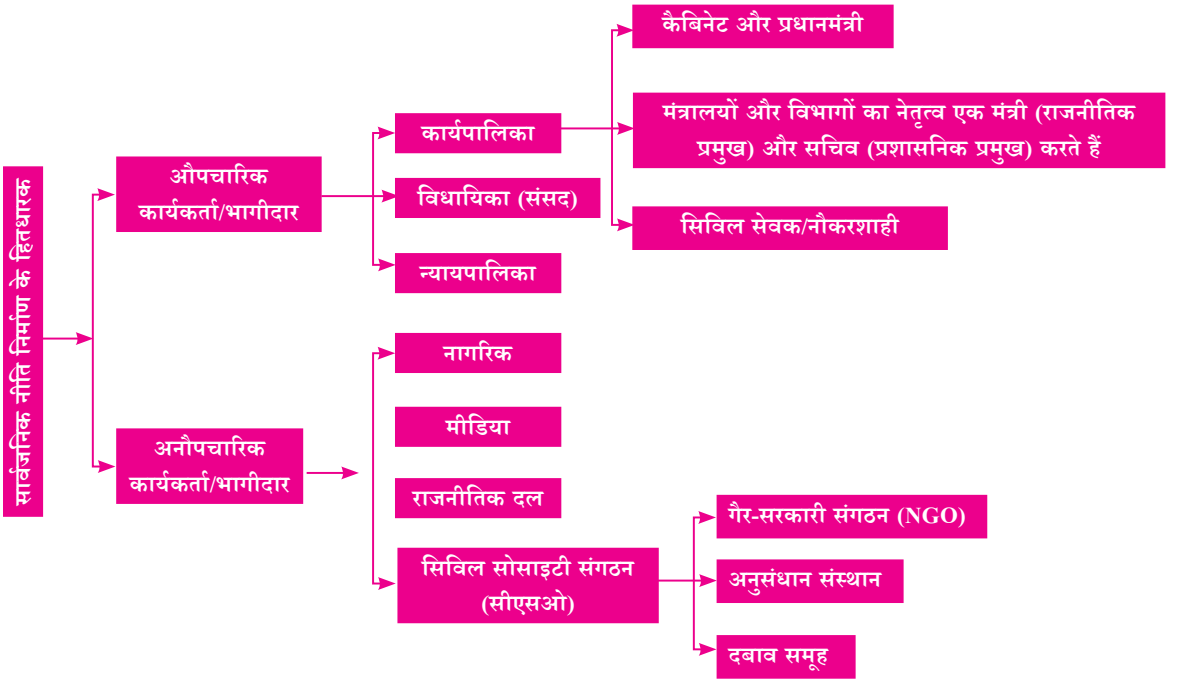

नीति चक्र में नौकरशाही की भूमिका

1. नीति निर्माण:

- **भूमिका:**
  - **सूचना लाभ:** नौकरशाह जिनके पास व्यापक डेटा और अनुभव होता है, सरकार के 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करते हैं।
  - **विशेषज्ञता:** इनका लंबा कार्यकाल गहन क्षेत्रीय ज्ञान प्रदान करता है, जो उन्हें नवीन समाधान प्रस्तावित करने में सक्षम बनाता है।
  - **निरंतरता:** नौकरशाह स्थिरता और संस्थागत स्मृति प्रदान करते हैं, जिससे समय के साथ नीतिगत सुसंगतता सुनिश्चित होती है।
  - **सलाहकार की भूमिका:** ये समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करते हैं और संभावित परिणामों पर राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं को सलाह देते हैं।
- **चुनौतियाँ:**
  - **मंत्रिस्तरीय नेतृत्व:** नौकरशाही के प्रभाव को ताकतवर मंत्री सीमित कर सकते हैं, विशेषकर यदि नीतियाँ पार्टी की विचारधारा के अनुरूप हों।
  - **संस्थागत विचारधारा:** नौकरशाह परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं, मौजूदा कार्यक्रमों के अनुरूप नीतियों को प्राथमिकता दे सकते हैं।
  - **वस्तुनिष्ठता बनाम वकालत:** उन्हें उन समाधानों की वकालत करने के साथ वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रदान करने में संतुलन बनाना चाहिए जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है।

2. नीति क्रियान्वयन:

- **भूमिका:**
  - **नीति कार्यान्वयन:** नीतियों को क्रियान्वित करना, संसाधन आवश्यकताओं का आकलन करना और कार्यान्वयन रणनीतियाँ विकसित करना।
  - **राजनीतिक नेताओं को सलाह देना:** व्यवहार्यता, संसाधन आवंटन और संभावित बाधाओं पर महत्त्वपूर्ण सलाह प्रदान करना।
  - **जन-संपर्क:** नीतियों की व्याख्या करना, सार्वजनिक धारणा का प्रबंधन करना और अनुपालन के लिए प्रेरित करना।
  - **स्थानीय-स्तरीय नौकरशाही:** नागरिकों के साथ सीधे बातचीत करना, नीति परिणामों को प्रभावित करना।
  - **विवेक और निर्णय लेना:** नीतियों को लागू करते समय विवेक का प्रयोग करना, स्वतंत्र निर्णय की आवश्यकता वाली स्थितियों का सामना करना।
- **चुनौतियाँ:**
  - **राजनीतिक इच्छाशक्ति और विशेषज्ञता को संतुलित करना:** जन-कल्याण की वकालत करते हुए सरकारी इच्छाशक्ति और विशेषज्ञता के मध्य संतुलन स्थापित करना।
  - **संसाधन की कमी:** सफल कार्यान्वयन कर्मियों और फंडिंग जैसे पर्याप्त संसाधनों पर निर्भर करता है।
  - **मंत्रिस्तरीय नियंत्रण:** राजनीतिक कार्यकारी कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करता है, कभी-कभी राजनीतिक विचारों के आधार पर पहलुओं को प्राथमिकता देता है।
  - **जवाबदेही:** उनके नियंत्रण तथा चुनौतियों के बावजूद, नीतिगत विफलताओं के लिए जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाती है।

3. नीति निगरानी:

- **भूमिका:**
  - **लक्ष्य प्राप्ति:** यह सुनिश्चित करना कि इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
  - **डेटा संग्रह और विश्लेषण:** विभिन्न तरीकों का उपयोग करके नीति परिणामों (प्रभाव, दक्षता) पर जानकारी एकत्र करना।

- **तुलना और विसंगति की पहचान:** उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नीतिगत उद्देश्यों के साथ वास्तविक परिणामों की तुलना करना जहाँ नीति कमजोर है।
- **मंत्रिस्तरीय समर्थन:** मंत्रियों के सलाहकार और मुखबिर के रूप में कार्य करना, उन्हें नीतिगत प्रगति पर अद्यतन रखना।
- **जमीनी -स्तरीय निरीक्षण:** स्थानीय नौकरशाही, जमीनी स्तर पर नीति कार्यान्वयन की निगरानी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- **चुनौतियाँ:**
  - **निगरानी की आवृत्ति:** यह कार्य की जटिलता पर निर्भर करता है कि निगरानी को नियमित रूप से (मासिक, वार्षिक) किया जाए।
  - **स्पष्टता और मापनीयता:** स्पष्ट रूप से परिभाषित और मात्रात्मक नीतिगत लक्ष्यों की पहचान करना एक चुनौती है। यह निगरानी को अधिक कुशल और सार्थक बनाता है।
  - **कार्यभार प्रबंधन:** नौकरशाह गहन नीति निगरानी के लिए समर्पित समय के साथ दैनिक कार्यों को संतुलित करने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं।
  - **सूचना संबंधी बाधाएँ:** डेटा की उपलब्धता और लागत, विश्लेषण की व्यापकता को सीमित कर सकती है।

4. नीति विश्लेषण:

- **नीति विश्लेषण प्रक्रिया:**
  - **लक्ष्य:** व्यवस्थित परीक्षण के माध्यम से नीति निर्माण और प्रभावशीलता में सुधार करना।
  - **आयाम:** इसमें उद्देश्य और हस्तक्षेप, राजनीतिक व्यवहार्यता, अंतर्निहित मूल्य और विशेषताएँ शामिल हैं।
  - **विश्लेषण के प्रकार:** इसमें वर्णनात्मक, अनुदेशात्मक और तुलनात्मक विश्लेषण शामिल हैं।
- **नीति विश्लेषक के रूप में नौकरशाह:**
  - **जिम्मेदारियाँ:** नीति लक्ष्यों की पहचान करना, वैकल्पिक समाधानों का विश्लेषण करना और नीति निर्माण में भाग लेना।
- **चुनौतियाँ:**
  - **कार्यभार का दबाव:** यह विश्लेषण के लिए समर्पित समय को सीमित कर सकता है जिससे समग्र गुणवत्ता प्रभावित होगी।
  - **प्रशिक्षण की आवश्यकताएँ:** विशिष्ट नीति विश्लेषण तकनीकों में प्रशिक्षण की कमी गुणवत्ता में बाधा बन सकती है।
  - **नवाचार को संतुलित करना:** स्थापित प्रक्रियाओं के साथ नवाचार को संतुलित करना एक प्रासंगिक चुनौती है।
- **वृहत दृष्टिकोण:**
  - **प्रशिक्षण का महत्त्व:** प्रभावी भागीदारी के लिए नीति विश्लेषण विधियों में विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है।
  - **राजनीतिक संदर्भ:** नीति निर्माण पर राजनीतिक कर्ताओं के प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए।
  - **कार्यान्वयन और उसके पश्चात:** विश्लेषण में न केवल नीति संरचना बल्कि कार्यान्वयन तंत्र और इसमें शामिल कार्यकर्ताओं का भी परीक्षण किया जाना चाहिए।
  - **विकसित परिदृश्य:** वैश्वीकरण और विविध हितधारकों की आवश्यकताओं के लिए, समकालीन शासन की नीति विश्लेषण विधियों को अपनाने की आवश्यकता है।

नौकरशाह नीति निर्माण से लेकर विश्लेषण तक पूरे नीति चक्र में बहुआयामी भूमिकाएँ निभाते हैं। प्रभावी नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए उनके योगदान को पहचानना और चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

भारतीय नियोजन की विशेषताएँ

योजना आयोग के साथ नियोजन का युग भी समाप्त हो गया था लेकिन शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भारतीय नियोजन की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- **व्यापक योजना:** भारतीय योजना का लक्ष्य न सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि सामाजिक प्रगति भी है। **उदाहरण:** ध्यातव्य है कि शुरुआती योजनाएँ स्टील जैसे भारी उद्योगों पर केंद्रित थीं किंतु बाद की योजनाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश शामिल किया गया (उदाहरण के लिए, शिक्षा के लिए **सर्व शिक्षा अभियान**)।
- **समावेशी विकास:** इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को पाटना था। उदाहरण के लिए, भारत में आय असमानता की माप (गिनी गुणांक), सम्पूर्ण नियोजन अवधि में 0.3 से ऊपर रही, जो लगातार चुनौतियों का संकेत देता है, हालाँकि, 1990 के दशक के बाद से **गरीबी की दर में व्यापक रूप से गिरावट** देखी गई।
- **लोकतांत्रिक योजना:** नीति निर्माण और कार्यान्वयन दोनों में सार्वजनिक भागीदारी पर जोर दिया गया, उदाहरण: पंचायती राज संस्थाएँ (स्थानीय ग्राम परिषदें) जमीनी स्तर पर योजना कार्यान्वयन में शामिल थीं, हालाँकि, उनकी प्रभावशीलता असमान रही है।
- **भावी और परिप्रेक्ष्य योजना:** योजनाएँ अल्पकालिक लक्ष्यों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ती हैं, उदाहरण: **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)** का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढाँचे के विकास जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ-साथ तीव्र गति से आर्थिक विकास करना था।
- **वित्तीय योजना:** योजनाएँ केवल **भौतिक लक्ष्यों के बजाय संसाधन आवंटन** पर केंद्रित होती हैं, **उदाहरण:** स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों (उदाहरण के लिए, आयुष्मान भारत) के लिए बजटीय आवंटन इस दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
- **बाजार नियमन के साथ सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान:** प्रारंभ में, भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी, उदाहरण: **दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल** ने राज्य के नेतृत्व वाले औद्योगिक विकास पर अधिक जोर दिया।
- **निजी क्षेत्र का विनियमन:** सरकार का लक्ष्य **निजी क्षेत्र की ज्यादतियों** को नियंत्रित करना था, उदाहरण: एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTPअधिनियम) का उद्देश्य एकाधिकार को रोकना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS):** सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि आवश्यक वस्तुएँ लोगों तक पहुँचे। पीडीएस खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, हालाँकि, इसमें कुछ खामियाँ भी हैं, अतः इन खामियों का समाधान कर इसे और प्रभावकारी बनाया जा सकता है।

- **निजी भागीदारी की ओर परिवर्तन:** 1990 के दशक से, **निजी क्षेत्र की भूमिका** बढ़ी है, **उदाहरण:** भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो निजी निवेश के लिए अत्यधिक उदारता को दर्शाता है।
- **विकासवादी दृष्टिकोण पर पुनर्विचार: टपकन सिद्धांत** या **ट्रिकल-डाउन थ्योरी** (सामाजिक विकास की ओर ले जाने वाली आर्थिक वृद्धि) का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उदाहरण: **मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)** जैसी योजनाएँ प्रत्यक्ष रूप से निर्धनता उन्मूलन और ग्रामीण विकास को लक्षित करती हैं।

भारतीय नियोजन में उपलब्धियों और खामियों, दोनों का अपना हिस्सा रहा है। इन विशेषताओं का विश्लेषण भारत की विकास यात्रा में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

नियोजन विकास की खामियाँ:

- **रोजगार विहीन विकास:** भारत की तीव्र **सकल घरेलू उत्पाद** में वृद्धि के बावजूद, श्रम बल भागीदारी दर लगभग **46% (केपीएमजी, 2022)** पर स्थिर रही, उदाहरण: **सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) की वर्ष 2020** की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि युवाओं में स्वचालन और कौशल विकास की कमी के कारण वस्त्र उद्योग जैसे क्षेत्रों में **'रोजगार रहित विकास'** हुआ है।
- **निरंतर असमानता:** भारत में अरबपतियों की **तीसरी** सबसे बड़ी संख्या है (फोर्ब्स, 2023), जबकि 22.5% जनसंख्या राष्ट्रीय **गरीबी रेखा** से **नीचे** जीवन यापन करती है (विश्व बैंक, 2022), उदाहरण: **11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) समावेशी विकास** पर केंद्रित थी, परन्तु 2013 की योजना आयोग की रिपोर्ट में निर्धनता उन्मूलन में सीमित सफलता को स्वीकार किया गया था।

- **अविकसित कृषि:** हालाँकि, विविध योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता दी गई है,परन्तु **आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23** में पिछले छह वर्षों में कृषि की औसत वार्षिक **वृद्धि दर केवल 4.6%** बताई गई है, जो समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से काफी कम है, उदाहरण: **हरित क्रांति (1960-70 के दशक)** का उद्देश्य कृषि आत्मनिर्भरता था, लेकिन लाभों के असमान वितरण और सिंचाई जैसे बुनियादी ढाँचे पर ध्यान की कमी ने इसके दीर्घकालिक प्रभाव को सीमित कर दिया।
- **मूल्य अस्थिरता:** पूरी योजना अवधि के दौरान, भारत में कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया। **2021-22 में मुद्रास्फीति (भारतीय रिजर्व बैंक डेटा)** लक्षित सीमा से ऊपर रही, जिसका असर आम लोगों पर पड़ा, उदाहरण: 1970 के दशक के दौरान उच्च मुद्रास्फीति ने प्रारंभिक आर्थिक विकास के बावजूद, मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को समाप्त कर दिया।
- **स्थिर जीवन स्तर:** प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के बावजूद, बढ़ती मुद्रास्फीति (आरबीआई डेटा) ने घरेलू बजट को प्रभावित किया, **उदाहरण:** मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में मलिन बस्तियों का प्रसार शहरी गरीबों के लिए रहने की स्थिति में अपर्याप्त सुधार को उजागर करता है।

नीति आयोग: नीति निर्माण के लिए एक नया प्रतिमान

भारत की **जनसंख्या वर्ष 1947 में 340 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2023 में 1.4 बिलियन (वर्ल्डोमीटर)** हो गई है। इसने, बढ़ते जीवन स्तर के साथ मिलकर, बढ़ती जरूरतों और आकांक्षाओं वाली आबादी को जन्म दिया है।

- **आजादी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी** से वृद्धि हुई है। आईटी क्षेत्र में आए उछाल से प्रेरित **सेवा क्षेत्र ने जीडीपी के प्रमुख योगदानकर्ता** के रूप में कृषि को पीछे छोड़ दिया है।
- **1990 के दशक** के एलपीजी सुधारों ने **सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिकाओं** को पुनः परिभाषित किया। फलस्वरूप, योजना आयोग की प्रभावशीलता का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया।
- **वित्त पर स्थायी समिति (15वीं लोकसभा) द्वारा बदलावों की आवश्यकता को स्वीकार किया जाना:** जिसमे कहा गया कि "योजना आयोग को विशेष रूप से गरीबों के लिए **आर्थिक सुधारों के साथ योजना** प्रक्रिया को सरेखित करने की आवश्यकता है।"
- **नीति आयोग की स्थापना (2015):** इसने योजना आयोग का स्थान लिया, जिसका लक्ष्य समकालीन भारत की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील होना था। इसकी स्थापना में **MyGov** के माध्यम से व्यापक सार्वजनिक परामर्श शामिल था, जो समावेशी नीति निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नीति आयोग की सफलता उसकी निम्नलिखित क्षमताओं पर निर्भर है:

- **सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना:** नीति आयोग की सफलताओं में आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसी पहल शामिल हैं, जो क्षेत्रीय विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देती है।
- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण:** नीति आयोग का 'सतत् विकास लक्ष्य - भारत सूचकांक' (2022-23) नीति निर्माताओं के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- **नवाचार को बढ़ावा देना:** अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहल का उद्देश्य पूरे भारत में एक जीवंत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

नीति आयोग की स्थापना के बाद से नीति निर्माण के स्तर पर हुए परिवर्तन

- **विकेंद्रीकृत योजना:** नीति आयोग राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करता है, जिसका एक उदाहरण **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)** है, जो पिछड़े जिलों में विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण:** नीति आयोग डेटा-आधारित निर्णयों को प्राथमिकता देता है, जो इसके ज्ञान और नवाचार हब के माध्यम से स्पष्ट है, यह 'सतत् विकास लक्ष्य - भारत सूचकांक' जैसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

- **दीर्घकालिक दृष्टिकोण:** नीति आयोग भविष्य की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसा कि **अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)** जैसी पहल के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 500 शहरों में शहरी बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना है।
- **सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद:** नीति आयोग राज्यों के मध्य **सहयोग और प्रतिस्पर्द्धा** को बढ़ावा देता है, जिसे **"राज्यों के एसडीजी इंडिया इंडेक्स"** द्वारा दर्शाया गया है, इसकी वजह से एसडीजी प्रदर्शन में सुधार को बढ़ावा मिलता है।
- **विशेषज्ञ-संचालित दृष्टिकोण:** नीति आयोग विविध विशेषज्ञता का उपयोग करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टास्क फोर्स का गठन करता है, जिसमें सूचित नीति निर्धारण के लिए प्रमुख व्यक्ति शामिल होते हैं।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** नीति आयोग सक्रिय रूप से कार्यक्रम के प्रभाव को ट्रैक करता है, कुशल कार्यान्वयन और सुधार के लिए **'रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम'** जैसे उपकरणों का उपयोग करता है।

नीति आयोग की प्रमुख पहलें तथा महत्त्वपूर्ण कदम

- **आर्थिक विकास एवं नियोजन:**
  - **नई @75 के लिए रणनीति:** वर्ष **2022-23 तक 9-10% आर्थिक विकास दर** और तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखने वाला एक दूरदर्शी दस्तावेज।
- **सामाजिक विकास एवं कल्याण:**
  - **आकांक्षी जिला कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रमुख सामाजिक संकेतकों में **पिछड़े जिलों के उत्थान और व्यापक विकास** को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया।
  - **नेशनल हेल्थ स्टैक:** एक **डिजिटल प्लेटफॉर्म जो स्वास्थ्य सेवा वितरण** में क्रांति ला रहा है, दक्षता बढ़ा रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार कर रहा है।
  - **राज्यों को विकास सहायता सेवाएँ:** विकास पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करना।
- **नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी:**
  - **अटल इनोवेशन मिशन (AIM):** विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से **नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा** देना, स्टार्टअप को सशक्त बनाना और नवाचार के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना।
  - **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर राष्ट्रीय रणनीति:** यह रणनीति विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों को अधिकतम करने के लिए AI का लाभ उठाने के उद्देश्य से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए तैयार की गई है।
  - **राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (NDAP):** एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जो साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण और निर्णय लेने के लिए विविध डेटासेट तक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।
  - **इंडिया इनोवेशन इंडेक्स:** इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं को मापना, नीतिगत हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करना और नवाचार को बढ़ावा देना है।
  - **परिवर्तन के चैंपियन:** विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारी समाधान और उत्कृष्ट अभ्यासों को मान्यता देना और बढ़ावा देना, उत्कृष्टता और उद्यमिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना।
  - **स्वच्छ वायु के लिए राष्ट्रीय रणनीति:** यह रणनीति वायु प्रदूषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विकसित की गई, जो स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देकर पूरे देश में वायु गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखती है।
  - **इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीतिगत ढाँचा:** इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत प्रदूषण को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई है।
  - **ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फ्रेमवर्क:** इस फ्रेमवर्क को समुद्री संसाधनों की क्षमता का दोहन करने तथा मत्स्य पालन, जलीय कृषि एवं पर्यटन सहित तटीय और समुद्री क्षेत्रों के सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।
- **शिक्षा एवं युवाओं का सशक्तीकरण:**
  - **अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL):** व्यावहारिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों में **रचनात्मकता, नवाचार और समस्या-समाधान कौशल** को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में स्थापित किया गया।
  - **एआईएम-प्राइम (नवाचार, बाजार-तत्परता और उद्यमिता पर शोधकर्ताओं के लिए कार्यक्रम): अनुसंधान और व्यवसायीकरण के मध्य अंतर** को पाटना, शोधकर्ताओं एवं नवप्रवर्तकों को सहायता प्रदान करना।
  - **भारत-आसियान युवा शिखर सम्मेलन: भारत और आसियान देशों** के युवाओं के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सहयोग और संयोजकता को बढ़ावा देना।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) कार्यान्वयन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020** के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करना, जिसका उद्देश्य शिक्षा परिदृश्य को बदलना और समग्र विकास को बढ़ावा देना है।

- **शहरी विकास और बुनियादी ढाँचा:**
  - **स्मार्ट सिटी मिशन:** शहरी बुनियादी ढाँचे, सेवाओं और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से **स्मार्ट सिटी परियोजनाओं** को विकसित करने और उसे लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करना।
- **वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन:**
  - **डिजिटल भुगतान मिशन:** विभिन्न पहलों और अभियानों के माध्यम से **डिजिटल भुगतान** अपनाने, वित्तीय समावेशन और कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देना।
- **श्रम और प्रवासन:**
  - **प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय रणनीति:** प्रवासी श्रमिकों के समक्ष आने वाली **चुनौतियों का समाधान** करने, उनके कल्याण, सुरक्षा और औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई।

ये पहलें सामूहिक रूप से समावेशी विकास को बढ़ावा देने, नवाचार और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने तथा संपूर्ण भारत में सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

नीति आयोग की सीमाएँ: एक आलोचनात्मक विश्लेषण

- **सीमित प्रभाव:** नीति आयोग की सलाहकार प्रकृति, सिफारिशों को लागू करने की उसकी क्षमता को सीमित करती है, जैसा- **विमुद्रीकरण और जीएसटी** के प्रस्तावित कार्यान्वयन जैसे उदाहरणों में देखा जा सकता है, यह संभावित रूप से परिणामों को प्रभावित कर रहा है।
- **निवेश गतिरोध:** प्रयासों के बावजूद, **नीति आयोग** निजी क्षेत्र के निवेश पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए संघर्ष कर रहा है, भारत की निजी निवेश दर स्थिर बनी हुई है, जिससे तीव्र विकास में बाधा आ रही है।
- **वित्तीय बाधाएँ:** नीति आयोग के पास वित्तीय स्वायत्तता का अभाव है, जिससे जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए राज्यों को सीधे धन आवंटित करने की इसकी क्षमता बाधित होती है, यह आकांक्षी जिला कार्यक्रम के दौरान हुए विलंब से स्पष्ट परिलक्षित होता है।
- **सामाजिक-आर्थिक चिंताएँ:** आलोचकों का तर्क है कि नीति आयोग के प्रयासों से निर्धनता और असमानता में स्पष्ट रूप से कमी नहीं आई है, धन का अंतर बना हुआ है और सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- **तटस्थता:** राजनीतिक पूर्वाग्रह से संबंधित आरोप नीति आयोग की निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करते हैं, विशेषकर प्रमुख पदों पर सेवानिवृत्त राजनीतिक हस्तियों की नियुक्ति को लेकर।
- **बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजनाओं पर अधिक ध्यान:** शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर बड़े पैमाने की आधारभूत परियोजनाओं को प्राथमिकता देना मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकता है।
- **डेटा पारदर्शिता की समस्याएँ:** नीति आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा में पारदर्शिता के बारे में चिंताएँ सूचना योग्य जन चर्चा और स्वतंत्र मूल्यांकन को बाधित करती हैं।

इन सीमाओं को दूर करने के लिए, नीति आयोग को राज्यों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर, डेटा पारदर्शिता को बढ़ाकर और संपूर्ण विकास मापकों को शामिल करके अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने की आवश्यकता है।

भारत की सार्वजनिक नीति से संबंधित मुद्दे

- **नीति निर्माण से संबंधित मुद्दे:**
  - **अति-केंद्रीकरण:** शीर्ष पर **सत्ता का संकेंद्रण** स्थानीय जरूरतों के प्रति प्रतिक्रिया को बाधित करता है, जैसा कि **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)** के लागू होने के एकसमान दृष्टिकोण में देखा गया है, जिससे व्यवसायों के लिए प्रारंभिक व्यवधान उत्पन्न हुआ।
  - **डेटा असंबद्धता:** नीतिगत निर्णयों में अक्सर **अनुभवजन्य आधार का अभाव** होता है, जैसा कि कृषि ऋण माफी से उदाहरण मिलता है, जो अच्छे लक्ष्यों के बावजूद, बैंकिंग प्रणाली पर दबाव डाल सकता है और नैतिक खतरे उत्पन्न कर सकता है।
  - **राजनीतिक प्रभाव:** अल्पकालिक राजनीतिक लाभ अक्सर दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों पर भारी पड़ते हैं, जैसा कि ऋण माफी की प्राथमिकता से पता चलता है, जो स्थायी आर्थिक समाधानों को कमजोर करता है।
  - **सीमित सार्वजनिक भागीदारी:** मूल्यवान बाहरी विशेषज्ञता अप्रयुक्त रहती है, क्योंकि नीति संरचनाओं में प्रभावित समुदायों और विशेषज्ञों के प्रविष्टियों को शामिल करने के लिए तंत्र का अभाव होता है, जिससे संभावित रूप से त्रुटिपूर्ण नीतियों का निर्माण होता हैं।
- **नीति कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे:**
  - **कमजोर प्रशासन:** भ्रष्टाचार, आदि के माध्यम से अनुचित लाभ और **योजनाओं पर कुलीन वर्ग का नियंत्रण** राज्य स्तर पर वितरण तंत्र को कमजोर करता है, जिससे प्रभावी कार्यक्रम निष्पादन में **बाधा** आती है।
  - **वितरण में कौशल अंतराल:** कार्यान्वयन संस्थाओं के पास **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और आवश्यक तकनीकी कौशल में कमी, कार्यक्रम** के कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं, जैसा कि वितरकों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)** जैसी योजनाओं के शुरुआती चरणों के दौरान देखा गया था।
  - **दोषपूर्ण लक्ष्यीकरण:** लाभार्थी पहचान में कमी के परिणामस्वरूप योग्य प्राप्तकर्ता बाहर हो जाते हैं और अयोग्य व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है, जिससे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - **सार्वजनिक जागरूकता की कमी:** निश्चित लाभार्थियों के बीच कार्यक्रमों और अधिकारों के बारे में ज्ञान की कमी प्रभावी प्रोग्राम उपयोग को बाधित करती है, जो बेहतर संचार और लोगों तक पहुँचने आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

सुधार के लिए आवश्यक उपाय

- **बेहतर नीति निर्माण:**
  - **विकेंद्रीकरण और हितधारक समावेशन:** पंचायती राज संस्थानों जैसे स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना, जहाँ ग्राम सभा नीतिगत निर्णयों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है,जो यह सुनिश्चित कर सकती है कि नीतियाँ स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित हों। (उदाहरण के लिए, **मनरेगा** ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है)

- **डेटा-संचालित निर्णय:** भारत को **तदर्थ नीति निर्माण** से दूर जाने की आवश्यकता है। **राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद** एवं प्रदर्शन प्रबंधन और मूल्यांकन प्रणाली जैसे पहल सकारात्मक कदम हैं, लेकिन वास्तविक-समय डेटा संग्रह और विश्लेषण आवश्यक है, (उदाहरण के लिए, अधिकतम प्रभाव के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लक्षित करने के लिए डेटा का उपयोग करना)
- **जाँच और निरंतरता:** न्यायिक सक्रियता ,नीतियों के लिए मजबूत कानूनी ढाँचा सुनिश्चित करती है। यह, **अनुभवजन्य विश्लेषण** के साथ मिलकर, बदलती सरकारों के कारण नीतिगत उलटफेर को कम कर सकता है। (उदाहरण के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।)
- **ज्ञान अंतर को पाटना: सरकारी एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों** के मध्य सहयोग नीति निर्माण में नवीन दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाने में सहायक हो सकते है।

- **बेहतर कार्यान्वयन के लिए:**
  - **प्रभावी वितरण तंत्र:** जमीनी स्तर पर **सक्रिय नागरिक भागीदारी** आवश्यक है। मनरेगा जैसी योजनाएँ, जिनमें स्थानीय समुदाय शामिल हैं, सफल **वितरण तंत्र** कप परिलक्षित करती हैं।
  - **कुशलता के लिए समान योजनाओं का संगठन:** समान योजनाओं का संयोजन प्रशासन को सरल बना सकता है और लाभार्थियों को सशक्त कर सकता है। (उदाहरण: बेहतर परिणामों के लिए स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं का समन्वय)
  - **लाभार्थियों को सशक्त बनाना:** जन जागरूकता अभियान और सामाजिक अंकेषण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और लाभार्थियों को उनके अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बनाते हैं। (उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत अभियान का फोकस सामुदायिक गतिशीलता पर है)

इन उपायों को अपनाकर, भारत नीति निर्माण और कार्यान्वयन के बीच के अंतर को पाट सकता है, जिससे अधिक प्रभावी और प्रभावशाली शासन सुनिश्चित हो सकेगा।

नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन

हालाँकि, मजबूत नीति निर्माण और कार्यान्वयन आवश्यक हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है:

- **उपाख्यानों से आगे बढ़ना:** नीति मूल्यांकन को व्यक्तिपरक आख्यानों से डेटा-संचालित विश्लेषण की ओर स्थानांतरित करना चाहिए। नीति आयोग **द्वारा योजनाओं (जैसे, पीडीएस)** की निगरानी के लिए उपग्रह डेटा का हालिया उपयोग बेहतर मूल्यांकन के लिए डेटा-केंद्रित दृष्टिकोण का उदाहरण है।
- **सशक्त संस्थानों का निर्माण:** प्रभावी नीतियाँ सशक्त संस्थानों पर निर्भर करती हैं। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने में **आधार** की सफलता एक सुदृढ़ संस्थागत ढाँचे के महत्त्व पर प्रकाश डालती है जो स्थिरता, निरंतरता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
- **नागरिक शक्ति का दोहन:** इसके अंतर्गत समावेशन प्रमुख है। **"केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली"** जैसे प्लेटफॉर्म नागरिकों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और नीतिगत चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति देते हैं। यह विविध परिप्रेक्ष्य एकत्रण, जैसा कि **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के प्रारूपण में देखा गया है, अधिक संवेदनशील नीतियों की ओर ले जाता है।
- **परिवर्तन को अपनाना:** नीतियाँ समाज के साथ विकसित होनी चाहिए। **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई),** शुरू में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित थी, हाल ही में इसमें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज शामिल किया गया है, जो उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए नियमित रूप से अद्यतन की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है।
- **प्रतिक्रिया:** प्रभावी **प्रतिक्रिया** तंत्र आवश्यक हैं। **"MyGov"** जैसी पहल से नागरिकों को नीति प्रस्तावों पर अपने विचार साझा करने की सुविधा होती है। इस प्रतिक्रिया का विश्लेषण, जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम में जनता के प्रविष्टि के आधार पर किए गए संशोधन, मार्ग सुधार और नीति में सुधार करने की संभावना प्रदान करता है।
- **समस्याओं को न्यूनतम करना:** संसाधन दक्षता महत्त्वपूर्ण है। एलपीजी सब्सिडी में **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)** जैसी योजनाओं ने समस्याओं को कम किया है और नीतिगत परिणामों में सुधार किया है। सभी कार्यक्रमों में संसाधन उपयोग को सुव्यवस्थित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

भारत के भविष्य के शासन को जटिल चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता होगी। मजबूत सार्वजनिक नीति विश्लेषण, जहाँ प्रत्येक हितधारक की आवाज विकास चर्चा में मूल्य जोड़ती है, महत्त्वपूर्ण है। नीति प्रभावशीलता के इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके, भारत नीति डिजाइन और प्रभावशाली परिणामों के बीच अंतर को पाट सकता है और अंततः सुशासन प्राप्त कर सकता है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) का लक्ष्य भारत में अविकसित जिलों के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करना है। वर्ष **2018 में लॉन्च किया गया,** यह स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित है। **यूएनडीपी** ने स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए एक सफल मॉडल के रूप में एडीपी की प्रशंसा की है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के 3 मूल सिद्धांत

- **अभिसरण:** ADP केंद्र एवं राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सरकार के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों को एक साथ लाता है।
- **सहयोग:** नागरिकों और जिला टीमों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के बीच सहयोग। इससे सरकार, बाजार और नागरिक समाज के बीच प्रभावशाली साझेदारी सुनिश्चित हो सकेगी।
- **जन आंदोलन की भावना से प्रेरित जिलों के मध्य प्रतिस्पर्द्धा:** प्रत्येक जिले को 5 मुख्य विषयों में पहचाने गए 49 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है।

- **लक्षित हस्तक्षेप:** नीति आयोग राष्ट्रीय स्तर पर इस पहल का संचालन करता है, जिसमें अलग-अलग मंत्रालय जिले के विकास को बढ़ावा देते हैं। राज्य मुख्य सचिवों के अधीन **समितियाँ स्थापित** करते हैं, और केंद्रीय प्रभारी अधिकारी स्थानीय प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।
- **प्रभाव के लिए सहयोग:** केंद्र और राज्य योजनाओं के मध्य अभिसरण सरकार, बाजार और सिविल सोसाइटी के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **जवाबदेही और प्रतिस्पर्द्धा:** जिलों के मध्य **प्रतिस्पर्द्धा की भावना स्थानीय सरकारों के भीतर जवाबदेही** की भावना पैदा करती है।

ध्यान देने योग्य क्षेत्र

- **स्वास्थ्य एवं पोषण:** वर्ष 2024 तक **गंभीर कुपोषण (एसएएम) में 50% की कमी** का लक्ष्य।
- **शिक्षा:** एडीपी जिलों में माध्यमिक विद्यालय नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- **कृषि और जल संसाधन: धौलपुर जिले** में सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंपों के साथ **जल दक्षता में 25%** की वृद्धि देखी गई।
- **वित्तीय समावेशन और कौशल विकास:** वर्ष 2024 तक पात्र परिवारों में **100% बुनियादी बैंक खाता** कवरेज का लक्ष्य।
- **बुनियादी ढाँचा: मार्च, 2024 तक 1,500 से अधिक गाँवों का पूर्ण घरेलू विद्युतीकरण** किया गया।

चुनौतियाँ और उनका समाधान:

- **संसाधन की कमी:** बढ़े हुए बजटीय आवंटन की आवश्यकता को स्वीकार करके **सीमित संसाधनों की चुनौती का समाधान** करना।
- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय:** सरकारी विभागों के मध्य बेहतर सहयोग के माध्यम से खंडित शासन की बाधा पर नियंत्रण पाना।
- **डेटा गुणवत्ता:** मजबूत डेटा प्रबंधन प्रणालियों में निवेश करके डेटा विश्वसनीयता और सटीकता के मुद्दे से निपटना।
- **मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर बल देना:** अधिक समग्र नीतिगत परिणाम प्राप्त करने के लिए पारंपरिक संकेतकों के साथ **गुणवत्ता मापन पर ध्यान केंद्रित** करना।

आगे की राह

- **संकेतकों को परिष्कृत करना:** नवीकरणीय ऊर्जा पहुँच की ओर बदलाव के साथ प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए **नियमित समीक्षा**।
- **लक्षित समर्थन:** निम्न स्तरीय प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए अतिरिक्त संसाधन और हस्तक्षेप।
- एडीपी की सफलता राष्ट्रव्यापी विकास में तेजी लाने के लिए एक मिसाल कायम करती है। चुनौतियों का समाधान करके और सहयोग को बढ़ावा देकर भारत, विकास अंतर को कम कर सकता है और अपने सभी नागरिकों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकता है।

भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के सर्वोत्तम प्रयास

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) का लक्ष्य भारत के अविकसित जिलों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करना है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के कुछ सफल प्रयासों का उदाहरण दिया गया है:

- **स्वास्थ्य एवं पोषण:**
  - **आरोग्य कुंजी (चतरा, झारखंड):** ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल पहुँच में सुधार के लिए **चिकित्सा उपकरण** प्रदान करता है।
  - **केंद्रीकृत रसोई (नंदुरबार, महाराष्ट्र):** आदिवासी स्कूलों में बच्चों को गर्म भोजन प्रदान करता है।
  - **मॉडल आंगनवाड़ी (रामगढ़, झारखंड):** बच्चों की देखभाल और सामुदायिक पहुँच में सर्वोत्तम प्रयासों को बढ़ावा देना।
  - **'हमार स्वास्थ्य' ऐप (राजनंदनगांव, छत्तीसगढ़):** पुराने रोगों का शीघ्र पता लगाने में सक्षम बनाता है।
  - **गर्भवती महिलाओं के लिए छात्रावास (विजयनगरम, आंध्र प्रदेश):** प्रसवपूर्व देखभाल और सहायता प्रदान करता है।
  - **कन्या तरु योजना (हैलाकांडी, असम):** यह योजना नवजात लड़कियों के माता-पिता को फलदार पेड़ उपहार में देकर संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करती है।
- **शिक्षा:**
  - **आकार आवासीय विद्यालय (सुकमा, छत्तीसगढ़):** दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करता है।
  - **बाल संसद (श्रावस्ती और बहराईच, उत्तर प्रदेश):** मॉक संसद के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाता है।
  - **बाल - शिक्षण सहायता के रूप में निर्माण (श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश):** बच्चों के अनुकूल सीखने का माहौल बनाता है।
  - **प्रोजेक्ट दूसरी पारी (दाहोद, गुजरात):** उपस्थिति और सीखने के परिणामों को बढ़ावा देने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की भर्ती।
  - **शिक्षा सारथी योजना (सिंगरौली, मध्य प्रदेश):** छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति करती है।
- **कृषि एवं जल संसाधन:**
  - **कृषि उद्यमी योजना (रामगढ़, झारखंड):** किसानों को सतत् और लाभदायक प्रथाओं में प्रशिक्षित करती है।
  - **बागवानी मूल्य समझौता पहल (छतरपुर, मध्य प्रदेश):** किसानों के लिए **उचित मूल्य और बाजार पहुँच** की गारंटी देती है।
  - **सर्वजल परियोजना (उधम सिंह नगर, उत्तराखंड):** वंचित क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत **पेयजल समाधान** प्रदान करता है।
  - **'तांका' या 'टांका' वर्षा जल संचयन (सोनभद्र, उत्तर प्रदेश):** इस योजना के अंतर्गत शुष्क मौसम के लिए जल का संरक्षण किया जाता है।
- **वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास**
  - **सोलर मामा (गुमला, झारखंड):** महिलाओं को गैर-विद्युतीकृत गाँवों के लिए **सोलर लाइट** बनाने के लिए प्रशिक्षित करता है।
  - **खावा क्लस्टर अवधारणा (उस्मानाबाद, महाराष्ट्र):** यह दूध को शेल्फ-स्थिर उत्पाद में संसाधित करके **किसानों की आय बढ़ाने** में मदद करती है।
- **बुनियादी ढाँचा:**
  - **सड़क निर्माण में हरित प्रौद्योगिकियाँ (गोलपाड़ा, असम):** पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग करती हैं और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करती हैं।
  - **'लीटर ऑफ लाइट' पोर्टेबल लाइट्स (रांची, झारखंड):** पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग करके कम लागत वाले प्रकाश समाधान प्रदान करता है।
  - **पाटसेन्द्री: पीएमएवाई के तहत मॉडल कॉलोनी (महासमुंद, छत्तीसगढ़):** संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के संघटन का प्रदर्शन करता है।
  - **स्वजल जल परीक्षण (बारपेटा, असम):** समुदायों को अपने **पीने के पानी की गुणवत्ता का परीक्षण** करने का अधिकार देता है।

- **शासन व्यवस्था**
  - **बीडीओ स्कोरकार्ड (हजारीबाग, झारखंड):** ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों के प्रदर्शन का **पारदर्शी मूल्यांकन** करता है।
  - **लोक सेवक ऐप (खंडवा, मध्य प्रदेश):** सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति की निगरानी के लिए **जियोटैगिंग** का उपयोग करता है।
  - **इन्फ्रास्ट्रक्चर स्नैपशॉट ऐप (गोलपाड़ा, असम):** नागरिकों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके बुनियादी ढाँचे के मुद्दों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।
  - **महा भूमि बैंक प्रणाली (वाशिम, महाराष्ट्र):** कुशल आवंटन के लिए सरकारी भूमि का एक केंद्रीय भंडारण स्रोत बनाता है।
  - **मीकोसम भोजन योजना (विजयनगरम, आंध्र प्रदेश):** शिकायत की सुनवाई में भाग लेने वाले याचिकाकर्ताओं को सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करती है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) की सफलता के आधार पर, सरकार ने एक नई पहल, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) शुरू की है।

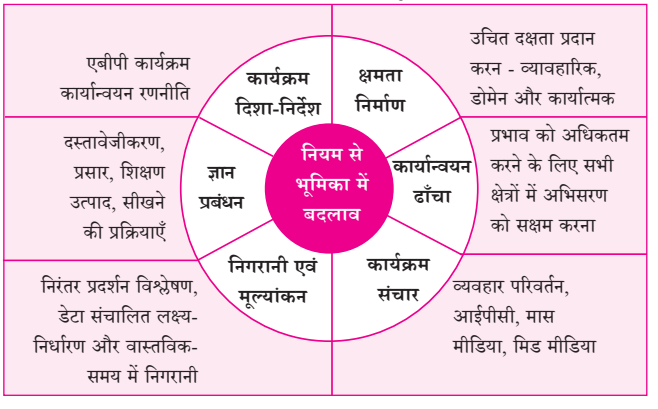

मुख्य विशेषताएँ

- **इसे केंद्रीय बजट- 2022-23** में लॉन्च किया गया था (वर्ष 2023-24 में पुनः उल्लेख किया गया)।
- **लक्ष्य:** 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना।
- **भौगोलिक कवरेज:** प्रारंभिक चरण में **500 ब्लॉकों पर** ध्यान केंद्रित किया जाना है, जिनमें से आधे से अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में केंद्रित हैं।
  - हालाँकि, राज्य बाद में और ब्लॉक जोड़ सकते हैं।
- **मुख्य क्षेत्र:** एडीपी के समान, एबीपी स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि तथा जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा बुनियादी ढाँचे के पांच मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।
- **सेवाओं की संतृप्ति:** इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी आवश्यक सरकारी सेवाओं की इन ब्लॉकों तक पहुँच सुनिश्चित हो।
- **प्रदर्शन मापन:** विभिन्न क्षेत्रों में 15 प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों (KSI) का उपयोग करके प्रगति को मापता है।
  - स्थानीय चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य अतिरिक्त संकेतक जोड़ सकते हैं।
- **स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा: केएसआई प्रदर्शन, ब्लॉकों** के मध्य प्रतिस्पर्द्धा और सुधार को बढ़ावा देने के आधार पर नियमित रूप से रैंकिंग जारी करता है।
- **शासन पर ध्यान:** इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। इनमें शामिल है:
  - **समन्वय:** प्रशासनिक अंतराल को पाटने के लिए विभिन्न **सरकारी विभागों को एक साथ लाना।**
  - **परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण:** स्पष्ट लक्ष्यों को परिभाषित करना और प्रगति की लगातार निगरानी करना।

ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करने का कारण

- **समावेशी विकास:** ब्लॉक-स्तरीय बुनियादी ढाँचा यह सुनिश्चित करता है कि विकास का एक बड़े हिस्से तक हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक पहुँच सुनिश्चित हो, जिससे **समावेशी विकास** सुनिश्चित हो सके।
- **स्थानीय रूप से अनुकूलनीय योजना:** ब्लॉक, प्रशासनिक और निगरानी इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं, जो स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर लचीली योजना की अनुमति देते हैं, जिससे संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है।
- **जमीनी स्तर पर भागीदारी:** यह निर्णय लेने में लोगों के करीब ले जायेगा, जिससे **लोकतंत्र में भागीदारी योजना** प्रक्रिया में सुधार होगा।
- **एसडीजी के लिए अभिसरण:** प्रभावी ब्लॉक-स्तरीय कार्यान्वयन प्रशासनिक अंतराल को समाप्त कर सकता है और महत्त्वपूर्ण **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** को प्राप्त कर सकता है।

एबीपी में सबसे विस्तृत स्तर पर विकास को गति देने, सरकारी पहलों और कार्यान्वयन के अंतिम चरण के मध्य के अंतर को पाटने की अपार क्षमता है। एडीपी से सीखकर और मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके, एबीपी इन ब्लॉकों को सशक्त बनाने और पूरे भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किन्तु इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं। टिप्पणी कीजिए। **(2022)**
- 'विकास योजना के नव-उदारी प्रतिमान के सदर्भ में, आशा की जाती है कि बहु-स्तरी योजनाकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा।' चर्चा कीजिए। **(2019)**
- "वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विनियामक संस्थाएँ स्वतंत्र और स्वायत्त बनी रहे।" पिछले कुछ समय में हुए अनुभवों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। **(2015)**

2 विकास प्रक्रियाएँ और विकास उद्योग

विकास: अर्थ और परिचय

विकास को सामाजिक परिवर्तन की दिशा की एक यात्रा के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो व्यक्तियों को उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को पूर्ण करने के लिए सशक्त बनाता है। **अमर्त्य सेन का दृष्टिकोण** विकास को एक राजनीतिक प्रयास के रूप में देखता है, जिसका लक्ष्य उन बाधाओं को दूर करना है जो नागरिकों को अपनी तर्कसंगत एजेंसी या संस्था का उपयोग करने से रोकते हैं, जिससे उनकी इच्छा-शक्ति और अवसरों का विस्तार होता है।

विकास के आयाम

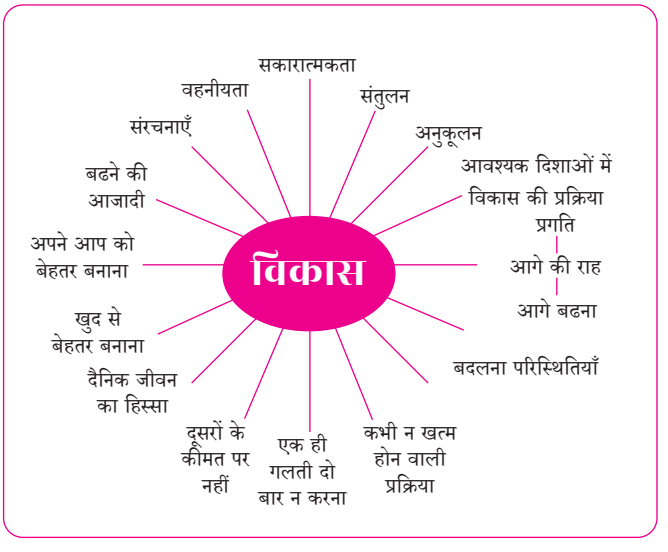

- **मानव विकास:** अमर्त्य सेन ने मानव विकास के लिए मानवीय क्षमता के दृष्टिकोण का समर्थन किया। यह शीर्ष पर बैठे लोगों की दक्षता के बजाय निचले पायदान पर मौजूद लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **राजनीतिक विकास:** इसे किसी सरकारी एजेंसी या विकास संगठन द्वारा दूसरों के कल्याण के उद्देश्य से की गई एक महत्त्वपूर्ण पहल भी कहा जाता है। **उदाहरण के लिए, एक** विकासशील देश में कृषक। इसे एक लोकतांत्रिक तंत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह इस बारे में चिंता उत्पन्न करता है कि किसके पास किस कार्य को करने का अधिकार है।
- **आर्थिक विकास:** यह एक ऐसा तंत्र है, जिसके द्वारा कोई देश अपने नागरिकों का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कल्याण करता है।
- **सामाजिक विकास:** सामाजिक विकास का तात्पर्य लोगों के सामाजिक कल्याणार्थ निवेश करना है। इसमें बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है ताकि सभी लोग आत्मविश्वास और सम्मानपूर्वक अपने सपनों को पूरा कर सकें।
- **सतत् विकास:** ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सतत् विकास को ऐसे विकास के रूप में वर्णित किया गया है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को खतरे में डाले बिना, वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है। संयुक्त राष्ट्र ने सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) विकसित किए हैं, जो 17 व्यापक उद्देश्यों का एक समूह है जिनकी प्राप्ति का लक्ष्य वर्ष 2030 निर्धारित किया गया है।

भारत में विकास से जुड़ी चुनौतियाँ

- **भूमि सुधारों का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन:** स्वतंत्रता के बाद, भूमि सुधार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। इससे न केवल कृषि विकास में स्थिरता आई, बल्कि ऐतिहासिक असमान संसाधन वितरण और भी बढ़ गया है।
- **अंतर-क्षेत्रीय असमानता:** कृषि विफलताओं और त्रुटिपूर्ण औद्योगिक योजनाओं के कारण, क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ीं, जिससे सामाजिक अशांति और जाति-आधारित आरक्षण की माँग को बढ़ावा मिला। **उदाहरण के लिए,** महाराष्ट्र राज्य में जाति-आधारित आरक्षण की माँग, विशेष रूप से मराठा समुदाय के द्वारा आदि।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा:** कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा दो प्रमुख निवेश हैं। हालाँकि, निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा और भारत में कुछ बीमारियों का अपेक्षाकृत अधिक प्रसार इसके भविष्य के आर्थिक विकास को खतरे में डाल रहा है।
  - सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र और राज्यों द्वारा किया गया शिक्षा पर संयुक्त व्यय, वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक 2.9% पर स्थिर रहा है।
  - चिकित्सक-मरीज अनुपात कम बना हुआ है, जो कि प्रति 1,000 लोगों पर केवल 0.7 चिकित्सक है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का औसत प्रति 1,000 लोगों पर 2.5 चिकित्सक है।
- **लैंगिक असमानता:** लैंगिक असमानता भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है, जो आर्थिक भागीदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित कर रही है। **ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट- 2023** में भारत को 146 देशों में से **127 वाँ** स्थान दिया गया है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर और राजनीतिक सशक्तीकरण में गंभीर असमानताओं को दर्शाता है।
- **आर्थिक असमानता:** विश्व असमानता रिपोर्ट- 2024 द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, शीर्ष 1% लोगों के पास औसतन 5.4 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो औसत भारतीय संपत्ति से 40 गुना अधिक है। यह असमानता सिर्फ एक महानगरों तक व्याप्त नहीं है, बल्कि ग्रामीण और शहरी विभाजनों तक फैली हुई है, जो आर्थिक गतिशीलता और संसाधनों तक पहुँच को प्रभावित करती है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट-2023 के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 शहर भारत के हैं।

- **प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग:** संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद भारत में, पुरानी तकनीक और वित्तीय बाधाओं के कारण प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग हो रहा है। **उदाहरण:** झारखंड के खनन क्षेत्र अक्सर सुदूर और दुर्गम स्थानों पर स्थित हैं।

आगे की राह

- **नीति निर्माण और योजनाएँ:** जरूरतों के आकलन के आधार पर स्पष्ट, मापने योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करना। उदाहरण के लिए, **स्मार्ट सिटीज मिशन (2015)** का लक्ष्य उन्नत शहरी योजना और प्रौद्योगिकी के साथ 100 शहरों को विकसित करना था।
- **हितधारक की सहभागिता:** समर्थन सुनिश्चित करने और सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों को शामिल किया जाए। उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्थानीय स्वच्छता रणनीतियों को तैयार करने के लिए समुदायों को शामिल किया गया है।
- **विधान और विनियमन:** नीति कार्यान्वयन का समर्थन करने और उसे लागू करने के लिए कानूनी ढाँचा तैयार किया जाए। उदाहरण के लिए, संपूर्ण भारत में कर प्रणाली को एकीकृत करने के लिए नए कानूनों के माध्यम से **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)** की स्थापना की गई थी।
- **संसाधन आवंटन:** नीति कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना। उदाहरण के लिए,**मनरेगा** योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिनों के लिए ग्रामीण रोजगार की गारंटी देने के लिए वित्त पोषित किया गया था।
- **कार्यान्वयन और निष्पादन:** नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना। उदाहरण के लिए, **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** को राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से क्रियान्वित किया गया था।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** नीति की सफलता का पता लगाने के लिए निष्पादन नियमावली निर्धारित कर उसका मूल्यांकन करना। उदाहरण के लिए, **प्रधानमंत्री जन-धन योजना** में नए बैंक खातों को जोड़ने, वित्तीय समावेशन प्रयासों का आकलन करने के लिए निगरानी का व्यापक उपयोग किया गया था।
- **प्रतिक्रिया और अनुकूलन:** नीतिगत विधियों को परिष्कृत और बेहतर बनाने के लिए आँकड़ों के मूल्यांकन का उपयोग किया जाए। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) में शून्य-बैलेंस खातों की उच्च संख्या को ध्यान में रखते हुए कुछ समायोजन किए गए थे, जैसे कि ओवरड्राफ्ट सुविधाएं।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

- विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है। यह 'सहयोग' और 'टीम भावना' की संस्कृति को भी गति प्रदान करती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत की विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए। ***(2019)***
- मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना की संकल्पना भारत में लगभग एक शताब्दी पुरानी है जिसका आरंभ स्वतंत्रता पूर्व भारत के मद्रास महाप्रांत (प्रेसीडेंसी) में किया गया था। पिछले दो दशकों से अधिकांश राज्यों में इस योजना को पुनः प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके दोहरे उद्देश्यों, नवीनतम जनादेशों और सफलता का समलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ***(2013)***

सिविल सोसायटी संगठन की भूमिका

विश्व बैंक द्वारा परिभाषित सिविल सोसायटी में संगठनों, सामुदायिक समूहों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), श्रमिक संघों, स्वदेशी समूहों, धर्मार्थ संगठनों, आस्था-आधारित संगठनों, पेशेवर संघों और फाउंडेशनों सहित विविध प्रकार की संस्थाएँ शामिल हैं।

सिविल सोसायटी संगठन की विशेषताएँ

- **स्वैच्छिक भागीदारी:** साझा लक्ष्यों और जनहित की भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इसमें शामिल होते हैं।
- **गैर-लाभकारी अभिप्रेरणा:** यह मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि अधिकतम लाभ कमाने से प्रेरित है।

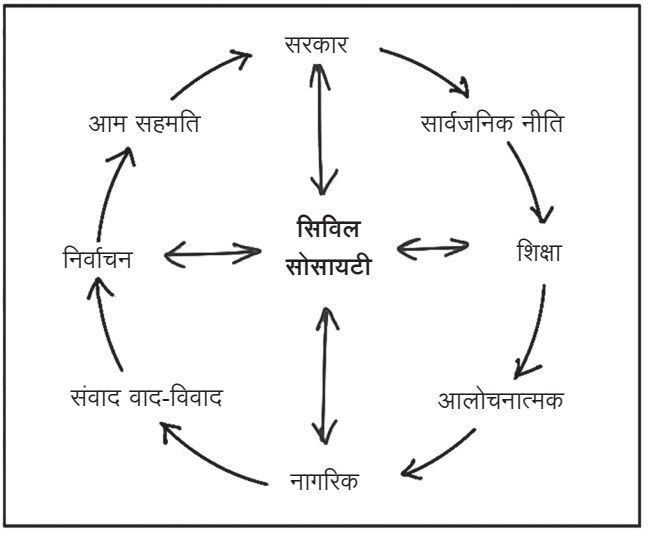

- **बहुलतावाद और विविधता:** इसमें विभिन्न हितों और दृष्टिकोण वाले समूहों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है।
- **जवाबदेही:** यह सदस्यों, लाभार्थियों और जनता के प्रति जवाबदेह है।
- **स्वतंत्रता:** सरकार और व्यावसायिक क्षेत्रों से स्वायत्त रूप से संचालित होती है।
- **समर्थन और प्रतिनिधित्व:** समर्थन और प्रतिनिधित्व, हाशिए पर मौजूद समूहों को आवाज देता है और उनके हितों को बढ़ावा देता है।
- **नवाचार और प्रयोग:** सामाजिक चुनौतियों के लिए नए समाधान विकसित और कार्यान्वित करता है।
- **सहयोग:** साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साझेदारी और गठबंधन बनाता है।
- **शिक्षा और जागरूकता अभियान:** इसका उद्देश्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर नागरिकों को सूचित करना और उन्हें सशक्त बनाना है।
- **सामुदायिक निर्माण और सामाजिक सामंजस्य:** यह समुदायों के भीतर संबंधों को बढ़ावा देता है और सामाजिक बंधनों को मजबूत कर उनके मध्य सामाजिक सामंजस्य सुनिश्चित करता है।
- सिविल सोसायटी संगठन (सीएसओ) के कुछ महत्त्वपूर्ण उदाहरण **वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF), ग्रीनपीस, द डेनिश रिफ्यूजी काउंसिल (डीआरसी), रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स** आदि हैं।

शासन में सिविल सोसायटी संगठन का महत्त्व

- **संसाधनों के एकत्रीकरण में:** भारत में टाटा ट्रस्ट ने सार्वजनिक कल्याण के लिए निजी संपत्ति का उपयोग करते हुए, सरकारी प्रयासों में पूरक की भूमिका निभाते हुए, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण आजीविका में निवेश किया है।

- **पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना:** ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, एक गैर-सरकारी संगठन, है जिसने सरकारी संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाकर शासन में सुधार करने और भ्रष्टाचार को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **क्षमता निर्माण में निवेश:** अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एनजीओ पेशेवरों के लिए विशेष पाठ्यक्रम संचालित करता है, जिससे संगठनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और नेतृत्व करने की उनकी क्षमता को बढ़ावा मिलता है।
- **संचार और सहयोग को बढ़ाना:** नीति आयोग द्वारा संचालित, एनजीओ **दर्पण पोर्टल** के निर्माण से सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय और वार्ता की सुविधा प्राप्त होती है।
- **स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करना:** राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और अन्य मंच, युवा भारतीयों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में स्वयंसेवक बनने के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे नागरिक जुड़ाव बढ़ता है।

सिविल सोसायटी संगठनों के प्रकार (CSO)

एनजीओ (गैर-सरकारी संगठन):
- निजी, गैर-लाभकारी, स्वैच्छिक और स्वशासी संस्थाएँ

सीबीओएस (समुदाय-आधारित संगठन):
- स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने वाली स्वैच्छिक व स्थानीय स्तर की संस्थाएँ

धार्मिक और आस्था-आधारित संगठन:
- धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित सामान्य लक्ष्यों के अनुयायी
- उदाहरण: रामकृष्ण मिशन, यूनानी चिकित्सा क्लीनिक

सदस्यता समितियाँ:
- सदस्यों के हितों की सेवा करने वाले स्व-चयनित समूह

अनुसंधान संगठन और थिंक टैंक:
- सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के साथ ही विदेशी सुरक्षा व अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने वाले संगठन
- उदाहरण: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन

सामाजिक आंदोलन:
- सामान्य कारणों का समर्थन करने वाले नागरिक समूह
- उदाहरण: भ्रष्टाचार विरोधी, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक अधिकार, महिला सुरक्षा

युवा एवं छात्र संगठन:
- • युवाओं और विद्यार्थियों के कल्याण और हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन
- उदाहरण: अखिल भारतीय युवा महासंघ, छात्र संघ

- **विभाजन को कम करने में: सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई)** जैसे गैर-सरकारी संगठन, पर्यावरण सबंधी नीतियों का प्रभावी ढंग से निर्माण और कार्यान्वित सुनिश्चित कर विभाजन को कम करने में एक प्रहरी की भूमिका निभाते हैं।
- **लोकतंत्र और कानून के शासन को बढ़ावा देना: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)** चुनावी पारदर्शिता में सुधार के लिए सक्रिय रूप से काम करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने वाले कानूनी ढाँचे का समर्थन करता है।
- **सरकारी जवाबदेही बढ़ाना: कॉमन कॉज सोसाइटी,** सरकारी और कॉर्पोरेट शक्तियों को जवाबदेह बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मुकदमेबाजी और वकालत करती है।
- **नागरिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना:** जनाग्रह सेंटर फॉर सिटिजनशिप एंड डेमोक्रेसी शहरों को अधिक रहने योग्य और शासन को अधिक पारस्परिक बनाने के लिए शहरी प्रशासन परियोजनाओं में नागरिकों को सम्मिलित करता है।

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)

विश्व बैंक द्वारा एनजीओ को **"एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है जो दु;खों को दूर करने, गरीबों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने या सामुदायिक विकास करने के लिए गतिविधियों को आगे बढ़ाता है।"**

एनजीओ से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 19(1)(ग)**: संघ बनाने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 43:** ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।
- **समवर्ती सूची** में धर्मार्थ संस्थानों, धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों का उल्लेख है।

सोसायटी	वर्ष 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसायटी को पंजीकरण कराना आवश्यक है।
धर्मार्थ निगम	इन निगमों का गठन वर्ष 2013 के कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत किया गया है। वर्ष 1961 के आयकर अधिनियम के तहत, आयकर का भुगतान करना इनके लिए अनिवार्य शर्त है।
ट्रस्ट	निजी ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत होते हैं, जबकि सार्वजनिक ट्रस्ट प्रासंगिक राज्य कानून के तहत पंजीकृत होते हैं।

गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण की प्रक्रिया:

भारत में गैर-सरकारी संगठनों को **सोसायटी, धर्मार्थ, निगमों** और **ट्रस्ट** में विभाजित किया गया है।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका और प्रभाव:

- **कल्याणकारी योजना का कार्यान्वयन:** नागरिकों से निकटता के कारण, गैर-सरकारी संगठन सरकार और अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार, गैर-सरकारी संगठन सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में मोटे तौर पर तीन भूमिकाएँ निभाते हैं: **कार्यान्वयनकर्ता, उत्प्रेरक और सहयोगी।**
- **क्षमता निर्माण:** ये नीति-निर्माण में सहायता करने, संस्थागत क्षमता का निर्माण करने, सिविल सोसायटी के साथ स्वतंत्र बातचीत को बढ़ावा देने और लोगों को अधिक सतत् जीवन जीने में सहायता करने के लिए अनुसंधान करके अंतर को पाटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **सामाजिक बुराइयों से लड़ना और मानवाधिकारों की रक्षा करना:** गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों के परिणामस्वरूप, सरकार ने भ्रूण के लिंग निर्धारण को गैर-कानूनी घोषित कर दिया है क्योंकि यह कन्या भ्रूण के गर्भपात जैसी बुराइयों में योगदान देता है।
- **आर्थिक वृद्धि और विकास:** गैर-सरकारी संगठन आर्थिक वृद्धि और विकास के प्रयासों में प्रमुख पक्षकार और सहयोगी के रूप में उभरे हैं। ये बुनियादी जरूरतों और सुविधाओं को सुनिश्चित करने, चिंताओं को पहचानने और जागरूकता बढ़ाकर, सहायता करने में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं।
- **जोखिम या संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यरत:** ये संगठन उन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जहाँ सरकार प्रवेश करने से बचती है। जाति एक ऐसा विषय है जिसके साथ कोई भी सरकार छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है।
- **राज्य सेवाओं में इजाफा:** शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा दो प्रमुख उदाहरण हैं जहाँ सरकार द्वारा संचालित स्कूल और अस्पताल की आपूर्ति कम मात्रा में हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्याप्त संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। गैर-सरकारी संगठन इन कार्यक्रमों को बढ़ाने में सहायता करते हैं।

गैर-सरकारी संगठनों का प्रभाव (केस स्टडी)

- **शिक्षा प्रदान करना:** केरल शास्त्र साहित्य परिषद, एक विशाल गैर-सरकारी संगठन है। यह राज्य की 100 प्रतिशत साक्षरता दर के लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार है।
- **गरीबों के हितों की रक्षा:** मुंबई जैसे शहरों में **YUVA** और **SPARC** जैसे गैर-सरकारी संगठनों ने लगातार झुग्गी बस्तियों के विध्वंस का विरोध किया है और साथ ही विस्तृत झुग्गी बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम किया है।
- **अल्पसंख्यक हितों की आवाज को मुखर करना:** गैर-सरकारी संगठनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्वदेशी लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई, जैसा कि वेदांत बनाम पॉस्को मामले में देखा गया था। इनमें से कई गैर-सरकारी संगठनों ने यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों के साथ सहयोग किया है कि वन अधिकार अधिनियम और सीएएमपीए अधिनियम जैसे कानूनों को प्रभावी रुप से लागू किया जाए।
- **आपदा प्रबंधन में भूमिका:** गैर-सरकारी संगठन आपदाओं के दौरान बचाव कार्यों में सहायता करते हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी प्रदान करते हैं। उदहारण के लिए **रैपिड रिस्पांस** एक गैर-सरकारी संगठन है, जो पूरे भारत में आपदा प्रतिक्रिया और तैयारी सेवाएँ प्रदान करता है।
- **पर्यावरण प्रदूषण से निपटना:** एनजीओ वैश्विक स्तर पर खतरनाक अपशिष्ट नियंत्रण, बारूदी सुरंग प्रतिबंध ,ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषण नियंत्रण से निपटने के लिए सुधार जैसे वैश्विक समझौते ला सकते हैं।
  - **उदाहरण के लिए,** सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट प्रदूषण, भोजन और पेय पदार्थों में विषाक्त पदार्थों और अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता रहा है।
- **स्वास्थ्य और जीवन प्रतिरक्षा: उदाहरण के लिए,** एड इंडिया जो भारत में COVID-19 महामारी की पहली लहर के दौरान, पहले से ही कल्याणकारी पहल पर कार्य कर रहा था। यहाँ तक कि, दूसरी लहर के दौरान इसके प्रयासों में और तेजी देखी गई। संगठन ने विशेष रूप से उन गाँवों पर ध्यान केंद्रित किया जहाँ उसने शिक्षा पहल शुरू की थी। परिणामस्वरूप, प्रत्येक गाँव में पहले से ही संगठन से जुड़े स्वयंसेवकों के अलावा, कई अन्य लोग भी उनके साथ जुड़ गए।

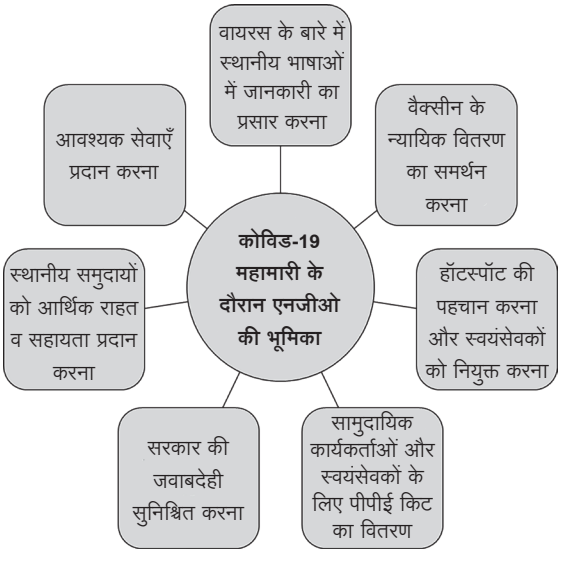

- **बाल अधिकार: बचपन बचाओ आंदोलन** ने भारत में 90,000 से अधिक बच्चों को बाल श्रम, गुलामी और तस्करी से मुक्त कराया है।
- गलीचा बनाने वाले उद्योग में अवैध बाल श्रम को समाप्त करने के लिए समर्पित गैर-लाभकारी संगठनों का एक नेटवर्क, **गुड वीव इंटरनेशनल** ने दक्षिण एशिया में बाल श्रम के उपयोग के बिना निर्मित गलीचों की पहली स्वैच्छिक लेबलिंग, निगरानी और प्रमाणन प्रणाली प्रदान की।

गैर-सरकारी संगठन और कोविड-19 महामारी:

- महामारी के प्रति सरकार की प्रतिक्रियाओं ने वैश्विक स्तर पर सिविल सोसायटी अर्थात नागरिक समाज के दैनिक जीवन को बाधित कर दिया गया था। इसने लॉकडाउन के कारण लोगों को घर तक सीमित कर दिया गया था। शारीरिक दूरी के उपायों के कारण बैठकें प्रतिबंधित हो गई थी। हालाँकि, सिविल सोसायटी के ही अनेक सेवा प्रदाता और संगठन असंख्य छोटे और बड़े तरीकों से महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए आगे आए।

कोविड-19 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों के उदाहरण

- **एनजीओ इंडिया** ने दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और पटना में आवश्यक सेवाएँ प्रदान कीं।
- **सलाम बॉम्बे फाउंडेशन** ने झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को मानसिक और भावनात्मक रूप से जोड़े रखने के लिए उनके साथ काम किया।
- **पेरो अयुडा वेलफेयर फाउंडेशन** ने आवारा पशुओं की मदद की।
- **हेमकुंट फाउंडेशन** ने जरूरतमंद लोगों के लिए ऑक्सीजन, दवाओं और अस्पताल में बेडों की व्यवस्था की।

गैर-सरकारी संगठनों से जुड़ी चुनौतियाँ:

- **वैधता और जवाबदेही से संबंधित चिंताएँ:**
  - सीबीआई के अनुसार, प्रत्येक 600 भारतीय लोगों पर एक एनजीओ मौजूद है। हालाँकि, भारत में गैर-सरकारी संगठनों के बीच पारदर्शिता की कमी है और केवल 10% गैर-सरकारी संगठनों ने वार्षिक आय और व्यय विवरण दाखिल किया है।
  - हजारों गैर-लाभकारी संस्थाएँ और स्वयंसेवी समूह सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं लेकिन यह निर्दिष्ट करने में विफल रहते हैं कि वे उनका उपयोग कैसे करते हैं।
  - एक अध्ययन में, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने "**विदेशी वित्त पोषित**" गैर-सरकारी संगठनों पर दुनिया भर में परमाणु-विरोधी और कोयला-आधारित विद्युत संयंत्र विरोधी प्रदर्शनों के साथ-साथ जीएमओ विरोधी प्रदर्शनों को वित्त पोषित करने का आरोप लगाया। उन पर "पश्चिमी सरकारों की विदेश नीति के हितों के लिए साधन के रूप में कार्य करने" का आरोप लगाया गया। कहा जाता है कि एनजीओ जीडीपी वृद्धि को 2-3 % तक कम करने के लिए स्थानीय संगठनों के नेटवर्क के साथ सहयोग कर रहे हैं।
- **भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग:** सरकार और अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त और गैर-सरकारी संगठनों के संसाधनों से एकत्र किए गए धन के दुरुपयोग और गबन के गंभीर आरोप लगना एक आम बात है।
- **कानूनी और विनियामक बाधाएँ:** विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए)- विदेशों से फंडिंग प्राप्त करने पर सख्त नियमों और सीमाओं (जैसे, अनिवार्य एकल खाता, कम प्रशासनिक खर्च) ने कई गैर-सरकारी संगठनों की परिचालन क्षमता और फंडिंग स्थिरता पर अत्यधिक प्रभाव डाला है।

- **पेशेवर रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की कमी:** भारत में गैर-सरकारी संगठनों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता:** शहरी क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठन ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों के पिछड़ेपन के कारण हैं जैसे-
  - ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का पिछड़ापन और अज्ञानता।
  - बुनियादी सुविधाओं के अभाव में सामाजिक कार्यकर्ताओं में उनके बीच काम करने की इच्छाशक्ति का अभाव।
- **युवाओं का स्वयंसेवा/ सामाजिक कार्य के प्रति रुझान:** युवा वर्ग की रुचि स्वयंसेवा में कम हो रही है। यह उत्तरोत्तर अधिक पेशेवर होती जा रही है। वर्तमान युवा सामाजिक कार्य स्नातक व्यावसायिकता में करियर बनाने में रुचि रखते हैं।
- **वित्त की कमी:** भारत में अधिकांश गैर-सरकारी संगठन अत्यंत कम बजट पर काम कर रहे हैं। सरकार इन्हें सहायता के रुप में 100% अनुदान देने के लिए सक्षम नहीं है, साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अनुदान-संबंधी मंजूरी में देरी भी होती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- भारत में, गृह मंत्रालय (एमएचए) एफसीआरए के माध्यम से एनजीओ और संगठनों को दान किए गए विदेशी फंड की निगरानी करता है। कुछ **गैर-सरकारी संगठन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)** के तहत पंजीकृत हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित होते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एफसीआरए में संशोधन को बरकरार रखा है।
- हाल ही में विजय कुमार समिति की सिफारिशों के आधार पर एनजीओ के लिए नए दिशा-निर्देश बनाए गए थे।
- नीति आयोग को सरकार से वित्त पोषण की आशा रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण और मान्यता के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

NGO के संदर्भ में FCRA संशोधन (2020):

- भारतीय स्टेट बैंक की शाखा, विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एक सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है। यह गैर-सरकारी संगठनों में वित्त पोषण के स्रोतों के संबंध में सरकार के अविश्वास को दर्शाता है।
- वर्ष 2020 का संशोधन गैर-सरकारी संगठनों को एफसीआरए फंड को किसी अन्य संगठन या व्यक्ति को हस्तांतरित करने से रोकता है, यह एफसीआरए फंड के उपयोग के संबंध में संदेह को दर्शाता है। प्रशासनिक खर्चों को 20% (पहले 50%) पर सीमित कर दिया गया है।
- पदाधिकारियों को आधार कार्ड, या पासपोर्ट विवरण (विदेशियों के लिए) प्रदान करना आवश्यक है। इससे सरकार को विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के नियंत्रण में रहने वाले व्यक्तियों का एक डेटाबेस उपलब्ध होगा।

आगे की राह:

- **विजय कुमार समिति:**
  - गैर-सरकारी संगठनों का विवरण खोजे जा सकने योग्य डेटाबेस जानकारी के रूप में उपलब्ध होना चाहिए।
  - गैर-सरकारी संगठनों और सरकार के बीच विभिन्न सहयोग की देखरेख के लिए एक नोडल निकाय ने सिफारिश की है कि नीति आयोग को यह शक्ति सौंपी जाए।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग:** एफसीआरए के तहत शक्तियों को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों या जिला प्रशासनों के मध्य कार्यों को विभाजित कर दिया जाना चाहिए।
- **उन्नत निरीक्षण तंत्र:** गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धन के उपयोग की जाँच करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आयोगों या समितियों की स्थापना की जानी चाहिए।
- **जन जागरूकता अभियान:** सार्वजनिक सेमिनारों, बैठकों के आयोजन में युवा स्नातकों को शामिल किया जाना चाहिए और स्वयंसेवा के महत्त्व को बढ़ावा देने और गैर-सरकारी संगठनों की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए स्थानीय मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **शैक्षणिक सहयोग:** गैर-सरकारी संगठनों के साथ विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, स्वयंसेवा में रुचि रखने वाले स्नातकों के लिए कैंपस में साक्षात्कार की सुविधा प्रदान करना। एनएसएस और एनसीसी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा से स्वैच्छिकता में भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **ग्रामीण केंद्रित और प्रोत्साहन:** गैर-सरकारी संगठनों के लिए ग्रामीण संचालन के महत्त्व की पहचान की जानी चाहिए, विशेषकर ऐसे देश में जहाँ 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण समुदायों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान के लिए विशेष प्रावधान और पात्रता शर्तें प्रदान करना।
- **गुणवत्ता की पहचान:** एनजीओ को उत्कृष्ट सेवा मानकों को मान्यता देकर और पुरस्कृत करके, पुरस्कारों और अतिरिक्त अनुदानों के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करके उच्च सेवा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **कार्मिक मुआवजे में संशोधन:** एनजीओ कर्मियों के लिए काम के महत्त्व के अनुरूप वेतनमान और भत्ते में संशोधन करना। जमीनी स्तर पर कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष धनराशि आवंटित करना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग** करना: धन जुटाने, सहयोग स्थापित करने, उत्पादों का विज्ञापन करने और एनजीओ क्षेत्र के भीतर कुशल कर्मियों की भर्ती के लिए इंटरनेट और वेबसाइट जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने की भावना को प्रोत्साहित करना।

आरटीआई और गैर-सरकारी संगठन

- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सरकारी फंडिंग प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) अब सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अधीन हैं।
- आरटीआई अधिनियम की धारा 2(एच) में 'सार्वजनिक प्राधिकरण' को "किसी भी प्राधिकरण, इकाई, या स्वशासन की संस्था द्वारा निर्मित या गठित" के रूप में वर्णित किया गया है।
- **वित्तपोषण:** आरटीआई अधिनियम में पर्याप्त फंडिंग का उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महत्त्वपूर्ण वित्तपोषण की अवधारणा को व्यापक बनाया।

गैर-सरकारी संगठनों को आरटीआई अधिनियम के तहत लाने के लाभ:

इससे एनजीओ की जवाबदेही, स्वतंत्रता और विश्वसनीयता कायम रहेगी।

- **नागरिकों की जानकारी तक पहुँच:** चूँकि, एनजीओ सार्वजनिक धन प्राप्त करते हैं, इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों को यह जानने का अधिकार प्रदान करता है कि उन सार्वजनिक निधियों को कैसे और कहाँ व्यय किया जा रहा है।
- **सामाजिक सेवा वितरण एजेंट के रूप में गैर-सरकारी संगठनों की प्रभावशीलता:** कई निकाय, जैसे अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान, अब 'सार्वजनिक प्राधिकरण' (आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच)) की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि वे सरकारी स्वामित्व वाली संपत्ति पर निर्भर हैं।

आगे की राह:

- यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के बीच बेहतर सहयोग की आवश्यकता है कि सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से वितरित किया जाए न कि उनके कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की जाए।
- एनजीओ नियामकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनों का पालन राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त, निष्पक्ष, खुले और गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जाए, ताकि नियामक और एनजीओ दोनों में जनता का भरोसा और विश्वास बढ़े।
- गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और सेवानिवृत्त नौकरशाहों से मिलकर एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद का गठन किया जाना चाहिए।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

- विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.), 1976 के तहत गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तीयन के नियंत्रक नियमों में हाल के परिवर्तनों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ***(2015)***
- पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है? मुख्य बाध्यताओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए। ***(2015)***
- "भारतीय शासकीय तंत्र में,गैर-राजकीय कर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ***(2016)***

दबाव समूह

दबाव समूह ऐसे व्यक्ति या संगठन होते हैं जो स्वेच्छा से अपने साझा हितों की वकालत करने और उनकी रक्षा करने के लिए संगठित होते हैं। उनका उद्देश्य बाह्य दबाव डालकर अपने सदस्यों के पक्ष में जनमत और सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है। ये समूह सरकारी नीति-निर्माण और कार्यान्वयन को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग, पत्राचार, याचिका, सार्वजनिक बहस और विधायकों के साथ चर्चा सहित कानूनी और वैध तरीके अपनाते हैं।

दबाव समूह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं।

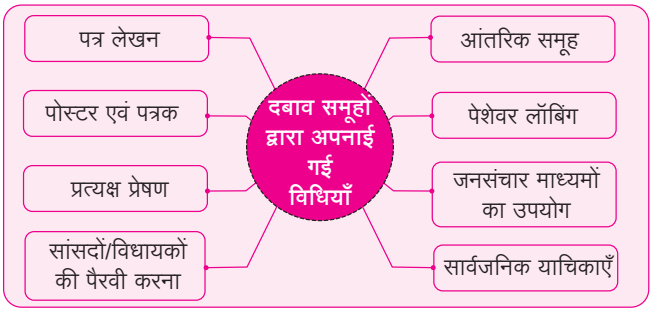

दबाव समूहों के प्रकार:

- **संस्थागत हित समूह:** इन औपचारिक समूहों में सरकारी मशीनरी, जैसे राजनीतिक दलों, विधायिकाओं, सेनाओं और नौकरशाही के भीतर कार्यरत पेशेवर शामिल होते हैं। ये अपनी समस्याओं को संवैधानिक तरीकों से और स्थापित नियमों और विनियमों के अनुसार व्यक्त करते हैं।
- **सहयोगी हित समूह:** ये विशिष्ट समूह विशिष्ट हितों और सीमित लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए बनाए जाते हैं। **उदाहरण के लिए,** ट्रेड यूनियन, व्यापारियों और उद्योगपतियों के संगठन और नागरिक समूह आदि।
- **अप्रतिमान (Anomic) समूह:** ये समूह समाज से स्व-स्फूर्त रूप से उभरते हैं और इनमें दंगे, प्रदर्शन, हत्याएँ और प्रत्यक्ष राजनीतिक जुड़ाव के अन्य समान रूप जैसे कार्य शामिल होते हैं।
- **गैर-सहयोगी हित समूह:** अनौपचारिक संरचनाओं की विशेषता वाले ये समूह, रिश्तेदारी, वंश, जातीयता, क्षेत्र, स्थिति और वर्ग के आधार पर हितों को स्पष्ट करते हैं। उदाहरणों में जाति समूह, भाषा समूह और अन्य समुदाय-आधारित संगठन शामिल हैं।

सार्वजनिक नीति निर्धारण में दबाव समूहों की भूमिका

- **जनता की माँगों का समर्थन:** दबाव समूह जनता की माँगों और जरूरतों को प्रभावी ढंग से रखते हैं, विशेषकर जब इन मुद्दों का राजनीतिक महत्त्व नहीं होता है। उदाहरण के लिए, इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट वर्कर्स द्वारा गिग कर्मियों (Gig workers) के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ की माँग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।
- **सलाहकारी कार्य:** सरकारें व्यावसायिक और आर्थिक प्रकृति के महत्त्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर प्रायः दबाव समूहों से सलाह लेती हैं। दो-तरफा संचार माध्यम के रूप में कार्य करते हुए, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसे दबाव समूहों ने सरकार की ई-कॉमर्स नीतियों को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है।
- **विधायी प्रभाव:** विधायी प्रक्रिया में, दबाव समूह सक्रिय रूप से वांछित कानूनों या संशोधनों को आकार देने के लिए विधायकों के साथ पैरवी में संलग्न होते हैं। उदाहरण के लिए, ऑल-इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स और हिंद मजदूर सभा शामिल हैं, जिन्होंने श्रम संहिता को अंतिम रूप देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **नीति मूल्यांकन:** दबाव समूह उन कानूनों, नियमों, निर्णयों और नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके प्रतिनिधित्व वाले हितों को प्रभावित करते हैं। वर्ष 2021 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान यूनियनों और किसान उत्पादक संगठनों के विरोध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप सरकार को उन कानूनों को तत्काल प्रभाव से रद्द करना पड़ा।
- **सामाजिक समरसता को बढ़ाना:** व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतों और माँगों के लिए 'सुरक्षा वाल्व' प्रदान करके, दबाव समूह सामाजिक एकता और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में योगदान करते हैं।
- **जनमत निर्माण:** जनमत को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाते हुए, दबाव समूह समाचार पत्रों में ओप-एड/ऑप-एड (एक छोटा अखबार कॉलम), राजनीतिक वर्ग के साथ बैठकें, नारेबाजी, धरना, सड़क और रेल-अवरोधन जैसे तंत्रों के माध्यम से सरकार को प्रभावित करते हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप कृषि ऋण माफी जैसे निर्णय लिए गए।

दबाव समूहों की सीमाएँ

- **सरकार पर अनुचित प्रभाव**
  - **बहुमत को अप्रभावी करना:** शक्तिशाली और मुखर समूह अपने हितों के लिए दबाव बना सकते हैं, जिससे संभावित रूप से बहुमत की आवाज को दबाया जा सकता है।
  - **उदाहरण:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पैनल द्वारा उजागर किए गए कृषि कानूनों की वापसी को उन सुधारों का समर्थन करने वाले मौन बहुमत के बजाय एक मुखर अल्पसंख्यक के पक्ष में देखा जा सकता है|
- **आंतरिक संघर्ष और पक्षपात:**
  - **हितों का टकराव:** आंतरिक सत्ता संघर्ष या समूहों के भीतर निहित स्वार्थ उन मुद्दों को कमजोर कर सकते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - **उदाहरण:** ट्रेड यूनियनें आंतरिक राजनीति से प्रभावित होती हैं, जिससे उन श्रमिकों के कल्याण संबंधी पहलों को खतरा हो सकता है जिनका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं।
- **परिवर्तन और संरक्षणवाद का विरोध:**
  - **रूढ़िवादी ट्रेड यूनियन:** यूनियनें कभी-कभी संरक्षणवादी नीतियों का समर्थन करती हैं या आवश्यक सुधारों का विरोध करती हैं, जिससे आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है।
  - **उदाहरण:** कृषि कानून सबंधित सुधारों के लाभ स्पष्ट होते हुए भी, किसानों को उनके साथ जुड़ी अनिश्चितताओं और संभावित जोखिमों के कारण विरोध करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
- **हठधर्मिता और व्यवधान**: अनेक मामलों में ऐसा देखा गया है कि ये समूह मध्यम मार्ग के विरुद्ध हठधर्मिता को अपनाकर नीतियों और व्यवस्थाओं को प्रभावित करते है।
  - **समझौता न करने वाली रणनीति:** लंबे समय तक चलने वाले विरोध प्रदर्शन या विघटनकारी कार्रवाइयाँ जनता को अलग-थलग कर सकती हैं और मूल उद्देश्यों की प्राप्ति से ध्यान भटका सकती हैं।
  - **उदाहरण:** कुछ कृषि कानूनों के विरोध के दौरान प्रदर्शित हठधर्मिता ने आंदोलन के प्रति जनता का समर्थन कमजोर कर दिया।
- **विदेशी हस्तक्षेप एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:**
  - **बाहरी हस्तक्षेप:** विदेशी प्रभाव के प्रति संवेदनशील समूह राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं।
  - **उदाहरण:** 'टूलकिट' विवाद ने विरोध प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करने के बाहरी प्रयासों के बारे में चिंताएँ बढ़ा दीं।

हालाँकि, दबाव समूह बहुसंख्यक जनता के हितों को स्पष्ट करने, राजनीतिक प्रक्रियाओं में संलग्न होने, निर्णय लेने को प्रभावित करने, जवाबदेही में सुधार करने और सामाजिक प्रगति को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लोकतांत्रिक समाजों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु उनमें कुछ कमियाँ भी हैं जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दूर किए जाने की आवश्यकता है।

स्वयं सहायता समूह (SHG)

एक स्वयं सहायता समूह को "समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले और सामूहिक रूप से एक सामान्य कार्य करने की इच्छा रखने वाले लोगों का स्व-शासित, सहकर्मी-नियंत्रित सूचना समूह" के रूप में परिभाषित किया गया है।

स्वयं सहायता समूहों के उद्देश्य:

- सदस्यों में बचत की भावना और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- वित्तीय, तकनीकी और नैतिक खतरों से उनकी सुरक्षा करना।
- रचनात्मक प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान करना|
- ऋण या क्रेडिट का उपयोग करके आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना।
- अपने वित्त को व्यवस्थित करने और संभालने के साथ-साथ आय को आपस में साझा करने के मामले में आपसी अनुभव से लाभ प्राप्त करना।
- स्वयं सहायता समूह के महत्त्व और उनके सशक्तीकरण में उनकी भूमिका के बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता को बढ़ाना।
- महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके लिए पूँजी संसाधन आधार बनाना आसान करना।
- महिलाओं को सामाजिक,विशेषकर उनके विकास से जुड़ी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए प्रोत्साहित करना।

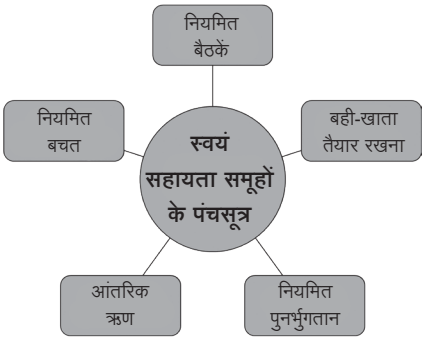

भारत में स्वयं सहायता समूहों का उद्भव:

- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की उत्पत्ति भारत में निर्धनता उन्मूलन और हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक जमीनी स्तर के दृष्टिकोण के रूप में हुई।
- इस अवधारणा को वर्ष 1980 के दशक में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना के साथ गति मिली।
- मायराडा (MYRADA) और **प्रदान** जैसे संगठनों ने सामूहिक कार्रवाई और स्वयं-सहायता की क्षमता को पहचानते हुए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) मॉडल को लोकप्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत में स्वयं सहायता समूह (SHG) की आवश्यकता:

- **गरीबी से निपटना:** गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग को आशावादी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूहों का योगदान महत्त्वपूर्ण है।
  - स्वयं सहायता समूह अपने समूह के लोगों की आय को बढ़ाने, उनके जीवन स्तर और उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने में सहायता करके उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।
- **सरकारी कार्यक्रमों को लागू करना:** भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए हैं।
  - दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबी और बेरोजगारी बनी हुई है।यह स्थिति और भी गंभीर और विकट होती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपलब्ध नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, देश की कुल आबादी में ग्रामीण गरीबों की हिस्सेदारी लगभग 26% है।

भारत में स्वयं सहायता समूह की उत्पत्ति

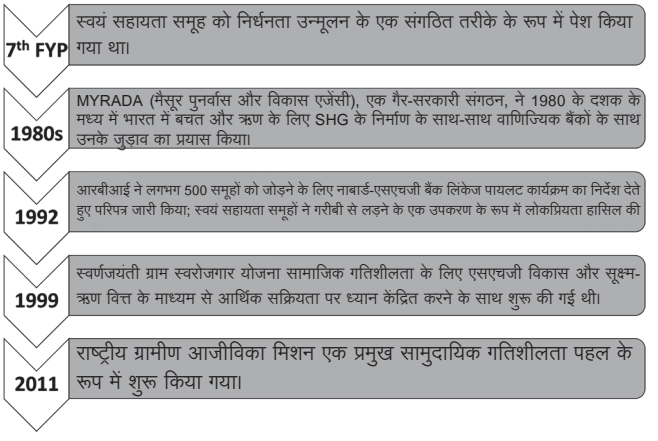

- **महिला सशक्तीकरण:** भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाएँ राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे देश के कार्यबल का एक-तिहाई हिस्सा हैं अतः उनके सशक्तीकरण के प्रयास किए जाने आवश्यक हैं।
  - भारतीय महिलाएँ अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी पारिवारिक रखरखाव के लिए समर्पित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की कमाई का गरीबी की समस्याओं और सुरक्षा पर सकारात्मक और तत्काल प्रभाव पड़ता है।
- **स्थानीय सहायता:** स्वयं सहायता समूह सहकारी अवधारणाओं पर आधारित हैं जो प्रतिभागियों को एक-दूसरे को सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इसे सशक्तीकरण का एक स्रोत माना जाता है।
- **औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुँच:** स्वयं सहायता समूह अत्यंत कमजोर और हाशिए पर मौजूद उन लोगों को एक साथ लाते हैं जिनकी औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुँच नहीं है क्योंकि समुदायों में आमतौर पर पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव होता है।

स्वयं सहायता समूहों के लाभ:

- **आर्थिक आत्मनिर्भरता:** ग्रामीण मामलों में भागीदारी और शिक्षा संबंधी अनेक सामाजिक-आर्थिक लाभ।
- **महिलाओं की स्थिति में सुधार:** नियमित समूह बैठकों से महिलाओं की सामाजिक पूँजी का निर्माण होता है, जिससे परिवार और समाज में उनकी स्थिति सुदृढ़ होती है।
- **स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार:** एनएफएचएस-4 के अनुसार, जो महिलाएँ "सहभागितापूर्ण शिक्षा और हस्तक्षेप" में संलग्न होती हैं, उनमें मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर कम होती है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को संगठित करना:** स्वयं सहायता समूह का अनुमान है कि अब तक लगभग 46 मिलियन ग्रामीण गरीब महिलाओं को संगठित किया जा चुका है। ये संगठन विशेष रूप से बैंक रहित ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

स्वयं सहायता समूहों की चुनौतियाँ:

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है:
  - मार्च, 2021 तक दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में संबंधित SHG का 71% योगदान था।
  - निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उच्च गरीबी दर वाले राज्य शामिल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार।
  - ऐसे राज्य जहाँ पितृसत्ता गहरी जड़ें जमा चुकी है और महिलाओं की वित्तीय और सामाजिक भूमिकाएँ प्रतिबंधित हैं।
  - पारिवारिक दायित्वों के कारण अधिकांश महिला सदस्य अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय पर केन्द्रित नहीं कर पाती हैं।
- स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के पास व्यवहारिक और लाभदायक आजीविका विकल्प अपनाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव है।
- **कमजोर बुनियादी ढाँचा:** इनमें से अधिकांश स्वयं सहायता समूह ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों से हैं, जहाँ सड़क या रेल की पहुँच नहीं है। जहाँ विद्युत् अब भी एक समस्या बनी हुई है।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का अभाव:** अधिकांश स्वयं सहायता समूह व्यावसायिक विकास या क्षमता निर्माण के संदर्भ में सरकार की ओर से कोई सहायता प्राप्त किए बिना, अपने दम पर कार्य करते हैं।
- **राजनीतीकरण:** स्वयं सहायता समूहों में राजनीतिक संबद्धता और हस्तक्षेप प्रमुख मुद्दे बन गए हैं।
- **सुरक्षा का अभाव:** यह SHG सदस्यों के साझा विश्वास और भरोसे पर निर्भर करता है। स्वयं सहायता समूह की जमाराशियाँ स्थिर या सुरक्षित नहीं हैं।

स्वयं सहायता समूहों को प्रभावशाली बनाने के उपाय:

- सरकार को एक सुविधा प्रदाता और प्रवर्तक होना चाहिए और स्वयं सहायता समूहों के जन कल्याणकारी आंदोलन की वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना चाहिए।
- देश के मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की संख्या में वृद्धि करना।
- वित्त आधारित बुनियादी ढाँचे के तेजी से विस्तार के साथ-साथ व्यापक आईटी-सक्षम कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण पहल पर ध्यान केंद्रित करना।
- इस तथ्य को देखते हुए कि कई शहरी गरीब आर्थिक रूप से वंचित हैं, शहरी/परि-नगरीय क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का विस्तार,उनकी आय उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ाने के प्रयास के रूप में किया जाना चाहिए।
- एक अलग स्वयं सहायता समूह निगरानी सेल बनाया जाना चाहिए जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आँकड़े एकत्र कर सके।

नाबार्ड का ई-शक्ति प्रोजेक्ट

- ई-शक्ति या एसएचजी डिजिटलीकरण, नाबार्ड के सूक्ष्म ऋण और नवाचार विभाग की एक परियोजना है।
- परियोजना का उद्देश्य सभी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के खातों का डिजिटलीकरण करना है। यह पहल एसएचजी सदस्यों को वित्तीय समावेशन को एक समूह के नीचे लाने का प्रयास करती है, जिससे उन्हें वित्तीय सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य उचित डिजिटल दस्तावेजीकरण और रिकार्डों का -रख-रखाव सुनिश्चित करके क्रेडिट मूल्यांकन और संयोजन में बैंकरों की सुविधा को बढ़ाना है।
  - उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके बैंकिंग सेवाओं के कुशल और परेशानी रहित वितरण के लिए एसएचजी सदस्यों और बैंकों के बीच सहयोग की गुणवत्ता में सुधार करना।
  - आधार-लिंक्ड पहचान का उपयोग करके स्वयं सहायता समूह के साथ वितरण प्रणालियों को सुविधाजनक बनाना।

केस स्टडी: स्वयं सहायता समूह

- **महिला आर्थिक विकास महामंडल (MAVIM),महाराष्ट्र:** MAVIM नेस्वयं सहायता समूह को वित्तीय और आजीविका सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक समुदाय संचालित संसाधन केंद्र (CMRC) की स्थापना की। सीएमआरसी एक स्वावलंबी संस्थान है जो आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रम संचालित करता है।
- **कुटुंबश्री,केरल:** कुटुंबश्री केरल सरकार द्वारा संचालित एक संगठन है जिसका बजट और कर्मचारियों का वेतन का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1998 में केरल में सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पूर्ण निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य से हुई और वर्तमान में यह यह देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों में से एक है।
- **सामाजिक पहल:** इस संगठन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक मुद्दों से जुड़े विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों की शुरूआत की हैं।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** कुटुंबश्री सदस्य स्थानीय सरकारी निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधि बन गए हैं, जिससे उन्हें अपने समुदायों की समस्याओं और जरूरतों को आवाज देने के लिए एक मंच मिल गया है।
- **परोपकारी योगदान:** केरल में भीषण बाढ़ के दौरान, कुटुंबश्री के सदस्यों ने निस्वार्थ भाव से मुख्यमंत्री राहत कोष में 7 करोड़ रुपये का दान दिया, जो गूगल जैसे तकनीकी दिग्गजों के योगदान से भी अधिक था।
- **सामुदायिक भावना:** स्वयं बाढ़ पीड़ित होने के बावजूद, कुटुंबश्री कार्यकर्ताओं ने राहत प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेकर और दूसरों के कल्याण में योगदान देकर सामुदायिक एकजुटता की मजबूत भावना प्रदर्शित की।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की वैधता एवं जवाबदेही और उनके संरक्षक, सूक्ष्म-वित्त पोषक इकाइयों, का इस अवधारणा की सतत् सफलता के लिए योजनाबद्ध आकलन व संवीक्षण आवश्यक है। विवेचना कीजिए। ***(2013)***
- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की प्रोन्नति करने में के स्वावलंबन समूहों (एसएचजी) के प्रवेश को सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षण कीजिए। ***(2014)***
- आत्मनिर्भर समूह (एस.एच.जी.) बैंक अनुबंधन कार्यक्रम (एस.बी.एल.पी.), जो कि भारत का स्वयं का नवाचार है, निर्धनता न्यूनीकरण और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों में एक सर्वाधिक प्रभावी कार्यक्रम साबित हुआ है। सविस्तार स्पष्ट कीजिए। ***(2015)***
- "वर्तमान समय में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परन्तु निरंतर पीछे हटने का संकेत है।" विकासात्मक गतिविधियों में स्व-सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए उपायों का परीक्षण कीजिए। ***(2017)***
- "सूक्ष्म-वित्त एक गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आयसुरक्षा के लिए लक्षित है"। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए। ***(2020)***

भारत में सहकारी समितियाँ

- सहकारी समिति समान आवश्यकता वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है जो सामान्य आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए एक मंच साझा करते हैं।
- इसका उद्देश्य स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांत के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों के हित में सेवाएँ प्रदान करना है।

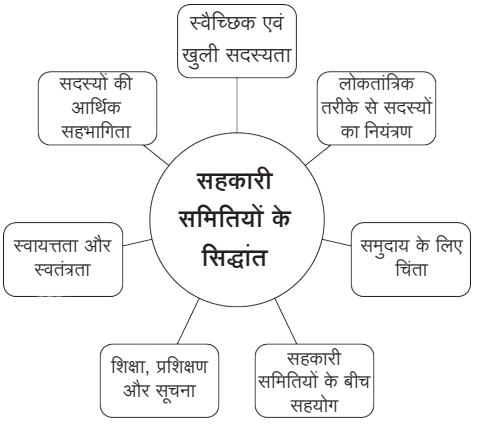

भारत में सहकारी समितियों का विकास:

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों ने भारत के सहकारी आंदोलन को जन्म दिया:
  - उन्नीसवीं सदी के अंत में, ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्याओं और उसके परिणामस्वरूप किसानों की स्थितियों ने चिट-फंड और सहकारी समितियों के लिए अवसर प्रदान किए।
  - किसानों ने सहकारी आंदोलन को ऋण, निवेश-आपूर्ति और कृषि उत्पाद विपणन जैसी सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए अपने सीमित संसाधनों को एकत्रित करने का एक उपकरण माना।
- ब्रिटिश शासन के दौरान लाये गए **1904 और 1912 ई. के सहकारी ऋण समिति अधिनियम, 1919 में संवैधानिक सुधार और ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि पर रॉयल कमीशन (1928) और सहकारी योजना समिति (1945)**, जैसे प्रयासों ने भारत में सहकारी समितियों के संगठनात्मक ढाँचे को आकार देने में अत्यधिक सहायता की।

सहकारी समितियाँ: संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि सहकारी समितियों का गठन करना मौलिक अधिकार है।
- संविधान का 97वाँ संशोधन अधिनियम, 2011, सहकारी समितियों के क्रियान्वयन हेतु शर्तों का निर्धारण करता है।
  - संविधान के भाग III में "**यूनियन**" शब्द के बाद "**सहकारी समितियाँ**" शब्द जोड़ा गया।
  - भाग IVA में, एक नया **अनुच्छेद 43 B** जोड़ा गया, जो कहता है: "**राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।**"
  - संविधान के भाग IX A में राज्य बनाम केंद्र की भूमिकाओं को समायोजित करने के लिए एक **भाग IX B** शामिल किया गया था।

नोट: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2012 को सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था।

सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति, 2002:

- सहकारी समितियों के प्रचार और विकास के लिए सहायता प्रदान करना।
- क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना।
- सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को सुदृढ़ बनाना।

भारत के विकास में सहकारी क्षेत्र का योगदान:

- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार:** सहकारी समितियाँ लगभग 97% भारतीय गाँवों के विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं और लगभग 19% कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा वितरित किया जाता है।
- **बड़े पैमाने की किफायती अर्थव्यवस्थाएँ:** सहकारी क्षेत्र बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में सक्षम रहा है। उदाहरण के लिए, डेयरी क्षेत्र में, लगभग 60 लाख सदस्यों के साथ 45,000 से अधिक सहकारी समितियाँ हैं।
- **समावेशी विकास:** सहकारी क्षेत्र ने आर्थिक शक्ति संचय को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उत्पादक पूँजी के स्वामित्व के व्यापक विस्तार को सुनिश्चित किया है।
- **उर्वरक क्षेत्र:** इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड(इफको) 40,000 से अधिक सहकारी समितियों की एक सहकारी समिति है। अपने विशाल नेटवर्क के जरिए यह 5.5 करोड़ से ज्यादा किसानों तक पहुँच बनाने में सफल रहा है।
- **जैविक कृषि को प्रोत्साहन: सिक्तिलिंगी ऑर्गेनिक फार्मर्स एसोसिएशन** एक सहकारी संस्था है जो रागी, बाजरा आदि की खेती के साथ-साथ जैविक कृषि को बढ़ावा देती है। यह उपज के लिए बाजार मूल्य से 2 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम अधिक के भुगतान से जुड़े किसानों की आय में सुधार कर रहा है।
- **नवाचार**: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नवाचार सुनिश्चित करने में, सहकारी क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। उदहारण के लिए अमूल ने 102 नए उत्पाद जोड़े हैं, और इफको ने अपने सदस्यों के लिए ड्रोन के उपयोग में गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है।
- **कल्याण:** सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को सौदेबाजी की शक्तियाँ प्रदान करती हैं, **उदाहरण के लिए,** सहकारी कताई मिलों और बुनकर सहकारी समितियों ने लाखों बुनकरों के शोषण को रोकने में सहायता की है।
- **रोजगार सृजन:** सहकारी क्षेत्र 17.8 मिलियन से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है और मत्स्य पालन, श्रम और कमजोर वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने में सहकारी समितियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सहकारी समितियों का एक समृद्ध इतिहास है और उन्होंने भारत की विकास प्रक्रिया में भी बड़े पैमाने पर योगदान दिया है, हालाँकि, कई मुद्दों और चुनौतियों के कारण हम सहकारी क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाए हैं।

अमूल

- अमूल ने एक शीर्ष सहकारी संगठन गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) का गठन करके भारत में डेयरी सहकारी आंदोलन की शुरूआत की, जिसका संयुक्त स्वामित्व गुजरात में लगभग 2.2 मिलियन दूध उत्पादकों के पास है।
- अमूल की सफलता का श्रेय GCMMF के संस्थापक अध्यक्ष **डॉ. वर्गीस कुरियन** को दिया जाता है। अमूल ने भारत में **श्वेत क्रांति** को बढ़ावा दिया है, परिणामस्वरूप, वर्तमान में भारत विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में से एक है।

सहकारी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ:

- **क्षेत्रीय असंतुलन:** पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में सहकारी क्षेत्र अधिक विकसित है।
- **सीमित प्रतिनिधित्व:** इनमें से अधिकांश समितियाँ कुछ सदस्यों तक ही सीमित हैं और उनका संचालन केवल एक या दो गाँवों तक ही फैला हुआ है। परिणामस्वरूप, उनके पास सीमित संसाधन हैं।
- **व्यावसायिकता का अभाव:** सहकारी समितियाँ कुशल कार्यबल की कमी और कुशल कर्मियों को आकर्षित करने में असमर्थता का सामना कर रही हैं।
- **समय पर निर्वाचन न होना:** सहकारी समितियों को शासी निकायों के लिए समय पर चुनाव न होने की समस्या का सामना करना पड़ता है और अक्सर ये चुनावी उम्मीदवारों की आर्थिक शक्ति और कार्यशैली से प्रभावित होते हैं।
- **सहकारी बैंकों का दोहरा विनियमन:** सहकारी बैंक RBI और राज्य सरकार के दोहरे विनियमन के अधीन हैं जिससे उनकी जवाबदेही कम हो जाती है। **उदाहरण के लिए,** पीएमसी बैंक संकट आदि।
- **सहजता का अभाव:** भारत में, सहकारी आंदोलन में सहजता की कमी है क्योंकि यह उनका स्वेच्छिक प्रतिनिधित्व नहीं है। वे अपनी पहल पर सहकारी समितियाँ बनाने के लिए शायद ही कभी स्वेच्छा से आगे आते हैं।
- **क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संबंध:** हालाँकि, संरचनात्मक रूप से स्थापित तंत्र अभी तक परिचालनात्मक रूप से प्रभावी नहीं हो पाया है।
- **दोषपूर्ण प्रबंधन:** सहकारी ऋण प्रणाली की इसलिए आलोचना होती रही है क्योंकि इस पर अधिकतर जमींदारों और बड़े किसानों का नियंत्रण है। परिणामस्वरूप, छोटे और मध्यम आकार के किसानों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को उनका उचित हिस्सा प्राप्त नही होता है। उन्हें सहकारी समितियों से भी पर्याप्त सहायता नहीं मिलती है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप: सुजाता पटेल** और **डेनियल थॉर्नर** जैसे समाजशास्त्रियों के अनुसार, राजनीतिक हस्तक्षेप सहकारी आंदोलनों के विकास में एक बड़ी बाधा है। ग्रामीण भारत में सहकारी समितियाँ राजनीति का केंद्र बन गई हैं। लाभार्थियों को अक्सर राजनीतिक कारणों के आधार पर चुना जाता है।
- **समन्वय का अभाव:** जमीनी स्तर पर, संस्थागत संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी रही है। सहकडिफाल्टर अन्य एजेंसियों के लिए कर्जदार बन सकते हैं। समन्वय की कमी के कारण ऐसे दोहरे वित्तपोषण और अधिव्यापन का पता चलता है।

कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों से संबंधित मुद्दे:

- **माँग के पहलुओं की उपेक्षा:** सहकारी समितियों ने कृषि ऋण के मुद्दे को 'आपूर्ति' के नजरिए से देखा है अतः इससे स्पष्ट है कि 'माँग' के तत्त्व को नजरअंदाज कर दिया गया है।
- **गैर-ऋण पहलुओं की लापरवाही:** अधिकांश प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ केवल ऋण वितरित करती हैं और अभी तक अग्रणी बहुउद्देश्यीय संगठनों के रूप में विकसित नहीं हुई हैं जो ऋण के अलावा कई प्रकार के कार्य करती हैं।

महत्त्वपूर्ण सरकारी प्रयास:

- **सहकारिता मंत्रालय:** सहकारिता मंत्रालय की स्थापना **'सहकार से समृद्धि'** (सहयोग के माध्यम से समृद्धि) के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए की गई है।

- **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020:** यह RBI को सहकारी बैंकों के बोर्डों का स्थान ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है और सहकारी बैंकों को सार्वजनिक निर्गम और निजी नियोजन, इक्विटी या वरीयता शेयरों के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति देता है।
- **नेफेड (NAFED): राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ** की स्थापना राज्यों में विपणन सहकारी समितियों को उनके विपणन व्यवसाय को विकसित करने और अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने में सहायता के लिए की गई है।
- **एनसीडीसी: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम** की स्थापना ऋण और सब्सिडी के रूप में सहकारी चीनी, सहकारी कताई और बुनाई मिलों की शेयर पूंजी में विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण और सब्सिडी योजनाओं में सहायता के लिए की गई है।
- **प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण:** कैबिनेट ने पारदर्शिता और दक्षता लाने, विश्वसनीयता में सुधार करने और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को पंचायत स्तर पर नोडल वितरण सेवा केंद्र बनने में मदद करने के लिए 63,000 कार्यात्मक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी प्रदान की।
- **GeM प्लेटफॉर्म पर सहकारी समितियाँ:** कैबिनेट ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर सहकारी समितियों को 'खरीदार' के रूप में पंजीकरण को मंजूरी दी है।
- **बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2022 :** बहु-राज्य सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार आदि की दृष्टि से बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया।

आगे की राह

- **क्रेडिट पोर्टफोलियो का विस्तार:** युवा पीढ़ी के भागीदारी बढ़ाने के लिए, सहकारी समितियों को आवास निर्माण और उपभोक्ता जनित टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए डिजिटल रूप में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए।
- **डिजिटलीकरण:** युवाओं को आकर्षित करने के साथ-साथ हाशिए पर मौजूद और जरूरतमंद लोगों तक पहुँचने के लिए सहकारी समितियों को बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों और कम्प्यूटरीकरण करने की आवश्यकता है।
- **सोसायटी के सदस्यों की भागीदारी और सशक्तीकरण:** सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक भागीदारी की रूपरेखा को कानूनी रूप से निर्दिष्ट करना और शिक्षा के लिए मौजूदा व्यवस्था को व्यापक रूप से संशोधित कर सदस्यों के शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- **शासन व्यवस्था और व्यावसायिकता में सुधार:** लालफीताशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक बाधाओं आदि को दूर किया जाना चाहिए।
  - अधिकारियों को राजनीतिक या अन्य किसी स्थानीय दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। शक्तिशाली ग्रामीण जनमत को सहकारी समितियों के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- **दूरदर्शी नेतृत्व:** त्रिभुवनदास पटेल (अमूल), विट्ठलराव विखे पाटिल और ठठ्या साहिब कोरे जैसे नेताओं में संकट को अवसर में बदलने की क्षमता थी। सहकारी क्षेत्र को पुनःऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है।
- अकुशल समितियों का विलय: कमजोर एवं अकुशल सहकारी समितियों को या तो समाप्त कर देना चाहिए या फिर मजबूत एवं सक्षम सहकारी समितियों में उनका विलय कर देना चाहिए।
- **संस्थागत ऋण आवंटन:** संस्थागत ऋण केवल छोटे किसानों, किरायेदारों और बटाईदारों के लिए ही नहीं बल्कि भूमिहीन श्रमिकों और कारीगरों के लिए भी निर्धारित किए जाने चाहिए।

सहकारी क्षेत्र के हालिया मुद्दे और विकास

1. सहकारिता मंत्रालय

- नव गठित सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है।
- सहकारी आंदोलन को निश्चित रूप से सुधार और पुनरुद्धार की आवश्यकता है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण, कई सहकारी समितियाँ नियमित रूप से चुनाव नहीं कराती हैं, जबकि कुछ को बार-बार हटा दिया जाता है।

सहकारिता मंत्रालय का महत्त्व:

- **अलग प्रशासनिक व्यवस्था:** सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक कानूनी और नीतिगत ढाँचा उपलब्ध कराएगा।
- **जमीनी स्तर पर सहकारिता को बढ़ावा देना:** इससे सहकारिता को एक सच्चे जन-आधारित आंदोलन के रूप में जमीनी स्तर तक पहुँचने में मदद मिलेगी।
- **व्यावसायिक सुगमता:** मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए 'व्यापार करने में आसानी' के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) के विकास को सक्षम बनाने के लिए कार्य करेगा।

2. सहकारी समितियों पर सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 97वें संशोधन अधिनियम का एक हिस्सा और संविधान के भाग IX B, जो देश के "सहकारी समितियों" से संबंधित है, को निरस्त कर दिया है।

सहकारिता राज्य का विषय:

- दूसरी ओर, 97वाँ संशोधन अधिनियम, संसद द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए बिना ही पारित कर दिया गया था, जबकि संविधान के अनुसार इसकी आवश्यकता होती है।
- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का भाग IX B केवल उन बहु-राज्य सहकारी समितियों पर लागू होता है जो कई राज्यों के भीतर और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं।
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाया है जिसमें राज्य विधानसभाओं को सहकारी समूहों पर "विशेष विधायी शक्ति" प्रदान की गई है।

निर्णय का महत्त्व:

- **राज्यों को सशक्त बनाना:** सहकारी समितियाँ राज्य विधानमंडलों की "विशेष विधायी शक्ति" के अंतर्गत आती हैं।
- यह निर्णय महत्त्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि राज्यों ने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि नई केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय उन्हें अधिकारहीन कर सकता है।
- सहकारी आंदोलन का सिद्धांत सभी को एकजुट करना है, भले ही वे गुमनाम रहें। सहकारिता आंदोलन लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। नई तकनीकों के उभरने के साथ-साथ नए क्षेत्र भी सामने आ रहे हैं, और सहकारी समितियाँ इन क्षेत्रों और तकनीकों से लोगों को परिचित कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

3. बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2022

- बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2022 लोकसभा में पेश किया गया।

विधेयक की आवश्यकता:

- **नवगठित मंत्रालय:** 2002 से कई बदलाव कृषि मंत्रालय के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र में हुए हैं। हालांकि, हाल ही में सरकार ने एक अलग **सहकारिता मंत्रालय** की स्थापना की है।
- **97वाँ संविधान संशोधन:** इस अधिनियम के माध्यम से, भाग IX-B को 2011 में संविधान में शामिल किया गया था। इसलिए, भाग IX-B के अनुसार अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है।
- **सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए:** इसके अलावा, समय के साथ विकासों के परिणामस्वरूप अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता थी ताकि बहु-राज्यीय सहकारी संगठनों में सहकारी आंदोलन को मजबूत किया जा सके।"

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **सहकारी चुनाव प्राधिकरण:** केंद्र सरकार चुनाव कराने और मतदाता सूची की तैयारी की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण के लिए **सहकारी चुनाव प्राधिकरण** की स्थापना करेगी जिसमें **एक अध्यक्ष** और **अधिकतम 3 सदस्य** होंगे।
- **सहकारी लोकपाल:** केंद्र सरकार शिकायतों के निवारण के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले एक या एक से अधिक सहकारी लोकपाल की नियुक्ति करेगी।
- **समामेलन:** विधेयक राज्य सहकारी समितियों को उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके मौजूदा बहु-राज्य सहकारी समिति में विलय करने का प्रावधान करता है।
- **रुग्ण समितियों का पुनरुद्धार:** यह रुग्ण बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। इस निधि को लाभप्रद बहु-राज्य सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
- **निदेशक मंडल की संरचना:** यह विधेयक निदेशक मंडल की संरचना में संशोधन कर **एक एससी या एसटी सदस्य** और **2 महिला सदस्यों** को शामिल करना अनिवार्य बनाता है।
- **अपराधों के लिए दंड:** विधेयक में यह भी शामिल किया गया है कि किसी भी रिटर्न या सूचना की दर्ज न करना भी एक अपराध माना जाएगा और ऐसे अपराधों के लिए दंड 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
- **समवर्ती लेखापरीक्षा:** विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक वार्षिक कारोबार या जमा राशि वाले बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए "समवर्ती लेखा परीक्षण" से संबंधित एक नई धारा 70A भी शामिल की गई है।

विधेयक का महत्त्व:

- **लोकतंत्रीकरण:** विधेयक एक सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना के माध्यम से बहु-राज्य सहकारी समितियों के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देता है जो नियमित चुनाव आयोजित कराएगा।
- **समानता और समावेशिता:** बहु-राज्य सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं और एससी/एसटी सदस्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान समानता और समावेशिता प्रदान करते हैं।
- **पारदर्शिता और जवाबदेहिता:** यह विधेयक समवर्ती लेखापरीक्षा, सहकारी लोकपाल आदि के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देता है।
- **रुग्ण सहकारी समितियों के मुद्दों का समाधान**: विधेयक का उद्देश्य सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना के माध्यम से रुग्ण सहकारी समितियों के हितधारकों की रक्षा करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है।
- **अनुशासन:** विधेयक के तहत आरोपित किए जाने वाला जुर्माना सहकारी समितियों के बीच अनुशासन को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।

आगे की राह:

- **डिजिटलीकरण:** विधेयक में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर शासन, बैंकिंग और व्यवसायों में, सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण का भी प्रावधान किया जाना चाहिए।
- **बहुउद्देशीय समितियाँ:** बहुउद्देश्यीय समितियों को अपने सदस्यों की जरूरतों के विषय में संतुलित और एकीकृत दृष्टिकोण रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **पारदर्शिता:** सहकारी समितियों को आरटीआई के दायरे में लाकर उनमें पूर्ण पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **व्यावसायिकता:** कार्यबल को प्रशिक्षण और सहकारी समितियों का नियमित लेखापरीक्षण बहु-राज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन में कुशलता प्रदान कर सकती है और व्यावसायिकता को बढ़ावा दे सकता है।
- **लोकतंत्र की भावना:** सामूहिकता और लोकतंत्र की भावना को बनाए रखने के लिए सहकारिता सबसे प्रभावी साधन है। ये सामूहिकता को बढ़ावा देने और देश के सामाजिक पूँजी आधार को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उन्हें उत्साह के साथ संरक्षित करने, बढ़ावा देने और विकसित करने की आवश्यकता है।

सोसायटी

- एक सोसायटी सात या अधिक लोगों का एक समूह होता है जो साहित्य, ललित कला, विज्ञान और अन्य कारकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संगठित होते हैं।
- **1860 ई. का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम** सोसायटियों के पंजीकरण को नियंत्रित करता है। यह किसी साहित्यिक, विज्ञान, या धर्मार्थ कारण के साथ-साथ अधिनियम की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी अन्य उद्देश्य के लिए सोसायटी की स्थापना का प्रावधान करता है।

न्यास (ट्रस्ट)

- ट्रस्ट एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित संगठन होता है जिसकी उत्पत्ति वसीयत के माध्यम से होती है। वसीयत का निर्माता किसी विशेष कारण के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति पर विशेष अधिकार रखता है।
- **1882 ई. का भारतीय ट्रस्ट अधिनियम**, भारत में ट्रस्ट से जुड़ा प्रारंभिक कानून था जो मुख्य रूप से निजी ट्रस्टों को विनियमित करने पर केंद्रित था, ये विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। दूसरी ओर, जब उद्देश्य आम जनता या संपूर्ण समाज को लाभ पहुँचाना हो, तब इसे सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है।

धार्मिक बंदोबस्ती (Religious Endowments)

- धार्मिक बंदोबस्ती और वक्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित धार्मिक न्यास होते हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम देवताओं, दान और धर्मों से जुड़े धार्मिक न्यास।
- सार्वजनिक न्यासों के विपरीत, इन्हें पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और ये दाता, ट्रस्टी और लाभार्थी के बीच त्रिपक्षीय संबंध पर जोर नहीं देते हैं।
- धार्मिक बंदोबस्ती का निर्माण तब होता है जब संपत्ति को धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित किया जाता है।
- 1863 ई. का धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम अनिवार्य रूप से एक निजी बंदोबस्ती कानून था , जिसने एक संपत्ति को एक वसीयत के तहत एक ट्रस्टी/ ट्रस्टियों की देखरेख में कुछ पूर्व-निर्धारित लाभार्थियों के लिए रख दिया।

ब्रिटिश शासन के बाद के वर्षों के दौरान, कई जमींदारों और व्यापारियों ने बंदोबस्ती की स्थापना की, जिसके कारण अंततः कुछ समझौते अस्पष्ट हो गए और विभिन्न कानूनी विवाद उत्पन्न हो गए। इस मुद्दे को हल करने के लिए, सरकार ने **1890 का धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम** लागू किया, जिसका उद्देश्य निगरानी समाधान पेश करना था। इस कानून ने प्रत्येक राज्य में एक **कोषाध्यक्ष** का पद सृजित किया, जिसका काम धर्मार्थ बंदोबस्ती के कामकाज की निगरानी करना था। इस प्रकार, इस कानून ने धर्मार्थ संगठनों की निगरानी में सरकार की भागीदारी के प्रारंभिक चरण को परिलक्षित किया।

वक्फ (WAKFS)

भारत में मुस्लिम शासन के तहत, वक्फ की अवधारणा, धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संपत्ति का एक अपरिवर्तनीय समर्पण के रूप में मजबूती से स्थापित हो गई। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत, जो जम्मू और कश्मीर और दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है, लगभग 300,000 वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है। यह अधिनियम वक्फ मामलों के प्रबंधन और विवादों को सुलझाने के प्रभारी प्रशासनिक और न्यायिक निकायों के रूप में राज्य वक्फ बोर्डों की भूमिकाओं की रूपरेखा तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, एक केंद्रीय वक्फ परिषद राष्ट्रीय स्तर पर एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करती है। वर्ष 2013 में वक्फ अधिनियम के महत्त्वपूर्ण संशोधनों में गैर-मुसलमानों को वक्फ स्थापित करने की अनुमति देना, विभिन्न प्रशासनिक मामलों पर राज्य बोर्डों को निर्देश देने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद को सशक्त बनाना और विवादों के लिए न्यायनिर्णयन बोर्ड की स्थापना करना शामिल है। संशोधित अधिनियम वक्फ संपत्तियों की बिक्री, गिरवी या हस्तांतरण पर रोक लगाकर उनकी सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है और राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन, कुछ उपयोगों के लिए पट्टे की शर्तों को 30 साल तक बढ़ा देता है।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

गैर-सरकारी संगठन-सिविल सोसायटी:

- **2023:** भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए।
- **2022:** क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए।

गैर-सरकारी संगठन:

- **2017:** "वर्तमान समय में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परन्तु निरंतर पीछे हटने का संकेत है।" विकासात्मक गतिविधियों में स्व-सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए उपायों का परीक्षण कीजिए।
- **2015:** विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.), 1976 के अधीन गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तीयन के नियंत्रक नियमों में हाल के परिवर्तनों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

गैर-सरकारी संगठन-एसएचजी:

- **2021:** क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेन्स) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
- **2021:** क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन, आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिए।
- **2015:** पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है? मुख्य बाध्यताओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए।
- **2014:** ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की प्रोन्नति में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन समूहों (एसएचजी) के प्रवेश को सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षण कीजिए।

दबाव समूह:

- **2021:** "भारत की सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।" समझाइए कि व्यावसायिक संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं?
- **2019:** भारत में नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या-क्या तरीके अपनाये जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं?
- **2017:** भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह, औपचारिक दबाव स मूहों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं?
- **2013:** प्रभावक-समूह राजनीति को कभी-कभी राजनीति का अनौपचारिक मुखपृष्ठ माना जाता है। उपर्युक्त के संबंध में, भारत में प्रभावक समूहों की संरचना व कार्यप्रणाली का आकलन कीजिए।
- **2022:** गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।
- **2019:** विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रों के बीच पुल बनाती है। यह 'सहयोग' और 'टीम भावना' की संस्कृति को भी गति प्रदान करती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत की विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए।
- **2017:** जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए।

3 शासन से सुशासन तक

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), 1997 ने शासन को "सभी स्तरों पर देश के मामलों का प्रबंधन करने हेतु आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों के प्रयोग" के रूप में परिभाषित किया है। इसमें वे सभी तंत्र, प्रक्रियाएँ और संस्थान शामिल हैं, जिसके माध्यम से नागरिक और समूह अपने हितों को स्पष्ट करते हैं, अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अपने दायित्वों को पूरा करते हैं और विवाद की स्थिति में मध्यस्थता करते हैं।

G	-	**Genuine** (वास्तविक)
O	-	**Optimistic** (आशावादी)
V	-	**Versatile** (बहुमुखी)
E	-	**Ethical** (नैतिक)
R	-	**Responsive** (उत्तरदायी)
N	-	**Non-partisan** (निष्पक्ष)
A	-	**Accountable** (जवाबदेह)
N	-	**Nurturing** (पोषक)
C	-	**Competent** (सक्षम)
E	-	**Enterprising** (उद्यमशील)

सरकार और शासन के बीच संबंध

- 'सरकार', बुनियादी ढाँचे के रूप में, समान संसाधन आवंटन के लिए नीति निर्माण करती है जबकि 'शासन' सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- सरकार एक निकाय है जिसका एकमात्र उत्तरदायित्व और प्राधिकार किसी निश्चित भू-राजनीतिक व्यवस्था (जैसे राज्य) में कानून बनाकर बाध्यकारी निर्णय लेना है।
- शासन वह तरीका है जिससे नियमों, मानदंडों और कार्यों को निर्धारित किया जाता है, उनकी निरंतरता सुनिश्चित की जाती है, उन्हें विनियमित किया जाता है और जवाबदेह बनाया जाता है।

प्रभावी सुशासन के लिए सरकार और नागरिकों के बीच संबंध

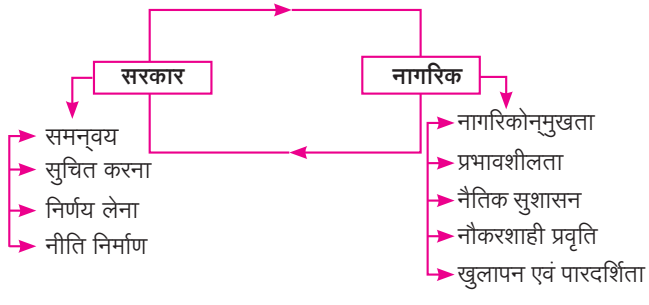

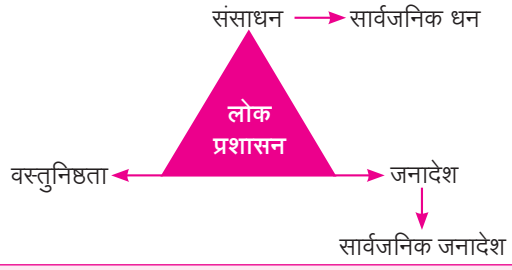

शासन के बारे में

- यह ग्रीक शब्द 'क्यबरनान' से आया है, जिसका अर्थ है "वस्तुओं को चलाना और संचालित करना या उनके शीर्ष पर होना।" हारलैंड क्लीवलैंड (1972) ने "शासन" शब्द दिया था।
- सरकार के बारे में औपनिवेशिक दृष्टिकोण एक 'नियंत्रक' और 'शासक' के रूप में हुआ करता था। हालाँकि, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के साथ, यह नागरिकों को कुछ सेवाओं के लिए सक्षमकर्ता, समन्वयक और प्रदाता के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक उसी प्रकार जैसे एक संगठन, मूल्य शृंखला के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है और बेहतर निष्पादन प्रदान करता है।

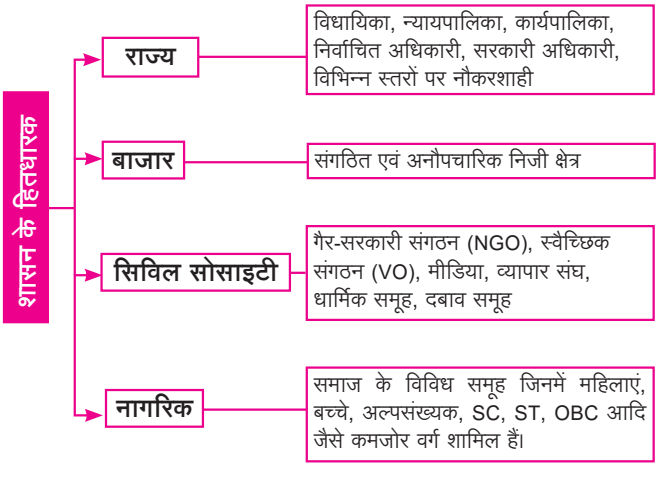

शासन का मापन: विश्वव्यापी शासन संकेतक परियोजना-विश्व बैंक

विश्व बैंक द्वारा विश्वव्यापी शासन संकेतक परियोजना शासन के छह प्रमुख संकेतकों के आधार पर 200 से अधिक देशों को रैंकिंग प्रदान करती है। यह परियोजना शासन की गुणता पर,औद्योगिक और विकासशील देशों में 'उद्यम के व्यापक स्पेक्ट्रम', 'नागरिक' और 'विशेषज्ञ सर्वेक्षण उत्तरदाताओं' के दृष्टिकोणों को एकत्रित करती है।

शासन संबंधी मुद्दे	शासन के घटक	संकेतक
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकारों का चयन, निगरानी और प्रतिस्थापन किया जाता है	• मत और जवाबदेही • राजनीतिक स्थिरता	• सरकार के चयन में नागरिकों की भागीदारी की सीमा • नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकार • यह धारणा कि सत्ता में मौजूद सरकार को संभावित असंवैधानिक तरीकों से अस्थिर कर दिया जाएगा
सरकार की नीतियों का प्रभावी ढंग से निर्माण और कार्यान्वयन की क्षमता	• शासन प्रभावशीलता • नियामक गुणवत्ता	• सार्वजनिक सेवा प्रावधान की गुणवत्ता, नौकरशाही की गुणवत्ता, सिविल सेवकों की क्षमता, राजनीतिक दबावों से सिविल सेवा की स्वतंत्रता, नीतियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता सबंधी विश्वसनीयता की धारणा। • मूल्य नियंत्रण जैसी बाजार की प्रतिकूल नीतियों का प्रचलन
नागरिकों और राज्य का उन संस्थाओं के प्रति सम्मान जो उनके बीच आर्थिक और सामाजिक संपर्क को नियंत्रित करती हैं	• विधि का शासन • भ्रष्टाचार पर नियंत्रण	• एक ऐसा वातावरण विकसित करने में समाज की सफलता जिसमें निष्पक्ष और पूर्वानुमानित नियम आर्थिक और सामाजिक अंतःक्रियाओं का आधार बनते हैं। • आपराधिक घटनाओं की धारणा, न्यायपालिका की प्रभावशीलता और पूर्वानुमानशीलता तथा अनुबंधों की प्रवर्तनीयता। • भ्रष्टाचार की धारणाएँ

भारतीय संविधान में सुशासन

भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से "सुशासन" का उल्लेख नहीं है, लेकिन कई प्रावधान इसके सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं:

- **प्रस्तावना:** न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आधार निर्मित करती है।
- **निदेशक सिद्धांत:** अनुच्छेद 38-40 सामाजिक कल्याण, संसाधन वितरण और ग्रामीण प्रशासन पर जोर देते हैं।
- **मौलिक अधिकार:** अनुच्छेद 14, 15 और 21 समानता, गैर-भेदभाव और जीवन का अधिकार (व्यापक रूप से व्याख्यायित) सुनिश्चित करते हैं।
- **सूचना का अधिकार:** मूल रूप से संविधान में नहीं, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- **न्यायपालिका:** अनुच्छेद 50 का तात्पर्य शक्तियों के पृथक्करण से है जो विधि के शासन का समर्थन करता है।
- **स्थानीय सरकार:** अनुच्छेद 243 विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हुए, पंचायतों और नगर पालिकाओं को मान्यता देता है।
- **जवाबदेही:** अनुच्छेद 311 और 360 क्रमशः सिविल सेवकों की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को संदर्भित करते हैं।

भारत में शासन के आयाम

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने भारत में शासन का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा विकसित की है। यह ढाँचा शासन को पाँच प्रमुख आयामों में वर्गीकृत करता है, जो देश की शासन प्रणाली को एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

आयाम	विवरण	मुख्य संघटक	केंद्र-बिंदु	उदाहरण
राजनीतिक	राजनीतिक भागीदारी की गुणवत्ता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के आचरण और नागरिक विश्वास का आकलन करता है।	मताधिकार का प्रयोग, राजनीतिक प्रतिनिधियों की छवि, विधायिका की कार्यशीलता	शासन प्रक्रिया में नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) के साथ-साथ राज्य की भूमिका।	स्थानीय निकायों को सत्ता का विकेंद्रीकरण।
कानूनी एवं न्यायिक	विधि के शासन, कानून और व्यवस्था, मानवाधिकार संरक्षण और न्याय तक पहुँच के पालन का मूल्यांकन करता है।	कानून एवं व्यवस्था, मूल अधिकारों की सुरक्षा, न्याय तक पहुँच	कानून के शासन को बनाए रखना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना।	पुलिस जवाबदेही में सुधार और न्यायिक वादों में तीव्रता
प्राशासनिक	सेवा वितरण, संसाधन प्रबंधन और पारदर्शिता में दक्षता को मापता है।	नागरिक इंटरफेस, संसाधन प्रबंधन, बुनियादी सेवाओं का वितरण	सरकारी सेवाओं का कुशल एवं पारदर्शी वितरण।	ई-गवर्नेंस पहलें और सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI)।
आर्थिक	यह व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है तथा प्राथमिक क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करता है।	राजकोषीय शासन, व्यावसायिक वातावरण, कृषि को समर्थन	आर्थिक विकास के लिए स्थिर एवं सक्षम वातावरण का निर्माण करना।	व्यवसाय को आसान बनाने के लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता जैसी पहल।
सामाजिक एवं पर्यावरणीय	कमजोर वर्गों के कल्याण, नागरिक समाज की भूमिका और पर्यावरण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।	कल्याणकारी कार्यक्रम, नागरिक समाज की भूमिका, पर्यावरण प्रबंधन	सामाजिक समानता और पर्यावरणीय सतत्ता को बढ़ावा देना।	सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा) और मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESZs) की घोषणा।

सुशासन

विश्व बैंक ने वर्ष 1992 में प्रकाशित अपने अध्ययन "शासन और विकास" में सुशासन को **"किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के विकास प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके" के रूप में परिभाषित किया था।**

वैकल्पिक रूप से, महात्मा गांधी ने सुशासन के सिद्धांतों के आधार पर भारत के लिए 'राम राज्य' की अवधारणा की संकल्पना की, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ था एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत को देखना, जहाँ दलितों की आवश्यकताओं की पूर्ति, आम आदमी का कल्याण और स्वदेशी उद्योगों के माध्यम से उनकी प्रगति मुख्य बिंदु होंगे।

भारत में सुशासन

- **प्राचीन स्रोत:** सुशासन की अवधारणा 'राज धर्म' में देखी जा सकती हैं, जो प्राचीन शास्त्रों में लोक कल्याण के लिए शासक के कर्तव्य पर बल देती हैं।
- **कौटिल्य का "अर्थशास्त्र":** राजा की प्रसन्नता लोगों के कल्याण से जुड़ी हुई होती थी। इसमें शासन के मूल सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है।
- **महाभारत का "शांति पर्व":** प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देने में राजा की भूमिका पर जोर देता है।
- **भीष्म पितामह की प्रज्ञता:** प्रभावी शासन के लिए सार्वजनिक मामलों में नीतिपरायणता पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **ऋग्वेद के आदर्श:** आध्यात्मिक और सांसारिक कल्याण दोनों में सरकार की भूमिका को रेखांकित करते हैं।
- **बृहदारण्यक उपनिषद:** धर्म को बनाए रखने और समानता सुनिश्चित करने के लिए राजा के उत्तरदायित्वों पर प्रकाश डालता है।
- **आधुनिक मान्यताएँ:** 1990 के दशक में विश्व बैंक की चिंताओं ने शासन संबंधी चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया।
- **नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002):** नियोजन कार्यक्रमों में शासन की कमजोरियों को संबोधित किया।
- **दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007):** शासन को मानव विकास के लिए संभावनाओं को सक्षम करने के रूप में परिभाषित किया गया।
- **सुशासन पर दृष्टिकोण:**
  - **कौटिल्य का दृष्टिकोण:** कौटिल्य ने अपनी रचना "अर्थशास्त्र" में सुशासन पर जोर दिया है। उन्होंने राज्य और नागरिक कल्याण के लिए उत्तरदायी एक शक्तिशाली शासक, कराधान और राजस्व संग्रह के माध्यम से प्रभावी आर्थिक प्रबंधन, सुरक्षा के लिए कूटनीति तथा रणनीतिक गुप्त सूचनाएँ एकत्रित करना और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जवाबदेही उपायों के साथ पारदर्शिता की संकल्पना की।
  - **प्लेटो का दृष्टिकोण:** उन्होंने दार्शनिक - राजा द्वारा संचालित शासन की कल्पना की जो आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समाज को वर्गों में संरचित किया, जिसमें संरक्षक 'ज्ञान और सद्गुण' से युक्त थे और सामाजिक सद्भाव प्राप्त करने के लिए शासक वर्ग के भीतर न्याय और सद्गुण के महत्त्व पर प्रकाश डाला।
  - **अरस्तू का दृष्टिकोण:** उन्होंने राजनीति नामक मिश्रित शासन प्रणाली का प्रस्ताव रखा, जिसमें स्थिरता के लिए लोकतंत्र और कुलीनतंत्र के तत्त्वों को समाहित किया गया। उन्होंने संतुलन बनाए रखने में मध्यम वर्ग की भूमिका को रेखांकित किया और शासकों द्वारा आमजन के कल्याण के लिए शासन सुनिश्चित करने के लिए विधि के शासन और संवैधानिक सरकार की अवधारणा पेश की।
  - "गरीबी उन्मूलन और विकास को बढ़ावा देने में सुशासन शायद सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है" *–कोफी अन्नान*
  - "हम सुशासन के मात्र उपभोक्ता नहीं रह सकते; हमें भागीदार होना होगा; हमें सह-निर्माता होना होगा।" *–रोहिणी नीलेकणी*
  - "राजा की प्रसन्नता,उसकी प्रजा की प्रसन्नता में निहित है; राजा को कभी भी केवल उसी चीज को अच्छा नहीं समझना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है, बल्कि अपनी प्रजा के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।" *–कौटिल्य*
  - "सुशासन का अर्थ है ऐसा वातावरण बनाना जहाँ हर कोई फल-फूल सके" *–मो. इब्राहिम*

सुशासन की मुख्य विशेषताएँ:

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने सुशासन की आठ प्रमुख विशेषताओं को मान्यता दी है:

- **सहभागिता:** लोग सहभागी शासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों से संबंधित निर्णयन , क्रियान्वयन और निगरानी में भाग ले सकते हैं। उदाहरण के लिए MyGov एक अभिनव मंच है जिसे सरकार द्वारा निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया है।

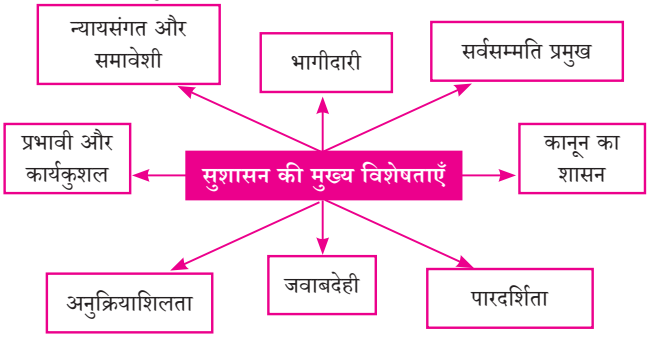

- **सर्वसम्मति उन्मुख:** सुशासन के लिए विभिन्न सामाजिक हितों की मध्यस्थता आवश्यक है ताकि समूचे वर्ग के लिए श्रेष्ठ क्या है, इस विषय में व्यापक रूप से आम सहमति प्राप्त की जा सके। उदाहरणार्थ, ग्राम सभा के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण और सामाजिक अंकेक्षण प्रावधान।
- **विधि का शासन:** सुशासन के लिए समान कानूनी संरचनाओं की आवश्यकता होती है, जिनका समान रूप से क्रियान्वयन किया जाता है। उदाहरण के लिए, भगोड़ा अपराधी अधिनियम और दिवाला एवं अशोधन क्षमता संहिता जैसे अधिनियम वित्तीय क्षेत्रों में कानून के शासन की स्थापना करते हैं।
- **पारदर्शिता:** पारदर्शिता का अर्थ है कि निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं और उन्हें कानूनों और विनियमों द्वारा किस प्रकार लागू किया जाता है। इसका यह भी अर्थ है कि सूचना पढ़ने योग्य प्रारूपों में आसानी से और उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो ऐसे निर्णयों और उनके कार्यान्वयन से प्रभावित होंगे।
  - उदाहरण के रूप में, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(b) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा जानकारी को सक्रिय रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है, जो पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

- **जवाबदेहिता:** कार्यों, सेवाओं, निर्णयों और नीतियों के लिए जिम्मेदारी की स्वीकृति और ग्रहणशीलता को जवाबदेही के रूप में जाना जाता है। जवाबदेही चार तत्त्वों से मिलकर बनी होती है: जवाबदेही, दंड, सहायता और प्रणालीगत सुधार। उदाहरण के लिए: सूचना का अधिकार अधिनियम, नागरिक चार्टर, ई-गवर्नेंस पहल, सिविल सोसाइटी आंदोलन आदि जवाबदेही में सहायता करने के लिए कुछ तंत्र हैं। लोकपाल और लोकायुक्त कार्यालय और सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे तंत्र शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
- **अनुक्रियाशीलता:** सुशासन के हिस्से के रूप में संस्थानों और प्रक्रियाओं को उचित समय-सीमा के भीतर सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" और "प्रगति पोर्टल" जैसी पहलें सेवाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करती हैं, जिससे अनुक्रियाशीलता में वृद्धि होती है।
- **प्रभावी और कार्यकुशल:** सुशासन, प्रणालियों और संगठन को दक्ष बनाता हैं जिससे उनके लिए उपलब्ध संसाधनों के उपयोग करने की क्षमता अधिकतम हो जाती हैं। परिणामस्वरूप, यह प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को भी संबोधित करता है, उदाहरण के लिए, LiFE मिशन जैसी पहल प्रभावी शासन के लिए ऊर्जा और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देती है।

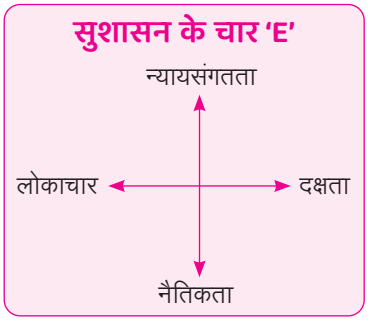

- **न्यायसंगत और समावेशी:** लोगों को अपने कल्याण को बेहतर करने या संरक्षित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए सभी समूहों, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों को उनके कल्याण को बेहतर करने या बनाए रखने के लिए अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

सुशासन की आवश्यकता

- **सामाजिक और आर्थिक विकास:** विश्व बैंक के हालिया आँकड़े, शासन सुधार और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बीच सीधे संबंध पर प्रकाश डालते हैं। वस्तु एवं सेवा कर और प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी पहलें दर्शाती हैं कि सुशासन किस प्रकार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।

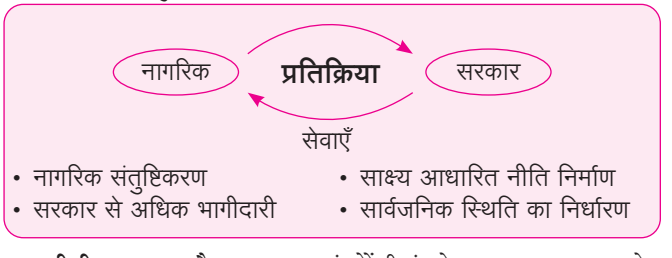

- **गरीबी उन्मूलन और समानता:** ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का 'भ्रष्टाचार बोध सूचकांक', भ्रष्टाचार और गरीबी के बीच संबंध को रेखांकित करता है। आयुष्मान भारत और पीएम-किसान जैसी योजनाएं, डिजिटलीकरण प्रयासों के साथ मिलकर, सुशासन के माध्यम से गरीबी कम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को दर्शाती हैं।
- **सुरक्षा और स्थिरता:** वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का विधि शासन सूचकांक इस बात पर जोर देता है कि किस प्रकार विधि का शासन अपराध की दर को कम करने में सहायता करता है। पुलिस आधुनिकीकरण में निवेश और राजस्थान में स्मार्ट पुलिसिंग परियोजना जैसी पहल यह दर्शाती है कि सुशासन किस प्रकार सुरक्षा में वृद्धि करता है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम का सुदृढ़ कार्यान्वयन, नागरिकों को प्राधिकारियों से पारदर्शिता की माँग करने में सक्षम बनाता है, जिससे जवाबदेही में वृद्धि होती है। डिजिटलीकरण और ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र पारदर्शिता को और बेहतर बनाते हैं।
- **समावेशी विकास:** चुनौतियों के बावजूद "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" और "जेंडर बजटिंग" जैसी पहलें लैंगिक असमानताओं को दूर करने के प्रयासों को प्रदर्शित करती हैं। इन पहलों का उद्देश्य विकास प्रक्रियाओं में महिला सशक्तीकरण और समावेश को बढ़ावा देना है।
- **कुशल सेवा वितरण: कोविड-19 महामारी ने** डिजिटल गवर्नेंस आधारित समाधानों को अपनाने में तीव्रता लाई है। **"आरोग्य सेतु"** और **"को-विन"(Co-WIN) जैसे प्लेटफॉर्म सेवा वितरण को** बेहतर बनाने में **प्रौद्योगिकी** की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। जबकि **आधार एकीकरण** कल्याणकारी कार्यक्रमों में लक्ष्यीकरण को बढ़ाता है।
- केंद्रीय **सतर्कता आयोग के सक्रिय उपायों से भ्रष्टाचार के मामलों की** जाँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकारी अनुबंधों में ई-खरीद प्लेटफॉर्म और ईमानदारी पूर्ण समझौते पारदर्शिता में वृद्धि करते हैं और भ्रष्टाचार को कम करते हैं।

सुशासन में बाधाएँ

हालाँकि, विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून सार्थक और प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन अक्सर सरकारी अधिकारियों द्वारा उन्हें ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जाता है। यह नागरिक -केंद्रित प्रशासन प्राप्त करने की राह में एक बाधा के रूप में कार्य करता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट "नागरिक केंद्रित प्रशासन: शासन का हृदय" में सुशासन के लिए निम्नलिखित बाधाओं की पहचान की है:-

संगठनात्मक बाधाएँ

- **जवाबदेही की कमी:** सरकारी संरचनाओं के भीतर, अधिकार और जवाबदेही के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर है।
- **डेटा:** ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक- 2023 रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 40 अंक प्राप्त किए , जो नागरिकों को भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक मजबूत व्हिसलब्लोअर सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है।
- **लालफीताशाही:** भारत में नौकरशाही स्थापित नियमों का पालन करते हुए भी निष्क्रिय और जोखिम लेने से बचती दिखाई पड़ती है।
- **उदाहरण:** सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के कार्यान्वयन से स्पष्ट होता है कि 3.2 लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित थीं (जून, 2023) जो पारदर्शिता अनुरोधों को हल करने में होने वाले विलंब को दर्शाती हैं।
- **अप्रभावी कानून प्रवर्तन:** कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन बेहतर नीतियों को भी कमजोर कर देता है।

- **उदाहरण:** वर्ष 2022 के PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च से पता चला है कि वर्ष 2014-2019 के बीच लागू किए गए केंद्र सरकार के केवल 37% कानूनों द्वारा नियम बनाए गए हैं, जो प्रभावी प्रवर्तन के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **डिजिटली अलगाव:** सरकारी कार्यालयों में सीमित डिजिटलीकरण और अपर्याप्त आईटी (IT) बुनियादी ढाँचे का निर्माण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।
- **उदाहरण:** नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में सेवा वितरण में सुधार और नागरिक सहभागिता के लिए सरकारी क्षेत्र के भीतर डिजिटल विभाजन को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दे

- **पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को सशक्त बनाना:** स्थानीय शासन निकायों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता, स्वायत्तता और अधिकार की आवश्यकता है।
- **उदाहरण:** सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के वित्तीय हस्तांतरण को मजबूत करना महत्त्वपूर्ण है।
- **चुनाव सुधार और विकेंद्रीकरण:** चुनावों में धन का अनुचित प्रभाव लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरोधी हैं। वित्तीय सुधार अभियान और क्षेत्रीय निकायों को सत्ता का विकेंद्रीकरण, अधिक समान अवसर सुनिश्चित करने तथा नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में आवश्यक कदम है।
- **अप्रचलित कानूनी ढाँचा:** अप्रचलित कानून प्रगति में बाधा डालते हैं। समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनी ढाँचे को आधुनिक बनाने पर सरकार का ध्यान व्यापार-अनुकूल वातावरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

संस्थागत कमियाँ

- **संस्थागत क्षमता में कमी:** कानूनी और विनियामक संस्थाओं में आमतौर पर आधुनिक जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए दक्षता की कमी देखी जाती है। भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बेहतर जाँच तकनीकों और उचित स्वायत्तता के माध्यम से केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) जैसी संस्थाओं को मजबूत करना आवश्यक है।
- **न्यायिक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन:** कानूनी कार्यवाही और न्यायिक प्रशिक्षण सहित न्यायिक व्यवस्था की आंतरिक कार्यप्रणाली को आधुनिकीकृत किए जाने की आवश्यकता है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में न्यायिक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है, जैसे कि अदालती मामलों की त्वरित सुनवाई और दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
- **सार्वजनिक जागरूकता में कमी:** अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के विषय में सीमित नागरिक जागरूकता, जनभागीदारी एवं जवाबदेही तंत्र को कमजोर करती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की वार्षिक सतर्कता जागरूकता सप्ताह जैसी पहल एक सकारात्मक कदम है, लेकिन नागरिकों को सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए व्यापक सार्वजनिक शिक्षा अभियान की आवश्यकता है।

इन चुनौतियों को स्वीकार करके और उनका समाधान करके, भारत नीतिगत घोषणाओं और व्यावहारिक वास्तविकताओं के बीच की खाई को कम कर सकता है। न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता को साकार करने के लिए एक अधिक जवाबदेह, कुशल और समावेशी शासन प्रणाली महत्त्वपूर्ण है।

सुशासन को बढ़ावा देने के लिए की गई प्रमुख पहलें

- **विकेंद्रीकरण:** 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों को मजबूत किया गया है, जो निर्वाचित स्थानीय सरकारों के रूप में पंचायतों और नगरपालिकाओं की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।
- **सूचना का अधिकार:** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय लोकतंत्र में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है और भारत में आम आदमी के सशक्तीकरण के एक नए युग का सूत्रपात करता है। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार के कार्यों और निर्णयों की जाँच, लेखापरीक्षा, समीक्षा और मूल्यांकन किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये सार्वजनिक हित, निष्ठा और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
- **राष्ट्रीय सुशासन केंद्र:** इसकी स्थापना वर्ष 2014 में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत सार्वजनिक नीति, शासन, सुधार और सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए की गई थी।
- **ई-गवर्नेंस:** ई-गवर्नेंस, नई उभरती सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) के युग में बेहतर प्रोग्रामिंग और सेवाएँ प्रदान कर विश्वभर में तेजी से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए नए अवसरों की शुरुआत करता है। (ई-गवर्नेंस को अलग से कवर किया गया है- कृपया ई-गवर्नेंस टॉपिक देखें)।
  - शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय: लोक सेवा विधेयक, नागरिक चार्टर, ई-गवर्नेंस, ई-भूमि, ई-चौपाल, ई-खरीद, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)
- **सुशासन सूचकांक:** सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति की तुलना करने के लिए मात्रात्मक डेटा प्रदान करना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शासन में सुधार के लिए उपयुक्त रणनीति बनाने और लागू करने एवं उन्मुख दृष्टिकोण और प्रशासन से परिणाम में बदलाव करने में सक्षम बनाना।
- **आपराधिक न्याय सुधार:** केंद्र सरकार ने पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने, ई-प्राथमिकी(e-FIRs) दाखिल करने आदि के उद्देश्य से लगभग 1,500 अप्रचलित नियमों और कानूनों को समाप्त कर दिया है।
- **मिशन कर्मयोगी:** संस्थागत और प्रक्रियात्मक सुधारों के माध्यम से नौकरशाही में क्षमता निर्माण में परिवर्तन के लिए सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- **व्यवसाय करने की सुगमता:** देश के कारोबारी माहौल और नीति पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए कानून सहित व्यावसायिक स्थितियों में सुधार करना।
- **अन्य पहलें:** अन्य पहलों में MCA21, ऑनलाइन आयकर रिटर्न, प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति), डिजिटल इंडिया मिशन आदि शामिल हैं।

शासन में राज्य, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका

- **राज्य:**
  - **नीति निर्माण और कार्यान्वयन:** राज्य; कानून, विनियम और नीतियाँ (उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - मनरेगा) अधिनियमित करता है, और उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से लागू करता है।

- **सेवा वितरण:** समान पहुँच सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण (उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-NHM, सार्वजनिक वितरण प्रणाली-PDS) जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है।
- **विनियमन और निरीक्षण:** बाजारों, उद्योगों (जैसे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड- सेबी) को विनियमित करता है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा और पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करता है।
- **सार्वजनिक वस्तु प्रावधान:** बुनियादी ढाँचे (जैसे, वंदे भारत ट्रेन), राष्ट्रीय रक्षा, कानून प्रवर्तन में निवेश करता है।
- **सामाजिक न्याय और समानता:** समावेशिता एवं मानव अधिकारों को बढ़ावा देता है साथ ही हाशिए पर उपस्थित समुदायों को सशक्त बनाता है (जैसे, आरक्षण कोटा)।

- **बाजार:**
  - **आर्थिक विकास:** विकास, नवाचार और उत्पादकता को बढ़ाता है, रोजगार सृजित करता है और राजस्व उत्पन्न करता है (उदाहरण के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र-IT)।
  - **संसाधन आवंटन:** कुशलतापूर्वक संसाधनों का आवंटन, उद्यमशीलता और निवेश को बढ़ावा देता है (उदाहरण के लिए, कृषि उपज की कीमतें निर्धारित करने वाले कमोडिटी बाजार)।
  - **नवाचार और उद्यमिता:** रचनात्मकता, दक्षता और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करता है (उदाहरण के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज अनुसंधान और विकास में निवेश करती है)।
  - **धन वितरण:** मजदूरी, लाभ, लाभांश और निवेश के माध्यम से धन वितरित करता है, निर्धनता को कम करता है (उदाहरण, भारतीय शेयर बाजार)।
  - **प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना:** दूरसंचार, विमानन और खुदरा जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना (उदाहरण के लिए, निजी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा टैरिफ कम करना)।
- **सिविल सोसाइटी:**
  - **समर्थन और सक्रियता:** नागरिकों के अधिकारों का समर्थन करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, सरकारों और व्यवसायों को जवाबदेह बनाना (उदाहरण के लिए, ग्रीनपीस द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों के विषय में जागरूकता बढ़ाना)।
  - **सेवाओं का वितरण:** सामाजिक सेवाएं, मानवीय सहायता और विकास संबंधी सहायता प्रदान करता है (उदाहरण के लिए, अक्षय पात्र द्वारा स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना)।
  - **सामुदायिक सहभागिता:** नागरिक सहभागिता, जमीनी स्तर पर कार्य और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है (उदाहरण के लिए, स्व-नियोजित महिला संघ- SEWA महिलाओं को सशक्त बनाता है)।
  - **निगरानी और निरीक्षण:** नीतियों की निगरानी, अनुसंधान, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना (उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया)।

प्रभावी शासन के लिए राज्य, बाजार और नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। प्रत्येक क्षेत्र विशिष्ट शक्तियों, दृष्टिकोणों और संसाधनों का योगदान देता है, जो सामाजिक चुनौतियों से निपटने और सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहु-हितधारक भागीदारी के महत्त्व पर जोर देता है।

भारत में स्थानीय शासन का सशक्तीकरण : पंचायती राज और सामाजिक परिवर्तन

भारत में स्थानीय सरकारें, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs), सामाजिक परिवर्तन को आकार देने और समावेशी समुदायों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्ष 2023 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन की 30वीं वर्षगांठ थी, जो भारत में स्थानीय शासन के लिए एक ऐतिहासिक सुधार है। हालाँकि, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) ने महत्त्वपूर्ण सुधार हुए हैं, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

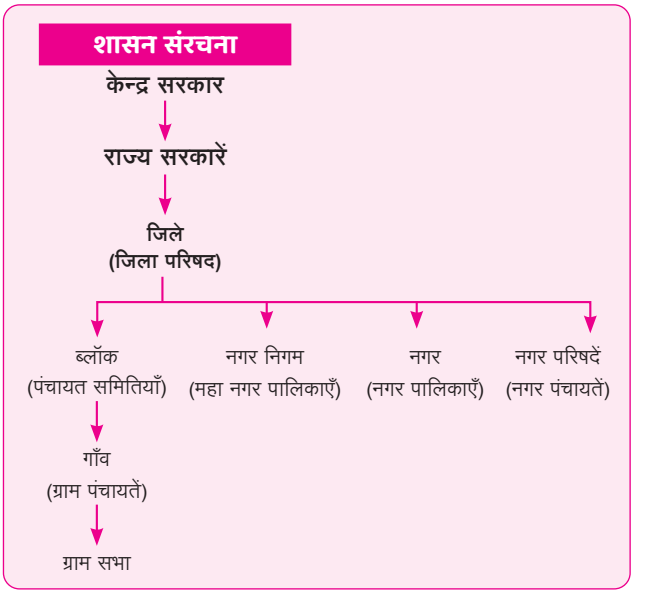

पंचायती राज का विकास

- **उद्देश्य:** स्वशासन (ग्राम स्वराज्य) के माध्यम से गाँवों को सशक्त बनाना।
- **संरचना:** गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ त्रिस्तरीय प्रणाली।
- **सशक्तीकरण:** 73वें संविधान संशोधन (1992) ने नियमित चुनावों को अनिवार्य बनाकर, सत्ता का विकेंद्रीकरण करके, तथा महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए सीटें आरक्षित करके पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाया।

संशोधन की मुख्य विशेषताएँ

उदाहरण

- **उत्तराखंड में वन पंचायतें:** वन संरक्षण के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाली पहल।
- **न्याय पंचायत:** ग्राम न्यायालय छोटे विवादों का समाधान करती हैं।
- **खासी जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था:** पारंपरिक प्रणाली में एक कबीला परिषद, जिसमें 'दरबार कुर' शामिल है, तथा जिसका संचालन कबीले द्वारा किया जाता है।
- **संवैधानिक स्थिति:** पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना और स्वशासन के रूप में नगरपालिकाओं की स्थापना।
- **संरचना:** गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली का निर्माण।

- **आरक्षण:** निर्वाचित पदों पर हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए अनिवार्य रूप से सीटों के आरक्षण की व्यवस्था।
- **विकेंद्रीकरण:** स्थानीय निकायों को शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण।
- **वित्तीय संसाधन:** राज्य बजट और केंद्रीय अनुदान के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को वित्त पोषित करने के लिए तंत्र।

पंचायती राज का प्रभाव

- **लैंगिक समावेशिता:** पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षित होने से महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिससे महिला सरपंच नेतृत्व कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- **सामाजिक न्याय:** पंचायती राज संस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों पर केंद्रित विकास योजनाओं को लागू करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं तक पहुँच में सुधार किया गया है।
- **विकेंद्रीकरण:** स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने से स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। केरल में, स्वच्छता और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में सेवा वितरण को बेहतर किया गया है।
- **सशक्तीकरण:** पंचायती राज संस्थान,नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, विशेषकर महिलाओं के बीच, हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में, महिला समाख्या कार्यक्रम जैसी पहल शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है।

चुनौतियाँ

- **सामाजिक असमानताएँ:** जाति, वर्ग और लैंगिक असमानताएँ समावेशी भागीदारी में बाधा डालती हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में देखा गया है।
- **क्षमता निर्माण:** संसाधन प्रबंधन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता को मजबूत करना महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि ओडिशा में ग्राम पंचायत विकास योजना जैसे कार्यक्रमों में देखा गया है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** पारदर्शी निर्णय लेने के लिए एक तंत्र आवश्यक है, उदाहरण के लिए कर्नाटक में LGDIR जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
- **सीमित संसाधन:** अपर्याप्त वित्तपोषण के कारण सेवा वितरण में बाधा आती है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में देखा गया है।
- **नौकरशाही नियंत्रण:** राज्य सरकारों की अत्यधिक निगरानी, पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता में बाधा डालती है, जैसा कि महाराष्ट्र में संघर्षों के दौरान देखा गया है।
- **शहरी-ग्रामीण विभाजन:** इस अंतर को कम करने के लिए एकीकृत शासन संरचनाओं की आवश्यकता है, जो तेलंगाना में ULGM जैसी पहलों से स्पष्ट है।
- **महिला सशक्तीकरण:** महिलाओं की छद्म भागीदारी लैंगिक आरक्षण के लक्ष्यों को कमजोर करती है, जैसा कि हरियाणा में देखा गया है।
- **डिजिटल डिवाइड:** बुनियादी ढाँचे और साक्षरता संबंधी बाधाएँ ई-गवर्नेंस पहल में बाधा डालती हैं, जिसका उदाहरण झारखंड है।

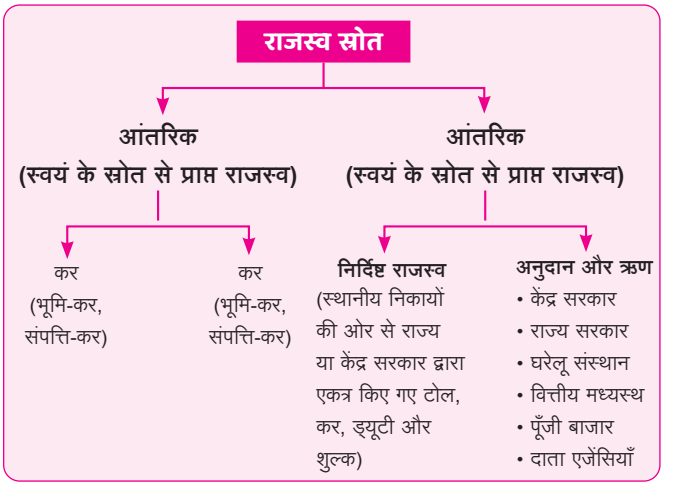

आगे की राह

- प्रभावी कामकाज और सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को पर्याप्त संसाधन आवंटित करना।
- पंचायती राज संस्थानों में कार्य करने वाले अधिकारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए व्यापक क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों में निवेश करना।
- स्थानीय मुद्दों को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को अधिक स्वायत्तता और निर्णय लेने के अधिकार के साथ सशक्त बनाना।
- स्थिरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एकीकृत ढाँचा निर्माण हेतु शहरी शासन संरचनाओं की समीक्षा करने पर विचार करना।
- लैंगिक समानता और समावेशी शासन को बढ़ावा देते हुए, पंचायती राज संस्थानों के भीतर नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए बुनियादी ढाँचे में सुधार और साक्षरता को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक प्रभावी ढंग से पहुँचने और उनका उपयोग करने में सक्षम बनाना।
- सामुदायिक सहभागिता और विकासात्मक पहलों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

पंचायती राज में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने और अधिक समावेशी और समतापूर्ण भारत के निर्माण की अपार संभावनाएँ हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और समूचे भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के निरंतर प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं।

स्थानीय शासन में दिशा-निर्देशन : लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण के मध्य संतुलन

- **विकेंद्रीकरण:** प्रशासनिक, वित्तीय और राजनीतिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए केंद्रीय प्राधिकारियों से स्थानीय स्तर तक सत्ता का हस्तांतरण।
- **स्थानीय लोकतंत्र:** स्थानीय निर्णय लेने में नागरिक भागीदारी पर जोर देता है, जो केवल सत्ता के विकेंद्रीकरण से अलग है।

भारतीय संदर्भ में पंचायती राज:

- भारतीय संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने वाले संवैधानिक संशोधनों के बावजूद चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- इन चुनौतियों में कार्यों का सीमित हस्तांतरण और अभिजात वर्ग का वर्चस्व होना है जो हाशिए पर मौजूद समूहों को प्रभावित करता है।
- सहायक सिद्धांत यथासंभव स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने का समर्थन करता है।
- इस सिद्धांत के लिए मजबूत स्थानीय शासन संरचना और सक्रिय नागरिक भागीदारी आवश्यक है।

लोकतांत्रिक उद्देश्यों के लिए विकेंद्रीकरण का लाभ उठाना

- **स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण:** केरल और कर्नाटक ने वित्तीय आवंटन में वृद्धि कर, स्वतंत्र विकासात्मक गतिविधियों को सक्षम बनाकर, पंचायती राज संस्थाओं को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया है।
- **नागरिक भागीदारी को बढ़ाना:** दिल्ली में बवाना वार्ड समिति प्रभावी नागरिक भागीदारी का उदाहरण है, जिसके कारण अपशिष्ट प्रबंधन जैसी समुदाय-संचालित कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला है।

आगे की राह

- **राजकोषीय हस्तांतरण:** प्रगति के बावजूद, पंचायती राज संस्थाओं को कुल सरकारी व्यय का केवल 5-7% ही प्राप्त होता है, जिससे प्रभावी सेवा वितरण के लिए अतिरिक्त राजकोषीय सशक्तीकरण की आवश्यकता होती है।
- **संस्थागत क्षमता निर्माण:** उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में "मिशन अंत्योदय" प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे पंचायती राज अधिकारियों के कौशल में वृद्धि होती है।
- **नागरिक भागीदारी:** राजस्थान का "जनसुनवाई कार्यक्रम" पारदर्शी सार्वजनिक सुनवाई की सुविधा प्रदान करता है, विश्वास को बढ़ावा देता है और सेवा वितरण में सुधार करता है।

स्थानीय लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण, अलग-अलग होते हुए भी, प्रभावी शासन के लिए महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं। लोकतांत्रिक उद्देश्यों के लिए विकेंद्रीकरण का फायदा उठाने के लिए चुनौतियों का समाधान करना और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है, जिससे भारत की स्थानीय शासन प्रणाली मजबूत हो सके।

सुदृढ़ स्थानीय शासन के लिए लेखापरीक्षा निगरानी का विस्तार

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी लेखापरीक्षा पहुँच को जिला स्तर तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के सभी तीनों स्तर शामिल हैं। इस विस्तार का उद्देश्य स्थानीय सरकारी व्यय में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करना है।

सुधार की आवश्यकता:

- **सीमित पहुँच:** CAG केवल राज्य सरकार के खातों का लेखा परीक्षण करता है, जिससे स्थानीय निकायों पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता, जबकि वे महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक धन का प्रबंधन करते हैं।
- **असंगत प्रथाएँ:** पंचायती राज संस्थाओं की मौजूदा लेखापरीक्षण में एकरूपता का अभाव है, जिससे वित्तीय प्रबंधन के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

सरकार द्वारा की गई पहले

1. ई-ग्राम स्वराज ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली:
- पंचायती राज के लिए सरलीकृत कार्य-आधारित लेखांकन।
- पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय हस्तांतरण और विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना:
- ग्राम पंचायत स्तर पर सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप को एकीकृत करता है।
- समग्र विकास के लिए सहभागी स्थानीय योजना को नियोजित करना।

3 सांसद आदर्श ग्राम योजना:
- गाँवों को आदर्श ग्राम बनाने की परिकल्पना।
- सांसद निर्धारित ग्राम पंचायतों में विकास को बढ़ावा देते हैं।

4. पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण:
- स्थानीय सतत् विकास लक्ष्यों के लिए विषयगत दृष्टिकोण।
- वर्ष 2030 तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए सरकार के तीसरे स्तर का उपयोग करता है।

5. पंचायत विकास सूचकांक (PDI):
- स्थानिक सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति का मापन
- पंचायत विकास सूचकांक की गणना के लिए समिति का गठन

6. ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान:
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ साझेदारी।
- आत्मनिर्भरता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना।

7. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (NPRD):
- प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
- वर्ष 2023 की थीम: "टिकाऊ पंचायत: स्वस्थ, पर्याप्त जल , स्वच्छ और हरित गाँवों का निर्माण"

इसके कुछ प्रमुख उदाहरण है

मालूर, कर्नाटक: कर्नाटक के कोलार जिले के मालूर में तालुका पंचायत (TP) के लेखा परीक्षण में कार्यकारी अधिकारी द्वारा 1.74 करोड़ रुपये की हेराफेरी का खुलासा हुआ। उप-कोषाधिकारी ने उचित सत्यापन के बिना फर्जी बिलों को मंजूरी देकर इस हेरफेर में सहायता की। यह मामला पंचायती राज संस्थाओं के भीतर वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने और उन्हें रोकने में मजबूत लेखा परीक्षण की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है।

प्रस्तावित सुधार:

- **CAG के लिए योग्यताएँ:** स्थानीय सरकार के वित्त का प्रभावी ढंग से लेखा परीक्षण करने के लिए CAG कर्मियों के लिए आवश्यक योग्यताओं और अनुभवों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।

- **संवैधानिक स्थिति:** राज्य महालेखाकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना , उनकी स्वतंत्रता और अधिकारो का सशक्तीकरण।
- **सार्वभौमिक निरीक्षण:** व्यापक वित्तीय निरीक्षण सुनिश्चित करते हुए, सभी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित निकायों को शामिल करने के लिए CAG के अधिदेश का विस्तार करना।
- **अर्द्ध-न्यायिक शक्तियाँ:** लेखा परीक्षण के दौरान उजागर की गई वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने के लिए CAG को अर्द्ध-न्यायिक अधिकार से सुसज्जित करना।

प्रभावी लेखा परीक्षण के लाभ

- **जवाबदेही:** लेखा परीक्षण,स्थानीय निकायों को आवंटित सार्वजनिक धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है।
- **पारदर्शिता:** CAG की निगरानी सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नगरपालिका बॉण्ड जैसे विभिन्न निधिकरण तंत्रों में पारदर्शिता लाती है।
- **सशक्त विकेंद्रीकरण:** प्रभावी लेखा परीक्षण स्थानीय स्तर पर संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है।
- **सार्वजनिक जागरूकता और जोखिम मूल्यांकन:** पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े लेखा परीक्षण, वित्तीय प्रबंधन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाते हैं और संभावित जोखिमों की पहचान करने में मदद करते हैं।

प्रभावी निरीक्षण के लिए रणनीतियाँ

- **मानकीकृत लेखांकन:** CAG कुशल लेखा परीक्षण की सुविधा के लिए स्थानीय सरकारी खातों के लिए मानकीकृत लेखांकन प्रणालियों और प्रारूपों को अनिवार्य कर सकता है।
- **समर्पित लेखा परीक्षण एजेंसी:** स्थानीय सरकारों के लेखा परीक्षण में विशेषज्ञता के लिए संभावित रूप से CAG की देखरेख में एक समर्पित एजेंसी स्थापित करने पर विचार करना।
- **विधायी समीक्षा:** पंचायती राज संस्थाओं पर CAG की रिपोर्ट की आगे की जाँच और कार्रवाई के लिए लोक लेखा समिति के समान एक समर्पित राज्य विधायी समिति द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।
- **क्षमता निर्माण:** लेखापरीक्षा दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए स्थानीय सरकारी लेखापरीक्षकों के तकनीकी कौशल को बढ़ाना।
- **सामाजिक लेखापरीक्षा विकास:** पंचायती राज संस्थाओं की गतिविधियों की निगरानी के लिए,और बेहतर जवाबदेहिता और नागरिक भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए CAG लेखापरीक्षा के साथ-साथ सामाजिक लेखापरीक्षा को लागू करना।

इन सुधारों और रणनीतियों को अपना कर, भारत स्थानीय स्वशासन के लिए लेखा परीक्षण की एक मजबूत प्रणाली का निर्माण कर सकता है। इससे सार्वजनिक धन का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होगा, पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूती मिलेगी।

सुशासन के निर्माण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

महात्मा गांधी

- "जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है, पंचायत की आवाज जनता की आवाज है।"

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

- सुशासन स्थानीय संस्थाओं के प्रभावी कामकाज पर निर्भर करता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री ने कहा था, "पंचायतें ग्रामीण भारत में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रभावी तरीका है।
- ये भारत के बदलाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और शासन के स्वरूप को परिवर्तित कर रहे हैं।
  - **द्वार तक सेवाओं का वितरण:** देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को गाँवों में बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने और स्थानीय आर्थिक विकास की योजनाऐं बनाने का काम सौंपा गया है।
  - **प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भागीदारी:** ग्राम सभा; समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को शामिल करने, ग्राम स्तर के शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनकी विकासात्मक आकांक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने का एक माध्यम है।
  - **संसाधन दक्षता सुनिश्चित करना:** महाराष्ट्र राज्य में पिंपरी गवली ने ग्राम सभा की भागीदारी के साथ वाटरशेड विकास गतिविधियों के माध्यम से जल सुरक्षा हासिल की।
  - **समावेशी विकास और निर्धनता में कमी:** बिहार में गरीबा ग्राम पंचायत ने स्थानीय लोगों को शामिल करके और उन्हें काम करने का अवसर प्रदान करके गाँवों में बुनियादी ढाँचे में सुधार किया।
  - **महिला सशक्तीकरण:** केरल की कुटुंबश्री प्रणाली, जो महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, पंचायतों के सहयोग से एक संगठित नागरिक समाज के रूप में कार्य करती है।

केस अध्ययन

- ओडिशा राज्य ने ग्राम स्तर पर संगरोधन (क्वारंटाइन) लागू करने के लिए सरपंचों को जिला कलेक्टर की शक्तियाँ प्रदान की हैं।
- आंध्र प्रदेश में, एक ग्राम स्वयंसेवक प्रणाली शुरू की गई है। उन्होंने राज्य में विदेशों में यात्रा करने वाले लोगों का पता लगाने और राज्य में कोविड -19 संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए एकसर्वेक्षण किया है।

विगत वर्षों के प्रश्न

- आपकी राय में, भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन-परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? **(2022)**
- खाप पंचायतें संविधानेतर प्राधिकरणों के तौर पर प्रकार्य करने, अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों की कोटि में आने वाले निर्णयों को देने के कारण खबरों में बनी रही हैं। इस संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिए विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। **(2015)**
- सरकार की दो समांतर चलाई जा रही योजनाओं, यथा 'आधार कार्ड' और 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' (एन.पी.आर.) एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य, ने राष्ट्रीय स्तरों पर वाद-विवादों और मुकदमों को जन्म दिया है। गुणों-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजिए कि क्या दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलना आवश्यक है या नहीं है। इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभाव्यता का विश्लेषण कीजिये। **(2014)**
- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (PURA) का आधार संयोजकता (मेल) स्थापित करने में निहित है। टिप्पणी कीजिए। **(2013)**

4 ई-गवर्नेंस

"ई-गवर्नेंस की खूबसूरती यह है कि कंप्यूटर की कुछ कुंजियाँ लाखों चेहरों पर मुस्कान ला सकती हैं"
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ई-गवर्नेंस की परिभाषा

विश्व बैंक ने ई-गवर्नेंस को सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (जैसे वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग) **के उपयोग के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के अन्य अंगों के साथ संबंधों को बदलने की क्षमता है।** अतः ई -गवर्नेंस, शासन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग है।

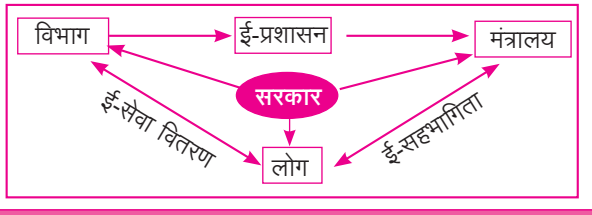

तथ्य

600 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, भारत विश्व में दूसरे पायदान पर है, जो समूचे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का 12% से अधिक है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, भारत की आधी आबादी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और अगर है भी तो उनमे से केवल 20% भारतीय ही डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना जानते हैं।

भारत में ई-गवर्नेंस

भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत 1970 के दशक में हुई, जो रक्षा,आर्थिक निगरानी जैसे आंतरिक अनुप्रयोगों तथा चुनाव और कर प्रशासन जैसे डेटा-गहन कार्यों पर केंद्रित था।

- **इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की** स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम था, जो ई-प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- राष्ट्रीय **सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने वर्ष 1977 में जिला सूचना प्रणाली की** शुरूआत की, जिसका उद्देश्य सभी जिला कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना था।
- **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क (NICNET)** की शुरुआत ने पूरे देश में ई-गवर्नेंस पहल की नींव रखी।
- **NICNET** और **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (DISNIC) कार्यक्रम की जिला सूचना प्रणाली** के कार्यान्वयन के साथ शुरू हुई, जो जिला-स्तरीय प्रशासन को डिजिटल बनाने पर केंद्रित थी।
- राष्ट्रीय **ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) का** उद्देश्य पहुँच, दक्षता, पारदर्शिता और सामर्थ्य को बढ़ाकर सरकारी सेवाओं के वितरण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना था।

- **NeGP** के तहत देश भर में नागरिकों के बीच ई-गवर्नेंस और डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए **डिजिटल इंडिया**, **डिजी-लॉकर**, **मोबाइल सेवा** और **myGov.in** जैसी विभिन्न पहलों की शुरुआत की गई।

ई-गवर्नेंस की SMART विशेषताएँ

ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन का उद्देश्य कार्य-निष्पादन के स्तर को बढ़ाना तथा सेवाओं का समुचित वितरण सुनिश्चित करना है। ये सब ई-गवर्नेंस की पाँच मुख्य विशेषताओं, जिन्हें "स्मार्ट" कहा गया है, के माध्यम से संभव होगा।

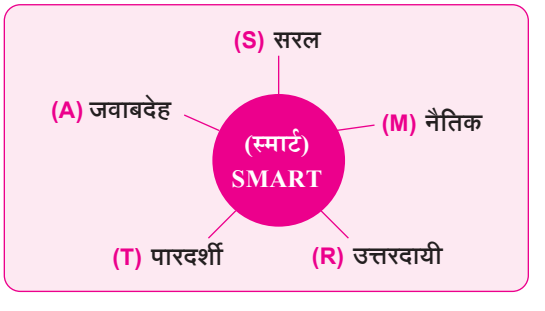

- **S-सरल:** सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं को उपयोगकर्ताओं के अधिक-अनुकूल बनाने के लिए उन्हें सरलीकृत किए जाने की आवश्यकता है।
- **M-नैतिक:** चूँकि, भ्रष्टाचार विरोधी और सतर्कता एजेंसियों में सुधार हुआ है, इसलिए अधिकारियों में नैतिकता और मूल्यों का संचार हो रहा है।
- **A-जवाबदेह:** सूचना और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मानदंडों की स्थापना और उन मानकों के प्रभावी मापन में सहायता करता है।
- **R-उत्तरदायी:** कुशल सेवा वितरण और नागरिकों के प्रति उत्तरदायी सरकार।
- **T-पारदर्शी:** जो सूचनाएँ कभी गुप्त रखी जाती थीं वह अब जनता के लिए उपलब्ध हैं, जिससे सरकारी विभागों में समानता और कानून का शासन स्थापित हो रहा है।

ई-गवर्नेंस के घटक

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार, शासन में अंतःक्रिया सरकार से नागरिक (G2C), सरकार से सरकार (G2G) जिसमें सरकार से कर्मचारी (G2E) और सरकार से व्यवसाय (G2B) स्तर पर होती है। इन अंतःक्रियाओं पर ई-गवर्नेंस के प्रभाव का विश्लेषण करके ई-गवर्नेंस के महत्त्व को समझा जा सकता है।

सरकार से नागरिक (G2C)

- **सेवाओं के वितरण में सरलता:** त्वरित, गुणवत्तापूर्ण, आसान और अंतिम छोर तक सेवा वितरण सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड बनाए रखने से सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों जैसे, ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण के लाभार्थियों की सही पहचान करने में मदद मिलती है।
- **खामियों और लीकेज को दूर करना:** सार्वजनिक डोमेन में जानकारी की उपलब्धता और नागरिकों तक इसकी पहुँच में आसानी, वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही उत्पन्न करती है: उदाहरण के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग विकल्प।
- शासन में नागरिकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर सर्वसम्मति-उन्मुख शासन की सुविधा प्रदान करता है।
- **वास्तविक-समय पर आधारित शासन:** ई-गवर्नेंस की मदद से, सरकार प्रौद्योगिकी द्वारा वास्तविक समय में राज्य भर में नागरिक शिकायतों, घटनाओं और मौसम और जलवायु घटनाओं को शीघ्रता से समाधान कर सकती है। जैसे-CPGRAM।
- **नागरिकों के लिए बेहतर सुरक्षा:** सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर खुफिया जानकारी साझा करना।

सरकार से व्यवसाय (G2B)

- उद्योग और व्यवसाय के मध्य बेहतर संपर्क।
- परियोजनाओं की समय पर मंजूरी और परियोजनाओं एवं नीतियों पर निगरानी रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका।
- सूचना और प्रौद्योगिकी एकल खिड़की निकासी प्रदान करने में मदद करता है, जिससे व्यवसाय करने की सुगमता बेहतर होती है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" पहल के तहत भारत में सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया है।

सरकार से सरकार (G2G)

- **ई-प्रशासन:** प्रशासनिक प्रक्रियाओं के स्वचालन से संचालन और प्रक्रियाओं की दक्षता में वृद्धि होती है तथा अनावश्यक रूप से होने वाली देरी में कमी आती है।
- **आधारभूत परियोजनाओं की वास्तविक-समय निगरानी:** ई-समीक्षा (E–Samiksha) का उपयोग कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं एवं नीतिगत पहलों की प्रगति के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों की आगे की गतिविधियों की वास्तविक-समय में निगरानी के लिए किया जाता है।
- **समरूप संगठन:** सूचना और प्रौद्योगिकी ने निर्णय लेने में सभी स्तरों की भागीदारी को बढ़ावा दिया, जिससे पदानुक्रम कम हो गया।
- **संबंधों में सुधार:** जवाबदेही बढ़ाकर सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच बेहतर संबंधों की स्थापना। उदाहरण संदेश मैसेजिंग एप्लीकेशन आदि।
- **लागत और कागजी कार्रवाई में कमी:** LAN के माध्यम से अंतर्संबंध के कारण, सूचना और फाइलों का स्थानांतरण ऑनलाइन होता है, जिससे भौतिक आवागमन और कागज के विशाल ढेर की खपत और भंडारण में कमी आती है।

ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

NeGP ने कई ई-गवर्नेंस पहलों को सक्षम किया है, जिनमें सबसे प्रमुख है **डिजिटल इंडिया मिशन (2015)।** इसके प्राथमिक घटकों में एक सुरक्षित और सक्षम डिजिटल बुनियादी ढाँचा स्थापित करना, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करना शामिल है। इसी प्रकार, शासन और प्रशासन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए कई अन्य कदम उठाए गए है।

सार्वजनिक सेवा वितरण

- **आधार:** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और विभिन्न निजी संस्थाओं के बीच सहयोग आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली को सक्षम बनाता है, जिससे सरकारी सेवाओं और सब्सिडी तक पहुँच आसान हो जाती है।
- **डिजिटल लॉकर (DigiLocker):** डिजीलॉकर एक डिजिटल दस्तावेज भंडारण और साझाकरण प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किए गए अपने डिजिटल दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को संग्रहित करने, उन तक पहुँच सुनिश्चित करने और साझा करने की अनुमति देता है।
- **यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (UMANG):** UMANG को मोबाइल उपकरणों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। UMANG 1,570 से अधिक सेवाओं और 22,000 से अधिक बिल भुगतान सेवाओं सहित बड़ी संख्या में सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
- **ई-डिस्ट्रिक्ट (e-District) परियोजना:** ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्देश्य जिला स्तर पर नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से विभिन्न सरकारी सेवाएँ प्रदान करना है, जिसमें प्रमाण पत्र जारी करना, भूमि रिकॉर्ड और राजस्व प्रशासन शामिल हैं।

- **ई-कोर्ट (e-Courts) एकीकृत मिशन मोड परियोजना:** ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य ई-फाइलिंग, केस ट्रैकिंग और वर्चुअल कोर्ट सुनवाई के माध्यम से न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने और न्यायिक दक्षता में सुधार करने के लिए न्यायालयी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना है।
- **लोक शिकायत निवारण पोर्टल (CPGRAMS): CPGRAMS** नागरिकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और विभिन्न सरकारी विभागों में समय पर निवारण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- **ई-संपर्क (e-Sampark) पोर्टल:** ई-संपर्क एक नागरिक समन्वय प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों और सरकारी विभागों के बीच संचार को सक्षम बनाता है, जिससे नागरिकों को फीडबैक देने, शिकायत दर्ज करने और सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी तक पहुँच सुनिश्चित होती है।

स्वास्थ्य देखभाल

- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM): ABDM** का लक्ष्य देश में एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना है।
- **कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (CoWIN):** CoWIN एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर COVID वैक्सीन वितरण प्रणाली के तंत्र को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए किया जाता है।
- **आरोग्य सेतु ऐप:** इस ऐप को कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों को वायरस के प्रसार, स्व-मूल्यांकन उपकरण और नज़दीकी कोविड-19 परीक्षण केंद्रों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में वास्तविक-समय की जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसने संपर्क ट्रेसिंग और रोकथाम प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शिक्षा

वर्ष 2021 में शुरू की गई राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक वास्तुकला (NDEAR) का उद्देश्य देश के शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढाँचे को एकीकृत करना है।

- **SWAYAM (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स):** SWAYAM एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारत भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से निःशुल्क पाठ्यक्रम और संसाधन प्रदान करता है। यह विभिन्न विषयों में उच्च-गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे शिक्षार्थी अपनी गति और सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।
  - **स्वयं प्रभा** कई डीटीएच (DTH) चैनलों का एक समूह है जो 24x7 शैक्षणिक सामग्री प्रसारित करने के लिए समर्पित है। ये चैनल स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास सहित विभिन्न विषयों को समाहित करते हैं, और इनका उद्देश्य सीमित इंटरनेट पहुँच वाले दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों तक पहुँचना है।
- **दीक्षा (DIKSHA-डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग):** दीक्षा एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों को ई-सामग्री और शैक्षिणिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करता है। यह कक्षा शिक्षण का समर्थन करने और छात्र जुड़ाव को बढ़ाने के लिए पारस्परिक पाठ्यपुस्तकें, पाठ योजनाएँ, प्रश्नोत्तरी और अन्य शैक्षणिक सामग्री प्रदान करता है।
- **ई-पाठशाला (e-Pathshala)**: ई-पाठशाला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की एक पहल है जो स्कूली छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्यपुस्तकें और शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह कक्षा में सीखने और पुनरीक्षण (Revision) करने के लिए ई-पुस्तकें,ऑडियो-विज़ुअल सामग्री और शैक्षणिक संसाधन प्रदान करता है।
- **नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD): NAD** एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अकादमिक प्रमाणपत्रों और प्रतिलिपि को सुरक्षित और छेड़छाड़-रहित तरीके से संगृहीत करता है। यह छात्रों को अपने अकादमिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से पहुँचने और साझा करने की अनुमति देता है, जिससे भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और शैक्षणिक संस्थानों और नियोक्ताओं के लिए सत्यापन प्रक्रिया सरल हो जाती है।

कृषि एवं ग्रामीण विकास

- **राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM):** ई-नाम एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कृषि उपज के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की सुविधा देता है। यह देश भर के कृषि बाजारों (मंडियों) को जोड़ता है, जिससे किसान, भारत में कहीं भी खरीदारों को अपनी उपज बेच सकते हैं। ई-नाम मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देता है, बिचौलियों को कम करता है और किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है।
- **एम-किसान (M-KISAN):** एम-किसान अपने एम-किसान पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किसानों को SMS के माध्यम से फसल संबंधी सलाह प्रसारित करता है।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करती है, जिसमें मृदा के पोषक तत्त्वों, उर्वरकों और फसल-विशिष्ट पोषक तत्त्व प्रबंधन के लिए सिफारिशों के बारे में जानकारी होती है। यह किसानों को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, उर्वरक उपयोग को अनुकूलित करने और फसल उत्पादकता में सुधार के विषय में सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है।
- **ई-कृषि संवाद:** ई-कृषि संवाद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो किसानों को विशेषज्ञों से कृषि सलाह और जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह टोल-फ्री हेल्पलाइन, एसएमएस और वेब पोर्टल के माध्यम से किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच दो-तरफा संचार की सुविधा प्रदान करता है।

वित्तीय विकास और समावेशन

- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI):** UPI ने मोबाइल फोन के माध्यम से बैंक खातों के बीच सहज और सुरक्षित धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करके डिजिटल लेन-देन में क्रांति ला दी है। UPI के साथ, उपयोगकर्ता आसानी से भुगतान कर सकते हैं, अलगअलग बिलों का भुगतान कर सकते हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म और बैंकिंग संस्थानों में लेन-देन कर सकते हैं।
- **आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (AePS):** AePS नागरिकों को आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे वे बैंकिंग संवाददाताओं द्वारा संचालित माइक्रो-एटीएम के माध्यम से लेन-देन कर सकते हैं, नकदी निकाल सकते हैं और खाते की शेष राशि की जाँच कर सकते हैं।
- **ई-रुपी (e-Rupi):** ई-रुपी एक डिजिटल भुगतान समाधान है जिसे वर्ष 2021 में कल्याणकारी लाभों और सब्सिडी के लक्षित और कुशल वितरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। यह एक प्रीपेड वाउचर-आधारित प्रणाली है जो निर्बाध और संपर्क रहित डिजिटल लेन-देन को सक्षम बनाती है, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और सरकारी लाभों के वितरण में लीकेज को समाप्त करती है।

शहरी और ग्रामीण शासन

- **डिजिटल साक्षरता मिशन:** डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (NDLM) एक अभियान है जिसे हर ग्रामीण परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को डिजिटल रूप से शिक्षित करने के लिए निर्मित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य 52.5 लाख लोगों को आईटी प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिसमें ग्रामीण, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता, साथ ही राशन की दुकान के डीलर शामिल हैं।
- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA): PMGDISHA** एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में छह करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। यह लगभग 40% ग्रामीण परिवारों को लक्षित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र परिवार से कम-से-कम एक सदस्य को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण मिले।
- **राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN):** भारत में **NOFN** परियोजना का उद्देश्य 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाएँ वितरण सुनिश्चित हो सके।
- **ई-ग्राम स्वराज:** ई-ग्राम स्वराज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शासन और सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करता है। यह पंचायतों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने, रिकॉर्ड बनाए रखने और नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ई-ग्राम स्वराज ग्रामीण शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देता है।
- **ई-नगर पालिका पोर्टल**: कई शहरी स्थानीय निकायों ने नागरिकों को विभिन्न नगरपालिका सेवाओं और सुविधाओं तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करने के लिए ई-नगर पालिका पोर्टल विकसित किए हैं। ये पोर्टल नागरिकों को संपत्ति कर का भुगतान करने, भवन निर्माण परमिट के लिए आवेदन करने, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का अनुरोध करने, शिकायतें दर्ज करने और अपने आवेदनों की स्थिति को घर बैठे ट्रैक करने में सक्षम बनाते हैं।

चुनाव प्रबंधन

- **भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) पोर्टल:** भारत के निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची, मतदान केंद्र स्थान और चुनाव कार्यक्रम सहित चुनावी जानकारी तक पहुँच प्रदान करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।
- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT):** ईवीएम की शुरूआत ने भारत में मतदान प्रक्रिया में क्रांति ला दी है, जिससे वोटों की तीव्र और सटीक गणना सुनिश्चित हुई है। **VVPAT** के कार्यान्वयन से मतदाताओं को उनके मतदान की पुष्टि होती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और आत्मविश्वास बढ़ता है।
- **चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रबंधन प्रणाली: EPIC** प्रबंधन प्रणाली **EPIC** जारी करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाती है, जिससे निर्वाचन आयोग मतदाताओं के सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने और चुनावी धोखाधड़ी को रोकने में सक्षम होता है।
- **सी-विजिल (C-Vigil) मोबाइल ऐप:** सी-विजिल मोबाइल ऐप नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और अन्य चुनावी कदाचारों की वास्तविक समय में फोटो या वीडियो कैप्चर करके और अपलोड करके रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। निर्वाचन अधिकारी इन रिपोर्टों के आधार पर तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में वृद्धि होती है।

परिवहन और लॉजिस्टिक

- **वाहन और सारथी:** वाहन और सारथी क्रमशः वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर की ई-गवर्नेंस पहल हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नागरिकों को वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने और उन्हें नवीनीकृत करने, शुल्क का भुगतान करने और प्रासंगिक दस्तावेजों और सूचनाओं तक पहुँचने में सक्षम बनाते हैं।
- **ई-चालान (e-Challans) सिस्टम:** भारत के कई राज्यों ने यातायात प्रवर्तन के लिए ई-चालान सिस्टम लागू किया है। ये सिस्टम तेज गति से वाहन चलाने और रेड लाईट पार करने जैसे यातायात उल्लंघनों का पता लगाने के लिए कैमरे और सेंसर जैसी तकनीक का उपयोग करते हैं। उल्लंघनकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक चालान (e-Challans) प्राप्त होता है जिसका भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है, इस प्रकार कागजी कार्रवाई की आवश्यकता कम हो जाती है और यातायात प्रबंधन की दक्षता में सुधार होता है।
- **ई-टोल (e-Toll) कलेक्शन: फास्टैग** जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम के कार्यान्वयन ने भारत में राजमार्गों पर टोल संग्रह को बदल दिया है। फास्टैग एक प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो RFID तकनीक का उपयोग करता है ताकि वाहनों के टोल प्लाजा से गुजरने पर टोल शुल्क में स्वचालित कटौती हो सके।

सामाजिक कल्याण और गरीबी उन्मूलन

- **नेशनल करियर सर्विस (NCS):** नेशनल करियर सर्विस (**NCS**) श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की रोजगार-संबंधी सेवाएँ प्रदान करना है। यह नौकरी, करियर परामर्श, कौशल विकास पाठ्यक्रम और सरकारी योजनाओं और रिक्तियों पर जानकारी जैसी सेवाएँ प्रदान करता है।
- **पेंशनभोगी पोर्टल:** पेंशनभोगी पोर्टल सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, पेंशन भुगतान आदेश डाउनलोड करने और ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
- **श्रम सुविधा पोर्टल:** श्रम सुविधा पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम संबंधी अनुपालनों को समेकित करने और व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
- **ई-श्रम (e-SHRAM) पोर्टल:** ई-श्रम (**e-SHRAM**) पोर्टल विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और ट्रैकिंग के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।

राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस पहल:

- **ई-सेवा (आंध्र प्रदेश):** उपयोगिता बिलों के भुगतान, प्रमाणपत्र, लाइसेंस और परमिट जारी करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **खजाने परियोजना (कर्नाटक):** राज्य की राजकोषीय प्रणाली को डिजिटल बनाया गया।
- **फ्रेंड्स (केरल):** राज्य सरकार को करों और अन्य वित्तीय बकाया राशियों का भुगतान करने के लिए एकल-खिड़की सुविधा है।
- **लोकवाणी परियोजना (उत्तर प्रदेश):** शिकायतों के निपटारे से संबंधित एकल-खिड़की समाधान; भूमि रिकॉर्ड रखरखाव और आवश्यक सेवाएँ प्रदान करना।

चुनौतियाँ:

- **डिजिटल डिवाइड:** डिजिटल डिवाइड का अर्थ विभिन्न जनसंख्या समूहों के बीच **डिजिटल तकनीकों और इंटरनेट कनेक्टिविटी** तक पहुँच में असमानताओं से है। सभी नागरिकों के लिए ई-गवर्नेंस समाधानों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इस अंतर को कम करना आवश्यक है।
  - डिजिटल इंडिया जैसी पहल के बावजूद, इंटरनेट पहुँच और डिजिटल साक्षरता में असमानताएँ बनी हुई हैं, ग्रामीण और हाशिए पर मौजूद समुदायों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों और ऑनलाइन सेवाओं तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ रहा है, जिससे डिजिटल विभाजन और बढ़ रहा है।
- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** ई-गवर्नेंस समाधान में संवेदनशील नागरिक डेटा का संग्रह, भंडारण और साझाकरण शामिल है, जिससे डेटा गोपनीयता, सुरक्षा उल्लंघन और व्यक्तिगत जानकारी तक अनधिकृत पहुँच के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  - आधार डेटा उल्लंघन की घटना ने आधार डेटाबेस में संगृहीत नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के सबंध में चिंताएँ उत्पन्न कर दी हैं, जिससे ई-गवर्नेंस प्रणालियों में मजबूत डेटा सुरक्षा उपायों और साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- **अवसंरचना की सीमाएँ:** ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता स्तर सहित अपर्याप्त डिजिटल अवसंरचना, ई-गवर्नेंस समाधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती है, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
  - दूरदराज के क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी और विद्युत सबंधित आधारभूत संरचनाएँ ई-गवर्नेंस समाधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करती है, तथा वंचित क्षेत्रों में नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं और सूचना तक पहुँच में बाधा उत्पन्न करती है।
- **परिवर्तन का विरोध:** सरकारी एजेंसियों के भीतर हितधारकों के साथ-साथ पारंपरिक ऑफलाइन प्रक्रियाओं के अभ्यस्त नागरिकों द्वारा परिवर्तन का विरोध, ई-गवर्नेंस समाधानों को अपनाने और कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते है।
  - सरकारी अधिकारियों और पारंपरिक कागज-आधारित प्रक्रियाओं के अभ्यस्त नागरिकों का विरोध ई-गवर्नेंस समाधानों को अपनाने और स्वीकार करने में बाधा बन सकता है, जिसके लिए डिजिटल साक्षरता और परिवर्तन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण पहल की आवश्यकता होती है।
- **तकनीकी समस्या:** ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, संसाधनों और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है, जो सीमित तकनीकी क्षमता या बजट की कमी वाली सरकारों के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती हैं।
  - भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन में अनेक कर प्रणालियों और डेटाबेस को एकीकृत करने की समस्या के कारण सिस्टम क्रैश और गड़बड़ियों जैसी तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में कड़े परीक्षण और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- **कानूनी और नियामक ढाँचे:** ई-गवर्नेंस पहल को डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानूनी और नियामक ढाँचे का पालन करना चाहिए, जो विभिन्न न्यायालयों में भिन्न हो सकते हैं और कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं।
- **उपयोगकर्ता अनुभव और पहुँच:** ई-गवर्नेंस समाधान उपयोगकर्ताओं के अनुकूल, सुलभ और समावेशी होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विविध आवश्यकताओं, क्षमताओं और डिजिटल साक्षरता स्तर वाले नागरिक डिजिटल प्लेटफार्मों को प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।

भारत में ई-गवर्नेंस को प्रभावी ढंग से बेहतर करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं:

- **डिजिटल बुनियादी ढाँचे में सुधार:** ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए, सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट जैसी परियोजनाओं का विस्तार करना।
- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना:** ई-गवर्नेंस तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करते हुए, ग्रामीण परिवारों के बीच डिजिटल कौशल में सुधार करने के लिए PMGDISHA जैसी पहल को जारी रखना और विस्तारित करना।
- **डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना**: नागरिकों के डेटा की सुरक्षा और ई-गवर्नेंस में विश्वास बढ़ाने के लिए **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक** जैसे मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों और विधायी ढाँचे को लागू करना।
- **सेवाओं को सुव्यवस्थित करना:** 'फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस' अंतःक्रिया को बढ़ावा देते हुए, सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुँच प्रदान करने के लिए **उमंग** जैसे प्लेटफार्मों का लाभ उठाना।
- **समावेशिता और पहुँच को बढ़ावा देना:** व्यापक समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस उपकरणों को कई क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ और दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूलित बनाना।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** विशेषज्ञता और नवाचार के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सहयोग करना, आरोग्य सेतु ऐप इसका अच्छा उदहारण है।
- **नियमित प्रतिक्रिया और सुधार:** निरंतर नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 'MyGov' जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करना, ई-गवर्नेंस सेवाओं में सुधार लाना।

ई-गवर्नेंस पर केस स्टडी:

- तेलंगाना भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य में नागरिक सशक्तीकरण के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई कदम उठाये गए हैं।
- वेब-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-गवर्नेंस आधारित सेवाएँ प्रदान करने के लिए, 'MeeSeva' पोर्टल वर्तमान में अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से 550 से अधिक सेवाएँ प्रदान करता है और यह देश में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऑनलाइन G2C सेवा वितरण प्लेटफार्मों में से एक है।
- एम-गवर्नेंस (M-governance) टी ऐपफोलियो (T AppFolio) नामक एक ऐप के माध्यम से दिया जाता है, यह तेलंगाना सरकार की हालिया पहल है और इसका उद्देश्य राज्य में सेवाओं को किस प्रकार वितरित किया जा रहा इसकी निगरानी करना है। इसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
- टी वॉलेट (T-Wallet, एक डिजिटल वॉलेट है जिसका उपयोग नागरिक, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सरकारी और निजी दोनों लेन-देन के लिए भुगतान करने के लिए कर सकते हैं।

- **इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (IndEA):** IndEA एक समग्र आर्किटेक्चर बनाने के लिए एक प्रतिमान है जो सरकार को एक एकल उद्यम या अधिक यथार्थवादी रूप से, कार्यात्मक रूप से परस्पर जुड़े उद्यमों के संग्रह के रूप में मानता है।
- **मेघालय उद्यम आर्किटेक्चर परियोजना:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए, लोगों के लिए सेवा वितरण और शासन में सुधार करने के लिए एक परियोजना है।

ई-गवर्नेंस से संबंधित समसामयिक मुद्दे

इंटरनेट शटडाउन और ई-गवर्नेंस

- **पल्स शटडाउन ट्रैकर** के अनुसार, **इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट-आधारित संचार में जानबूझकर उत्पन्न किया गया व्यवधान है,** जो **ई-गवर्नेंस** को एक निश्चित जनसंख्या या क्षेत्र के लिए दुर्गम या अनुपलब्ध बना देता है।
- **इंटरनेट शटडाउन की आवश्यकता:**
  - **शांति बनाए रखना:** गलत सूचना और अफवाहों को रोकने और बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट शटडाउन लगाया जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इसका उपयोग किया गया।
  - **भ्रामक खबरों पर रोक:** इंटरनेट फर्जी खबरें फैलाने का एक तेज माध्यम है और इसलिए, सरकार के लिए ऑडियो और वीडियो के माध्यम से फर्जी खबरों को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन लागू करना आवश्यक हो गया है।
  - **आतंकवाद के विरुद्ध:** आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए शत्रुतापूर्ण राज्यों के नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए सरकारों के लिए इंटरनेट बंद करना भी आवश्यक हो जाता है, जैसे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कश्मीर में इंटरनेट बंद करना।
  - **डेटा सेवाओं के दुरुपयोग रोकना:** इंटरनेट शटडाउन उन तत्त्वों द्वारा डेटा सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी लगाया गया है, जो हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि खालिस्तानी तत्त्वों पर कार्रवाई के लिए पंजाब में हाल ही में इंटरनेट बंद किया गया।
  - **परीक्षाएँ:** परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए राज्यों में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है।
- **इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव**
  - **आर्थिक प्रभाव:** संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने पाया कि जहाँ शटडाउन किया जाता है, वहाँ दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रत्येक सर्किल क्षेत्र में प्रति घंटे 24.5 मिलियन रुपये का नुकसान होता है।
  - **मौलिक अधिकार:** अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा इंटरनेट शटडाउन भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार, व्यापार संचालन और राज्य में लोगों की आवाजाही को प्रभावित करता है।
  - **डिजिटल इंडिया के विरुद्ध:** सरकार के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के बावजूद बार-बार इंटरनेट बंद होने से डिजिटल भुगतान,विशेषकर,सड़क विक्रेताओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
  - **गोपनीयता को खतरा:** लोग अविश्वसनीय VPNs के माध्यम से प्रतिबंधों को दूर करने का प्रयास करते हैं जो उनकी गोपनीयता को खतरे में डालते हैं।
  - **सामाजिक व्यवधान:** संचार के लिए इंटरनेट लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है और इंटरनेट बंद होने से लोगों की सूचना साझा करने और सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने की क्षमता प्रभावित होती है।
  - **राजनीतिक पारदर्शिता में बाधा:** इंटरनेट शटडाउन उन डिजिटल उपकरणों तक पहुँच को कमजोर या समाप्त कर देता है जो चुनाव प्रचार, सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देने आदि के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

इंटरनेट शटडाउन से जुड़ी चिंताएँ

- **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति:** समिति ने इंटरनेट शटडाउन के वर्ष 2017 के नियमों पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ की है:
  - **अपर्याप्त नियम:** इंटरनेट शटडाउन हटाने के लिए कोई उचित प्रक्रिया नहीं है।
  - **अपरिभाषित आधार:** वर्ष 1885 के अधिनियम या 2017 के नियमों दोनों ने इंटरनेट शटडाउन के दो आधारों को परिभाषित नहीं किया है, अर्थात, 'सार्वजनिक आपातकाल' और 'सार्वजनिक सुरक्षा', जो जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिपरक मूल्यांकन पर निर्भर करती है।
  - **अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग:** परीक्षाओं में नकल रोकने से लेकर स्थानीय अपराध को कम करने तक, नियमित पुलिसिंग और यहाँ तक कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए शटडाउन का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया गया है।
  - **इंटरनेट शटडाउन का कोई रिकॉर्ड नहीं:** गृह मंत्रालय या दूरसंचार विभाग के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने राज्यों ने इंटरनेट निलंबन के आदेश जारी किए हैं, जिसमें उनका विवरण, कारण आदि शामिल हैं।
  - **धारा 144 का उपयोग:** निलंबन नियम, 2017 के तहत शटडाउन का आदेश देने के विपरीत, राज्य सीआरपीसी(CrPC) की धारा 144 के तहत शटडाउन का आदेश दे रहे हैं। हालाँकि, धारा 144 के तहत इंटरनेट शटडाउन को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है।
  - **मौलिक अधिकारों का प्रभावित होना:** अधिकांश भारतीय दैनिक गतिविधियों के लिए अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट का उपयोग करते हैं, और इंटरनेट के निलंबन से अनुच्छेद 19(1) (g) के तहत उनके मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है।
  - **मनमानी कार्रवाई और गैर-अनुपालन:** सरकार इंटरनेट बंद करने के आदेशों को सार्वजनिक नहीं करती है, जैसा कि अनुराधा भसीन निर्णय में अपेक्षित है।
  - **सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों की समझ का अभाव:** सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णयों का अनुपालन न करने से केंद्र और राज्य सरकार के कार्मिकों में जागरूकता की कमी परिलक्षित होती है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:**
  - अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट निलंबन आदेशों की वैधता और उनकी आवधिक समीक्षा का परीक्षण करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए है। न्यायालय ने आदेश दिया कि:
  - दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सेवा) नियम, 2017 के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश अस्वीकार्य है।
  - निलंबन का उपयोग केवल अस्थायी अवधि के लिए किया जा सकता है।

- निलंबन नियमों के तहत जारी किए गए इंटरनेट को निलंबित करने वाले किसी भी आदेश को आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और आवश्यक अवधि से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
- निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

- **अपवाद:**
  - इंटरनेट को केवल उन असाधारण स्थितियों में निलंबित किया जाएगा, जहाँ सार्वजनिक आपातकाल हो या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो तथा इंटरनेट तक पहुँच को प्रतिबंधित करने के लिए विधायी रूप से अनिवार्य पूर्वापेक्षाएँ हों।
- **निर्णयों का पालन न किया जाना:**
  - निर्णय के अगले वर्ष भारत में इंटरनेट बंद करने की घटनाएँ पिछले वर्ष की तुलना में अधिक देखी गईं।
  - भारत में इंटरनेट प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को हुए कुल नुकसान में 70% से अधिक की हानि हुई तथा भारत का वैश्विक स्तर पर इंटरनेट शटडाउन के कारण नकारात्मक छवि बनी है।

उपायों को लागू किया जाना आवश्यक है

- **संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें:**
  - दूरसंचार विभाग गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करके इंटरनेट शटडाउन हटाने के लिए आनुपातिकता और प्रक्रिया के स्पष्ट सिद्धांत निर्धारित करेगा।
  - राज्यों द्वारा किए गए सभी इंटरनेट शटडाउन का केंद्रीकृत डाटाबेस दूरसंचार विभाग या गृह मंत्रालय द्वारा बनाए रखा जा सकता है।
  - दूरसंचार निलंबन नियम, 2017 के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के आदेश की समीक्षा करने वाली समीक्षा समिति का विस्तार।
  - भारत सरकार द्वारा इंटरनेट शटडाउन के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अध्ययन करना।
  - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को औपचारिक मान्यता की आवश्यकता होती है।
  - इससे अनुपालन सुनिश्चित होगा तथा नागरिकों के अधिकारों और आजीविका को प्रभावित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।
  - 'विश्व की इंटरनेट शटडाउन राजधानी' के लेबल से बचने के लिए प्रशासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।
  - **चयनात्मक प्रतिबन्ध:** संपूर्ण इंटरनेट शटडाउन के स्थान पर, कुछ वेबसाइटों, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है ताकि अन्य इंटरनेट सेवाओं तक पहुँच की अनुमति मिल सके।
  - **इंटरनेट कंपनियों की भूमिका:** इंटरनेट कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने तथा फर्जी खबरों आदि को रोकने के लिए सरकार के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।
  - **डिजिटल साक्षरता:** डिजिटल साक्षरता में सुधार से इंटरनेट के लाभकारी उपयोग को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वयं भी फर्जी समाचारों, गलत सूचनाओं आदि के प्रसार की रोकथाम में भाग लेते हैं।

विश्व में "इंटरनेट शटडाउन की राजधानी" के टैग से छुटकारा पाने और डिजिटल इंडिया की क्षमता को पूरा करने के लिए कार्यकारी सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अधिक ईमानदारी से अनुपालन आवश्यक है।

डिजिटल इंडिया पहल

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए वर्ष 2015 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इस व्यापक कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को कम करने, डिजिटल सेवाओं तक पहुँच में सुधार और पूरे देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है।

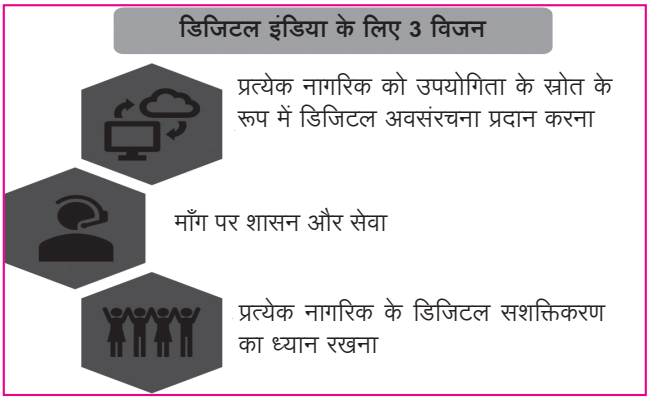

डिजिटल इंडिया मिशन के उद्देश्य

- **नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण:** सभी नागरिकों को अनेक भारतीय भाषाओं में सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध डिजिटल संसाधन और सेवाएँ प्रदान करना। सहयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरूआत, सभी कागजात और प्रमाणपत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता और सभी अधिकारों की क्लाउड उपलब्धता।
- **कुशल शासन प्रदान करना:** ऑनलाइन और मोबाइल दोनों प्लेटफार्मों पर नागरिकों को वास्तविक-समय की सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभागों और अधिकार क्षेत्रों में प्रक्रियाओं और सूचनाओं को निर्बाध रूप से एकीकृत करना:
  - व्यावसायिक प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना।
  - डिजिटल रूप से सक्षम नकदी रहित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।
  - नागरिकों की आसान पहुँच के लिए क्लाउड-आधारित भण्डार निर्माण, साथ ही GIS का उपयोग करके बेहतर नीति निर्माण और निर्णय लेना।

डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभ

ब्रॉडबैंड राजमार्ग	मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुँच	ई-गवर्नेंस: सरकार में प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुधार
ई-क्रांति - सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण	नौकरियों के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी	सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम
सभी के लिए सूचना	अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम	**इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण**

डिजिटल इंडिया मिशन की उपलब्धियां

- **डिजिटल कनेक्टिविटी:** भारतनेट कार्यक्रम द्वारा 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।
- **कॉमन सर्विस सेंटर(CSCs):** CSCs ने सरकारी सेवाओं तक पहुँच में सुधार किया है। देश भर में 5.2 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर कार्यरत हैं (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर), जिनमें से 4.14 लाख ग्राम पंचायत स्तर पर हैं।

AADHAAR

आधार के विषय में: आधार संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारत के निवासियों को जारी किया गया एक 12 अंकों का यादृच्छिक नंबर है।

स्वैच्छिक नामांकन: कोई भी व्यक्ति, उम्र और लिंग की परवाह किए बिना, जो भारत का निवासी है, नामांकन कर सकता है।

वर्चुअल आईडी(VID): वीआईडी आधार से जुड़ा एक अस्थायी, प्रतिसंहरणीय (Revocable) 16-अंकीय नंबर है, जो ई-केवाईसी सेवाओं के प्रमाणीकरण के लिए उपयोगी है।

- **विशिष्ट पहचान:** आधार डिजिटल इंडिया की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जो 99% भारतीय आबादी को कवर करता है, जिससे उनकी सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुँच सुनिश्चित होती है।
- **डिजिलॉकर:** इसके 13.7 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं और 2311 जारीकर्ता संगठनों से 562 करोड़ से अधिक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं।
- **उमंग:** यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू –ऐज गवर्नेंस (उमंग), मोबाइल के माध्यम से नागरिकों को 1,668 से अधिक ई-सेवाएँ और 20,197 से अधिक बिल भुगतान सेवाएँ प्रदान कर रहा है।
- **MyGov:** 2.76 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता इस नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म के साथ पंजीकृत हैं और इसके अंतर्गत आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।
- **डिजिटल विलेज:** डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट के तहत, 700 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, सेवा, वित्तीय सेवा आदि जैसी डिजिटल सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।
- **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** इसके तहत, संस्थानों के लिए 1,752 हाई-स्पीड डेटा संचार नेटवर्क लिंक को शुरू किया गया है।
- UPI: इस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के तहत, 376 बैंकों को शामिल किया गया है। 11.9 लाख करोड़ रुपये के 730 करोड़ लेन-देन की सुविधा प्रदान की गई है।
- इसके अलावा, डिजिटल इंडिया मिशन ने देश के दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया है, डिजिटल क्षेत्र में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा दिया है, साथ ही साइबर सुरक्षा बुनियादी ढाँचे और जागरूकता को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

आधार की उपयोगिता

सुशासन को बढ़ावा देना

- नकली और फर्जी पहचान को रोककर पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देता है।
- 31 जुलाई, 2023 तक, 765.30 मिलियन भारतीयों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खादान्न प्राप्त करने के लिए आधार को राशन कार्ड से जोड़ा था।
- 280 मिलियन से अधिक लोगों ने 'पहल' (PAHAL) के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार को रसोई गैस कनेक्शन से जोड़ा।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा

- आधार का उपयोग स्थायी वित्तीय पते के रूप में किया जा सकता है और यह समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करता है।
- **उदाहरण के लिए:** जन धन खाता-आधार-मोबाइल" (JAM) त्रयी ने गरीबों के लिए उनके बैंक खाते में जन कल्याण सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्राप्त करना आसान बना दिया है।

'डिजिटल इंडिया' का प्रमुख स्तंभ

आधार पहचान प्लेटफार्म 'डिजिटल इंडिया' के प्रमुख स्तंभों में से एक है, जिससे देश के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण

यह नागरिकों के बैंक खातों में सीधे सुरक्षित और कम लागत वाले लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।

स्व-सेवा

आधार का उपयोग करके लोग सूचना, सेवाओं तक पहुँच तथा शिकायतों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

पोर्टेबिलिटी

एक सार्वभौमिक संख्या के रूप में, आधार देश में कहीं से भी प्रमाणीकरण सेवाओं की अनुमति देता है।

डिजिटल संप्रभुता

- किसी राज्य को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अपने नेटवर्क का प्रबंधन करने के अधिकार के रूप में जाना जाता है जिनमें सबसे आवश्यक हैं सुरक्षा, गोपनीयता और वाणिज्य, डिजिटल संप्रभुता।
- यह किसी व्यक्ति के अपने डिजिटल गरिमा को नियंत्रण करने की शक्ति है, जिसमें डेटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल है जिसका उपयोग और उत्पादन किया जाता है।

डिजिटल संप्रभुता का महत्त्व

- **तकनीकी निर्भरता समाप्त करना:** विदेशी डेटा अवसंरचना पर निर्भरता को पहचानना और कम करना, डिजिटल बाजारों में अनुचित प्रतिस्पर्धा समाप्त करना, और 5जी और AI जैसी आगामी प्रौद्योगिकियों से संबंधित कमजोरियों का समाधान करना।
- **गारंटीकृत डेटा पहुँच:** राष्ट्रीय राजनीतिक स्वायत्तता, वाणिज्यिक नवाचार और अनुसंधान संस्थान की स्वतंत्रता के लिए डिजिटल संप्रभुता भी आवश्यक है क्योंकि उचित प्रौद्योगिकी और डेटा को गारंटीकृत पहुँच के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- **आंतरिक सुरक्षा और देश की एकता:** व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण और संभावित आदान-प्रदान के संबंध में एक बड़ा डर यह है कि इसका उपयोग किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।
- **डिजिटल उपनिवेशवाद:** संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के प्रौद्योगिकी निगमों का बाजार पर प्रभुत्व माना जा सकता है, जिससे आधिपत्य और शोषण के नए रूप सामने आ सकते हैं।

डिजिटल संप्रभुता की चुनौतियाँ

- **व्यापारिक व्यवधान:** पारंपरिक सीमाओं के बिना जुड़ी हुई दुनिया में प्रतिस्पर्द्धा करना आसान हो गया है तथा यह तेजी से बढ़ रहा है, और इंटरनेट की व्यापकता,अब हमारे कार्य करने, रहने और गतिविधियों को प्रभावित करती हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में वृद्धि:** राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर, स्थिर दायित्वों की जटिलता और नेटवर्क की वैश्विक पहुँच को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जा सकता है।
- **उदार लोकतंत्र के विरुद्ध:** जो उदार लोकतंत्र का विरोध करते हैं तथा जिनमें निगरानी, सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण शामिल हैं, को डेटा स्थानीयकरण विधियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

आगे की राह

- विदेशी प्रौद्योगिकियों और डिजिटल सेवाओं पर देश की निर्भरता, साथ ही इसकी कमियों की पहचान करना, डिजिटल संप्रभुता में सुधार के लिए आवश्यक क्षमताओं को रेखांकित करने की दिशा में पहला कदम है।
- एक महत्त्वाकांक्षी डेटा रणनीति को लागू करना तथा अनुसंधान और विकास के साथ-साथ कार्यबल के लिए डिजिटल कौशल में निवेश बढ़ाना, ताकि अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग किया जा सके और डिजिटल एकल बाजार संबंधित बाधाओं को दूर किया जा सके।
- वैश्विक डेटा प्रशासन, डिजिटल बाजारों, उभरती प्रौद्योगिकियों और अंतरराष्ट्रीय डेटा प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग में संलग्न होना।
- सीमापार कनेक्टिविटी के लिए संप्रभु प्रतिक्रिया के रूप में, सरकारें डेटा स्थानीयकरण को लागू कर रही हैं, जिसके तहत निगमों को डिजिटल डेटा को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रखना आवश्यक है।

स्वतंत्र दुनिया में कोई भी देश या निगम विश्वसनीय रूप से दूसरों को डिजिटल निवारण सबंधी उचित सलाह नहीं दे सकता है। लोकतांत्रिक शक्तियों को डिजिटल विश्व के प्रबंधन के लिए नए मानदंड विकसित करने में एक-दूसरे से परामर्श करने और सहयोग करने की आवश्यकता है।

डेटा अस्वीकार्यता (Data Deniability) का प्रतिकूल प्रभाव

डेटा अस्वीकार्यता से तात्पर्य **सरकार, संगठनों आदि के प्रदर्शन के बारे में ऐसे डेटा तक पहुँच से इनकार करना है** जो कार्यक्रमों, अर्थव्यवस्था की स्थिति आदि का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है।

डेटा अस्वीकार्यता के लक्षण

- **जिम्मेदारी से बचना:** सरकारें और संगठन अक्सर अपने प्रदर्शन के बारे में किसी भी प्रतिकूल डेटा के सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकने के लिए डेटा प्रदान करने से इनकार कर देते हैं। उदाहरण के लिए कई कंपनियाँ डेटा लीक के बारे में जानकारी छिपाती हैं।
- **चुनाव:** चुनाव आमतौर पर वह समय होता है जब सरकारें चुनावी नुकसान को रोकने के लिए डेटा छिपाने की कोशिश करती हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2019 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) डेटा का खुलासा न करना।
- **आँकड़ों की अपूर्णता:** कभी-कभी आँकड़े व्यापक, पूर्ण नहीं होते हैं और उनमें सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए पद्धतिगत शुद्धता का अभाव होता है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2011 की जाति जनगणना के आँकड़े "अनुपयोगी" हैं।

डेटा की कमी के प्रतिकूल प्रभाव

- सटीक आँकड़ों के अभाव के कारण विशेषज्ञ भारत के हितों को प्रभावित करने वाले विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने में असमर्थ रहते हैं।
- सरकार की ओर से डेटा को जारी न करने से सत्ता का एकीकरण और सरकारी शक्ति का दुरुपयोग होता है।
- सरकार की सफलता की कहानियों के बारे में भ्रामक राजनीतिक विवरण प्रस्तुत करता है, जो मतदाताओं के चुनावी निर्णयों को प्रभावित करता है।
- सरकार जवाबदेही और जिम्मेदारियों से बच जाती है।
- **नीति और शासन पर प्रभाव:** भ्रामक आँकड़े जमीनी स्तर पर नीति और शासन को कमजोर बना देते हैं।
- **नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव:** राज्य और नागरिकों के बीच बढ़ते ज्ञान के अंतर का नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है।
- डेटा अस्वीकार्यता से निवेशकों का सरकार और संगठनों पर विश्वास कम हो जाता है।

आगे की राह:

- **दीर्घकालिक प्रभाव को समझना:** सरकारों और संगठनों को अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देने के बजाय डेटा अस्वीकार्यता के दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव को समझना चाहिए।
- **डेटा संगठनों की स्वतंत्रता:** डेटा संग्रह संगठनों जैसे NSO आदि को उनके काम में हस्तक्षेप को रोकने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।
- **वैधानिक ढाँचा:** डेटा एकत्र करने वाले संगठनों को संसद के प्रति जवाबदेही के साथ वैधानिक समर्थन दिया जाना चाहिए।
- **एकीकृत ढाँचा:** डेटा संग्रह को AI, बिग डेटा आदि के उपयोग के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए बैंकिंग नेटवर्क के साथ GSTN का एकीकरण।
- **डेटा का गतिशील संग्रह:** जन्म दर आदि के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए अस्पतालों जैसे सार्वजनिक सेवा वितरण बिंदुओं के डिजिटलीकरण के साथ डेटा संग्रह को गतिशील बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

सरकारों को नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता और लोक सेवकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण को प्राथमिकता देकर ई-गवर्नेंस में सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधित विशेषज्ञता की कमी को दूर करने की आवश्यकता है। शिक्षण और प्रशिक्षण में निवेश से डिजिटल विभाजन को समाप्त करने और डिजिटल प्रशासन में अधिक व्यापक भागीदारी को सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, विकसित हो रहे ई-गवर्नेंस के साथ बने रहने के लिए, नागरिक डेटा की सुरक्षा करना और मजबूत साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी के माध्यम से प्रणाली की अखंडता को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। सक्षम, उत्तरदायी और समावेशी शासन प्रणाली विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए ये कदम महत्त्वपूर्ण हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न

- अभिशासन के एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्तताएँ इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं? **(2023)**
- क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से, डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) की अल्प-उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिए। **(2021)**
- "सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गये हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गम्भीर प्रभाव डालेंगे"। विवेचना कीजिए। **(2020)**
- "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेन्स को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है"। विवेचना कीजिए। **(2020)**
- सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यन्वयन आमतौर पर कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए। **(2019)**
- ई-शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के 'उपयोग मूल्य' के क्रांतिक महत्त्व के बारे में है। स्पष्ट कीजिए। **(2018)**
- नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परन्तु इसकी अपनी परिसीमाएँ हैं। परिसीमाओं की पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायों का सुझाव दीजिए। **(2018)**
- जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका पर विवेचना कीजिए। **(2017)**
- "विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन-सहभागिता अन्योन्याश्रित होती है।" भारत के सन्दर्भ में इनके बीच संबंध पर चर्चा कीजिए **(2016)**
- "ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल" के ईमानदारी सूचकांक में, भारत काफी नीचे के पायदान पर है। संक्षेप में उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए, जिनके कारण भारत में सार्वजानिक नैतिकता का ह्रास हुआ है। **(2016)**
- पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सत्यम घोटाले (2009) के बाद कॉर्पोरेट प्रशासन में लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। **(2015)**
- "यदि संसद में पटल पर रखे गए व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 के संशोधन बिल को पारित कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई बचे ही नहीं।' समालोचना पूर्वक मूल्यांकन कीजिए। **(2015)**
- सार्वजनिक सेवा वितरण संगठनों द्वारा नागरिक चार्टर के निर्माण और नागरिकों की संतुष्टि के स्तर और प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता के बीच अंतर का विश्लेषण कीजिए। **(2013)**
- सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं को हल करने में राष्ट्रीय लोकपाल की सीमाओं पर चर्चा कीजिए। **(2013)**

5 सामाजिक एवं आर्थिक अभिशासन

अर्थ

प्रशासनिक और संस्थागत गुणवत्ता, आर्थिक प्रदर्शन का आधार है और सफल आर्थिक प्रदर्शन श्रेष्ठ सामाजिक विकास का कारक बन सकता है। इस संदर्भ में भारत में सामाजिक और आर्थिक शासन में नीतियों एवं रूपरेखाओं की एक शृंखला शामिल है, जिसका उद्देश्य भारत की जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं पर ध्यान देना विकास को बढ़ावा देना और संसाधनों एवं अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है।

सकारात्मक कार्रवाई और उनका प्रभाव

भारत में सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का उद्देश्य; ऐतिहासिक भेदभाव को संबोधित करना और लिंग, नस्ल, जातीयता और अन्य कारकों के आधार पर ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए अवसरों में वृद्धि कर विभिन्न क्षेत्रों में विविधता को बढ़ाना है। ये नीतियाँ अधिमान्य उपचार के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

- **शिक्षा:** अनुसूचित जातियों के लिए कक्षा 10वीं के बाद (Post-Matric) और कक्षा 10 वीं के पूर्व (Pre-Matric) छात्रवृत्ति योजनाओं और राष्ट्रीय फेलोशिप योजना जैसी पहलों ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों हेतु शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में उल्लेखनीय सुधार किया है साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक लाभों तक पहुँच बढ़ाई है।
- **रोजगार:** सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित कोटा, विशेष भर्ती अभियानों एवं पदोन्नतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करता है और साथ ही समान अवसर प्रदान करता है।
- **कानूनी सुरक्षा:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 जैसे कानून भेदभाव और हिंसा से रक्षा करते हैं, जिससे कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुँच में सुधार होता है।
- **कल्याण कार्यक्रम:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी पहलों ने सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार किया है, वर्ष 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 118.63 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी दी गई है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं के लिए विधायी निकायों में सीटें आरक्षित करना, जिसमें हालिया 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 भी शामिल है, जो कि महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है एवं व्यापक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

विकास के लिए सरकारी पहलें

मनरेगा (MGNREGA) : ग्रामीण रोजगार का सशक्तीकरण

- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है।

आजीविका (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - NRLM)

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), जिसे शुरू में वर्ष 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के रूप में लॉन्च किया गया था और वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) में पुनर्गठित किया गया, का उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी के अवसरों तक पहुँच में सुधार करके गरीबी को कम करना है। अब इसे "आजीविका" के नाम से जाना जाता है, यह 'आवंटन-आधारित' के बजाय 'माँग-संचालित' रणनीति पर कार्य करता है, जो राज्यों को आजीविका पर केंद्रित अपनी गरीबी उन्मूलन योजनाएँ विकसित करने के लिए सशक्त बनाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

- जनवरी, 1996 में शुरू की गई इंदिरा आवास योजना (IAY) का उद्देश्य ग्रामीण आवास आवश्यकताओं को पूरा करना था। हालाँकि, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा वर्ष 2014 में योजना के प्रदर्शन ऑडिट में कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया जैसे कि मकानों की कमी का आकलन नहीं किया जाना, लाभार्थी चयन में पारदर्शिता की कमी, आवासों की निम्न गुणवत्ता, अपर्याप्त तकनीकी पर्यवेक्षण, तालमेल में कमी, लाभार्थियों द्वारा कम ऋण ग्रहण और अपर्याप्त निगरानी। इन चुनौतियों से पार पाने और वर्ष 2024 तक सरकार के "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, IAY को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में पुनर्गठित किया गया, जिसमें वर्तमान में दो खंड शामिल हैं: प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) और प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G)।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U):** जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U), भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम रहा है, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
  - इसका उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध कराना है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U), जनगणना 2011 के अनुसार वैधानिक कस्बों और अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्रों सहित सभी शहरी क्षेत्रों को शामिल करता है और चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से संचालित होता है:

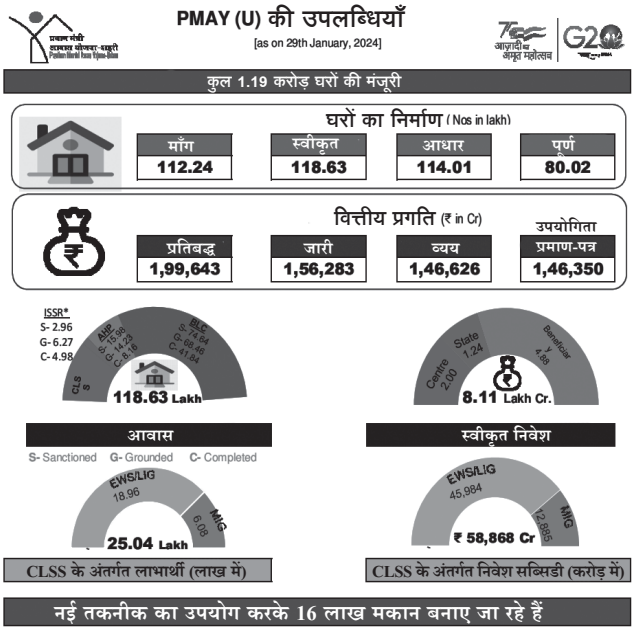

  - लाभार्थी आधारित निर्माण/संवर्द्धन (Beneficiary Led Construction/Enhancement-BLC),
  - सहभागिता में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership-AHP)
  - स्व-स्थाने झुग्गी झोपड़ी पुनर्विकास (In-situ Slum Redevelopment-ISSR)
  - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme-CLSS)।
- **अगस्त, 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल** ने पहले से स्वीकृत आवासों को 31 मार्च, 2022 तक पूरा करने के लिए, CLSS को छोड़कर, **प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) को दिसंबर, 2024** तक बढ़ा दिया।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G): 1 अप्रैल, 2016** को लॉन्च, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) केंद्र सरकार की प्राथमिक ग्रामीण आवास पहल है, जिसकी देखरेख **ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development-MoRD)** करता है और **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) द्वारा कार्यान्वित** की जाती है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना:** ग्रामीण (PMAY-G) का लक्ष्य उन परिवारों को आवश्यक सुविधाओं के साथ टिकाऊ आवास प्रदान करना है जिनके पास घर नहीं हैं या जो अपर्याप्त कच्चे या जीर्ण-शीर्ण आवासों में रह रहे हैं।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना:** ग्रामीण (PMAY-G) को अतिरिक्त दो वर्षों के लिए **31 मार्च, 2024** तक बढ़ा दिया गया है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान या अंतरिम बजट में घोषणा की कि अगले पाँच वर्षों में **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत दो करोड़ और आवासों का निर्माण किया जाएगा।**
- फरवरी, 2024 तक **लक्षित 2.95 करोड़ में से 2.56 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं।**
- लाभार्थियों की पहचान **सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (Socio-Economic and Caste Census: SECC) के मापदंडों के आधार पर की जाती है और उन्हें ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है।**

भारतमाला परियोजना

- **परिचय:** भारतमाला परियोजना एक केंद्रीय वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग विकास परियोजना है जिसे पूरे भारत में 2 चरणों में परिकल्पित किया गया है।
  - **उद्देश्य:** सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क कनेक्टिविटी का विकास, तटीय सड़कों और प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों की बंदरगाह कनेक्टिविटी विकसित करना, राष्ट्रीय गलियारों (कॉरिडोर) की दक्षता में सुधार, सागरमाला परियोजना के साथ एकीकरण के साथ-साथ आर्थिक गलियारों, एक्सप्रेस-वे, इंटर कॉरिडोर और फीडर मार्गों का विकास करना।
  - **चरण-I:** इसमें आर्थिक गलियारे, फीडर सड़कें और एक्सप्रेस वे विकसित करना शामिल है। यह कुल लंबाई 74,942 किमी में से 34,800 किमी को कवर करता है।
- **नोडल मंत्रालय:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- **कार्यान्वयन एजेंसियाँ:** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढाँचा विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) और राज्य लोक निर्माण विभाग।
- **वित्तीयन तंत्र:** परियोजना को पेट्रोल और डीजल से एकत्र किए गए उपकर (केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार); पथकर (टोल टैक्स); T-O-T (टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों का मुद्रीकरण; आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (IEBR); और निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

- भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल हैं, जो राज्य को उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी उपायों को लागू करने का आदेश देते हैं।
- विशेष रूप से, अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।
- इन सिद्धांतों के अनुरूप, भारत सरकार ने वर्ष 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) शुरू किया।
- वर्तमान में, NSAP में निम्नलिखित पाँच योजनाएँ शामिल हैं:
  - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme-IGNOAPS):** यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन व्यापन करने वाले व्यक्तियों को 200 रुपये प्रतिमाह की पेंशन 79 वें वर्ष तक और उसके बाद 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्रदान करती है।

- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme-IGNWPS):** 40-59 वर्ष की गरीबी रेखा के नीचे (BPL) की विधवाएँ 200/-रुपये की मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme-IGNDPS):** गंभीर और एकाधिक विकलांगता वाले 18-59 वर्ष की आयु के गरीबी रेखा के नीचे (BPL) के व्यक्तियों को 200/- रुपये की मासिक पेंशन मिलती है।
- **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme-NFBS):** 18 से 64 वर्ष की आयु के बीच कमाने वाले प्राथमिक व्यक्ति की मृत्यु होने पर गरीबी रेखा के नीचे (BPL) के परिवारों को 10,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्राप्त होती है।
- **अन्नपूर्णा योजना:** पात्र वरिष्ठ नागरिक जो NOAPS के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें इस योजना के तहत प्रतिमाह 10 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न मिलता है।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernization Programme-DILRMP)

- देश की भूमि अभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण में वृद्धि के लिए, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नामक एक संशोधित पहल तैयार की गई है, जिसे पहले **राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (National Land Records Modernization Programme-NLRMP)** के नाम से जाना जाता था।
- यह संशोधित कार्यक्रम दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जोड़ता है: **भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (Computerization of Land Records-CLR) और राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण और भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण (Strengthening of Revenue Administration and Updating of Land Records-SRA&ULR)।**
- NLRMP भूमि अभिलेखों को डिजिटल बनाने, भूमि पंजीकरण प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करने, भू-आकारीय मानचित्रों को अद्यतन करने और **भूमि से संबंधित सेवाओं के लिए ऑनलाइन तंत्र स्थापित करने पर केंद्रित है।**
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर, NLRMP का लक्ष्य भूमि प्रशासन में सुधार करना, भूमि स्वामित्व सुरक्षा में वृद्धि, **भूमि लेन-देन को सुविधाजनक बनाना और भूमि स्वामित्व एवं उपयोग से संबंधित विवादों को रोकना है।**

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)/ संपूर्ण स्वच्छता अभियान (Total Sanitation Campaign-TSC)

- वर्ष 2014 में, निर्मल भारत अभियान (NBA) योजना को बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर स्वच्छ भारत योजना को नया रूप दिया गया। इस योजना का लक्ष्य भारत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाना था और महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए 2 अक्टूबर, 2019 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प किया गया ।
- इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ, जिससे स्वच्छता का दायरा वर्ष 2014 के 39% से बढ़कर वर्ष 2019 में 100% हो गया, जिसमें लगभग 6 लाख गाँवों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित कर दिया।
- मिशन के शहरी घटक को अब स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) के माध्यम से 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसका लक्ष्य सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाना और विरासत में मिले कूड़ेदानों का निवारण करना है।
- अध्ययनों से पता चलता है कि स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) अभियान का आर्थिक, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से महिलाओं को लाभ हुआ, और इसके कारण SDG 6.2 (स्वच्छता और शुद्धता) को भी समय से 11 वर्ष पहले पूरा कर लिया गया।
- फरवरी, 2020 में भारत सरकार ने SBM-G के द्वितीय चरण को मंजूरी दी, जिसका कुल बजट 1,40,881 करोड़ रुपये था। इसका लक्ष्य ODF स्थिति को बनाए रखना और गाँवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid and Liquid Waste Management-SLWM) को लागू कर वर्ष 2024-25 तक ODF+ की स्थिति हासिल करना है।
- सामुदायिक भागीदारी इन प्रयासों की सफलता के लिए अभिन्न अंग बनी हुई है।
  - स्वच्छता ही सेवा- 2023 अभियान के दौरान, 109 करोड़ से अधिक व्यक्तियों और भारत सरकार के 71 मंत्रालयों और विभागों ने सहभागिता की, जो स्वच्छता और शुद्धता के लिए व्यापक जुड़ाव और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme MPLADS)

- संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी।
- यह पहल संसद सदस्यों को एक मंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी ताकि स्थानीय स्तर पर पहचानी गई आवश्यकताओं के लिए विकासात्मक परियोजनाओं का सुझाव दिया जा सके, साथ ही 'स्थायी सामुदायिक संपत्तियों की स्थापना' और 'सामुदायिक बुनियादी ढाँचे जैसी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने' के उद्देश्य पूर्ण हो सकें।
- प्रत्येक संसद सदस्य (सांसद) को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में, जिलाधिकारी को सुझाए अनुसार किए जाने वाले कार्यों के लिए वार्षिक 5 करोड़ रुपये के कार्यों का प्रस्ताव करने का अधिकार है।

स्मार्ट सिटी मिशन

- 25 जून, 2015 को उद्घाटन किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों का निर्माण करना है जो नवाचारी समाधानों के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने निवासियों को आवश्यक बुनियादी ढाँचे, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण तथा जीवन की उच्च गुणवत्ता प्रदान करते हैं।
- प्रारंभ में वर्ष 2020 तक मिशन को पूर्ण करने की योजना बनाई गई थी, इसके बाद मिशन को दो बार सीमा विस्तार दिया गया तथा मिशन पूर्ण करने की वर्तमान समय-सीमा जून, 2024 निर्धारित की गई।
- मिशन सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत विकास सहित शहर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास करता है।

- इसका जोर मापन योग्य मॉडल स्थापित करके सतत् और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर है जो अन्य महत्त्वाकांक्षी शहरों के लिए मार्गदर्शक उदाहरण के रूप में कार्य कर सकता है।
  - प्रतिस्पर्द्धी द्वि-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से, स्मार्ट शहरों में परिवर्तन के लिए 100 शहरों को चुना गया है।
  - मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्य करता है।
  - इन परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण विभिन्न स्रोतों से आने का अनुमान है, जिसमें 45% मिशन अनुदान से, 21% अभिसरण से, 21% सार्वजानिक -निजी सहभागिता से और शेष अन्य माध्यमों से आएगा।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधि - PM SVANidhi)

- **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA)** ने 1 जून, 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधि) योजना शुरू की।
- **प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधि),** एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित सड़क विक्रेताओं को संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करना है, जिससे उनके व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सुविधा हो सके।
- योजना के उद्देश्यों में शामिल हैं:
  - एक वर्ष के लिए **₹10,000** तक एवं **समय पर पुनर्भुगतान पर बाद की किस्तों में ₹20,000 और ₹50,000 की बढ़ी हुई राशि के साथ** संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूँजी ऋण की पेशकश।
  - नियमित भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 7% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करना।
  - प्रतिवर्ष ₹1,200 तक के कैशबैक पुरस्कार के साथ डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करना।

स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम

- चरण 1 के दौरान 4 जनवरी, 2021 को 125 शहरों में लॉन्च किया गया।
- उद्देश्य
  - PM स्वनिधि लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल का मानचित्रण।
  - विभिन्न केंद्रीय कल्याण योजनाओं के लिए उनकी संभावित पात्रता का मूल्याँकन करना और इन योजनाओं तक उनकी पहुँच को सुविधाजनक बनाना।
  - भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) कार्यक्रम के लिए, 'कार्यान्वयन भागीदार' के रूप में कार्य करती है।

जल जीवन मिशन (JJM)

- कार्यक्रम का नेतृत्व **जल शक्ति मंत्रालय,** राज्य सरकार के सहयोग से कर रहा है।
- **जल जीवन मिशन (JJM)** का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि **वर्ष 2024 तक** भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो।
- **प्रमुख विशेषताएँ**
  - **'बस्तियों से घरों तक'** जलापूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - सार्वजनिक उपयोगिताओं की **'सेवा वितरण' और 'कार्यक्षमता'** पर जोर देता है।
  - दीर्घकालिक स्थिरता के लिए **सामुदायिक स्वामित्व** को बढ़ावा देता है।
  - जल आपूर्ति के प्रबंधन में **महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना।**
  - स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और आश्रम शालाओं में **पाइप से जल की आपूर्ति** सुनिश्चित करता है।
  - यह मिशन गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में पीने योग्य जल की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  - इसमें स्थानीय समुदाय द्वारा **जल की गुणवत्ता की निगरानी** शामिल है, जिसमें विशेष रूप से महिलाएँ शामिल हैं।

समर्थ (कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना) योजना Scheme For Capacity Building in the Textile Sector (SCBTS)

- समर्थ कपड़ा मंत्रालय के तहत एक रोजगार प्रदानकर्ता-उन्मुख कौशल कार्यक्रम है, जो 31 मार्च, 2025 तक संचालित होगा।
- यह **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** की व्यापक कौशल नीति के अनुरूप है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण मूल्य शृंखला को शामिल करते हुए संगठित कपड़ा क्षेत्र के भीतर रोजगार सृजन करने में उद्योग के प्रयासों को पूरक बनाना है।
- समर्थ में **आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (Aadhaar Enabled Biometric Attendance System-AEBAS), प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainers-ToT), प्रशिक्षण सत्रों की CCTV रिकॉर्डिंग, एक हेल्पलाइन नंबर के साथ एक समर्पित कॉल सेंटर, एक मोबाइल ऐप, एक वेब-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System-MIS) और प्रशिक्षण प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएँ शामिल हैं।**

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises-CGTMSE)

- यह योजना औपचारिक रूप से वर्ष **2000** में **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और सिडबी (SIDBI)** द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट **(CGTMSE)** की स्थापना के माध्यम से शुरू की गई थी। CGTMSE के कोष में भारत सरकार और सिडबी द्वारा 4:1 के अनुपात में योगदान किया जाता है।
- पात्रता मानदंड में विनिर्माण, सेवाओं (व्यापार सहित) और शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थानों में लगे **वर्तमान और नवीन दोनों उद्यम** शामिल हैं, जबकि **स्वयं सहायता समूह (SHGs) और कृषि योजना के लिए अपात्र हैं।**
- **ऋण देने वाले संस्थान:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, चयनित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs), लघु वित्त बैंक (SFB), अनुसूचित शहरी सहकारी और सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI), योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना Faster Adoption and Manufacturing of Electric (and Hybrid) Vehicles in India (FAME INDIA)

- यह पहल वर्ष 2013 में शुरू किए गए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) के हिस्से के रूप में वर्ष 2015 में शुरू की गई थी।
- भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत, इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2020 से वार्षिक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री हासिल करना है।
- FAME योजना के कार्यान्वयन में कई घटक शामिल हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों की माँग को प्रोत्साहन, चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और योजना का प्रशासन शामिल है।
- भारी उद्योग मंत्रालय ने कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम, चरण-II (फेम इंडिया चरण-II) तैयार की है। इस चरण में मुख्यतः सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण हेतु सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य माँग प्रोत्साहन के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया, 55000 ई-चौपहिया यात्री कार और 10 लाख ई-दुपहिया के ख़रीदारों को सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना सृजन के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है।

उड़े देश का आम नागरिक (UDAN)

- उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) योजना को वर्ष **2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS)** के हिस्से के रूप में पेश किया गया था।
- 'उड़े देश का आम नागरिक' के दृष्टिकोण का पालन करते हुए **टियर-II और टियर-III शहरों** में उन्नत विमानन बुनियादी ढाँचे और हवाई कनेक्टिविटी के साथ आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य**
  - क्षेत्रीय विमानन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना।
  - क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती, वित्तीय रूप से संधारणीय और लाभदायक हवाई यात्रा विकल्प प्रदान करना, जिससे आम जनता के लिए छोटे शहरों में भी हवाई यात्रा की पहुँच बढ़े।

अन्य उड़ान पहलें

- **कृषि उड़ान (KRISHI UDAN):** अगस्त, 2020 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिए कृषि उत्पादों के परिवहन की सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनकी मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी।
- **अंतरराष्ट्रीय उड़ान (INTERNATIONAL UDAN):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के छोटे शहरों और आसपास के प्रमुख देशों के बीच सीधा हवाई संपर्क स्थापित करना है।
- **लाइफलाइन उड़ान (Lifeline UDAN):** यह एक सरकारी पहल है जो कोविड-19 संकट के दौरान संपूर्ण भारत में चिकित्सा कार्गो और आवश्यक आपूर्ति के लिए प्रदत्त हवाई परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM - SYM) योजना

- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रबंधित यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जो प्रति माह ₹15,000 तक की आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए **स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन** प्रदान करती है।
- 18-40 वर्ष की आयु के नामांकित व्यक्ति, 60 वर्ष की आयु तक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से अपने अंश का योजना में योगदान करते हैं, जिसके बाद उन्हें गारंटीशुदा ₹3,000 मासिक पेंशन मिलती है।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन फंड का प्रबंधन करता है, जबकि नामांकन का प्रबंधन सामान्य सेवा केंद्र (CSC) बिना किसी शुल्क के करता है। सरकारी मिलान के साथ योगदान मासिक या समय-समय पर हो सकता है। ग्राहक की मृत्यु पर, उनके पति या पत्नी को पेंशन का 50% मिलता है।

स्वामित्व (ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) योजना

पंचायती राज मंत्रालय के तहत वर्ष 2021 में शुरू की गई इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना का उद्देश्य ग्रामीण भू-स्वामियों को भूमि पार्सल की मैपिंग करके, कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड / स्वामित्व विलेख) जारी करने के साथ-साथ गाँव के भू-स्वामियों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान कर संपत्ति स्वामित्व समाधान प्रदान करना है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 6.62 लाख गाँवों को लक्षित करते हुए, इस योजना में इस पाँच वर्ष की अवधि के लिए ₹566 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

योजना के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:

- **ड्रोन के साथ बड़े पैमाने पर मानचित्रण:** भारतीय सर्वेक्षण विभाग ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा।
  - जेनरेट किए गए मानचित्र भू-संदर्भित होते हैं, जो डिजिटल संपत्ति छवियों को कैप्चर करते हैं।
  - राज्य सरकारें इन मानचित्रों के आधार पर संपत्ति कार्ड तैयार करने और उनके वितरण हेतु जिम्मेदार हैं।
- **सतत् संचालन संदर्भ स्टेशन (Continuous Operating Reference Station-CORS) की स्थापना:** यह नेटवर्क सटीक भू-संदर्भ और भूमि सीमांकन का समर्थन करता है।
- **स्वामित्व डैशबोर्ड:** यह वास्तविक-समय की प्रगति ट्रैकिंग के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन निगरानी उपकरण है।
- **डिजिलॉकर ऐप:** लाभार्थी डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से संपत्ति कार्ड तक पहुँच सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
- **ग्राम मानचित्र:** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) 'ग्राम मानचित्र' स्थानिक योजना अनुप्रयोग के संवर्द्धन हेतु वित्तीयन करता है।
- योजना जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, **शिक्षा और संचार (Information, Education, and Communication-IEC) गतिविधियाँ।**
- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर **कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों** की स्थापना करना।

आयुष्मान भारत योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDGs) के अनुसार लॉन्च किए गए आयुष्मान भारत का उद्देश्य सार्वभौम स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage-UHC) हासिल करना है। इस पहल में दो परस्पर जुड़े घटक शामिल हैं: स्वास्थ्य और

कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres-HWCs) और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)। यह माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार वार्षिक 5 लाख रुपये तक की पेशकश करता है, जिसमें दवाओं और उपचार सहित सर्जिकल, चिकित्सा और डे-केयर उपचार शामिल हैं, जो निश्चित दर स्वास्थ्य लाभ पैकेज के माध्यम से अस्पतालों में अतिरिक्त शुल्क को रोकते हैं।

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया को **किसी भी वेब या मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित** किया जा सकता है जो **किसी व्यक्ति या एजेंसी को अंत:क्रियात्मक रूप से संचार करने में सक्षम** बनाता है और उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है। वर्तमान में सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर आदि जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों का पर्याय बन गया है। वर्ष 2022 में, भारत में मासिक आधार पर औसतन लगभग 470.1 मिलियन सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं।

सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव:

- **सरकार और नागरिक:** सोशल मीडिया ने सरकार और नागरिकों के बीच दो तरफा संचार को सक्षम बनाया है, उदाहरण के लिए: कोविड-19 के दौरान मंत्रियों द्वारा ट्विटर का उपयोग आदि।
- **लोकतांत्रिक क्षमता में वृद्धि:** सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक क्षमता में वृद्धि की है, लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अरब स्प्रिंग में सोशल मीडिया का उपयोग।

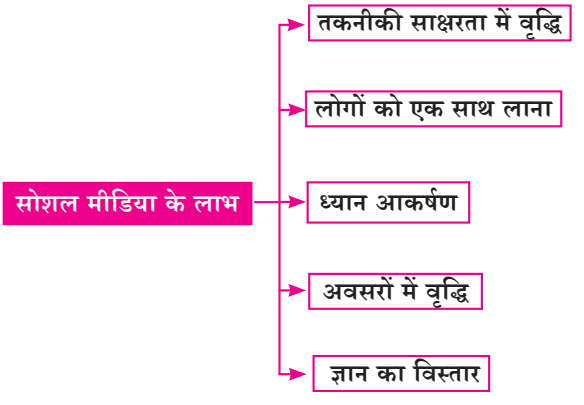

- **महिला सशक्तीकरण:** सोशल मीडिया ने महिलाओं को उनकी चिंताओं और मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करके सशक्त बनाया है, उदाहरण के लिए, मीटू अभियान आदि।
- **वैश्विक जुड़ाव:** सोशल मीडिया ने लोगों को विश्व से अधिक व्यापक रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान किया है और लोग वैश्विक घटनाओं, संस्कृतियों आदि के विषय में अधिक जागरूक हुए हैं।
- **रुचि समूह:** इसने विशेष रुचि वाले समूहों के निर्माण को सक्षम बनाया है और समाज में हर किसी को सहायता प्रदान की है।

विनियमन की आवश्यकता

- **लोकतंत्र के लिए खतरा:** चुनावों के दौरान गलत सूचना को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया गया है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए खतरा है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2016 अमेरिकी चुनाव।
- **सोशल मीडिया ट्रोल:** सोशल मीडिया ट्रोल लक्षित हमलों को लेकर काफी सक्रिय हैं। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन स्टॉकिंग और महिलाओं के उत्पीड़न की कई शिकायतें आई हैं।
- **निजता पर आक्रमण:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कथित तौर पर उपयोगकर्ताओं की निजता से समझौता कर रहे हैं और उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, कैंब्रिज एनालिटिका मामला।
- **भ्रामक खबरें (Fake News):** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फर्जी खबरों के स्रोत और प्रचारक बन गए हैं, उदाहरण के लिए, बच्चों के अपहरण आदि पर फर्जी खबरें।
- **आतंक को बढ़ावा:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आतंकी संगठनों द्वारा अपने कैडर को कट्टर बनाने, भर्ती करने और प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता रहा है।
- **नकली चलन (Fake Trends):** कई समूह अपने निहित स्वार्थ के कारण सोशल मीडिया पर नकली रुझानों को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के खिलाफ पाकिस्तान की ISI द्वारा फर्जी ट्रेंड।
- **नफरत फैलाने वाला भाषण (Hate Speech):** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नफरत फैलाने वाले भाषण और अफवाहों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिसके कारण दंगे हुए हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2020 के दिल्ली दंगे।

उठाए गए कदम

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 भारत में सोशल मीडिया मध्यस्थों, OTT प्लेटफार्मों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों को विनियमित करने के पहले महत्त्वपूर्ण प्रयास का प्रतीक है। यह गलत सूचना, आपत्तिजनक सामग्री, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिकायत निवारण की कमी जैसे मुद्दों पर बढ़ती चिंताओं को संबोधित करते हैं। यह विनियम 'बड़ी तकनीकी कंपनियों के बेहतर विनियमन' और 'ऐसे प्लेटफार्मों से अधिक जवाबदेही' की बढ़ती माँग के बाद आए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 की प्रमुख विशेषताएँ

- **यथोचित कर्मठता:** नियम महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं) के लिए शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने के लिए अतिरिक्त उचित कर्मठता का आदेश देते हैं।
- **शिकायत निवारण:** नियमों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ-साथ OTT प्लेटफार्मों द्वारा एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति और समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता होती है।
- **अनुसरण क्षमता:** महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी जाँच में सहायता के लिए समस्याग्रस्त सूचनाओं के स्रोतों की पहचान करें।
- **स्वचालित सामग्री पहचान:** मध्यस्थों को गैर-कानूनी जानकारी या सामग्री को सक्रिय रूप से पहचानने और हटाने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित स्वचालित उपकरण तैनात करने चाहिए।
- **कानून का अनुपालन:** नियम ऑनलाइन समाचार पोर्टलों और OTT प्लेटफार्मों के लिए आचार संहिता स्थापित करते हैं, जिसके लिए कुछ प्रकार की सामग्री के मानदंडों के पालन की आवश्यकता होती है।
- **पर्यवेक्षण तंत्र:** संभावित उल्लंघनों की जाँच के लिए अंतर-विभागीय समिति, स्व-नियामक निकायों और निरीक्षण तंत्र का गठन शुरू किया गया।

- **दंड:** प्लेटफॉर्म नियमों का अनुपालन न करने से 'मध्यस्थ' का दर्जा समाप्त हो सकता है, जिससे उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के प्रति उनका प्रभावी रूप से दायित्व होगा।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act-DPDPA)

यह विधेयक भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होता है, जहाँ ऐसा डेटा ऑनलाइन एकत्र किया जाता है या ऑफलाइन एकत्र किया जाता है और डिजिटलीकृत किया जाता है। यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा, यदि उसका संबंध भारत में प्रदान की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए है।

अधिनियम की विशेषताएँ

- **सहमति:** व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग के लिए 'वैध उद्देश्य' की सहमति की आवश्यकता होती है, जिसमे उस व्यक्ति को एकत्र किए जाने वाले डेटा और उसके उद्देश्य का विवरण देने वाला नोटिस प्रदान करना आवश्यक है।
- **सहमति की निम्न आयु:** केंद्र सरकार नाबालिगों के लिए सुरक्षित इंटरनेट पहुँच की सुविधा प्रदान करते हुए सहमति की निम्न आयु निर्धारित कर सकती है।
- **सीमा पार डेटा प्रवाह में आसानी:** सीमा पार डेटा प्रवाह व्हाइटलिस्टिंग और ब्लैकलिस्टिंग तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय डेटा स्थानांतरण में काफी आसानी होगी।
- **सोशल मीडिया कंपनियों पर प्रभाव:** महत्त्वपूर्ण डेटा न्यासितों (Fiduciaries) को, नामहीनता को कम करने और ट्रोलिंग और फर्जी समाचार जैसे मुद्दों को कम करने के लिए उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र को लागू करना चाहिए।
- **छूट:** कुछ मामलों को डेटा नियम अधिकारों और फिडुशियरी दायित्वों से छूट दी गई है, जिसमें अपराधों की रोकथाम और कानूनी अधिकारों को लागू करना शामिल है।
  - केंद्र सरकार विशिष्ट गतिविधियों, जैसे सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी संस्थाओं द्वारा डेटा प्रसंस्करण की छूट दे सकती है।
- **भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड:** केंद्र सरकार अनुपालन की निगरानी करने, जुर्माना लगाने और शिकायतों का समाधान करने के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी। बोर्ड के सदस्य दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे और उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है।
- **जुर्माना:** जाँच के बाद बोर्ड द्वारा विभिन्न अपराधों के लिए 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है।

अधिनियम का महत्त्व

- **नागरिकों का सशक्तीकरण:** यह अधिनियम नागरिकों को उनके व्यक्तिगत डेटा को जानने और नियंत्रित करने का अधिकार देकर सशक्त बनाता है।
- **निगरानी और प्रोफाइलिंग को सीमित करना:** यह राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के अपवादों के साथ, कॉर्पोरेट और सरकारी निगरानी और नागरिक प्रोफाइलिंग की संभावनाओं को प्रतिबंधित करता है।
- **अपवादों को संतुलित करना:** हालाँकि, सरकार द्वारा व्यक्तिगत डेटा के उपयोग की अनुमति देने वाले अपवादों की सीमा पर बहस हो सकती है, परंतु कानून का समग्र उद्देश्य और प्रवर्तन का उद्देश्य भारत के लोगों की प्रभावी ढंग से सेवा करना है।

ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म (OTT)

ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म इंटरनेट के जरिए ऑडियो, वीडियो और अन्य मीडिया सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जिससे केबल, प्रसारण और उपग्रह टेलीविजन जैसे पारंपरिक प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं रहती है, जैसे- नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम आदि। ये सब्सक्रिप्शन-आधारित वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म हैं जो उपभोक्ताओं को दुनिया भर से सामग्री की एक विस्तृत शृंखला तक पहुँचने की अनुमति देते हैं।

ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म (OTT) का सकारात्मक प्रभाव:

- **पहुँच:** OTT प्लेटफॉर्म किसी भी समय पर और किसी भी स्थान से सामग्री को देखने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।
- **लोकतंत्रीकरण:** OTT प्लेटफार्मों ने मनोरंजन उद्योग को लोकतांत्रिक बना दिया है और सोशल मीडिया के कई लोगों ने OTT प्लेटफार्मों के माध्यम से मनोरंजन उद्योग में अपने पैर जमा लिए हैं।
- **छोटे उद्योग को बढ़ावा:** OTT प्लेटफार्मों ने कम बजट वाले छोटे मनोरंजन उद्योगों खासकर क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा दिया है।
- **अंतरराष्ट्रीय पहुँच:** OTT प्लेटफॉर्म ने भारतीय दर्शकों को नई और उच्च-गुणवत्ता वाली अंतरराष्ट्रीय सामग्री, उदाहरण के लिए मनी हाइस्ट (Money Heist) आदि तक पहुँचने में सक्षम बनाया है।
- **किफायती:** किफायती होने के कारण, OTT प्लेटफार्मों ने लोगों के लिए मनोरंजन का एक नया साधन प्रदान किया है।
- **भाषा संबंधी बाधाओं पर पार पाना:** OTT प्लेटफार्मों ने भाषा संबंधी बाधाओं को तोड़ दिया है क्योंकि अधिकांश प्लेटफार्मों पर कई भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है।

विनियमन की आवश्यकता

- **तेजी से विकास:** हाल के वर्षों में OTT प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़े हैं, उदाहरण के लिए: वर्ष 2023 के अंत तक, भारत का OTT आधार 13.5% बढ़कर 481 मिलियन लोगों तक पहुँच गया, जो वर्ष 2022 में 424 मिलियन था।
- **अश्लीलता:** कुछ OTT प्लेटफार्मों पर भाषा और सामग्री अश्लीलता को बढ़ावा देती है, जो हमारे देश के सामाजिक और नैतिक मूल्यों के लिए खतरा है।
- **सेंसरशिप का अभाव:** इन प्लेटफॉर्मों पर किसी भी तरह की सेंसरशिप नहीं होती है, इसलिए सभी उम्र के लोग, खासकर बच्चे ऐसी सामग्री के संपर्क में आ जाते हैं जो उनकी उम्र के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है।
- **साइबर क्राइम का खतरा:** OTT प्लेटफॉर्म पर साइबर क्राइम का खतरा है, जहाँ लोग अपनी गोपनीय जानकारी जैसे- बैंक विवरण, क्रेडिट कार्ड आदि साझा करते हैं।
- **सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा:** कुछ OTT प्लेटफार्मों ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री को बढ़ावा दिया है जो देश में सामाजिक सद्भाव को बाधित कर सकता है।

उठाए गए कदम

सरकार ने OTT प्लेटफार्मों को विनियमित करने के लिए **डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफार्मों से संबंधित डिजिटल मीडिया आचार संहिता** को अधिसूचित किया है जिसमे निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- **सामग्री का स्व-वर्गीकरण:** प्लेटफार्मों को अपनी सामग्री को U , U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+ और A में वर्गीकृत करना होगा, U/A 13+ या उससे

अधिक के लिए अभिभावकीय अवरोध (पैरेंटल लॉक) प्रदान करना होगा और A श्रेणी के लिए आयु सत्यापन करना आवश्यक होगा।

- **मानदंडों का पालन:** डिजिटल मीडिया पर समाचारों के प्रकाशकों को भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंडों और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत कार्यक्रम कोड का पालन करना आवश्यक होगा, जिससे ऑफलाइन (प्रिंट, टीवी) और डिजिटल मीडिया के बीच एक समान अवसर प्रदान किया जा सके।
- तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र:
  - **स्तर-I:** शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति करके प्रकाशकों द्वारा स्व-नियमन।
  - **स्तर-II:** प्रकाशकों के स्व-विनियमन निकायों द्वारा स्व-नियमन, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति करते हैं और इसमें छह से अधिक सदस्य नहीं होते हैं।
  - **स्तर-III:** निरीक्षण तंत्र - सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MoI&B) अभ्यास संहिता सहित स्व-विनियमन निकायों के लिए एक चार्टर प्रकाशित करेगा। यह शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अंतर-विभागीय समिति की स्थापना करेगा।

निवर्तमान चुनौतियाँ

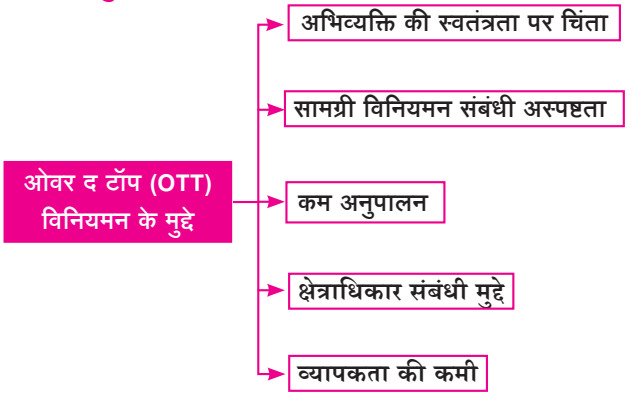

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** OTT प्लेटफार्मों के विनियमन के साथ लेखकों/संपादकों/प्रकाशकों की अभिव्यक्ति और कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- **अनुपालन का अभाव:** हालाँकि, नियम OTT वेबसाइटों/इंटरफेस पर शिकायत निवारण तंत्र और शिकायत अधिकारियों से संबंधित संपर्क विवरण प्रदर्शित करना अनिवार्य करते हैं, लेकिन इनका अनुपालन बहुत कम है।
- **क्षेत्राधिकार का मुद्दा:** कई OTT प्लेटफॉर्म भारत के बाहर स्थित हैं जिससे नियमों और जवाबदेही को लागू करना मुश्किल हो जाता है।
- **नियमों में अस्पष्टता:** सामग्री विनियमन को लेकर अस्पष्टता है, उदाहरण के लिए: कई OTT प्लेटफॉर्म ने न्यूज चैनलों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है।
- **व्यापकता का अभाव:** जबकि नियमों में प्रकाशकों और स्व-विनियमन निकायों द्वारा शिकायत विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता होती है, लेकिन रिपोर्टिंग प्रारूप केवल प्राप्त और निर्णय ली गई शिकायतों की संख्या को दर्ज करते हैं।

आगे की राह

- **डेटा सुरक्षा कानून:** उपयोगकर्ताओं को उनकी निजता के उल्लंघन से बचाने और उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार को जल्द से जल्द डेटा सुरक्षा कानून बनाने की आवश्यकता है।
- **आवधिक अभियान:** 'शिकायत निवारण तंत्र' के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आवधिक अभियान चलाना, OTT उद्योग संघों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है।
  - **स्थानीय भाषा विवरण:** आयु सीमा और सामग्री विवरणकों (जैसे: 'हिंसा') की चेतावनी अंग्रेजी के अलावा वीडियो की संबंधित भाषाओं में हो सकती है।
  - **आवधिक ऑडिट:** आवधिक ऑडिट करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जा सकती है।
  - **एकल डैशबोर्ड:** मंत्रालय एक समर्पित वेबसाइट प्रदान कर सकता है जिसमें प्रचलित नियमों, सामग्री कोड, सलाह, शिकायतों/अपील के लिए संपर्क विवरण आदि का विवरण प्रकाशित किया जाता है।
  - **सिंगापुर से सीख:** सरकार सिंगापुर से सीख सकती है जहाँ विभिन्न मीडिया के लिए एक समान नियामक हैं और सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देता है।

उभरती प्रौद्योगिकियाँ और अभिशासन पर उनके संभावित प्रभाव

साइबर सुरक्षा और अभिशासन

साइबर सुरक्षा, सरकारी डेटा और सेवाओं की शुचिता, गोपनीयता और उपलब्धता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह डिजिटल लेन-देन में विश्वास सुनिश्चित करती है, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की रक्षा करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करती है। सशक्त साइबर सुरक्षा उपायों के बिना, सरकारें डेटा उल्लंघनों, रैंसमवेयर हमलों और साइबर जासूसी जैसे साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील होती हैं, जो शासन प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती हैं और सार्वजनिक विश्वास को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, **तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र** कथित तौर पर वर्ष 2019 में साइबर हमले का शिकार हो गया। इस हमले का श्रेय उत्तर कोरिया के हैकिंग समूह लाजर समूह को दिया गया, जिसने संयंत्र के प्रशासनिक नेटवर्क को निशाना बनाया, जिससे भारत की परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। दुनिया भर की सरकारों ने साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने और शासन में लचीलापन बढ़ाने के लिए नियामक ढाँचे और मानक बनाए हैं। उदाहरण के लिए,

- भारत में, **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000** और **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013** जैसी पहलें, साइबर सुरक्षा प्रशासन और प्रवर्तन के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करती हैं।
- भारत ने साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और साइबर जोखिमों को कम करने के लिए **राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (National Cyber Coordination Centre-NCCC) और साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र)** भी लॉन्च किया।
- इसके अलावा, **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम** (CERT-In) भारत के साइबर स्पेस को खतरों और कमजोरियों से बचाने, साइबर सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने और घटना प्रतिक्रिया प्रयासों के समन्वय के लिए काम करती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शासन

प्रशासन की दक्षता बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। AI उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर, भारत सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सेवा वितरण में सुधार करना और समावेशिता को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए:

- **भाषिणी - राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन (National Language Technology Mission-NLTM):** NLTM के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया, भाषिणी मिशन, भाषिणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाषा प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है। AI/ML और NLP का उपयोग करते हुए, भाषिणी भारतीय भाषाओं के लिए ओपन-सोर्स मॉडल और टूल विकसित करती है, जिससे सभी नागरिकों के लिए डिजिटल समावेशन और सरकारी सेवाओं तक पहुँच की सुविधा मिलती है।
- **भारत शहरी डेटा एक्सचेंज (India Urban Data Exchange-IUDEX):** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रबंधित, IUDEX एक डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो भारतीय शहरों को शहरी शासन-संबंधी डेटासेट साझा करने में सक्षम बनाता है। IUDEX पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-संचालित विश्लेषण नीति निर्माताओं को बेहतर शहरी नियोजन और सेवा वितरण के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दिशा में भारत की पहल

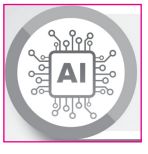	'एआई फॉर ऑल(AI for ALL)' एक स्व-शिक्षण मंच है जिसे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यात्रा के प्रति भारत का प्रयास मूल रूप से सामाजिक सशक्तीकरण और समावेशन पर केंद्रित है।
	भारत का एआई(AI) संस्करण: भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा दृष्टिकोण को अपनाना चाहता है, जहाँ इसका लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए आधारभूत सिस्टम - डेटाबेस और गणना क्षमता दोनों का निर्माण करना है।
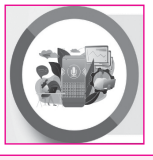	**इंडिया एआई (IndiaAI) हब:** यह सामाजिक प्रभाव अपनाने और नवाचार के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने वाला राष्ट्रीय पोर्टल है।
	युवा एआई (YUVAai): यह जटिल समस्याओं से निपटने और भविष्य के लिए तैयार होने में AI का उपयोग करने के लिए कक्षा 8 से 12 तक के स्कूली छात्रों के कौशल को बढ़ाने का एक मंच है।
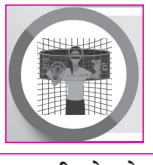	**कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए राष्ट्रीय रणनीति:** यह भारत को प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में मदद करने के लिए एक आगामी रणनीति है

- **भारतीय रेलवे द्वारा आदर्श ट्रेन प्रोफाइल:** भारतीय रेलवे आरक्षित मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में क्षमता के पूर्ण उपयोग और राजस्व सृजन को अनुकूलित करने के लिए आदर्श ट्रेन प्रोफाइल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) -संचालित कार्यक्रमों का उपयोग करता है। यह AI मॉड्यूल माँग पैटर्न का विश्लेषण करता है और खाली सीटें आवंटित करता है, जिससे यात्री अनुभव और टिकट की उपलब्धता बढ़ती है।
- **डिजी धन मित्र चैटबॉट:** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre-NIC) द्वारा विकसित, डिजी धन मित्र चैटबॉट डिजिटल भुगतान और लेन-देन के रुझान पर अनुकूलित जानकारी प्रदान करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का लाभ उठाकर, चैटबॉट वास्तविक-समय की जानकारी प्रदान करता है, वित्तीय साक्षरता बढ़ाता है और डिजिटल भुगतान अपनाने को बढ़ावा देता है।
- **IRCTC का एआई(AI) वर्चुअल असिस्टेंट:** IRCTC का AI-संचालित वर्चुअल असिस्टेंट, **आस्क दिशा 2.0,** आवाज और चैट-आधारित इंटरैक्शन के साथ टिकट बुकिंग में क्रांति ला देता है। बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाकर और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाकर, आस्क दिशा 2.0 यात्री सेवाओं में AI के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित करता है।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और शासन

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी ने भारत सरकार का महत्त्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन में क्रांति लाने की इसकी क्षमता को पहचानती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) द्वारा "ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति" जारी करना; स्वास्थ्य सेवा, कृषि, वित्त, मतदान और ई-गवर्नेंस सहित विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉकचेन को एकीकृत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

सरकारी पहल और अनुप्रयोग:

- **केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):** भुगतान प्रणालियों को आधुनिक बनाने और भौतिक नकदी पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपना स्वयं का CBDC, डिजिटल रुपया विकसित कर रहा है। CBDC कार्यान्वयन से भुगतान दक्षता बढ़ेगी और निजी क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जोखिम कम होंगे।
- **भूमि पंजीकरण और डिजिटल प्रमाणपत्र:** भूमि पंजीकरण, डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करने और सीमा शुल्क भुगतान, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक को तैनात किया जा रहा है।
- **क्षेत्रीय अंगीकरण:** भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसे नियामक निकाय क्रमशः दूरसंचार और वित्तीय बाजारों में ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों की खोज कर रहे हैं।

केस स्टडी और उदाहरण:

- **पश्चिम बंगाल में भूमि उत्परिवर्तन के लिए नॉन-फंजिबल टोकन (NFT):** न्यू टाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण ने भूमि उत्परिवर्तन के लिए नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) लागू किया है, जो पारदर्शी भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड सुनिश्चित करता है और मैन्युअल कागजी कार्रवाई को समाप्त करता है। दुर्गापुर और बांकुरा जिलों में नगर निगमों ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ब्लॉकचेन को अपनाया है।
- **तमिलनाडु ब्लॉकचेन बैकबोन:** इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को एक अद्वितीय राज्य ID प्रदान करना है जो आवश्यक दस्तावेजों को एक डिजिटल वॉलेट में समेकित करता है। ई-पेट्टागम ऐप विभिन्न संस्थाओं के साथ दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से साझा करने की अनुमति देता है।

- **कर्नाटक में एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली:** तमिलनाडु की पहल के समान, कर्नाटक का लक्ष्य एकीकृत डिजिटल प्रणाली के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है।
- **फिरोजाबाद पुलिस लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली:** उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉलीगॉन नेटवर्क के सहयोग से, रिकॉर्ड की पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करते हुए, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शिकायतें दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।

ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन किया है। इन संशोधनों को ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया में मध्यस्थों द्वारा विशेष रूप से ऑनलाइन से संबंधित यथोचित कर्मठता को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर ऑनलाइन गेमों और सरकारी कार्यों से संबंधित फर्जी, गलत या भ्रामक जानकारी के प्रसार के संबंध में।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 के तहत IT नियम 2021 में संशोधन जारी किए गए हैं, जिसने मूल रूप से सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए नियमों की स्थापना की थी।

ऑनलाइन गेमिंग पर नियमों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- **परिभाषाएँ:**
  - **ऑनलाइन गेम:** इसे 'इंटरनेट पर पेश किए जाने वाले गेम' और 'कंप्यूटर संसाधन या मध्यस्थ के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के लिए पहुँच योग्य गेम' के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - **ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी (Online Gaming Intermediary-OGI):** किसी भी मध्यस्थ को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से एक या अधिक ऑनलाइन गेम तक पहुँचने की अनुमति देता है।
- **मध्यस्थों की भूमिका:** मध्यस्थों को ऐसे किसी भी ऑनलाइन गेम की मेजबानी, प्रकाशन या साझा करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करने की आवश्यकता होती है जो उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुँचा सकता है या जिसे निर्दिष्ट स्व-नियामक निकाय (Self-Regulatory Body-SRB) द्वारा अनुमत रूप से सत्यापित नहीं किया गया है।
- **विज्ञापन और प्रचार: मध्यस्थों** को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म गैर-अनुमति वाले ऑनलाइन गेम के विज्ञापन या प्रचार की मेजबानी न करें।
- **ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी (OGI) पर अतिरिक्त दायित्व:**
  - वास्तविक धन से जुड़े ऑनलाइन गेम के लिए स्व-नियामक निकाय (SRB) द्वारा प्रदान किया गया सत्यापन चिह्न प्रदर्शित करना।
  - जमा राशि की निकासी या वापसी से संबंधित नीतियों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना।
  - उपयोगकर्ताओं का अपने ग्राहक को जानें (KYC) विवरण प्राप्त करना।
  - खेल प्रतिभागियों के लिए क्रेडिट प्रावधान या तीसरे पक्ष के वित्तपोषण पर रोक लगाना।
- **स्व-नियामक निकाय (Self-Regulatory Body-SRB):** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह सत्यापित करने के लिए कई SRB को सूचित कर सकता है कि किसी ऑनलाइन गेम की अनुमति है या नहीं।
  - SRB को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी संस्था होना चाहिए, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हों जो जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देते हों। उनमें शिकायत निवारण के प्रावधान शामिल होने चाहिए, आर्म्स लेंथ सिद्धांत (arm's length principle) का पालन करना चाहिए और स्पष्ट सदस्यता मानदंड होने चाहिए।
- **स्व-नियामक निकाय (SRB) के अधिकार और जिम्मेदारियाँ:** SRB के पास किसी गेम को 'स्वीकार्य' के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार है यदि वह कुछ मानदंडों को पूरा करता है: गेम में किसी भी परिणाम पर दांव लगाना शामिल नहीं है, OGI और गेम दोनों अनुबंध के लिए कानूनी आयु आवश्यकताओं (वर्तमान में 18 वर्ष) का अनुपालन करते हों और SRB द्वारा स्थापित रूपरेखा सुरक्षा का पालन करते हों।
- **निषेध:** कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें जुआ या संबंधित विज्ञापन शामिल हो, प्रतिबंधित होगा।

भारत में डीपफेक विनियमन

डीपफेक वे डिजिटल मीडिया हैं जिनमें वीडियो, ऑडियो और छवियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके हेरफेर कर संपादित किया जाता है, जिससे कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है । अपनी अति-वास्तविकतावादी क्षमताओं के साथ डीपफेक; प्रतिष्ठा क्षति, साक्ष्य निर्माण और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास क्षरण जैसे जोखिम पैदा करते हैं।

मौजूदा कानूनी ढाँचा:

भारत में डीपफेक तकनीक को नियंत्रित करने वाले **विशिष्ट कानूनों का अभाव** है।

- **मानहानि और स्पष्ट सामग्री के लिए** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की **धारा 67 और 67A** लागू की जाती हैं।
- भारत के IT नियम, 2021 में रिपोर्ट की गई डीपफेक सामग्री को **36 घंटे के भीतर हटाने** का आदेश दिया गया है।
- IT अधिनियम, 2000 की **धारा 66C (पहचान की चोरी) और 66E (निजता का उल्लंघन)** भी लागू हैं।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 मानहानि के लिए सजा का प्रावधान करती है, जबकि धारा 292 अश्लील सामग्री को संबोधित करती है और धारा 465 और 469 जालसाजी और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने से संबंधित है।

डीपफेक विनियमन पर सरकारी सलाह

- **मध्यस्थों को निर्देश:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IT नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह जारी की, विशेष रूप से डीपफेक सहित AI द्वारा संचालित गलत सूचना के संबंध में।
- **निषिद्ध सामग्री का संचार:** मध्यस्थों को कानूनी परिणामों पर जोर देते हुए उपयोगकर्ताओं को निषिद्ध सामग्री स्पष्ट और सटीक रूप से संप्रेषित करनी चाहिए।

- **IT नियमों का प्रवर्तन:** मध्यस्थों को IT नियमों के नियम 3(1)(b) में निर्दिष्ट के अनुसार, निषिद्ध सामग्री को तुरंत हटाने में उचित प्रयास करना आवश्यक है।
- **हितधारकों की सहभागिता:** मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डीपफेक संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए हितधारकों की बैठकें बुलाईं, जिसमें मौजूदा कानूनों और विनियमों के कड़ाई से पालन पर जोर दिया गया।
- **भविष्य के उपाय:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मध्यस्थ अनुपालन की निगरानी करेगा और इंटरनेट सुरक्षा एवं विश्वास सुनिश्चित करने के लिए IT नियमों या कानून में और संशोधन पर विचार करेगा।

आगे की राह

- **सोशल मीडिया मध्यस्थों की जिम्मेदारी:** प्लेटफार्मों को डीपफेक का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के वीडियो प्रमाणक जैसी प्रौद्योगिकियों का विकास करना चाहिए।
- **ब्लॉकचेन-आधारित डीपफेक सत्यापन:** दुर्भावनापूर्ण डीपफेक को हतोत्साहित करते हुए, सामग्री की उत्पत्ति और उसमे छेड़छाड़ का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना चाहिए।
- **डिजिटल इंडिया अधिनियम:** चीन के नियमों से सीखते हुए, दुर्भावनापूर्ण डीपफेक के लिए दंडात्मक प्रावधानों वाले कानून के निर्माण की आवश्यकता है।
- **सार्वजनिक जागरूकता और जिम्मेदारी:** फर्जी वीडियो के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से साझा करने को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **बैलेचली घोषणा (Bletchley Declaration)** सिद्धांतों को लागू करना: घोषणा के सिद्धांतों के अनुरूप एक वैश्विक AI नियामक ढाँचे की स्थापना में नेतृत्व करना।

एक विशेष कानूनी ढाँचे के लिए प्रावधान

- **स्पष्ट परिभाषाएँ:** कानूनी ढाँचे के भीतर डीपफेक वीडियो को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
- **दुरुपयोग के विरुद्ध निषेध:** डीपफेक के धोखाधड़ी, प्रतिरूपण या चुनाव में हस्तक्षेप करने वाले उपयोग पर रोक लगाना।
- **समय पर निवारण:** डीपफेक प्रसार की त्वरित प्रतिक्रिया और निवारण के लिए एक कुशल तंत्र की स्थापना।
- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शामिल करना:** सम्बंधित प्लेटफॉर्म को डीपफेक का तुरंत पता लगाने और हटाने का आदेश देना।
- **कानूनी उपाय:** डीपफेक वीडियो के रचनाकारों और वितरकों के विरुद्ध पीड़ितों को कानूनी सहारा प्रदान करना।
- **नाबालिगों के लिए सुरक्षा:** डीपफेक सामग्री से प्रभावित नाबालिगों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **कलाकार अधिकार संरक्षण:** कॉपीराइट और निजता संबंधी चिंताओं पर विचार करते हुए कलाकारों के अधिकारों को उचित उपयोग सिद्धांतों के साथ संतुलित करना।

ई-जेल परियोजना

गृह मंत्रालय की ई-जेल पहल का उद्देश्य **देश की जेल प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करना** है, जिसमें डिजिटलीकरण और कैदी डेटा की उपलब्धता भी शामिल है।

ई-जेल की कार्यप्रणाली

- ई-जेल पहल मानक जानकारी के एक केंद्रीकृत डेटाबेस के निर्माण में सहायता करेगी।
  - अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) के तहत ई-जेलों के डेटा को पुलिस और न्यायालय तंत्र से जोड़ा गया है।
- ई-जेल राष्ट्रीय जेल सूचना पोर्टल से डेटा का उपयोग करते हैं, जिसे ई-जेल दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
  - अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) के माध्यम से, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जेलों के अधिकृत अधिकारी एक सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से तंत्र तक पहुँच सकते हैं।
- यह ऑनलाइन विजिट अनुरोधों और शिकायत समाधान को भी आसान बनाता है।

ई-जेल का महत्त्व

- सक्रिय पुलिसिंग के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ सक्रिय सूचना/लुकआउट अलर्ट (SMS/E-Mail) साझा करने में सहायता मिलेगी।
- **रिहाई के बाद ट्रैकिंग:** पैरोल, फरलो या जल्दी रिहाई पर रिहा किए गए अपराधियों की ट्रैकिंग में सहायता।
- **रिहाई के बाद कानून का उल्लंघन करने वाले दोषियों का पता लगाना:** इससे ऐसे कैदियों पर नजर रखने में भी मदद मिलेगी, यदि वे कानून तोड़ना जारी रखते हैं, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं या समय से पहले रिहाई के नियमों का उल्लंघन करते हैं।
- **एक चेतावनी तंत्र सुनिश्चित करना:** कैदियों की हालिया तस्वीरें उस स्थिति में सिस्टम को सतर्क करने में मदद करेंगी जब कोई कैदी पुलिस या अदालत की हिरासत से भाग जाता है।
- विचाराधीन बंदियों की सटीक और अद्यतन जानकारी के साथ निगरानी की जाएगी।
- अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) और अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) के माध्यम से पुलिस स्टेशनों के अंतर्संयोजन से ई-जेल रिकॉर्ड के लिए डेटा उपलब्धता को और भी बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियों के बावजूद, ई-जेल पहल ने एक केंद्रीकृत सूचना भंडार प्रदान करके भारत के जेल प्रशासन की कठिनाइयों के समाधान में सहायता की है।

विगत वर्षों के प्रश्न

सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आम तौर पर कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए। **(2019)**

भारत में खेल का अभिशासन

खेल अभिशासन से तात्पर्य **उस प्रणाली से है जिसके द्वारा देश में खेल संगठन संचालित होते हैं।** इसमें निरीक्षण की प्रक्रिया और वे निर्देश शामिल हैं जिनके आधार पर किसी खेल संगठन में निर्णय लिए जाते हैं और लागू किए जाते हैं।

खेल अभिशासन की आवश्यकता

- **प्रशासनिक मुद्दे:**
  - **अनुचित भूमिकाएँ और दायित्व:** राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कई संगठनों का होना; भ्रम, सेवाओं के दोहराव और खेल प्रशासन में अंतराल के मुद्दों को जन्म देते हैं।
  - **उत्पीड़न के आरोप:** खेल संगठनों में वरिष्ठ और शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगते हैं। उदाहरण के लिए, पहलवानों का हालिया विरोध।
  - **व्यावसायिकता की कमी:** खेलों पर राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यवसायियों का दबदबा होने के कारण गुटबाजी, भाई-भतीजावाद और अनियमित चुनाव के मुद्दे हैं।
  - **अनैतिक प्रथाएँ:** खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डोपिंग जैसी अनैतिक प्रथाओं का प्रचलन है। खेलों में अनैतिक आचरण का एक उदाहरण वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का डोपिंग घोटाला है। भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट संजीता चानू को प्रतिबंधित पदार्थ सेवन के लिए सकारात्मक परीक्षित किया गया। इस घटना ने डोपिंग के मुद्दे और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला है।
  - **भेदभाव:** खिलाड़ियों को क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारत में गैर-सरकारी संगठन चाइल्ड राइट्स एँड यू (CRY) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, महिला एथलीटों को खेलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, केवल 5% लड़कियों को ही खेल सुविधाओं तक पहुँच मिलती है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह मौजूद है, जिसमें अधिकांश धन और सहायता कुछ क्षेत्रों के एथलीटों को आवंटित की जाती है।
- **वित्तीय मुद्दे:**
  - **सीमित फंड:** भारत में खेल उद्योग का आकार पिछले 5 वर्षों में लगभग 100 बिलियन डॉलर का है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा क्रिकेट के आसपास केंद्रित है और अन्य खेलों को पर्याप्त धन नहीं मिलता है।
  - **केंद्र सरकार की सीमित फंडिंग:** खेल राज्य सूची की प्रविष्टि 33 के तहत एक राज्य का विषय है और इसलिए केंद्र सरकार से सीमित फंडिंग है।
- **सहयोग और समन्वय मुद्दे:**
  - **शासन संरचना:** क्रिकेट, हॉकी आदि जैसे कुछ खेलों को छोड़कर देश में स्पष्ट और कार्यात्मक खेल संरचना का अभाव है उदाहरण: तीसरे पक्ष के प्रभाव के कारण फीफा द्वारा AIFF पर प्रतिबंध।
  - **एक से अधिक अभिकर्ता:** राज्य सरकार, जिला प्रशासन, निजी संस्थाओं आदि जैसे कई हितधारकों के कारण खेलों में जमीनी स्तर पर परस्पर सहयोग मुश्किल हो जाता है।
  - **पारदर्शिता के मुद्दे:** खेल संगठनों के पास बड़ी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं जो अपारदर्शी निर्णय लेने और भ्रष्टाचार आदि को बढ़ावा देती हैं।

उठाए गए कदम

- **वित्तीय सहायता:** सरकार ने खेल संघों को कर लाभ जैसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- राष्ट्रीय खेल महासंघ के आयोजनों की मेजबानी के लिए **खेल सुविधाएँ** प्रदान की जाती हैं।
- **भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011:** यह खेल मंत्रालय की वार्षिक मान्यता को बनाए रखने और विशेषाधिकारों का लाभ लेने के लिए खेल निकाय द्वारा अनुपालन किए जाने वाले न्यूनतम मानकों का प्रावधान करता है।
- **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022:** यह अधिनियम खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है।
- **सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता का मसौदा:** खेलों में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता, 2017 का मसौदा भारत में खेल निकायों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए दिशा-निर्देशों का एक प्रस्तावित सेट है।

खेल प्रशासन में चुनौतियाँ:

- **शौक बनाम पेशा के रूप में खेल:** कम सफलता दर, शैक्षणिक दबाव और नौकरी चाहने वाली मानसिकता के कारण खेलों को एक पेशे के रूप में बदलने में काफी चुनौती है।
- **धार्मिक बाधाएँ:** तैराकी और एथलेटिक्स जैसे कुछ खेलों में ऐसी पोशाक की आवश्यकता होती है जो महिला के शरीर को पूरी तरह से नहीं ढकती है और यह कुछ धर्मों के कानूनों के खिलाफ है।

- **पक्षपात:** खेलों में उत्साह मुख्य रूप से क्रिकेट में केंद्रित है जो आसानी से निवेश को आकर्षित करता है और क्रिकेटरों को राजस्व की मोटी रकम देता है।
- PoSH अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में कमी: यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के बावजूद, 30 राष्ट्रीय खेल महासंघों में से 15 ऐसे हैं जो आंतरिक शिकायत समिति की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।
- **उच्च प्रदर्शन का दबाव:** एक खिलाड़ी पर प्रदर्शन करने या अन्यथा असुरक्षित जीवन जीने के लिए तैयार रहने का उच्च स्तर का दबाव होता है।
- **संसाधन की कमी:** पूरे देश में अच्छी गुणवत्ता वाले बुनियादी खेल ढाँचे की कमी है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कुछ अच्छे स्टेडियम विकसित किए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत खराब है।

आगे की राह

- **खेल कानून:** व्यापक खेल कानून की आवश्यकता है जो जाँच और संतुलन के साथ खेल के 'शासन' और 'प्रबंधन' विभागों को अलग-अलग करे।
- **यौन उत्पीड़न:** खेल निकायों में यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 को अक्षरश: लागू करने की आवश्यकता है।
- **व्यावसायिकता:** सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए पेशेवर खेल अभिशासन और प्रशासन की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, खेल निकायों में सदस्यों के चयन और उन्हें बनाए रखने संबंधी योग्यताएँ।
- **सहयोग:** अभिशासन पर शैक्षिक संसाधनों को विकसित करने और संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **जवाबदेही:** जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, 'प्रशासनिक फैसलों के अनिवार्य सार्वजनिक खुलासे', 'नियमित रूप से बयान जारी करना' जैसे उपायों को लागू करना आवश्यक है।
- **बॉटम-अप दृष्टिकोण:** जिला और राज्य निकायों के पुनर्गठन और सुधार के लिए बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय खेल निकायों को प्रभावित करेगा।

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता संरक्षण, बाजार में **अनुचित प्रथाओं के खिलाफ वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों के साथ-साथ जनता की सुरक्षा करने की प्रथा** है। उपभोक्ता संरक्षण उपाय प्रायः व्यवसायों को धोखाधड़ी या अन्य निर्दिष्ट अनुचित प्रथाओं में शामिल होने से रोकने के इरादे से कानून द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इन कानूनों का उद्देश्य व्यवसायों को प्रतिस्पर्द्धियों पर लाभ प्राप्त करने या उपभोक्ताओं को गुमराह करने से रोकना है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता संरक्षण कानून आम जनता के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय प्रदान कर सकते हैं, भले ही वे किसी विशेष उत्पाद के प्रत्यक्ष खरीदार या उपभोक्ता न हों या इसके उत्पादन में शामिल न हों।

उपभोक्ता संरक्षण तंत्र की आवश्यकता

- **उत्पादों की गुणवत्ता:** उपभोक्ताओं को उत्पादों की निम्न गुणवत्ता से बचाना।
- **धोखाधड़ी की प्रथाएँ:** कुछ उपभोक्ता वस्तुओं और सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाई गई कपटपूर्ण प्रथाओं, जैसे - छलपूर्ण वारंटी आदि पर प्रतिबंध लगाना।
- **प्रभावी शिकायत निवारण:** उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों के विरुद्ध एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा:** उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है, जैसे - उत्पाद के बारे में जानने का अधिकार, चुनने का अधिकार आदि।
- **तेजी से विवाद समाधान:** न्यायिक मामलों के बोझ से दबी हुई अदालतों के बाहर तेजी से विवाद समाधान के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है।
- **उपभोक्ताओं को एकजुट करना:** जबकि हमारे देश में व्यवसायी और व्यापारी एकजुट हैं, उपभोक्ता एकजुट नहीं हैं और ऐसा तंत्र उन्हें एकजुट करता है।
- **जमाखोरी:** कभी-कभी, कंपनियाँ या निर्माता उत्पादों की जमाखोरी करके आवश्यक उत्पादों की कृत्रिम कमी पैदा करते हैं जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं।

उठाए गए कदम:

- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986:** उपभोक्ताओं के छह अधिकारों की मान्यता के साथ अधिनियम ने अलग-अलग उपभोक्ता अदालतों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक अलग तंत्र प्रदान किया है।
- **उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2019:** वर्ष 1986 के अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया था:
  - **उपभोक्ता अधिकारों का विस्तार** जैसे अन्य पहलुओं पर सूचना का अधिकार, कहीं से भी शिकायत और उत्पाद दायित्व के तहत मुआवजा माँगना।
  - अधिनियम के दायरे में ई-कॉमर्स को शामिल करना।
  - **अनुचित व्यापार प्रथाओं** की परिभाषा का विस्तार जैसे कि बिल या रसीद जारी करने में विफलता, 30 दिनों के भीतर एक अच्छा रिटर्न स्वीकार करने से इनकार करना, व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करना जब तक कि किसी कानून के अनुसार सार्वजनिक हित में इसकी आवश्यकता न हो।
  - शिकायत वहीं दर्ज की जा सकती है जहाँ उपभोक्ता रहता हो।
  - वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता के प्रावधान को शामिल करना।
  - उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, सुरक्षित करने और लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना।
  - उपभोक्ता विवाद समाधान - आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार में वृद्धि।
  - **जिला स्तर:** एक करोड़ रुपये तक। (आगे घटाकर 50 लाख रुपये)
  - **राज्य स्तर:** एक करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक; (आगे घटाकर 50 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया)
  - **राष्ट्रीय स्तर:** 10 करोड़ रुपये से ऊपर। (आगे घटाकर रु. 2 करोड़ कर दिया गया)
- **ई-दाखिल पोर्टल:** केंद्र सरकार ने ई-दाखिल पोर्टल स्थापित किया है, जो उपभोक्ताओं को संबंधित उपभोक्ता फोरम तक आसानी से पहुँचने की परेशानी मुक्त, त्वरित और सस्ती सुविधा प्रदान करता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020:** नियमों में प्रावधान है कि विक्रेता सामान वापस लेने या सेवाएँ वापस लेने या रिफंड से इनकार नहीं कर सकते, ई-कॉमर्स कंपनियों को सामान की कीमतों में हेरफेर करने से रोक सकते हैं आदि।
- **भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन पर दिशा-निर्देश, 2022:** उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

निवर्तमान चुनौतियाँ

- **विचाराधीन मामले:** वर्तमान में देश में 5.5 लाख से अधिक उपभोक्ता मामले लंबित हैं, जिनमें वर्ष 2000 से पहले दायर 4,029 से अधिक लंबित मामले शामिल हैं।
- **उत्पादकों के लिए उपाय का अभाव:** उत्पाद वापस मंगाने वाले पीड़ितों (निर्माताओं) के लिए बहुत कम या कोई प्रावधान नहीं है जो न केवल ऐसी कंपनियों की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुँचाता है बल्कि लंबे समय तक उपभोक्ताओं के बीच उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुँचाता है।
- **नियमों का उल्लंघन:** भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ दिशा-निर्देशों के बावजूद, उन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, खासकर गेमिंग उद्योग जैसे विंजो, MPL आदि में।
- **कमजोर पक्षों पर दबाव:** अधिनियम के कुछ प्रावधान जैसे विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता, मजबूत पक्षों द्वारा कमजोर पक्षों पर दबाव बनाने का अवसर प्रदान करते हैं।
- **रिक्तियाँ:** जिला आयोगों में सदस्यों के पद पर कई रिक्तियाँ हैं जो आयोगों के कामकाज में बाधा डालती हैं।

आगे की राह:

- **रैंकिंग:** विभिन्न जिला आयोगों को उनके कामकाज में प्रतिस्पर्द्धात्मकता लाने के लिए विवाद समाधान में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जा सकती है।
- **कार्यकारी हस्तक्षेप:** भ्रामक विज्ञापनों, टेली-मार्केटिंग, बहु-स्तरीय विपणन आदि के लिए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्यकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- **जागरूकता:** सोशल मीडिया, जागृति शुभंकर आदि के माध्यम से जनता के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने अधिकारों के बारे में मुखर हैं।
- **सेलिब्रिटी समर्थन के लिए दिशा-निर्देश:** अस्वास्थ्यकर भोजन, शराब आदि के प्रचार के संबंध में मशहूर हस्तियों के लिए अलग दिशा-निर्देश बनाने की आवश्यकता है।
- **उपभोक्ताओं के कर्तव्य:** अधिकारों के साथ-साथ, उपभोक्ताओं को अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए जैसे शिकायत दर्ज करना, क्लास एक्शन सूट (class action suit), संस्थानों द्वारा उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता में शामिल होना।

आर्थिक अभिशासन

परिचय

आर्थिक अभिशासन में ऐसे नियम, संस्थाएँ और प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं जो किसी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों का मार्गदर्शन करती हैं, जिनका लक्ष्य व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, सतत् विकास को बढ़ावा देना और नागरिक कल्याण में सुधार के लिए समान संसाधन वितरण प्राप्त करना है।

ऐतिहासिक अवलोकन

स्वतंत्रता के बाद भारत का आर्थिक अभिशासन एक मिश्रित अर्थव्यवस्था से विकसित हुआ और 1990 के दशक में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया, जिसने आर्थिक परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से बदल दिया।

आर्थिक अभिशासन की आधारशिलाएँ

- **बाजार दक्षता:** भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के माध्यम से बाजार दक्षता को बढ़ाना जो एकाधिकारवादी प्रथाओं को रोकता है। 'स्टार्टअप इंडिया' जैसी पहल उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है।
- **व्यापक आर्थिक स्थिरता:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीतियों का प्रबंधन करता है, जबकि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जैसी नीतियों के माध्यम से राजकोषीय अनुशासन को बरकरार रखा जाता है।

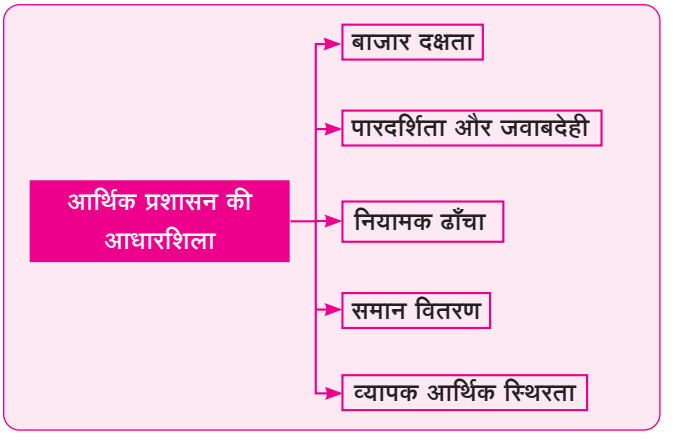

- **समान वितरण:** मनरेगा जैसे कार्यक्रम और जन धन योजना जैसी वित्तीय समावेशन पहलें आय असमानताओं को दूर करने और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को व्यापक बनाने में मदद करती हैं।
  - **नियामक ढाँचा:** उपभोक्ता संरक्षण और प्रतिभूति विनियमन, बाजार की शुचिता सुनिश्चित करता है और उपभोक्ताओं और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
  - **पारदर्शिता और जवाबदेही:** सूचना का अधिकार अधिनियम और कंपनी अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन की आवश्यकताएँ पारदर्शिता और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ाती हैं।

आर्थिक शासन के स्तंभ के रूप में राजकोषीय नीति और बजटीय प्रक्रिया

- **राजकोषीय नीति:** आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने और विशिष्ट आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कराधान, सरकारी खर्च और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन का उपयोग करती है।
- **बजटीय प्रक्रिया:** इसमें सरकारी बजट का निर्माण, अनुमोदन, कार्यान्वयन और निगरानी, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करना और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है।

भारत में आर्थिक गतिविधियों के लिए नियामक ढाँचा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

- आरबीआई मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है, वित्तीय संस्थानों की देखरेख करता है और वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है।

- उल्लेखनीय प्रभावों में लक्षित सीमा के भीतर मुद्रास्फीति नियंत्रण, जन धन योजना जैसी पहल के माध्यम से औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार और UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान में वृद्धि शामिल हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी- SEBI)

- पूँजी बाजारों को नियंत्रित करता है, निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और पूँजी जुटाने की सुविधा प्रदान करता है।
- प्रमुख उपलब्धियों में बाजार पूँजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि, म्यूचुअल फंड परिसंपत्तियों में वृद्धि और कॉर्पोरेट प्रशासन में वृद्धि शामिल हैं।

अन्य वित्तीय बाजार विनिमय

- इसमें बीमा सेवाओं की देखरेख करने वाला, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority-IRDAI); सेवानिवृत्ति बचत का प्रबंधन करने वाला, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority-PFRDA) और विदेशी मुद्रा लेन-देन को विनियमित करने वाला विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act-FEMA) शामिल हैं।
- उल्लेखित उपलब्धियों में बीमा अंतर्वेशन में वृद्धि, पेंशन परिसंपत्तियों में वृद्धि और विदेशी मुद्रा भंडार में स्थिरता शामिल हैं।

आर्थिक अभिशासन की चुनौतियाँ

- **प्रतिस्पर्द्धी प्राथमिकताओं में संतुलन:** भारत सरकार को प्रायः 'सामाजिक कल्याण योजनाओं' के साथ 'बुनियादी ढाँचे के विकास' को संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, स्मार्ट शहरों के विकास और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी ग्रामीण रोजगार योजनाओं के विस्तार के बीच बजट आवंटित करना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है।
- **राजकोषीय घाटे और ऋण का प्रबंधन:** राजकोषीय घाटे के साथ भारत का संघर्ष अच्छी तरह से प्रलेखित है। सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को प्रबंधनीय सीमा के भीतर रखना है, जैसे कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management-FRBM) अधिनियम के तहत सकल घरेलू उत्पाद का 3% का लक्ष्य, हालाँकि, विभिन्न आर्थिक दबावों जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की आवश्यकता के कारण, यह प्रायः इस सीमा से अधिक हो जाता है।
- **राजनीतिक दबाव और अल्पकालिकवाद:** चुनावी चक्रों के दौरान, प्रायः किसानों के लिए ऋण माफी या करों में कटौती जैसे लोकलुभावन उपायों में वृद्धि होती है, जिनके राजनीतिक लाभ के लिए अल्पकालिक लाभ हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के साथ संरेखित हों। इस तरह के फैसले राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आवश्यक दीर्घकालिक निवेश में संसाधनों की कमी कर सकते हैं।
- **अक्षमताएँ और भ्रष्टाचार:** सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और अक्षमताओं के कारण ऐतिहासिक रूप से लागत में वृद्धि और देरी हुई है। एक उल्लेखनीय उदाहरण सड़क निर्माण या रेलवे उन्नयन जैसी विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी है, जहाँ अक्षमताएँ न केवल लागत बढ़ाती हैं बल्कि आर्थिक विकास में भी बाधा डालती हैं।
  - डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाकर पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना है।

आगे की राह

- **उभरती प्रौद्योगिकियों को विनियमित करना:** उपभोक्ता संरक्षण के साथ नवाचार को संतुलित करने के लिए ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फिनटेक के लिए नियामक ढाँचे का विकास करना आवश्यक है।
- **नियामक सैंडबॉक्स:** नए वित्तीय उत्पादों के लिए परीक्षण वातावरण का निर्माण, प्रयोग और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- **नियामक दक्षता बढ़ाना:** जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण लागू करना और संसाधनों को अनुकूलित करने और सूचित निर्णय सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्रभाव आकलन करना।
- **सामंजस्य और समन्वय:** नियमों को मानकीकृत करने और नियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ कार्य करना।
- **प्रणालीगत जोखिमों को संबोधित करना:** साइबर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना और संपोषणीयता की रक्षा और अभिवृद्धि हेतु जलवायु जोखिमों को वित्तीय नियमों के साथ एकीकृत करना।
- **वित्तीय समावेशन और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देना:** हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए वित्तीय पहुँच में सुधार करने, प्रभावकारी निवेश का समर्थन करने और सूचित निर्णयन के सशक्तीकरण के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु विनियम निर्मित करना।

निष्कर्ष

समग्र राष्ट्रीय विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक अभिशासन को एकीकृत करना महत्त्वपूर्ण है। यह प्रवृत्ति सतत् विकास लक्ष्यों, समावेशी अर्थव्यवस्थाओं और न्यायसंगत समाजों की ओर वैश्विक बदलाव के साथ संरेखित होती है। समकालीन जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट रणनीतियों की आवश्यकता है। सामाजिक और आर्थिक अभिशासन का एकीकरण एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है; असमानताओं को संबोधित करता है, स्थिरता को बढ़ावा देता है, मानव पूँजी विकसित करता है, समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, नीतिगत सुसंगतता सुनिश्चित करता है और सामाजिक-आर्थिक आपदाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

6 पर्यावरणीय एवं नैतिक अभिशासन

पर्यावरणीय अभिशासन

पर्यावरणीय अभिशासन में पर्यावरण के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए निर्णय लेना और नीति कार्यान्वयन शामिल है।

- **हितधारक:** इनके लिए सरकारों, व्यवसायों, समुदायों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय की आवश्यकता है।
- **उद्देश्य:** पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना और सतत् विकास को बढ़ावा देना।

पर्यावरणीय अभिशासन के प्रमुख सिद्धांत

- **एकीकरण:** पर्यावरणीय विचारों को सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए।
- **अंतर्संबंध:** शहरी केंद्रों, समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और अभिशासन के पर्यावरण के साथ अंतर्संबंध को पहचानना।
- **परस्पर निर्भरता:** व्यक्तियों और उनसे संबद्ध पारिस्थितिक तंत्र के बीच पारस्परिक निर्भरता पर जोर देना।
- **संक्रमण:** रेखीय, अपशिष्ट तंत्र से पुनर्चक्रण, पुनर्योजी दृष्टिकोण में परिवर्तन का समर्थन करना।

पर्यावरणीय अभिशासन की प्रमुख चुनौतियाँ

- **संतुलन बनाए रखना:** आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, भारत में सरदार सरोवर बाँध जैसी परियोजनाओं को उनके विकास संबंधी लाभों के बावजूद पारिस्थितिक चिंताओं के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है।
- **संसाधनों की कमी:** सीमित वित्तीयन और कर्मचारियों की कमी पर्यावरणीय पहल में बाधा बनती है। गंगा और यमुना जैसी नदियों में जल प्रदूषण से निपटने के प्रयास अपर्याप्त संसाधनों के कारण प्रभावित होते हैं।
- **नीति और समन्वय संबंधी मुद्दे:** पर्यावरणीय लक्ष्यों में अस्पष्टता और विभिन्न क्षेत्रों में असंबद्ध नीतियाँ, जो प्लास्टिक प्रदूषण जैसी चुनौतियों में देखी जाती हैं, व्यापक अभिशासन रणनीतियों को कमजोर करती हैं।
- **वित्तीय और ज्ञान बाधाएँ:** नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के साथ अपर्याप्त एकीकरण प्रगति में बाधा डालता है।
- **सरकार की क्षमता संबंधी बाधाएँ:** सीमित संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय दायित्वों के अनुपालन में बाधा बनती है, जैसे कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन में उल्लिखित।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ:** निर्णय लेने की प्रक्रिया से महिलाओं का बहिष्कार और स्थानीय समुदायों का प्रतिरोध, जैसा कि वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में देखा गया है, महत्त्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।
- **वैज्ञानिक अनिश्चितताएँ:** मानवीय गतिविधियों और वनों की कटाई जैसे पर्यावरणीय प्रभावों के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने में चुनौतियाँ, नीति निर्माण को जटिल बनाती हैं।
- **जटिल प्रणालियों की सीमित समझ:** पर्यावरणीय गतिशीलता की अधूरी समझ, जैसे कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित ज्ञान , प्रभावी अनुकूलन उपायों के विकास में बाधा डालती है।

भारत में पर्यावरणीय नीतियाँ और विनियम

प्रमुख विधान:

- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:** पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।
- **जल अधिनियम, 1974:** इसका उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना है।
- **वायु अधिनियम, 1981:** उत्सर्जन को विनियमित करके वायु प्रदूषण को संबोधित करता है।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा करता है।
- **खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:** खतरनाक अपशिष्ट निपटान का प्रबंधन करता है।
- **तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (2019):** तटीय क्षेत्रों में विकास को नियंत्रित करता है।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम (2021):** इसका उद्देश्य एकल-उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करना है।

वन अधिकार अधिनियम और संरक्षण नीतियाँ

- **वन अधिकार अधिनियम, 2006:** आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को मान्यता देता है।
- **राष्ट्रीय वन नीति एवं जैव विविधता कार्य योजना:** वन संरक्षण एवं जैव विविधता को बढ़ावा देना।
- **प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट:** संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहल।
- **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम:** वनीकरण और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देता है।
- **प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम:** वन रूपांतरण (डायवर्जन) के प्रभावों को कम करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय समझौते:** भारत सीबीडी और पेरिस समझौते जैसे अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता है, जो इसके संरक्षण प्रयासों का मार्गदर्शन करते हैं।

वन (संरक्षण) नियम, 2022 अवलोकन

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2003 के नियमों के स्थान पर इन्हें जारी किया गया।

प्रमुख प्रावधान

- वन संरक्षण मामलों पर सलाह देने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में सलाहकार और परियोजना स्क्रीनिंग समितियों की स्थापना करना।
- राज्य सरकारों को आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जनजातियों की पारंपरिक वनभूमि के संरक्षण करने का कार्य सौंपा गया है।
- कुछ क्षेत्रों में आवेदक अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वनीकरण के माध्यम से वन भूमि परिवर्तन (डायवर्जन) की भरपाई कर सकते हैं।

आलोचना

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के विपरीत निजी डेवलपर्स को वनवासियों की सहमति के बिना जंगलों को साफ करने की अनुमति देना।
- केंद्र सरकार ने प्रामाणिक निवासियों को सूचित किए बिना वनों को साफ करने के लिए अधिकृत किया, जो वनवासियों से स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति की आवश्यकता के विपरीत है।

पर्यावरण नियामक निकाय

- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC):** पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए नीतियाँ बनाता है और उन्हें लागू करता है।
- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB):** यह वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को कवर करते हुए देश भर में प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण करता है।
- **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB):** यह पर्यावरण कानूनों को लागू करता है, परमिट जारी करता है, निरीक्षण करता है तथा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के भीतर प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करता है।
- **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT):** यह पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण मामलों से निपटने, त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालय है।
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB):** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत कार्य करते हुए पूरे भारत में संगठित वन्यजीव अपराध का मुकाबला करता है।
- **वन विभाग:** यह केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
- **राज्य वन विभाग:** राज्य स्तर पर वनीकरण और वन्यजीव संरक्षण सहित वानिकी संबंधी नीतियों को लागू करना।

सतत् विकास लक्ष्य (SDGs) और भारत

सतत् विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक विश्वव्यापी विकास के लिए एक असाधारण, महत्त्वाकांक्षी और सर्वव्यापी एजेंडे की रूपरेखा तैयार करते हैं। भारत सरकार ने नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में एसडीजी को एकीकृत करने के लिए कई सक्रिय उपाय लागू किए हैं।

सतत् विकास लक्ष्यों में भारत के गवर्नेंस प्रयासों और प्रगति पर नजर रखना

सतत् विकास लक्ष्य	भारत के प्रयास और प्रगति	उल्लेखनीय पहल
एसडीजी 1: गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति	• महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी बढ़कर 37.0% हो गई। - 33.98 लाख स्वयं सहायता समूह (SHG) बैंक ऋण से जुड़े। • 2022-23 में 1.20 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए संस्थागत सहायता प्रदान की गई।	• 1998 से केरल में कुटुंबश्री का कार्यान्वयन। • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना।
एसडीजी 2: शून्य भुखमरी	• 2018-19 में एनएफएसए कवरेज बढ़कर 97.6% हो गया। • मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित: 224 मिलियन। • जैविक कृषि कुल भूमि क्षेत्र का 3.9% कवर करती है।	• तमिलनाडु के रामनाथपुरम में ब्रेस्ट मिल्क बैंक की स्थापना। • नंदुरबार, महाराष्ट्र में केंद्रीय रसोई।
एसडीजी 3: बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण	• आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई ने 100 मिलियन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। • मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 97 हुआ। • 2022 में मलेरिया की घटनाएँ घटकर 0.13 प्रति 1000 मामले हो गई।	• आंध्र प्रदेश में वाईएसआर आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना। • मुजफ्फरपुर में बाल संरक्षण इकाई की स्थापना।
एसडीजी 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	• प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर में कमी। • उच्च शिक्षा के लिए लिंग समानता सूचकांक सुधरकर 1 हो गया। • उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में जीईआर: 57.6%.	• बिहार में उन्नयन बांका स्मार्ट क्लासरूम मॉडल।
एसडीजी 5: लैंगिक समानता	• पीएमजेडीवाई ने 381 मिलियन बैंक खाते खोले, जिनमें 54% महिलाओं द्वारा थे। • मुद्रा योजना के 75% लाभार्थी महिलाएँ हैं। • संसद में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: 14.36%.	• मुजफ्फरपुर में चिल्ड्रेन फर्स्ट पहल।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता	• बेहतर पेयजल तक पहुँच वाले ग्रामीण परिवार: 99.25%। • ग्रामीण व्यक्तिगत घरेलू शौचालय: 100%। • 97.4% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय हैं।	• उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण के लिए 'टाँका' तकनीक। • वाई.एस.आर. कडप्पा, आंध्र प्रदेश में उपसतह बाँध।
एसडीजी 7: वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा	• स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुँच वाले घर: 99.8%। • 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य: 450 गीगावॉट। • विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान: 22.5%।	• गुजरात में सूर्यशक्ति किसान योजना (SKY)।
एसडीजी 8: उचित कार्य और आर्थिक विकास	• जारी किए गए पेटेंट बढ़कर 34,134 हो गए। • स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप: 26,522। • प्रति 1 लाख जनसंख्या पर बैंकिंग आउटलेट: 98.8	• अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) उद्यमिता का समर्थन करता है।
एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा	• भारतमाला कार्यक्रम में निवेश तीन गुना। • सागरमाला परियोजना से बंदरगाह की कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि हुई। • भारत नागरिक उड्डयन के लिए तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार है।	• निर्माण परमिट के लिए मुंबई और दिल्ली में व्यापार करने में सुगमता को सुव्यवस्थित करना।
एसडीजी 10: असमानताओं में कमी	• मुद्रा योजना: 48% ऋण खाते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उद्यमियों के पास हैं। • पंचायती राज संस्थाओं में 44.4% सीटें महिलाओं के पास हैं।	• ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तीकरण के लिए ओडिशा में स्वीकृति योजना।
एसडीजी 11: सतत् शहर और समुदाय	• शहरी क्षेत्रों में पूर्णतः निर्मित घर: 3.2 मिलियन। • 98% वार्डों ने 100% डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण हासिल किया।	• ओडिशा में Bhubaneswar One इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। • गोवा में मैंग्रोव के बीच पणजी का 'बोर्डवॉक'।
एसडीजी 12: संवहनीय उपभोग और उत्पादन	• जैविक कृषि भूमि में भारत विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है। • 75% नगरपालिका वार्डों में स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण।	• केरल के अलाप्पुझा में 'निर्मला भवनम निर्मला नगरम'परियोजना।
एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई	• स्थापित सौर क्षमता 13 गुना बढ़कर 34.62 गीगावॉट हो गई। • जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता 21% कम हुई।	• सतत् शीतलन सुनिश्चित करने के लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP)।
एसडीजी 14: जलीय जीवन	• भारत समुद्री देशों में 16वें स्थान पर है, मत्स्य उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। • मछली पकड़ने में अधिकतम सतत् उत्पादन में 43% की वृद्धि हुई।	• महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग मुख्यधारा परियोजना।
एसडीजी 15: भूमि पर जीवन	• वनीकरण पहल के तहत 1.69 मिलियन हेक्टेयर भूमि। • वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाली का लक्ष्य।	• टिकाऊ राजमार्गों के लिए हरित राजमार्ग नीति।
एसडीजी 16: शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएँ	• 90% से अधिक लोग आधार में नामांकित हैं। • समग्र अपराध दर में कमी	• सिमडेगा, झारखंड में पुलिस अंकल ट्यूटोरियल कार्यक्रम।
एसडीजी 17: लक्ष्यों के लिए साझेदारी	• भारत ने संसाधन जुटाने के लिए कर-से-जीडीपी अनुपात बढ़ाया। • 65 देशों को 306 से अधिक लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) प्रदान की गई।	• सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की स्थापना।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स

- एसडीजी इंडिया इंडेक्स महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संकेतकों के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति की निगरानी करता है। यह भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित हस्तक्षेपों और कार्यक्रमों के परिणामों के संबंध में उनकी प्रगति का मूल्यांकन करता है।
- एसडीजी इंडिया इंडेक्स का लक्ष्य अपने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के साथ-साथ देश की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थितियों पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना है।
- भारत, एसडीजी प्रगति के संबंध में सरकार के नेतृत्व वाला उप-राष्ट्रीय पैमाना बनाने में अग्रणी राष्ट्र के रूप में खड़ा है।
- इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), भारत में संयुक्त राष्ट्र और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में तैयार किया गया था।
- प्रकाशक: एसडीजी इंडिया इंडेक्स के प्रकाशन की देखरेख नीति आयोग करता है।
- इस सूचकांक के माध्यम से सरकार, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसडीजी की प्रगति को ट्रैक करती है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स- 2020-2021

एसडीजी इंडिया इंडेक्स- 2020-2021 में भारत का प्रदर्शन इस प्रकार है:

- भारत का व्यापक एसडीजी स्कोर 6 अंक बढ़ गया, जो वर्ष 2019 में 60 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 66 हो गया।
- इसका श्रेय अन्य कारकों के अलावा स्वच्छ जल, स्वच्छता और सुलभ और सतत् ऊर्जा जैसी सुविधाएँ प्रदान करने में वृद्धि को दिया गया।

राज्यवार प्रदर्शन इस प्रकार हैं:

- केरल ने 75 अंक हासिल कर सूचकांक का नेतृत्व किया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु रहे, दोनों ने 74 अंक हासिल किए।
- इसके विपरीत एसडीजी इंडिया इंडेक्स में बिहार, झारखंड और असम राज्यों में सबसे निचले स्थान पर हैं।
- केंद्र शासित प्रदेशों में, चंडीगढ़ ने 79 अंक के साथ अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा, इसके बाद दिल्ली 68 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- प्रगति के मामले में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड वर्ष 2020-21 में अग्रणी लाभार्थी बनकर उभरे।

एसडीजी की दिशा में सरकारी योजनाएँ: इन लक्ष्यों के अनुरूप, विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं:-

- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)।
- घरेलू शौचालय पहुँच के लिए स्वच्छ भारत मिशन।
- रोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)।
- ग्रामीण और शहरी आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)।
- अनलिंक्ड बस्तियों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), वित्तीय सेवाओं तक पहुँच के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों को सामाजिक पेंशन प्रदान करता है।

विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन: चुनौतियाँ

विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन में आर्थिक प्रगति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बीच संवेदनशील संतुलन को शामिल करना शामिल है। यह कई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, जिनमें शामिल हैं:-

- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** पर्यावरण संरक्षण के साथ बुनियादी ढाँचे की जरूरतों को संतुलित करने से आवास हानि और प्रदूषण जैसी चुनौतियाँ पैदा होती हैं। हिमालय में चार धाम राजमार्ग विस्तार इन चिंताओं को दर्शाता है।
- **प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण:** विकास के लिए संसाधनों का दोहन पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को नुकसान पहुँचा सकता है। भारत का खनन उद्योग, विशेष रूप से गोवा में, सतत्ता संबंधी चिंताओं और पर्यावरणीय सक्रियता का सामना कर रहा है।
- **औद्योगिक विकास:** विस्तार से प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं। भोपाल गैस त्रासदी और चल रहा औद्योगिक प्रदूषण इन जोखिमों को उजागर करता है।
- **भूमि उपयोग परिवर्तन:** आवासों को परिवर्तित करने से पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है। कृषि या शहरीकरण के लिए वन रूपांतरण से जैव विविधता को खतरा है, जिसका उदाहरण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के निवास स्थान का नुकसान है।
- **जलवायु परिवर्तन शमन:** विकास के साथ उत्सर्जन में कमी को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण है। आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए भारत का नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन इस चुनौती का उदाहरण है।
- **जनसंख्या दबाव:** तीव्र वृद्धि संसाधनों पर दबाव डालती है। भारत की बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डालती है, जिससे अत्यधिक दोहन और प्रदूषण होता है।
- **नीति और नियामक चुनौतियाँ:** कमजोर प्रवर्तन उल्लंघन की अनुमति देता है। भारत में पर्यावरण नियमों का अपर्याप्त कार्यान्वयन संरक्षण प्रयासों को कमजोर करता है।
- **सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ:** विकास असमान रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करता है, जिससे गरीबी बढ़ती है। बड़े पैमाने की परियोजनाएँ अक्सर मूल जनजातियों को विस्थापित करती हैं, जिससे असमानताएँ बढ़ती हैं।

इन्हें संबोधित करने के लिए सतत् विकास, पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक चिंताओं को एकीकृत करना, हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना, नियमों को बढ़ाना, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

संतुलित दृष्टिकोण के तत्त्व

सतत् बुनियादी ढाँचा विकास

- नवीकरणीय ऊर्जा और हरित बुनियादी ढाँचे में निवेश करना: सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देना। ऊर्जा-कुशल इमारतों और सतत् परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना।

- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और सामुदायिक जुड़ाव बढ़ाना: व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) आयोजित करना और निर्णय लेने में स्थानीय समुदायों को शामिल करना।

जिम्मेदार संसाधन निष्कर्षण

- दक्षता को बढ़ावा देना और नियमों को लागू करना: अपशिष्ट को कम करने के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाना, सशक्त पर्यावरण नियम लागू करना।
- विकल्पों में निवेश करना और सामुदायिक लाभ सुनिश्चित करना: नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित समुदाय लाभ साझा करें।

स्वच्छ औद्योगिक विकास

- हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाना और प्रदूषण नियंत्रण लागू करना: स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करना। उत्सर्जन मानकों को सुदृढ़ करना।
- समुदायों को शामिल करना और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी को कायम रखना: समुदायों को सूचित करना। जिम्मेदार उद्योग प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।

सतत् भूमि उपयोग प्रबंधन

- पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना और समुदायों को सशक्त बनाना: पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और सतत् भूमि प्रबंधन का समर्थन करना। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना।
- स्मार्ट शहरी योजना लागू करना और भूमि अधिग्रहण कम से कम करना: हरित स्थानों और सुगठित (कॉम्पैक्ट) शहरों में निवेश करना। भूमि अधिग्रहण कम से कम करना और उचित मुआवजा देना।
- सतत् विकास को आगे बढ़ाने और सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए प्रभावी अभिशासन आवश्यक है। पारदर्शी, जवाबदेह और भागीदारीपूर्ण शासन ढाँचे देशों को जटिल चुनौतियों का समाधान करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और नागरिक कल्याण सुनिश्चित करने में सक्षम बनाते हैं। सरकारों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देकर, राष्ट्र गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सामूहिक विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं।

7 पर्यावरणीय एवं नैतिक अभिशासन

भारत में नैतिक अभिशासन

नैतिक अभिशासन का तात्पर्य सार्वजनिक मामलों को निष्पक्षता, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के साथ संचालित करने की प्रथा से है। यह जिम्मेदारी से सत्ता का उपयोग करने, जनता की भलाई को प्राथमिकता देने और निर्णय लेने में नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने पर जोर देता है। यह एक मजबूत और समावेशी लोकतंत्र के निर्माण, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

नैतिक अभिशासन का दार्शनिक आधार

कौटिल्य का अर्थशास्त्र

- **नागरिक-केंद्रीयता:** कौटिल्य ने अपनी प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता देने के राजा के कर्तव्य पर जोर देते हुए कहा, "प्रजा की खुशी में राजा की खुशी निहित है।"
- **भ्रष्टाचार का मुकाबला:** उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रकाश डालते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 'कंटकशोधन' जैसे सख्त उपायों की वकालत की।

गांधी जी का रामराज्य का सपना

- **रामराज्य:** गांधीजी ने अहिंसा और सत्य जैसे नैतिक सिद्धांतों पर आधारित एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी, उनका मानना था कि शासन नैतिकता में निहित होना चाहिए।
- **स्वराज:** स्व-शासन की उनकी अवधारणा ने नैतिक शासन के लिए नागरिक भागीदारी को महत्त्वपूर्ण बताया।
- **अरस्तू का विभेद:** अरस्तू ने सरकारों को 'विकृत' या 'वैध' के रूप में वर्गीकृत किया, जिसमें 'वैध' रूप में शासक वर्ग के हितों के बजाय जनता की भलाई पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया जाता था।

अन्य दार्शनिक परंपराएँ

- **कंफ्यूशियसवाद:** यह सार्वजनिक कार्यालय के लिए नैतिक नेतृत्व, सामाजिक सद्भाव और योग्यता आधारित चयन पर जोर देता है।
- **जॉन लॉक और सामाजिक अनुबंध सिद्धांत:** शासितों की सहमति और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा पर प्रकाश डालता है।
- **उपयोगितावाद:** अधिकतम लोगों के लिए खुशी और कल्याण को अधिकतम करने की वकालत करता है।

ये ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि एक न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज को प्राप्त करने में नैतिक नेतृत्व, नागरिक जुड़ाव और निरंतर सतर्कता के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

भारतीय शासन में नैतिक मुद्दे

- **प्राधिकार का दुरुपयोग:** अधिकारी अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करते हैं, पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते हैं या संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं जिससे जनता का विश्वास कम होता है हालिया रिपोर्टों में कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए सरकारी अधिकारियों द्वारा अनधिकृत भूमि अधिग्रहण का हवाला दिया गया है।
- **लापरवाही और कर्तव्य-विमुखता:** लोक सेवकों की विफलता से अक्षमता और नुकसान होता है। हाल की घटनाओं में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा करना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप निम्न-स्तरीय देखभाल और रोकी जा सकने वाली मौतें हुईं।
- **रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार:** व्यापक भ्रष्टाचार संसाधनों को सार्वजनिक जरूरतों से डायवर्ट कर देता है। उल्लेखनीय मामलों में हाई-प्रोफाइल मामले शामिल हैं। अधिकारी ठेके देने के लिए रिश्वत ले रहे हैं, निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा और जन कल्याण को कमजोर कर रहे हैं।
- **आत्मसंतुष्टि और प्रेरणा की कमी:** कई अधिकारी सार्वजनिक सेवा से अधिक व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं। सर्वेक्षणों से व्यापक असंतोष का पता चलता है, मान्यता और प्रोत्साहन की कमी को हतोत्साहित करने वाले कारकों के रूप में उद्धृत किया गया है।
- **संरक्षण और पक्षपात:** नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद और पक्षपात पारदर्शिता को कमजोर करते हैं। हाल के विवादों में राजनीतिक नेताओं द्वारा योग्यता के बजाय व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना शामिल है।
- **अत्यधिक गोपनीयता और पारदर्शिता की कमी:** निर्णय लेने में अस्पष्टता जवाबदेही में बाधा डालती है। सार्वजनिक परियोजनाओं के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी छिपाने के उदाहरण हितों के टकराव की चिंता पैदा करते हैं।
- **भाई-भतीजावाद और पक्षपात:** रिश्तेदारों या दोस्तों की अनुचित नियुक्ति योग्यतावाद को दरकिनार कर देती है। हाल के मामलों में प्रभावशाली हस्तियों द्वारा करीबी सहयोगियों के लिए अनुबंध या पद सुरक्षित करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने की घटनाएँ सामने आयी है।
- **सहानुभूति और करुणा की कमी:** जनता की जरूरतों के प्रति असंवेदनशीलता के परिणाम अन्यायपूर्ण होते हैं। हाल की रिपोर्टों में संकट के दौरान सुभेद्य समुदायों के प्रति अधिकारियों की उदासीनता को उजागर किया गया है।

नैतिक शासन को बढ़ावा देने के लिए भारत में उठाए गए कदम

- **संसद के प्रति जवाबदेही:** प्रशासक राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, जो संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। व्यय से पहले विधायी प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

- **मंत्रियों के लिए आचार संहिता:** संसदीय समितियों द्वारा सुझाई गई आचार संहिता की सिफारिशों के साथ, संघ और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रियों पर एक आचार संहिता लागू होती है।
- **नैतिकता पर समितियाँ:** राज्यसभा और लोकसभा दोनों में नैतिकता पर समितियाँ हैं जो संसद सदस्यों के नैतिक आचरण की देखरेख करती हैं।
- **हितों का खुलासा:** संसद के दोनों सदनों में हितों का अनिवार्य खुलासा पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, सदस्यों को किसी भी व्यक्तिगत आर्थिक हितों की घोषणा करना आवश्यक है।
- **सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता:** निजी हितों को सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने से रोकने के लिए सिविल सेवक एक निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हैं।
- **भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानूनी तंत्र:** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 जैसे कानून भ्रष्टाचार से लड़ते हैं।
- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:** यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुँच प्रदान करके सहभागी शासन और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है।
- **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013:** केंद्र और राज्य स्तर पर स्वतंत्र निकाय भ्रष्टाचार को रोकते हैं और नियंत्रित करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की माँग को संबोधित करते हैं।
- **व्हिसिल-ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014:** व्हिसिल-ब्लोअर्स की सुरक्षा करता है और भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए तंत्र स्थापित करता है।

सतर्कता और जाँच

- **केंद्रीय सतर्कता आयोग:** केंद्र सरकार के अधीन सतर्कता गतिविधियों की देखरेख करता है और भ्रष्टाचार की शिकायतों की प्रारंभिक जाँच करता है।
- **केंद्रीय जाँच ब्यूरो:** भ्रष्टाचार विरोधी, आर्थिक अपराधों और विशेष अपराधों की जाँच करता है।
- **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी:** भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता और विदेशी संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों की जाँच करती है।
- **लोक सेवा वितरण का अधिकार कानून:** राज्यों ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाए हैं, जो नागरिकों को समय पर सार्वजनिक सेवाओं और शिकायत निवारण की गारंटी देते हैं, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देते हैं।

आगे की राह

जबकि भारत ने अपने नैतिक ढाँचे को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय कदम उठाए हैं, चुनौतियों का पूरी तरह से समाधान करने और स्थायी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है। सुधार के लिए यहाँ कुछ प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं:

1. **कानूनी ढाँचे और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना:**
   - **स्पष्टता और व्यापकता:** यह सुनिश्चित करना कि कानून स्पष्ट रूप से परिभाषित और आसानी से सुलभ हों।
   - **जवाबदेही तंत्र:** अनैतिक आचरण के स्पष्ट परिणामों की रूपरेखा तैयार करना।
2. **प्रबंधन प्रथाओं और व्हिसलब्लोअर सुरक्षा को बढ़ाना:**
   - **भ्रष्टाचार विरोधी प्रशिक्षण:** अधिकारियों को भ्रष्टाचार की पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए तैयार करना।
   - **आंतरिक अनुपालन तंत्र:** नैतिक आचरण के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करना।
   - **व्हिसिलब्लोअर संरक्षण:** कानूनों को मजबूत करना और गुमनाम रिपोर्टिंग चैनल प्रदान करना।
3. **मजबूत सत्यनिष्ठा अंकेक्षण लागू करना और सिफारिशों को संबोधित करना:**
   - **नियमित मूल्यांकन:** सुभेद्यों की पहचान करने के लिए सत्यनिष्ठा अंकेक्षण आयोजित करना।
   - **सक्रिय उपाय:** अंकेक्षण निष्कर्षों के आधार पर निवारक कार्रवाइयाँ लागू करना।
   - **सिफारिशों को संबोधित करना:** चुनावों के आंशिक राज्य वित्तपोषण जैसे सुझावों पर कार्य करना।
4. **मजबूत उपायों से भ्रष्टाचार का मुकाबला:**
   - **संपत्ति की जब्ती:** भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए जब्ती के दायरे का विस्तार करना।
   - त्वरित सुनवाई: त्वरित कार्रवाई के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
   - **भ्रष्टाचार के लिए जुर्माना:** भ्रष्ट अधिकारियों को वित्तीय रूप से जवाबदेह बनाना।
   - ये केंद्रित क्षेत्र भारत के नैतिक शासन, सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं।
5. **पारदर्शिता और जवाबदेही**

नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है, जो सेवाओं के मानक, सूचना, विकल्प और परामर्श, गैर-भेदभाव और पहुँच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और धन की उपयोगिता के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। यह वर्ष 1991 में यू.के. के प्रधानमंत्री जॉन मेजर के अधीन यूनाइटेड किंगडम में विकसित हुआ। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों में नागरिक चार्टर तैयार करने और संचालित करने के प्रयासों का समन्वय करता है। यह चार्टर्स के निर्माण और कार्यान्वयन के साथ-साथ उनके मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

नागरिक चार्टर के घटक

एक अच्छे नागरिक चार्टर में निम्नलिखित घटक होने चाहिए:

- संगठन का विजन और मिशन वक्तव्य

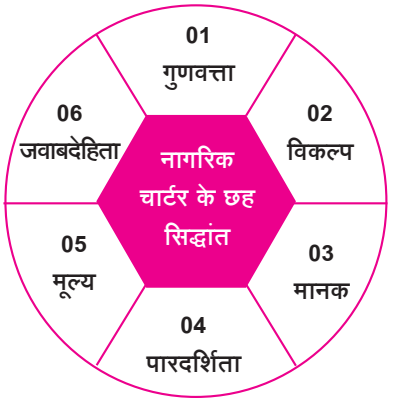

- संगठन द्वारा किए गए व्यवसाय का विवरण।
- 'नागरिकों' या 'ग्राहकों'का विवरण।
- प्रत्येक नागरिक/ग्राहक समूह को अलग-अलग प्रदान की गई सेवाओं का विवरण जिसमें मानक, गुणवत्ता, समय-सीमा आदि शामिल हैं तथा सेवाएँ कैसे/कहाँ प्राप्त करें।
- शिकायत निवारण तंत्र का विवरण और उस तक कैसे पहुँचें।
- 'नागरिकों' या 'ग्राहकों'से अपेक्षाएँ।
- सेवा वितरण की विफलता की स्थिति में मुआवजे जैसी अतिरिक्त प्रतिबद्धताएँ।

नागरिक चार्टर के छह सिद्धांत

1. **गुणवत्ता:** नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाली उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करने की प्रतिबद्धता।
2. **पारदर्शिता:** प्रत्येक सेवा के लिए आवश्यक कार्यपद्धतियों, प्रक्रियाओं और समय सहित, दी जाने वाली सेवाओं के प्रकार और मानकों के बारे में स्पष्ट जानकारी।
3. **विकल्प:** जहाँ भी संभव हो नागरिकों को विकल्प प्रदान करना, जो सशक्तीकरण और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है।
4. **जवाबदेही:** स्पष्ट रूप से जवाबदेही तंत्र की रूपरेखा तैयार करना, यह सुनिश्चित करना कि नागरिक सेवा प्रदाताओं को उनके प्रदर्शन के लिए जवाबदेह ठहरा सकें।
5. **पहुँच:** यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांग और हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के आसानी से सेवाओं तक पहुँच सकें।
6. **शिकायत निवारण:** सेवा विफलताओं या चूक के संबंध में नागरिकों की चिंताओं और शिकायतों को दूर करने के लिए एक कुशल और उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना।

नागरिक चार्टर की मुख्य विशेषताएँ

- **सेवा वितरण के लिए मानकों का सेट:** चार्टर को स्पष्ट सेवा गुणवत्ता मानक प्रदान करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि उन्हें सेवा प्रदाताओं से क्या उम्मीद करनी चाहिए। ये मानक उचित, विश्वसनीय, अवलोकनीय, सटीक और समयबद्ध तरीके से होने चाहिए।

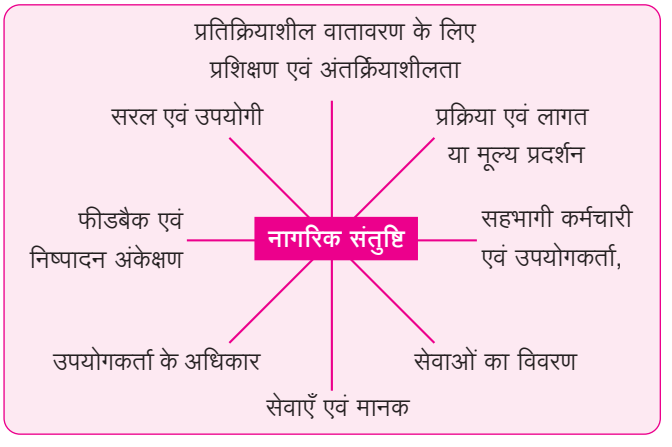

- **सेवा वितरण के विषय में खुलापन और जानकारी:** उपयोगकर्ताओं को सही समय पर और सही जगह पर सटीक और संक्षिप्त जानकारी तक पहुँच प्राप्त होनी चाहिए। चार्टर्स को आम आदमी को सरल भाषा में उपलब्ध संसाधनों के बारे में पूर्ण और विस्तृत विवरण प्रदान करना चाहिए।
- **उपयोगकर्ताओं के साथ विकल्प और संचार:** जहाँ भी संभव हो, चार्टर को उपभोक्ताओं को सेवाओं का विकल्प प्रदान करना चाहिए। सेवा अपेक्षाओं को स्थापित करने और सेवा वितरण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सेवा के उपयोगकर्ताओं से लगातार और व्यवस्थित आधार पर परामर्श किया जाना चाहिए।
- **सेवा वितरण में निष्पक्षता और सहयोग:** चार्टर मैत्रीपूर्ण और सचेत सार्वजनिक सेवा की संस्कृति की स्थापना में सहायता करेगा।
- **नागरिकों की शिकायतों और शिकायतों के निवारण का प्रावधान:** उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने और शिकायतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के बीच घनिष्ठ संबंध है। शिकायतों पर प्रतिक्रिया देकर तथा प्रोत्साहित करके शिकायत के कारणों को कम किया जा सकता है। सेवा प्रदाता शिकायतों के संबंध में 'रुझान या प्रवृतियों को पहचानकर संरचनात्मक और नियत मुद्दों का समाधान कर सकता है।

भारत में नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन का आलोचनात्मक परीक्षण

- **भारत में नागरिक चार्टर आंदोलन की प्रगति:**
  - इसे वर्ष 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था, जहाँ नागरिक चार्टर तैयार करने का निर्णय लिया गया था, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ एक बड़ी मात्रा में सीधे जनता से संवाद होता है।
- **विधायी कदम:** वर्ष 2011 में भारत में नागरिक चार्टर को वैधानिक समर्थन देने के लिए एक विधायी कदम शुरू किया गया था।
  - वर्ष 2011 के नागरिक चार्टर विधेयक का उद्देश्य नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है।
  - यह अनिवार्य करता है कि कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण अधिनियम के कार्यान्वयन के 6 महीने के भीतर एक नागरिक चार्टर प्रकाशित करे और ऐसा करने में विफल रहने पर यह 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाता है।
- **सरकारी मंच:** भारत सरकार ने नागरिक चार्टर के लिए एक विस्तृत मंच बनाया और लॉन्च किया, इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा जारी किए गए नागरिक चार्टर शामिल हैं।
- पंचायती राज मंत्रालय ने एक मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर जारी किया। इसे स्थानीयकृत सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए 29 क्षेत्रों में सेवाओं की डिलीवरी के लिए विकसित किया गया है।

नागरिक चार्टर की कमियाँ

- कानूनी अधिदेश का अभाव नागरिक चार्टर की प्रभावशीलता और प्रवर्तनीयता को कम कर देता है। कानूनी अधिदेश का अभाव नागरिक चार्टर की प्रभावशीलता और प्रवर्तनीयता को कम कर देता है।
- नागरिक चार्टर की सामान्य प्रकृति (कॉपी पेस्ट नागरिक चार्टर)। उदाहरण के लिए- विभिन्न मंत्रालयों के लिए समान चार्टर।
- क्षेत्रीय भाषाओं में नागरिक चार्टर का अभाव इसकी प्रभावशीलता को कम करता है।
- नागरिक चार्टर दिव्यांगों के अनुकूल नहीं हैं। उदाहरण के लिए- चार्टर ब्रेल भाषा में उपलब्ध नहीं हैं।

- अपर्याप्त सार्वजनिक परामर्श और समय-समय पर संशोधन की कमी के कारण जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल।
- **संस्थागत बाधाएँ:**
  - चार्टर के अधिदेश को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन का अभाव।
  - कर्मचारी चार्टर के सिद्धांतों और दृष्टिकोण के प्रति संवेदनशील नहीं हैं।
  - कर्मचारियों में प्रेरणा और जवाबदेही की कमी।
  - नागरिकों के बीच नागरिक चार्टर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सीमित संस्थागत उपाय।

नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाने के उपाय: द्वितीय एआरसी की सिफारिशें

- **मानकीकरण:** चार्टर में उल्लिखित मानकों को पूरा करने में चूक होने की स्थिति में चार्टर में उपाय, दंड व मुआवजे का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- **व्यापक परामर्श प्रक्रिया:** नागरिक चार्टर को, संगठन के भीतर और संगठन एवं सिविल सोसाइटी के बीच, अधिवक्ता परामर्श के बाद तैयार किया जाना चाहिए।
- **पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र:** चूक के मामले में सिटीजन चार्टर में स्पष्ट रूप से राहत दी जानी चाहिए कि यदि संगठन वादा किए गए सेवाप्रदाता मानकों पर सेवा प्रदान करने में चूक जाता है तो वह राहत प्रदान करने के लिए बाध्य है।
- **एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं है (One size does not fit All):** सरकारी संगठनों के बीच क्षमता, संसाधन और जिम्मेदारी समान नहीं हैं तथा नागरिक चार्टर को देश भर में उल्लेखनीय रूप से लागू करने की आवश्यकता है।
- **दृढ़ प्रतिबद्धताएँ:** नागरिक चार्टर सटीक होना चाहिए तथा जहाँ तक संभव हो, नागरिकों के लिए सेवा वितरण मानकों की प्रतिबद्धता को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करना चाहिए।
- **आवधिक मूल्यांकन:** नागरिक चार्टरों की नियमित रूप से समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए।

अन्य उपाय

- **गहन नागरिक सहभागिता:**
  - **सक्रिय प्रतिक्रिया:** नागरिक इनपुट एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण, सार्वजनिक सुनवाई और फोकस समूहों का उपयोग करना।
  - **सह-निर्माण:** बेहतर प्रासंगिकता और जुड़ाव के लिए चार्टर का मसौदा तैयार करने और अद्यतन करने के लिए नागरिकों के साथ सहयोग करना।
- **जागरूकता और पहुँच में वृद्धि:**
  - **मल्टी-चैनल संचार:** प्रिंट, रेडियो, सोशल मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न चैनलों का उपयोग करना।
- **स्पष्ट और सुलभ सामग्री:** स्थानीय भाषाओं में जानकारी प्रस्तुत करना और स्पष्टता के लिए दृश्य सहायता शामिल करना।
  - **सेवा नैतिकता और जवाबदेही को बढ़ावा देना:**
  - **नागरिकों और प्रदाताओं को शिक्षित करना:** दोनों समूहों को उनके अधिकारों और चार्टर दायित्वों के बारे में सूचित करना।
  - **पहचान और पुरस्कृत करना:** सेवा उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए चार्टर सिद्धांतों का अनुकरण करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करना।
- **पहुँच और शिकायत निवारण के लिए प्रौद्योगिकी:**
  - **चार्टर्स को डिजिटाइज करना:** चार्टर्स तक ऑनलाइन पहुँच और शिकायतों व फीडबैक पर नजर रखने के लिए एक तंत्र प्रदान करना।
  - **मजबूत शिकायत तंत्र:** फीडबैक लूप और स्वतंत्र निरीक्षण के साथ प्रभावी ऑनलाइन समाधान उपकरण लागू करना।
- **सतत् कार्यान्वयन और निगरानी:**
  - **सुरक्षित वित्तपोषण:** जागरूकता, कार्यान्वयन और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना।
  - **निगरानी और मूल्यांकन:** डेटा विश्लेषण, नागरिक प्रतिक्रिया और स्वतंत्र समीक्षाओं के माध्यम से चार्टर प्रभाव का लगातार आकलन करना।

सेवोत्तम मॉडल

सेवोत्तम मॉडल, जिसे हिंदी शब्दों 'सेवा' (सेवा) और 'उत्तम' (उत्कृष्टता) के नाम पर संयुक्त रूप से नाम दिया गया है, भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करता है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) द्वारा विकसित और वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया, यह संगठनों को उनके नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण का आकलन और सुधार करने के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है।

सेवोत्तम मॉडल में 3 मॉड्यल हैं

1. **नागरिक चार्टर:** प्रभावी चार्टर कार्यान्वयन की आवश्यकता है, जो लोगों के लिए फीडबैक प्रदान करने के लिए एक तंत्र बनाता है कि संगठन सेवा वितरण आवश्यकताओं को कैसे तय करते हैं।
2. **सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र:** एक अच्छे शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता है, जो अंतिम निर्णय की परवाह किए बिना, नागरिकों को संगठन द्वारा शिकायतों से निपटने के तरीके के बारे में अधिक सहज महसूस कराए।
3. **सेवा डिलीवरी क्षमताएँ:** संगठन में अनुकरणीय सेवा वितरण दक्षता तभी हो सकती है जब वह सफल सेवा डिलीवरी के लिए प्रमुख घटकों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और लगातार वितरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमता का निर्माण करता है।

सेवोत्तम मॉडल का महत्त्व

सेवोत्तम प्रणाली को अप्रैल, 2009 से जून, 2010 तक व्यापक सार्वजनिक इंटरफेस वाले दस सरकारी विभागों में पेश किया गया था। बाद में, बीआईएस द्वारा आईएस 15700: 2005 मानक विकसित किया गया था, जो सार्वजनिक सेवा संगठनों को उत्कृष्टता के सेवोत्तम प्रतीक से सम्मानित करने की अनुमति देता है, यदि वे प्रबंधन प्रणालियों के संग्रह को अपनाते हैं और उसका अनुपालन प्रदर्शित कर सकते हैं।

सेवोत्तम मॉडल कार्यान्वयन के लिए सात महत्त्वपूर्ण चरणों की रूपरेखा तैयार करता है:

- **सेवाओं को परिभाषित करना और ग्राहकों की पहचान करना:** दी जाने वाली सेवाओं की स्पष्ट रूप से रूपरेखा तैयार करना और नागरिक समूहों की विविध आवश्यकताओं को समझना।
- **मानक और मानदंड निर्धारित करना:** सेवा की गुणवत्ता, पहुँच और समय-सीमा के लिए मापने योग्य मानक स्थापित करना।

- **क्षमता विकसित करना:** नागरिक-केंद्रित पहुँच के लिए कर्मियों को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और संसाधनों में निवेश करना।
- **मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन करना:** संगठन के सभी स्तरों पर परिभाषित मानकों का पालन सुनिश्चित करना।
- **प्रदर्शन की निगरानी करना:** मानकों के अनुरूप प्रदर्शन को नियमित रूप से ट्रैक करना और पहचानी गयी कमियों को तुरंत संबोधित करना।
- **प्रभाव का मूल्यांकन करना:** मॉडल की प्रभावशीलता और नागरिक संतुष्टि पर प्रभाव का आकलन करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन करना।
- **निरंतर सुधार:** मॉडल के निरंतर सुधार और अनुकूलन के लिए डेटा और फीडबैक का उपयोग करना।

सेवोत्तम मॉडल का महत्त्व

- सेवोत्तम मॉडल भारत में सार्वजनिक सेवा डिलीवरी के लिए महत्त्वपूर्ण निहितार्थ रखता है:
- **गुणवत्ता प्रबंधन:** यह संगठनों को उनके सेवा डिलीवरी प्रदर्शन का व्यवस्थित रूप से आकलन करने और उसमें सुधार करने के लिए एक संरचित ढाँचा प्रदान करता है।

सेवोत्तम मॉडल

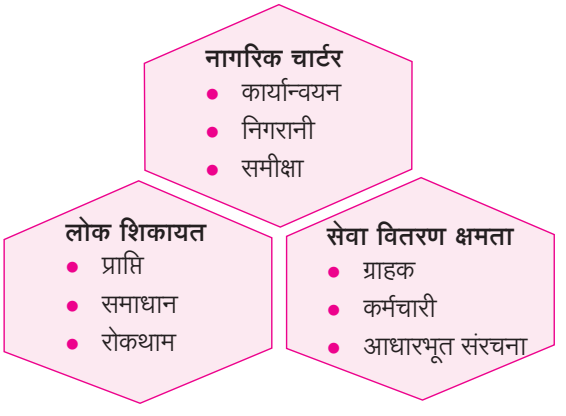

- **नागरिक-केन्द्रीयता:** यह संगठनों के भीतर सेवा-उन्मुख मानसिकता को बढ़ावा देते हुए नागरिक इनपुट, शिकायतों और अपेक्षाओं पर जोर देता है।
- **सतत् सुधार:** निरंतर सुधार पहलू एक गतिशील वातावरण में चल रही अनुकूलनशीलता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है।
- **विश्वसनीय स्व-मूल्यांकन:** मॉडल नागरिक-केंद्रित सेवा डिलीवरी के लिए स्व-मूल्यांकन करने में संगठनों का मार्गदर्शन करता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिक चार्टर का महत्त्व

- **व्यावसायिकता लाना:** यह पंचायत के कामकाज में सुधार करता है और बिना किसी पूर्वाग्रह के समाज के सभी वर्गों तक पहुँचने में सहायता करता है।
- **सेवाओं के वितरण की उचित निगरानी:** पंचायतों की प्रतिबद्धताएँ सेवा प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उत्कृष्ट मानक के रूप में काम करती हैं।
- **जमीनी स्तर पर अधिक जवाबदेही:** एक ओर, यह निवासियों को उनके अधिकारों को समझने में सहायता करेगा और दूसरी ओर, यह पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह बनाएगा।
- हालाँकि, यह प्रगति चुनौतियों के बिना नहीं रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में सिटीजन चार्टर आंदोलन कई कमियों से ग्रस्त है।

नागरिक चार्टर सार्वजनिक प्रशासन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू हैं क्योंकि यह लोगों को मिलने वाली सेवाओं के बारे में जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका है और साथ ही सेवा प्रदाताओं को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए इनपुट भी प्रदान करते हैं।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

- भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन करें। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदान के अलावा और किन स्त्रोतों को खोज सकती हैं?

(2018)

- समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता, अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यों के दोहरेपन की समस्याओं की ओर ले जाती हैं। क्या यह अच्छा होगा कि सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाए? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

(2018)

- नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परन्तु इसकी अपनी परिसीमाएँ हैं। परिसीमाओं की पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायों का सुझाव दीजिए।

(2018)

8 पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीके और साधन

"जवाबदेहिता, सुशासन का पहला सिद्धांत है।" *-अमर्त्य सेन*

"लोकतंत्र में, सूचना सुशासन की मुद्रा है।" *-अरुण शौरी*

"लोगों के प्रति जवाबदेह सरकार ही सच्ची लोकतांत्रिक सरकार होती है।" *-बी. आर. अंबेडकर*

"पारदर्शिता के बिना, कोई वास्तविक जवाबदेही नहीं हो सकती।" *-जयप्रकाश नारायण*

सूचना का अधिकार

- सूचना का अधिकार (RTI) कानून, एक जीवंत जमीनी स्तर के आंदोलन का परिणाम था, जिसका नेतृत्व न केवल शिक्षित अभिजात वर्ग ने बल्कि, देश भर के सामान्य जनमानस ने भी किया था। परिणामस्वरूप, अंततः वर्ष 2005 में यह ऐतिहासिक कानून पारित हुआ।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम

RTI के बारे में

- 15 जून, 2005 को अधिनियमित।
- भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुँचने की अनुमति देता है।

अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण

- **प्राधिकरण:** संविधान द्वारा या किसी कानून के तहत स्थापित।
- **निकाय:** उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा गठित।
- **संस्थान:** स्वामित्व, नियंत्रण या सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित।
- **निजी निकायों से संबंधित जानकारी:** इसमें किसी निजी निकाय द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड शामिल होते हैं।

सूचना का अधिकार	प्रकटीकरण दायित्व	समय पर प्रतिक्रिया
भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।	सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा अपनी जानकारियों का आवश्यक प्रकटीकरण	जन सूचना अधिकारी (PIO) को 30 दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक
छूट	**अपील करने का अधिकार**	**व्हिसलब्लोअर सुरक्षा:**
सुरक्षा से संबंधित मामलों, व्यापार रहस्यों, व्यक्तिगत जानकारी और कैबिनेट कार्यवाही के लिए।	आवेदक और जन सूचना अधिकारी (PIO) दोनों के लिए।	भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों की सुरक्षा करना।

सूचना आयोग

केंद्र में CIC और राज्य में SIC का गठन।

- **मौलिक अधिकार के रूप में सूचना का अधिकार (RTI):** सूचना के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से प्राप्त मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा है, जो प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार की गारंटी देता है।
- **RTI राय निर्माण में सहायक:** प्रासंगिक जानकारी तक पहुँच के बिना, लोगों की राय बनाने और खुद को सार्थक रूप से व्यक्त करने की क्षमता कम हो जाती है।
- **जवाबदेही:** इसके अधिनियमन के बाद से, सूचना का अधिकार (RTI) कानून का उपयोग लोगों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है।

सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता की आवश्यकता को मान्यता देते हुए, भारतीय संसद ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया। यह लोगों को सशक्त बनाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला एक अग्रणी कानून है।

भारत में सूचना के अधिकार (RTI) का विकास

वर्ष 2005 में अधिनियमित भारत का RTI अधिनियम, नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यह पारदर्शिता जवाबदेही को बढ़ावा देती है, लोकतंत्र को मजबूत करती है और सामाजिक न्याय के लिए आंदोलनों को बढ़ावा देती है।

अधिनियम के आधार

- **कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम (1986):** सुप्रीम कोर्ट ने सक्रिय सूचना प्रकटीकरण पर जोर देते हुए सूचना के अधिकार को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के हिस्से के रूप में मान्यता दी।

भारत में सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम का विकास

राजस्थान जन आंदोलन (1990)

- 15 जून, 2005 को अधिनियमित।
- भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुँचने की अनुमति देता है।

अग्रणी प्रश्न/ क्वेरी (2005)

- **12 अक्टूबर, 2005:** पुणे पुलिस स्टेशन में सूचना के अधिकार का प्रथम आवेदन दायर किया गया।
- पारदर्शिता प्रयासों की शुरुआत को चिह्नित किया गया।

वैधानिक उपलब्धि (2005)

- संसद ने वर्ष 2005 में RTI अधिनियम पारित किया।
- नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया (संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a)।

- **जमीनी स्तर का आंदोलन (1990):** राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) ने भ्रष्टाचार को उजागर करने और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए RTI का इस्तेमाल किया।

विधायी यात्रा

- **1996:** NCPRI और प्रेस काउंसिल ने सूचना के अधिकार के समर्थन का नेतृत्व किया।
- **1997:** एच.डी. शौरी समिति की रिपोर्ट ने अधिनियम के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। तमिलनाडु ने पहला राज्य स्तरीय RTI कानून पारित किया।
- **2001:** संसदीय समिति ने पारदर्शिता और सुशासन के लिए RTI की सिफारिश की।
- **2002:** सुप्रीम कोर्ट ने एक सशक्त RTI कानून बनाने का निर्देश दिया।
- **2005:** संशोधन और विचार-विमर्श के बाद, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) की सलाह पर, वर्तमान सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 का विधेयक मई, 2005 में पारित किया गया। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005; 12 अक्टूबर, 2005 को प्रभावी हुआ।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएँ

- **जन सूचना अधिकारी (PIO):** कोई भी नागरिक संबंधित PIO को संबोधित करते हुए लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है। PIO, अधिनियम के तहत जानकारी माँगने वाले नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा इनके तहत सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में नामित अधिकारी हैं।
- **समय पर प्रतिक्रिया:** आवेदन प्राप्त होने पर, PIO को 30 दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है। अपवादात्मक मामलों में जहाँ जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित होती है, प्रतिक्रिया समय 45 दिनों तक बढ़ा दिया जाता है।
- **अपील करने का अधिकार:** अधिनियम आवेदक और PIO दोनों के लिए अपील करने के अधिकार को मान्यता देता है।
- यदि कोई आवेदक प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर कर सकते हैं।
- यदि आवेदक अभी भी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वे अंतिम अपीलीय प्राधिकारी, सूचना आयोग से संपर्क कर सकते हैं।
- **प्रकटीकरण दायित्व:** सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने संगठन, कार्यों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और सार्वजनिक योजनाओं से संबंधित जानकारी का खुलासा करना होगा।
- सूचना का प्रकार जो RTI के माध्यम से अनुरोध किया जा सकता है: धारा 2 (f) के तहत परिभाषित जानकारी को जनता के सामने प्रकट किया जाना चाहिए।रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन और ई-मेल।
- राय, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, लॉग बुक, अनुबंध, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी निजी निकाय से संबंधित जानकारी
- किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के तहत इसका उपयोग किया जा सकता है।
- **छूट:** पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए RTI अधिनियम की धारा 8; रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मामलों, व्यापार रहस्य, व्यक्तिगत जानकारी और कैबिनेट कार्यवाहियों के लिए विशिष्ट छूट प्रदान करती है।
  - **RTI अधिनियम की धारा 8 के तहत अपवादों का प्रावधान:**
    - भारत की संप्रभुता एवं अखंडता
    - राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित
    - विदेशी राज्यों के साथ संबंध
    - किसी अपराध को उकसाने का कारण बनना
    - धारा 8(2), आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत छूट प्रदान करती है।
  - **व्हिसलब्लोअर संरक्षण:** इसमें व्हिसलब्लोअर को प्रोत्साहित करने और भ्रष्टाचार या गलत काम को उजागर करने वालों की सुरक्षा के लिए व्हिसलब्लोअर संरक्षण के प्रावधान शामिल हैं।
    - यह व्हिसिलब्लोअर की पहचान का खुलासा करने पर रोक लगाता है और उन्हें होने वाले किसी भी नुकसान के लिए दंड का प्रावधान करता है।
- **सूचना आयोग:** यह केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य में राज्य सूचना आयोग (SIC) के गठन का प्रावधान करता है।
- **सक्रिय प्रकटीकरण:** अधिनियम की धारा 4 सभी अधिकारियों द्वारा सूचना के अग्र सक्रिय प्रकटीकरण का आह्वान करती है ताकि जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए इस RTI अधिनियम का कम-से-कम उपयोग करना पड़े।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **प्रयोज्यता [धारा 1(2)]:** राष्ट्रव्यापी पहुँच।
- **सूचना की परिभाषा [धारा 2(f)]:** सूचना माध्यमों को निर्दिष्ट करती है।
- **PIO का पदनाम (धारा 5):** PIO और सहायक PIO की नियुक्ति करती है।
- **सूचना का अधिकार [धारा 2(j)]:** पहुँच का अधिकार प्रदान करती है।
- **सक्रिय प्रकटीकरण (धारा 4):** सूचना प्रकटीकरण को अनिवार्य करती है।
- **सूचना के लिए प्रक्रिया (धारा 6):** अनुरोध प्रक्रिया निर्धारित करती है।
- **RTI अनुरोधों का स्थानांतरण [धारा 6(3)]:** समय पर स्थानांतरण की आवश्यकता।
- **प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा (धारा 7):** प्रतिक्रिया की समय-सीमा निर्धारित करती है।
- **निःशुल्क सूचना प्रावधान [धारा 7(6)]:** निःशुल्क सूचना अधिदेशित करती है।
- **अस्वीकृति का संचार [धारा 7(8)]:** अस्वीकृति के लिए कारणों की आवश्यकता।
- **संसाधन बाधाओं के कारण इनकार [धारा 7(9)]:** संसाधन सीमाओं के कारण इनकार की अनुमति देती है।
- **प्रकटीकरण से छूट (धारा 8):** प्रकटीकरण छूट की सूची।
- **छूट प्राप्त जानकारी का संशोधन (धारा 10):** विवरण संशोधन प्रक्रिया।
- **सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा [धारा 2(h)]:** इसमें सार्वजनिक धन से वित्त पोषित सरकारी निकाय और नागरिक समाज शामिल हैं।
- **तृतीय-पक्ष प्रक्रिया (धारा 1):** तृतीय-पक्ष अनुरोध प्रबंधन की रूपरेखा।
- **कॉपीराइट उल्लंघन (धारा 9):** कॉपीराइट के आधार पर अस्वीकृति की अनुमति देती है।
- **अपील तंत्र (धारा 19):** अपील स्तर स्थापित करती है।
- **शिकायत/अपील प्रक्रिया (धारा 18 और 19):** शिकायत और अपील प्रक्रियाओं का वर्णन करती है।

- **गैर-अनुपालन के लिए दंड (धारा 20):** गैर-अनुपालन के लिए दंड निर्धारित करती है।

शासन में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की भूमिका

- **पारदर्शिता:** RTI नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुँच ने में सक्षम बनाता है, जिससे निर्णय लेने और प्रवर्तन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। **उदाहरण के लिए,** RTI अनुरोधों से राजस्थान (2022) में एक ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना में अनियमितताओं का पता चला।
- **पूर्वानुमेयता:** पारदर्शी शासन निष्पक्षता को बढ़ाता है, जिससे सरकारी कार्यों में पूर्वानुमेयता बढ़ती है। **उदाहरण के लिए,** कंपनियाँ सरकारी नीतियों और योजनाओं में बदलाव का अनुमान लगाने के लिए RTI का उपयोग करती हैं।
- **जवाबदेही:** RTI, नागरिकों को निर्णयों और उनके परिणामों के लिए स्पष्टीकरण माँग कर सरकार को जवाबदेह बनाने का अधिकार देता है। RTI भ्रष्टाचार को उजागर करता है, उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में स्कूल भोजन योजना में हुए भ्रष्टाचार को RTI की सहायता से ही उजागर किया गया था।
- **भागीदारी:** सूचना तक पहुँच प्रदान करके, RTI शासन में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, शक्ति असंतुलन को कम करता है और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। पुणे (2019) में एक स्वच्छता परियोजना की तरह, RTI नागरिक भागीदारी को प्रेरित करता है।
- **सत्ता का विकेंद्रीकरण:** RTI सूचना और शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है और स्थानीय शासन भागीदारी को बढ़ावा देता है। RTI स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल (2018) में ग्रामीण विकास योजना में देखा गया है।

सूचना का अधिकार (RTI) के कार्यान्वयन में मुद्दे और चुनौतियाँ

RTI अधिनियम के साथ कार्यात्मक मुद्दे

- **अक्रियाशील:** कुछ सूचना आयोग अक्रियाशील बने हुए हैं।
- सतर्क नागरिक संगठन ने राज्य सूचना आयोगों के प्रदर्शन के अपने हालिया अध्ययन में पाया कि 29 में से चार निष्क्रिय हैं और कम-से-कम तीन अभी भी नेतृत्वहीन हैं।
- **सूचना आयोगों में रिक्तियां:** 10 आयोगों में अपील दायर करने के बाद सुनवाई के लिए प्रतीक्षा करने का समय एक वर्ष से अधिक है।
- 29 आयोगों में से 19 ने अधिनियम के तहत अनिवार्य अपनी वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने की परवाह नहीं की है।
- केंद्रीय सूचना आयोग में केवल तीन आयुक्त हैं और आठ रिक्त पद हैं। इस दर पर, पुराने मामलों का निपटारा होने की कोई उम्मीद नहीं है।
- **नियुक्तियों में विविधता का अभाव:** RTI अधिनियम की आवश्यकताओं के बावजूद, 84% केंद्रीय सूचना आयुक्त (CICs) नौकरशाही पृष्ठभूमि से आते हैं, जो विविधता और विशेषज्ञता को कमजोर करते हैं।
- **RTI प्रश्नों से निपटने में अधिकारियों का अनौपचारिक दृष्टिकोण:** जन सूचना अधिकारी अक्सर 30-दिन की समय-सीमा चूक जाते हैं और अक्सर RTI के उत्तर के रूप में अधूरी जानकारी देते हैं।
  - **जुर्माने की अनिच्छा:** RTI अधिनियम में 25,000 रुपये तक के जुर्माने की अनुमति के बावजूद, केवल 3.8% मामलों में जुर्माना लगाया गया, जो अनुपालन को लागू करने में अनिच्छा का संकेत देता है।
- **वैध अस्वीकरणों का अभाव:** 40% RTI अस्वीकरणों में वैध कारणों का अभाव था, जिनमें से 90% में प्रधानमंत्री कार्यालय शामिल था, जो पारदर्शिता को कमजोर करता है।
  - **सूचना का खंडन:** खंड 8(1)(j) को अक्सर खंडन के लिए लागू किया जाता था, जिससे सार्वजनिक हित और पारदर्शिता प्रभावित होती थी। **उदाहरण के लिए,** कृषि मंत्रालय ने कृषि सुधार कानूनों के संबंध में पूर्व-विधान परामर्श पर एक RTI अनुरोध को विचाराधीन स्थिति, पारदर्शिता सीमित होने का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया।
  - **सूचना से छूट:** धारा 24 का उपयोग अक्सर सुरक्षा और खुफिया-संबंधित जानकारी को छूट देने के लिए किया जाता है, जो पाँच स्वीकार्य अस्वीकृतियों में से एक में योगदान देता है।
  - **रिकॉर्ड निरीक्षण में बाधाएँ:** PIOs और APIOs का अपर्याप्त प्रशिक्षण सूचना अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी उपयोग में बाधा डालता है, जिससे पारदर्शिता और पहुँच में बाधा आती है।
- **बढ़ती विलंबता:** CIC के तहत लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। 30 जून, 2023 तक विभिन्न आयोगों के समक्ष तीन लाख इक्कीस हजार अपीलें लंबित थीं। कई RTI मामले न्यायिक प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं।
- **झूठी RTIs:** नौकरशाहों द्वारा अपने गैर-पेशेवर रवैये के लिए बार-बार दोहराया जाने वाला बहाना, झूठे प्रश्नों या विकृत उद्देश्यों वाले प्रश्नों की संख्या है। हालाँकि, यह कुल अपीलों का केवल लगभग 4% है, जिसे आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है।
- **अधीनस्थ नियमों पर निर्भरता:** RTI अधिनियम का कार्यान्वयन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए अधीनस्थ नियमों पर निर्भर है। जैसे - तमिलनाडु जैसे राज्य भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) स्वीकार नहीं करते हैं।
- **RTI कार्यकर्ताओं को खतरे:** कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) के अनुसार, वर्ष 2006 से अब तक पूरे भारत में 99 RTI कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है, 180 पर हमला किया गया और 187 को धमकियाँ दी गईं।

समय के साथ RTI अधिनियम की नींव पर पड़ी चोट

- **राजनीतिक दलों द्वारा विरोध:**
  - राजनीतिक दलों को RTI के अधीन करने के CIC के वर्ष 2013 के प्रयास को अवज्ञा मिली, जिसने CIC की शक्तियों को कमजोर किया और इससे अविश्वास में वृद्धि हुई।
  - राजनीतिक दलों ने कानूनी निर्णयों की अनदेखी करते हुए RTI जाँच का विरोध किया।
- **सूचना तक सीमित पहुँच:**
  - राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी संबंधों पर जानकारी रोकना ऐतिहासिक दस्तावेजों तक सार्वजनिक पहुँच में बाधा डालता है।
  - उदाहरण के लिए, पारदर्शिता को सीमित करते हुए पीएम केयर्स (PM-CARES) फंड को RTI के दायरे से बाहर रखा गया।
- **सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019:**
  - **कार्यकाल और नियुक्ति:** संशोधन केंद्र सरकार को निर्धारित पाँच साल के कार्यकाल को हटाकर CIC और IC का कार्यकाल निर्धारित करने की अनुमति देता है।

- **वेतन निर्धारण:** मूल अधिनियम में CEC, ECs और राज्य के मुख्य सचिवों के समान वेतन का प्रावधान था; संशोधन केंद्र सरकार को वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है।
- केंद्र सरकार के पास अत्यधिक शक्तियाँ निहित करके, इस संशोधन ने CIC की स्वायत्तता में बाधा उत्पन्न की है।
- RTI अधिनियम सूचना आयोग को एक संवैधानिक निकाय बनाने का प्रयास नहीं करता है।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम का पुनरुद्धार: चुनावी बॉण्ड पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

- **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सचिव और अन्य:** सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉण्ड योजना को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना और स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन घोषित किया।
- **RTI का व्यापक दायरा:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RTI केवल राज्य के मामलों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक जानकारी भी शामिल है। राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयाँ हैं और चुनावी विकल्पों के लिए उनकी फंडिंग की जानकारी आवश्यक है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर:** पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को RTI अधिनियम के मूल उद्देश्य के रूप में, न्यायाधीशों द्वारा अपने सर्वसम्मत निर्णय में स्वीकार किया गया था।

पीएम-केयर्स (PM - CARES) फंड

- इसकी स्थापना किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति, जैसे कि COVID-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के प्रबंधन और प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई है।
- पीएम केयर्स फंड को RTI के तहत आना चाहिए, इसके निम्नलिखित कारण हैं:
  - RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में माना जा सकता है।
  - फंड ने संसाधन जुटाने के लिए दूतावासों आदि को शामिल करने जैसे सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है।
  - सार्वजनिक क्षेत्रों ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि के माध्यम से महत्त्वपूर्ण राशि दान की है।
  - इसे FCRA अधिनियम से छूट दी गई है और इसलिए पारदर्शिता लाने के लिए इसे RTI अधिनियम के तहत लाया जाना चाहिए।
  - दानदाताओं के लिए कर छूट की राहत है।

सिफारिशें और आगे की राह

- **अनुशंसा कार्यान्वयन:** सतर्क नागरिक संगठन (SNS) और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (CES) द्वारा भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड से सुझावों को लागू करना। इसमें निष्क्रिय आयोगों और रिक्तियों जैसे मुद्दों को संबोधित करना शामिल है।
- **समय पर प्रतिक्रिया तंत्र:** वैधानिक समय-सीमा के भीतर RTI अनुरोधों पर त्वरित और व्यापक प्रतिक्रिया के लिए तंत्र स्थापित करना। CIC के तहत लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है; 30 जून, 2023 तक विभिन्न आयोगों के समक्ष तीन लाख इक्कीस हजार अपीलें लंबित हैं।
- **पारदर्शिता और ऑनलाइन पहुँच:** अपील, शिकायतों, लंबित मामलों और आदेशों के विवरण के साथ सूचना आयोग की वेबसाइटों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना। RTI आवेदन दाखिल करने और पहुँच बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने के लिए सरकारों के साथ सहयोग करना।
- **गोपनीयता अधिकारों के साथ संतुलन:** संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सूचना के अधिकार को गोपनीयता अधिकारों के साथ संतुलित करना। इसमें जानकारी साझा करने से छूट और गोपनीयता के उल्लंघन से संबंधित चिंताओं को संबोधित करना शामिल है।
- **समिति का गठन और आचार संहिता:** RTI मुद्दों के समाधान और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कार्मिक मंत्री के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना करना। केंद्र और राज्य के लिए एक आचार संहिता विकसित करना।

सूचना आयुक्त निष्पक्षता बनाए रखें।

- **निष्क्रिय आयोगों को पुनर्जीवित करना:** निष्क्रिय राज्य आयोगों की कार्यक्षमता को पुनर्जीवित करने के लिए उनमें रिक्तियों को भरना। इसमें रिक्त PIO पदों और मुख्य सूचना आयुक्त के बिना काम करने वाले आयोगों जैसे मुद्दों को संबोधित करना शामिल है।
- **स्वायत्तता और निष्पादन लेखापरीक्षा को बनाए रखना:** दोषी अधिकारियों को दंडित करते हुए और सूचना आयोग की स्वायत्तता को संरक्षित करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थानों को बनाए रखना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अनुशंसा के अनुसार RTI कार्यान्वयन का प्रदर्शन ऑडिट आयोजित करना।
- **जागरूकता, शिक्षा और स्थानीय भाषा की पहुँच:** सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और सूचना कानूनों पर सरकारी अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना। पहुँच बढ़ाने के लिए यह सुनिश्चित करना कि आरटीआई अधिनियम से संबंधित जानकारी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक ऐसा साधन है जो भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से लड़ता है और विभिन्न सरकारी निकायों, एजेंसियों और विभागों की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ऐसा करने से, यह राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, इस प्रकार जिम्मेदार लोकतंत्र के सार का प्रतीक है। RTI अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए RTI कार्यकर्ताओं, सिविल सोसाइटी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग आवश्यक है।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA), 1923 सेवानिवृत्त अधिकारियों को बिना मंजूरी के जानकारी का खुलासा करने से रोकता है। सेवारत सिविल सेवकों को नीतिगत मामलों पर व्यक्तिगत राय व्यक्त करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

- **OSA की पृष्ठभूमि:** औपनिवेशिक युग में निहित आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) को शासन में रहस्य और गोपनीयता के मामलों को नियंत्रित करने के लिए 1923 ई. में अधिनियमित किया गया था।

- **OSA के प्रावधान:** इसमें जासूसी, गुप्त सरकारी जानकारी का खुलासा और गुप्तचरी के लिए दंड शामिल है।
- **RTI बनाम OSA:** RTI अधिनियम की धारा 22 विशिष्ट स्थितियों में OSA पर इसके '**अधिभावी प्रभाव**' की घोषणा करती है। प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित गोपनीयता की आवश्यकता से अधिक हो सकता है, जिससे OSA के तहत भी कुछ जानकारी तक पहुँच की अनुमति मिलती है।
- **ऐतिहासिक निर्णय:** उच्चतम न्यायालय ने सीमाओं को परिभाषित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, न्यायालय ने RTI की प्रधानता पर प्रकाश डालते हुए राफेल सौदा मामले में पारदर्शिता के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 में न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को RTI जाँच के अधीन घोषित किया, जो न्यायिक जवाबदेही की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

कड़े गोपनीयता मानदंडों के कारण

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** गोपनीयता अधिकृत राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन को सुरक्षा देती है तथा लीक या प्रकटीकरण से होने वाले नुकसान को रोकती है।
- **गतिशील सुरक्षा चुनौतियाँ:** लगातार विकसित हो रही सुरक्षा चुनौतियों के लिए स्थिर नीतियों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कुछ स्तर की गोपनीयता की आवश्यकता होती है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएँ:** अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता मौजूद नहीं है, विशेषकर, संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी के संबंध में।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) और द्वितीय प्राशासनिक सुधार आयोग (ARC) सिफ़ारिशें

- **द्वितीय ARC प्रस्ताव:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (द्वितीय ARC) ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए OSA को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा।
- **RTI अधिनियम और न्यायिक जवाबदेही:** एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय RTI अधिनियम के दायरे में आता है, जिससे न्यायिक पारदर्शिता बढ़ती है।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) के संबंध में चिंताएँ

- **डेटा व्याख्या में विषयनिष्ठता:** संवेदनशील डेटा की व्याख्या विभिन्न सरकारों के बीच भिन्न हो सकती है, जिससे विसंगतियाँ पैदा हो सकती हैं।
- **अवर्गीकरण में चुनौतियाँ:** गुप्त फाइलों को अवर्गीकृत करने और अति-वर्गीकरण के मुद्दों को संबोधित करने का अनुभव सीमित है।
- **पारदर्शिता और सुरक्षा को संतुलित करना:** अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के साथ शासन संबंधी मुद्दों का खुलासा करने में संतुलन बनाना चाहिए।

भारत पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक जटिल स्थिति से जूझ रहा है। RTI अधिनियम खुलेपन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि OSA संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करता है। वर्तमान कानूनी व्याख्याएँ और संभावित विधायी सुधार यह निर्धारित करेंगे कि भविष्य में यह संतुलन कैसे विकसित होगा।

सामाजिक लेखापरीक्षा (SOCIAL AUDIT)

सामाजिक लेखापरीक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए अधिकारियों और प्रभावित व्यक्तियों दोनों द्वारा सरकारी योजनाओं का सहयोगात्मक मूल्यांकन शामिल है। यह लाभार्थियों को सशक्त बनाता है, सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि योजनाएँ वास्तव में उनके कल्याण के लिए हैं।

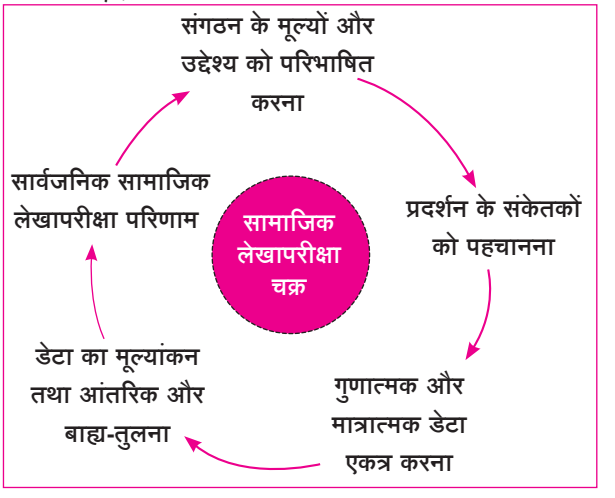

उद्देश्य और प्रक्रिया

- **सामाजिक प्रदर्शन का मूल्यांकन**: सामाजिक लेखापरीक्षा किसी संगठन या उसकी परियोजना के हितधारकों पर प्रभावों का मूल्यांकन करता है, जिससे उसकी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों की गहरी समझ हो सके।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** सार्वजनिक प्लेटफार्मों के माध्यम से, सामाजिक लेखापरीक्षा विकास पहल में उपयोग किए गए संसाधनों का विवरण साझा करता है, जिससे हितधारकों को कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की जाँच करने की अनुमति मिलती है।
- **सामाजिक जवाबदेही का मापन:** यह सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति किसी संगठन की प्रतिबद्धता को मापने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिसे पंचायती राज संस्थानों से संबंधित 73वें संशोधन के बाद प्रमुखता मिल रही है।

भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा का विकास

- **अग्रणी पहल:** सामाजिक लेखापरीक्षा की अवधारणा भारत में 1979 ई. में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (TISCO) द्वारा पहला उदहारण पेश करने के साथ उभरी। इसके बाद, 1990 के दशक के मध्य में, मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) ने गाँव-आधारित जनसुनवाई की शुरुआत की।
- **RTI एकीकरण:** इन पहलों ने सूचना के अधिकार (RTI) को सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए एक उपकरण के रूप में एकीकृत करने के लिए आधार तैयार किया, जिसमें सार्वजनिक भागीदारी और जवाबदेही पर जोर दिया गया। RTI ने नागरिकों को जवाबदेही की माँग करने के लिए सशक्त बनाया, तथा "हमारा पैसा, हमारा हिसाब" (Our money, Our accounts) के नारे के साथ सामाजिक ऑडिट के सार को समझाया।
- **मनरेगा जनादेश:** वर्ष 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की शुरूआत ने सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य कर दिया, केरल MGNREGA का सामाजिक लेखा परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) में समावेश:** वर्ष 2011 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा को एकीकृत किया।
- **कानूनी मान्यता और दिशा-निर्देश:** सामाजिक लेखापरीक्षा को विभिन्न कानूनों और नीतियों में शामिल प्रावधानों के साथ राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई, जिससे सभी क्षेत्रों में जवाबदेही सुनिश्चित हुई।
- **ग्रामीण कार्यक्रमों से परे विस्तार:** सामाजिक लेखापरीक्षा का विस्तार ग्रामीण विकास से परे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए किया गया।
- **संस्थागतकरण और क्षमता निर्माण:** सरकारी विभागों के भीतर स्थापित समर्पित इकाइयों के साथ, सामाजिक लेखापरीक्षा को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए। मेघालय ने विशेष रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा को सरकारी प्रथा बनाने वाला एक कानून लागू किया।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग ने डेटा संग्रह, रिपोर्टिंग और सामाजिक लेखा परिक्षण निष्कर्षों के प्रसार की सुविधा प्रदान की।
- **सिविल सोसायटी की भागीदारी:** राजस्थान और बिहार में सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च (SAFAR) जैसे सिविल सोसाइटी संगठनों ने शासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने, सामाजिक लेखा परीक्षा को संस्थागत बनाने में सक्रिय रूप से योगदान दिया।

सामाजिक लेखापरीक्षा के सिद्धांत:

वैश्विक सामाजिक लेखापरीक्षा प्रथाओं के आधार पर आठ मूलभूत सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है:

- **बहुउद्देश्यीय/ बहुमुखर:** ये सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि सभी हितधारकों के दृष्टिकोणों पर विचार किया जाए।
- **व्यापक:** लेखा परीक्षण में संगठन के संचालन और प्रदर्शन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है।

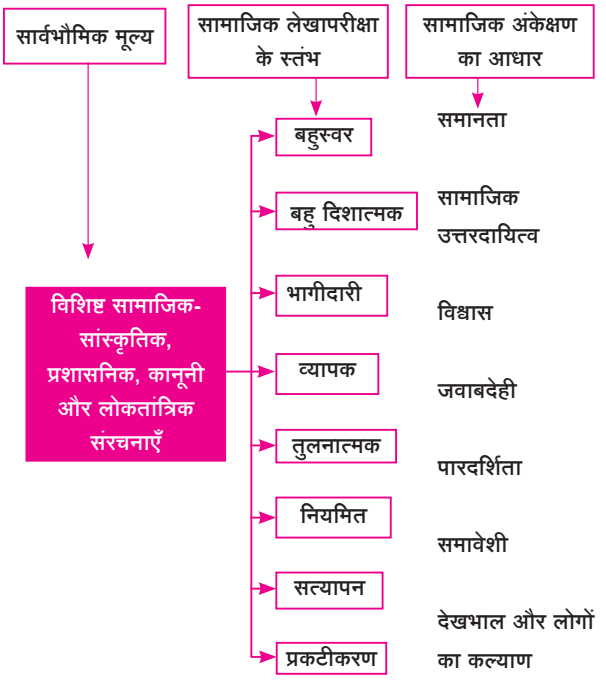

- **सहभागी:** हितधारक, लेखा परीक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगे होते हैं और उन्हें अपने मूल्यों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- **बहु-दिशात्मक:** संगठन की गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर हितधारकों से प्रतिक्रिया माँगी जाती है।
- **नियमित:** सामाजिक लेखा परीक्षण समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रथा संगठन की संस्कृति में शामिल हो जाए और सभी गतिविधियों को शामिल करे।
- **तुलनात्मक:** ऑडिट संगठनों को बेंचमार्क और अन्य संगठनों के मुकाबले अपने प्रदर्शन की तुलना करने की अनुमति देता है।
- **सत्यापित**: ऑडिट किए गए खातों की समीक्षा निष्पक्ष विशेषज्ञों या एजेंसियों द्वारा की जाती है, जिनका संगठन में कोई निहित स्वार्थ नहीं होता है।
- **प्रकटीकरण (Disclosed):** पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ऑडिट किए गए खाते हितधारकों और व्यापक समुदाय को उपलब्ध कराए जाते हैं।

ये सिद्धांत प्रक्रिया को संचालित करने के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक, प्रशासनिक, कानूनी और लोकतांत्रिक तत्त्वों को शामिल करते हुए सामाजिक लेखापरीक्षा की नींव के रूप में कार्य करते हैं।

सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा का महत्त्व

सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है। इसके विभिन्न हितधारकों को निम्नवत लाभ होते हैं:

पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि

- **भ्रष्टाचार में कमी:** सामाजिक लेखा परीक्षण भ्रष्ट आचरण को रोकता है, यह सुनिश्चित करता है कि धन का उचित उपयोग किया जाए। (उदाहरण के लिए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मनरेगा का सामाजिक लेखा परीक्षण)
- **जन विश्वास में अभिवृद्धि**: संगठन नैतिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, **जन विश्वास (Public trust)** को बढ़ावा देते हैं।
- **निगरानी का सुदृढ़ीकरण:** सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी और शिकायतों का समाधान करने की अनुमति देता है। (उदाहरण के लिए, भारत में सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर्स ने 32% शिकायतों का समाधान किया)

बेहतर कार्यक्रम प्रारूप और वितरण

- **कार्यान्वयन अंतराल की पहचान:** सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रम के लक्ष्यों और परिणामों के बीच विसंगतियों को प्रकट करता है।
- **सूचित नीतिगत पक्षपोषण:** सामाजिक लेखा परीक्षण से प्राप्त डेटा नीतिगत परिवर्तन और कार्यक्रम में सुधार का समर्थन करने में मदद करता है।
- **हितधारक जुड़ाव में वृद्धि:** हितधारकों की आवाज सुनी जाती है, जिससे अधिक समावेशी और प्रभावी कार्यक्रम बनते हैं।

मजबूत शासन और विकास के परिणाम

- **स्थानीय समुदायों का सशक्तीकरण:** सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभाओं को मजबूत करती है, सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। (उदाहरण के लिए, कुमली ग्राम-पंचायत छत्तीसगढ़ में सामाजिक लेखापरीक्षा)
- **अधिगम (Learning) और सुधार में वृद्धि:** संगठन पिछले अनुभवों से सीखते हैं और कार्यक्रम वितरण में निरंतर सुधार करते हैं।
- **समावेशी विकास का समर्थन:** सामाजिक लेखा परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों की जरूरतों को संबोधित किया जाए।

साक्ष्य-आधारित निर्णयन में वृद्धि

- **प्रभावी मापन के लिए डेटा उपलब्धता:** सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रम के प्रभाव को मापने और भविष्य के हस्तक्षेपों को सूचित करने के लिए डेटा प्रदान करता है। (उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए सोसायटी [SSAAT])
- **दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि:** सामाजिक लेखा परीक्षण सुधार के क्षेत्रों की पहचान करता है, जिससे कार्यक्रम के बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। (उदाहरण के लिए, तेलंगाना में मनरेगा के सामाजिक लेखा परीक्षण के माध्यम से 5 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई।)

भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा की चुनौतियाँ: संभावनाओं को अवरुद्ध करना (Stifling Potential)

सीमित दायरा और कार्यान्वयन

- **विखंडित फोकस:** वर्ष 2021 की CAG रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश में मनरेगा सामाजिक लेखा परीक्षण प्रायः काम की गुणवत्ता और श्रम कानून अनुपालन की अनदेखी करते हैं।
- **विकीर्ण प्रकृति:** PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, 2023 के एक अध्ययन के अनुसार, राजस्थान जैसे राज्यों में सामाजिक लेखा परीक्षण में निरंतरता की कमी है, जिसमें अलग-अलग आवृत्तियाँ देखी गई हैं।
- **डेटा संबंधी बाधाएँ:** प्रवासी जनसँख्या पर नजर रखना, कार्यक्रम की पहुँच और प्रभाव का आकलन करने के लिए चुनौतियाँ पेश करता है, विशेषकर, वयस्क साक्षरता जैसी पहल में, जैसा कि सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी की वर्ष 2022 की रिपोर्ट में बताया गया है।

क्षमता और मानकीकरण का अभाव

- **लेखा परीक्षक विशेषज्ञता:** कई राज्यों में प्रशिक्षित सामाजिक लेखा परीक्षकों की कमी है, जिसके कारण सतही/अगंभीर लेखा परीक्षण में महत्त्वपूर्ण विवरण गायब हो जाते हैं, जैसा कि वर्ष 2021 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने संदर्भित किया था।
- **कार्रवाई योग्य निष्कर्ष:** मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर निष्क्रियता के उदाहरण, उनकी प्रभावशीलता को कमजोर करते हैं।
- **मानकीकरण के मुद्दे:** PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च अध्ययन के अनुसार, एक मानकीकृत सामाजिक लेखा परीक्षण तंत्र की अनुपस्थिति राज्यों में कार्यक्रम प्रभावशीलता की प्रभावी तुलना में बाधा डालती है।

संस्थागत और कार्यान्वयन मुद्दे

- **स्वतंत्रता संबंधी चिंताएँ:** वर्ष 2022 CAG रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना में सरकारी मशीनरी के अंतर्गत आने वाली सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों में स्वतंत्रता की कमी है।
- **निर्बल प्रवर्तन:** जैसा कि PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा उजागर किया गया है, सामाजिक लेखा परीक्षण मानदंडों के उल्लंघन के लिए अपर्याप्त दंड उनके निवारक प्रभाव को कमजोर करते हैं।
- **राज्य की जवाबदेही:** लेखा परीक्षण निष्कर्षों के प्रति राज्य की कमजोर प्रतिक्रियाएँ सुधारात्मक कार्रवाइयों में बाधा डालती हैं, जैसा कि वर्ष 2023 में सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
- **ग्राम सभा जागरूकता:** ग्राम सभा सदस्यों के बीच उनके सामाजिक लेखापरीक्षा अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता की कमी, प्रभावी भागीदारी को सीमित करती है, जैसा कि अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव द्वारा वर्ष 2021 के सर्वेक्षण से पता चला है।

ये चुनौतियाँ भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता को कम करती हैं। सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में सामाजिक लेखा परीक्षण की पारदर्शिता और जवाबदेही क्षमता को साकार करने के लिए संस्थागत स्वरुप का सशक्तीकरण, सख्त तंत्र लागू करना, लेखा परीक्षकों की क्षमताओं में अभिवृद्धि और ग्राम सभा जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।

भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा का सशक्तीकरण: अभिशंसाएँ और सर्वोत्तम प्रथाएँ

विधिक ढाँचे की अभिवृद्धि

- **आदर्श सामाजिक लेखापरीक्षा अधिनियम:** मेघालय के सामुदायिक भागीदारी और सार्वजनिक सेवा सामाजिक लेखापरीक्षा अधिनियम (2017) के आधार पर एक राष्ट्रीय सामाजिक लेखापरीक्षा अधिनियम लागू करना, समुदायों को सशक्त बनाना और सार्वजनिक सेवा लेखापरीक्षा को अनिवार्य बनाना।
- **मेघालय के अनुभव:** अधिनियम ने रचनात्मक चर्चाओं को सुविधाजनक बनाया, अधिकारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई, लाभार्थियों की पहचान की सुविधा प्रदान की और शिकायत निवारण के लिए एक मंच प्रदान किया।

संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण

- **स्वतंत्र लेखापरीक्षा इकाइयाँ:** सरकारी प्रभाव से मुक्त, पर्याप्त कर्मचारियों और संसाधनों के साथ स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयाँ स्थापित करना (उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश की सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता सोसायटी)।
- **CAG ऑडिट को सशक्त करना:** औचित्यपूर्ण लेखा परीक्षण आयोजित करने और संस्थागतकरण के लिए सामाजिक लेखा परीक्षण दिशा-निर्देशों को लागू करने में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) का समर्थन करना।
- **PRI क्षमता निर्माण:** सूचना भंडारण, प्रसार और सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थानों (PRI) की संस्थागत क्षमता में वृद्धि।

हितधारकों का सशक्तीकरण

- **जन जागरूकता:** ग्राम सभा द्वारा, सदस्यों और जनता को सामाजिक लेखापरीक्षा में उनके अधिकारों और भूमिकाओं को समझने हेतु शिक्षा और जागरूकता अभियानों में निवेश करना।
- **गैर-सरकारी संगठन (NGO) सहायता:** सामाजिक लेखापरीक्षा प्रशिक्षण और निष्पादन में उत्प्रेरक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करना।
- **मीडिया सहभागिता:** व्यापक प्रसार और सार्वजनिक जाँच के लिए ग्रामीण विकास और सामाजिक लेखा परीक्षण पर मीडिया फोकस को प्रोत्साहित करना।
- **मान्यता और पुरस्कार:** सामाजिक लेखा परीक्षण को मजबूत करने, बेहतर सेवा वितरण में सक्रिय रूप से भाग लेने और योगदान करने वाले व्यक्तियों एवं समुदायों को पहचानना और पुरस्कृत करना।

मानकीकरण और पारदर्शिता

- **ऑनलाइन पहुँच:** पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने, PRI लेखांकन ऑडिट और सामाजिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट तक ऑनलाइन पहुँच के लिए एक संस्थागत ढाँचा विकसित करना।
- **अग्रसक्रिय प्रकटीकरण:** सामाजिक लेखा परीक्षण की सुविधा के लिए सरकार और कार्यान्वयन एजेंसियों से जानकारी के अग्रसक्रिय प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करना।

सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार

- **मानकीकृत दिशा-निर्देश:** सुसंगत और तुलनीय निष्कर्ष सुनिश्चित करते हुए, सभी क्षेत्रों में सामाजिक लेखा परीक्षण के लिए मानकीकृत दिशा-निर्देश और कार्यप्रणाली, विकसित और कार्यान्वित करना।
- **लेखा परीक्षक क्षमता निर्माण:** कार्यप्रणाली, मानकों और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में सामाजिक लेखा परीक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में निवेश करना।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एकीकरण:** दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए सामाजिक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में AI टूल को एकीकृत करने की क्षमता का पता लगाना।
- **हितधारक भागीदारी:** सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में समुदाय के सदस्यों, सिविल सोसाइटी संगठनों और हाशिए पर रहने वाले समूहों सहित हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करना।
- **व्हिसलब्लोअर सुरक्षा:** सामाजिक ऑडिट के दौरान अनियमितताओं या गैर-अनुपालन की रिपोर्ट करने वाले व्हिसिलब्लोअर की सुरक्षा के लिए मजबूत तंत्र लागू करना।

प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन

- **सार्वजनिक प्रकटीकरण:** यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक जाँच और संगठनों को जवाबदेह बनाने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट स्पष्ट और सुलभ प्रारूप में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों।
- **निगरानी और प्रवर्तन तंत्र:** समय-समय पर जाँच, यादृच्छिक (Random) ऑडिट और गैर-अनुपालन के लिए दंड सहित सामाजिक लेखा परीक्षण आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।
- **सरकारी कार्यक्रमों के साथ एकीकरण:** कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकारी कार्यक्रमों, विशेष रूप से सामाजिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास पहलों में सामाजिक लेखा परीक्षा को एकीकृत करना।

सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना

- **छत्तीसगढ़:** राज्य मनरेगा से परे शिकायतें एकत्र करता है, **ऑडिट विवरणों का दीवार पर लेखन (Wall writing of audit details)** के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- **कर्नाटक:** राज्य निष्पक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए हर तीन चरणों के बाद सामाजिक लेखा परीक्षा कर्मचारियों को बदलता है।

इन सिफारिशों को लागू करके और सफल प्रथाओं से सीखकर, भारत अपने सामाजिक लेखापरीक्षा ढाँचे को महत्त्वपूर्ण रूप से मजबूत कर सकता है, पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सामाजिक कार्यक्रम परिणामों को बढ़ावा दे सकता है।

सामाजिक जवाबदेही

सामाजिक जवाबदेही सरकार का एक दायित्व और जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्यों के लिए नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो। सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुशासन सुनिश्चित करने के लिए आधारशिला और अनिवार्य है।

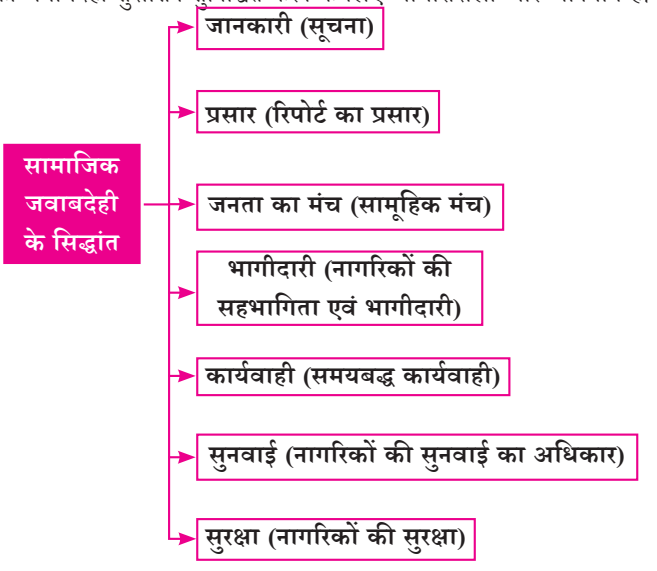

- सामाजिक लेखांकन कार्यक्रम के इच्छित लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक सरकारी कार्यक्रम का लेखा परीक्षण करने की एक विधि है।
- यह प्रक्रिया जन सुनवाई के आयोजन के साथ समाप्त होती है जिसमें निष्कर्षों की समीक्षा की जाती है और सेवा प्रदाताओं, अधिकारियों और लाभार्थियों के सामने असमानताओं को उजागर किया जाता है।

सामाजिक जवाबदेही की आवश्यकता

- **नागरिकों को सशक्त बनाना:** नागरिक सशक्तीकरण, नागरिकों को उनके नेताओं और प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों और पहुँच को परिभाषित करता है, ताकि उन क्षमताओं को विकसित किया जा सके जो किसी समुदाय के विकास और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से सहभागिता हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।
- **अभिशासन:** सरकारों और नागरिकों के बीच विश्वास में सुधार करना सुशासन के लिए मौलिक है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** सामाजिक जवाबदेही पारंपरिक ऑडिटिंग प्रक्रियाओं को बढ़ाती है। इस प्रकार, यह फंडिंग आवंटन और ऑडिटिंग में पक्षपात को दूर करेगा।

केस स्टडी

- **मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS),** जो राजस्थान में स्थापित एक जमीनी स्तर का संगठन है, ने आधिकारिक जाँच पर राज्य के एकाधिकार को समाप्त करने और अब तक अनन्य समझे जाने वाले राज्य के मुद्दों में लोगों की भागीदारी को वैध बनाने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षण का उपयोग किया।
- **विकेंद्रीकृत योजना के लिए केरल का जन अभियान:** इसकी सफलता का श्रेय महत्त्वपूर्ण वित्तीय और कार्यात्मक हस्तांतरण के साथ-साथ भागीदारी के लिए संस्थागत प्रोत्साहन को दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं जैसे उपेक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है।

सामाजिक जवाबदेही से जुड़ी चुनौतियाँ

- **निहित स्वार्थों से दबाव:** प्रभावशाली संस्थाओं से दबाव के कारण समुदाय सामाजिक जवाबदेही में भाग लेने से झिझकते हैं। **उदाहरण:** हाल के मामलों से पता चलता है कि समुदायों को शक्तिशाली हितधारकों से धमकी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जवाबदेही पहल में उनकी भागीदारी बाधित हो रही है।
- **अप्रभावी शिकायत निवारण:** शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी तंत्र की कमी सामाजिक जवाबदेही परियोजनाओं के प्रभाव को कम कर देती है। **उदाहरण:** हाल के आँकड़ों से अनसुलझी शिकायतों के उदाहरण सामने आए हैं, जिससे जवाबदेही प्रयासों से मोहभंग हुआ है।
- **सुधार का विरोध:** निहित स्वार्थ महत्त्वपूर्ण जानकारी को रोककर पारदर्शिता के प्रयासों में बाधा डालते हैं। **उदाहरण:** हाल के अध्ययन बजट पत्रों जैसे आवश्यक दस्तावेजों तक पहुँच से इनकार करने, जवाबदेही पहल में बाधा डालने के उदाहरणों को उजागर करते हैं।
- **नागरिकों की आत्मसंतुष्टि:** भ्रष्टाचार या गलत कार्यों से लाभान्वित होने वाले शक्तिशाली व्यक्ति समग्र जवाबदेही प्रयासों को कमजोर करते हैं। **उदाहरण:** समुदाय के नेताओं और अधिकारियों के बीच मिलीभगत से भ्रष्टाचार बढ़ता है, जिससे सामाजिक जवाबदेही उपायों की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

वर्तमान युग में व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए सामाजिक जवाबदेही पर एक केंद्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे सरकारी कार्यक्रमों को समाज के गरीबों, हाशिए पर रहने वाले और वंचित वर्गों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके और गरीबी में कमी और विकास में सहायता मिल सके।

व्हिसलब्लोअर (मुखबिर) संरक्षण अधिनियम

हाल के वर्षों में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी समूह में शासन संबंधी मुद्दों की रिपोर्ट के साथ, निजी क्षेत्र में व्हिसलब्लोइंग आरोपों में वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने संकेत दिया कि सभी निगमों को व्हिसलब्लोइंग तंत्र को बढ़ावा देना चाहिए और व्हिसलब्लोअर सुरक्षा के लिए उचित संरक्षण होना चाहिए।

- व्हिसलब्लोइंग; एक प्राधिकारी व्यक्ति या जनता द्वारा सार्वजनिक, निजी या तीसरे क्षेत्र के संगठनों के भीतर कथित रिश्वतखोरी, अक्षमता, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या अनैतिक व्यवहार को उजागर करने का कार्य है।

व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014 का विकास

1. **परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक:**
   - **घटना:** भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इंजीनियर सत्येन्द्र दुबे ने वर्ष 2003 में बिहार में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार का खुलासा किया।
   - **परिणाम:** नवंबर, 2003 में हुई सत्येन्द्र दुबे की हत्या ने जन आक्रोश को बढ़ा दिया और व्हिसलब्लोअर सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
2. **न्यायिक हस्तक्षेप:**
   - **कार्रवाई:** एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से व्हिसलब्लोअर्स के लिए सुरक्षा तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया।
   - **परिणाम:** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने वर्ष 2004 में जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (PIDPIR) जारी किया।
3. **संस्थागत सिफारिशें:**
   - **पहल:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने मुखबिरों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाने की वकालत की।
   - **प्रभाव:** इस सिफारिश ने विधायी कार्रवाई के महत्त्व पर जोर देते हुए व्हिसलब्लोअर्स की कानूनी सुरक्षा के आह्वान को मजबूत किया।
4. **अंतरराष्ट्रीय संरेखण:**
   - **प्रतिबद्धता:** भारत ने वर्ष 2005 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए, जिसमें व्हिसलब्लोअर के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।
   - **महत्त्व:** यह अभिसमय भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने वालों की सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और प्रतिशोध के खिलाफ सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है।
5. **वैधानिक उपलब्धि:** व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण विधेयक वर्ष 2011 में पेश किया गया था और अंततः वर्ष 2014 में व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम के रूप में पारित किया गया।

इस कानून का अधिनियमन कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

व्हिसलब्लोअर सुरक्षा

- **पहचान संरक्षण:** अधिनियम मुखबिरों (व्हिसलब्लोअर) की अनामिता सुनिश्चित करता है। यदि आवश्यक हो तो केवल सतर्कता आयोग ही विभाग प्रमुख को उनकी पहचान बता सकता है। किसी भी अनधिकृत प्रकटीकरण के लिए दंड लागू किया जाता है।
- **उत्पीड़न से सुरक्षा:** जो व्यक्ति अच्छी भावना के साथ शिकायत दर्ज करते हैं उन्हें उत्पीड़न या प्रतिशोध से बचाया जाता है।

शिकायत प्रक्रियाएँ:

- **समय-सीमा:** गुमनाम शिकायतें निषिद्ध हैं। जाँच को आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता को अपनी पहचान का खुलासा करना होगा। गलत कार्य होने के सात साल की अवधि के भीतर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- **झूठी शिकायतें:** जानबूझकर या अनजाने में झूठे आरोप लगाने पर कारावास (3 साल तक) और जुर्माना (50,000 रुपये तक) हो सकता है।
- **विवाद समाधान:** सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्तियों के पास उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 60 दिनों का समय होता है।

अपवाद और अतिरिक्त बिंदु

- **SPG बहिष्करण (Exclusion):** यह अधिनियम विशेष सुरक्षा समूह (SPG) के कर्मचारियों या अधिकारियों पर लागू नहीं होता है।
- **आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का अधिक्रमण:** व्हिसलब्लोअर्स को गलत काम की रिपोर्ट करने का अधिकार है, भले ही यह आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन हो, बशर्ते कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता न करता हो।

- **निजी क्षेत्र कवरेज:** सूचीबद्ध कंपनियों को कंपनी अधिनियम (2013) के तहत व्हिसलब्लोअर शिकायतों की जाँच के लिए एक ऑडिट समिति स्थापित करना अनिवार्य है।

व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 की चुनौतियाँ

1. **गुमनामी का अभाव:** अधिनियम व्हिसिलब्लोअर की पहचान का खुलासा करने का आदेश देता है, ऐसे मामलों में एक महत्त्वपूर्ण खतरा पैदा होता है जहाँ स्वयं की पहचान उजागर करना खतरनाक हो सकता है। प्रतिशोध का डर व्यक्तियों को भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करता है, जिससे अधिनियम की प्रभावशीलता कम हो जाती है। **उदाहरण:** सत्येन्द्र दुबे का मामला संभावित मुखबिरों को डराने, पहचान का खुलासा करने से जुड़े जोखिमों को दर्शाता है।
2. **अप्रभावी संगठनात्मक कार्यान्वयन:** कई संगठनों में कर्मचारियों को व्हिसलब्लोअर कार्यक्रम के बारे में शिक्षित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव है। इससे भ्रम पैदा होता है और कर्मचारी रिपोर्टिंग के लिए उचित माध्यमों का उपयोग करने से हतोत्साहित होते हैं।
3. **व्हिसलब्लोअर्स के लिए सीमित सुरक्षा:** अधिनियम व्हिसलब्लोअर्स के लिए न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे वे नतीजों के डर से अधिकारियों को सबूत जमा करने में झिझकते हैं।
4. **व्हिसिलब्लोअर शिकायतों में वृद्धि:** सीमाओं के बावजूद, भारत में व्हिसिलब्लोअर शिकायतें बढ़ रही हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को वर्ष 2018 में 3,500 से अधिक शिकायतें मिलीं। यह भ्रष्टाचार की व्यापकता को उजागर करता है और एक मजबूत अधिनियम की संभावित प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।
5. **त्रुटिपूर्ण व्हिसलब्लोअर संशोधन विधेयक (2015):**
   - **मुद्दे:** प्रस्तावित संशोधनों ने मूल अधिनियम को कमजोर कर दिया:
     - आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) के तहत प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करना निषिद्ध है।
     - राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को इसके दायरे से बाहर करना।
     - अत्यधिक छूट को बढ़ावा देना जो सूचना तक सार्वजनिक पहुँच को सीमित करता है।
   - **स्थिति:** विधेयक राज्यसभा में पारित होने में विफल रहा और वर्ष 2019 में समाप्त हो गया।

व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, हालाँकि, नेक इरादे से है, तथापि इसमें महत्त्वपूर्ण खामियाँ हैं। अनामिता की चिंताओं को दूर करने, कार्यान्वयन में सुधार करने और मजबूत व्हिसलब्लोअर सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने और भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

केस स्टडी: भारत में प्रमुख मुखबिर (व्हिसलब्लोअर)

- **अरविंद गुप्ता, ICICI ऋण धोखाधड़ी में सक्रिय कार्यकर्ता:** उन्होंने चंदा कोचर, जो उस समय CEO थीं और उनके परिवार के बीच कथित ऋण धोखाधड़ी और अनुचित लाभ देने के मामले को उजागर किया। आरोपों के बाद कोचर ने पद छोड़ दिया।
- अनाम कर्मचारियों के एक समूह से अनैतिक प्रबंधन आचरण के बारे में व्हिसिल-ब्लोअर शिकायतों का खुलासा करने के बाद इंफोसिस को ₹50,000 करोड़ से अधिक की मार्केट कैप का नुकसान हुआ, यह थोड़ा अधिक लग सकता है।
- हिंडनबर्ग ने अभिशासन के मुद्दों पर रिपोर्ट दी जिसके कारण अदानी समूह में बड़े पैमाने पर अपविक्रय (Sell-off) (कुल बाजार पूँजीकरण का 53% तक) हुआ। परिणामस्वरूप, अडानी समूह के बाजार मूल्य में भारी गिरावट आई है।
- **शंकरलाल शाह (1950 के दशक):** बॉम्बे नगर पालिका (अब मुंबई) में एक क्लर्क के रूप में, शाह ने भोजन की कमी के दौरान राशन की आपूर्ति से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले को उजागर किया।
- **सत्येन्द्र दुबे (2003):** NHAI में एक वरिष्ठ अधिकारी, दुबे ने ठेके देने में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया। दुखद बात यह है कि बाद में उनकी हत्या कर दी गई, जिससे व्हिसलब्लोअर्स के सामने आने वाले खतरों पर प्रकाश पड़ा।
- **अखिल गोगोई (2006):** असम के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता गोगोई ने उत्पीड़न और कारावास का सामना करने के बावजूद सरकारी कल्याण योजनाओं में भ्रष्टाचार को उजागर किया। वह पारदर्शिता के लिए अपनी लड़ाई पर कायम हैं।
- **अरुणा रॉय (2011):** मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता रॉय ने भोजन का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को उजागर किया।
- **IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी (2009-वर्तमान):** भारतीय वन सेवा अधिकारी चतुर्वेदी ने वानिकी और पर्यावरण मंजूरी में भ्रष्टाचार को अथक रूप से उजागर किया। हालाँकि, उन्हें नौकरशाही बाधाओं और तबादलों का सामना करना पड़ रहा है।
- **अमिताभ ठाकुर (2010):** उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व IPS अधिकारी, ठाकुर ने पुलिस बल के भीतर भ्रष्टाचार को उजागर किया। निलंबन और कानूनी लड़ाई का सामना करने के बावजूद, वह पुलिस सुधारों के मुखर समर्थक बने हुए हैं।
- **हंसा मीरचंदानी (2011):** महाराष्ट्र में एक शिक्षक, मीरचंदानी के मुखबिर प्रयासों ने एक फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसके परिणामस्वरूप कई फर्जी नियुक्तियाँ रद्द कर दी गईं।
- **ब्रजेश सिंह (2012):** उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) के एक इंजीनियर ब्रजेश सिंह ने सड़क निर्माण परियोजनाओं में अनियमितताओं का खुलासा किया। उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि बाद में उन पर हमला किया गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।
- **मंजूनाथ शनमुगम (2005):** इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी, मंजूनाथ शनमुगम ने ईंधन में मिलावट और उसके बाद उनके जीवन को होने वाले खतरों का पर्दाफाश किया। उनके इस साहसी कार्य के लिए वर्ष 2005 में उनकी हत्या कर दी गई।
- **RTI कार्यकर्ता वेंकटेश (2010 से वर्तमान):** कर्नाटक में स्थित एक अथक RTI कार्यकर्ता, वेंकटेश ने धमकियों और खतरों का सामना करने के बावजूद, RTI आवेदनों के माध्यम से विभिन्न घोटालों को प्रकाश में लाया है।

केस स्टडी: वैश्विक व्हिसलब्लोअर और प्रमुख खुलासे

- **एडवर्ड स्नोडेन (2013):** लीक किए गए वर्गीकृत दस्तावेज NSA निगरानी कार्यक्रमों का खुलासा करते हैं, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा पर वैश्विक बहस छिड़ गई है।
- **चेल्सी मैनिंग (2010):** इराक, अफगानिस्तान युद्धों पर लीक हुए वर्गीकृत दस्तावेज, नागरिक हताहतों की संख्या और राजनयिक जुड़ावों को उजागर करना।

- **विकीलीक्स (2006-वर्तमान):** जूलियन असांजे द्वारा स्थापित, युद्ध अपराधों, भ्रष्टाचार और कदाचार पर गुमनाम लीक के लिए मंच।
- **फ्रांसिस हौगेन (2021):** लीक हुए फेसबुक दस्तावेज उत्पाद के नुकसान और गलत सूचना के बारे में जागरूकता का खुलासा करते हैं।
- **इरेना बुजहिंस्का (2016):** लीक हुए पनामा पेपर्स ने अमीरों के लिए विदेशी टैक्स हेवन का खुलासा किया।
- **जू जिहियोंग (2011-वर्तमान):** चीन में मानवाधिकारों के हनन और भ्रष्टाचार को उजागर किया, उत्पीड़न और हिरासत का सामना किया।
- **रियलिटी विनर (2017):** रूसी चुनाव हस्तक्षेप पर लीक हुआ NSA दस्तावेज, जेल की सजा।
- **पेगासस प्रोजेक्ट (2021):** कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करने वाली सरकारों का खुलासा।
- **लक्सलीक्स (2014):** लक्ज़मबर्ग में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा कर बचाव योजनाओं का खुलासा।
- **द इंप्लांट फाइल्स (2019):** लीक हुआ चिकित्सा उपकरण सुरक्षा डेटा संभावित जोखिमों को उजागर करता है।
- **पनामा पेपर्स लीक (2016):** वैश्विक कर चोरी को उजागर करने वाली विस्तृत अपतटीय इकाइयाँ।

आवश्यक उपाय

द्वितीय प्राशासनिक सुधर आयोग ने निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की:

- निर्दोष व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए उचित कानून लागू किया जाना चाहिए।
- विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित पंक्तियों पर व्हिसलब्लोअर्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तुरंत कानून बनाया जाना चाहिए:
  - झूठे दावों, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर्स को गोपनीयता और अनामिता सुनिश्चित करके, करियर में उत्पीड़न से सुरक्षा एवं उनका शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न को रोकने के लिए अन्य प्रशासनिक उपायों द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।
- कानून में कॉर्पोरेट व्हिसलब्लोअर्स को शामिल किया जाना चाहिए जो धोखाधड़ी या चूक या कमीशन के संज्ञानात्मक कृत्यों से सार्वजनिक हित को गंभीर क्षति पहुँचाते हैं।
  - सेबी (SEBI) ने हाल ही में एक टिपिंग (tipping) तंत्र शुरू किया है। सेबी आंतरिक व्यापारियों के खिलाफ जानकारी और सफल कार्रवाई के लिए ₹1 करोड़ तक का पुरस्कार देगी। इसने एक "सहयोग और गोपनीयता" तंत्र भी बनाया है।

सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाएँ

1. **कनाडा:** रिपोर्ट प्राप्त करने और व्हिसलब्लोअर्स की गोपनीयता बनाए रखने वाले मामलों की जाँच करने हेतु, कनाडा ने सार्वजनिक क्षेत्र में **सत्यनिष्ठा आयुक्त** की स्थापना की है।
2. **यूनाइटेड किंगडम:** इसी तरह, यू.के. में सार्वजनिक क्षेत्र में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक सिविल सेवा कार्यालय है।
3. **संयुक्त राज्य अमेरिका:** संयुक्त राज्य अमेरिका ब्यूरो ऑफ सुपरवाइजरी काउंसिल और मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड (MSPB) द्वारा निर्णय लेता है।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

- "यदि संसद में पटल पर रखे गए व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 के संशोधन बिल को पारित कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई बचे ही नहीं।'' समालोचनापूर्वक मूल्यांकन कीजिए। **(2015)** लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

भारत में पृष्ठभूमि और विकास:

- वर्ष 2011 में एक सार्वजनिक अभियान के जवाब में, भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संस्थाओं की स्थापना के लिए वर्ष 2013 का लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बनाया गया था।
- यह अवधारणा पहली बार 1960 के दशक में सुझाई गई थी और अन्ना हजारे के "इंडिया अगेंस्ट करप्शन" जैसे आंदोलनों से इसे गति मिली।

संस्था की आवश्यकता

- शासन के प्रभावी कामकाज के लिए कुप्रशासन और भ्रष्टाचार को संबोधित करना महत्त्वपूर्ण है।
- मौजूदा भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों में स्वतंत्रता और पारदर्शिता का अभाव है।

लोकपाल अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ:

- **व्यापक क्षेत्राधिकार:** सरकारी धन प्राप्त करने वाले शीर्ष अधिकारियों और संस्थाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने का अधिकार।
- **नियुक्ति प्रक्रिया:** इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति शामिल होती है।
- **लोकपाल की शक्तियां:** इसमें भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जाँच, अभियोजन और कार्रवाई की सिफारिश शामिल है।

लोकपाल अधिनियम से जुड़े मुद्दे

- **संवैधानिक समर्थन का अभाव:** संवैधानिक समर्थन का अभाव लोकपाल के अधिकार को कमजोर करता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** राजनीति से प्रेरित नियुक्तियों और नियुक्तियों में देरी को लेकर चिंताएँ।
- **न्यायपालिका को बाहर करना:** न्यायपालिका को बाहर करना संस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है।

उठाए जाने वाले आवश्यक उपाय

- **जवाबदेही में वृद्धि:** पारदर्शिता, सूचना का अधिकार और नागरिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करना।
- **कार्यात्मक स्वायत्तता:** लोकपाल की स्वतंत्रता और परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना।
- **मामलों का समय पर निपटान:** लंबित मामलों के संचय का निपटान करना और समाधान प्रक्रिया में तेजी लाना।
- **विपक्ष की सक्रिय भागीदारी:** निष्पक्षता और जवाबदेही के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्षी दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

इन मुद्दों को संबोधित करके और आवश्यक सुधारों को लागू करके, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के अपने जनादेश को पूरा कर सकता है।

1. 'राष्ट्रीय लोकपाल, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता।' विवेचना कीजिए। **(2013)**

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

स्थापना और अधिदेश

- इसको रक्षा, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और कालाबाजारी से संबंधित गंभीर अपराधों की जाँच के लिए भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (1962-1964 ई.) की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1963 में स्थापित किया गया था।
- इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- यह केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल को सहायता प्रदान करता है और इंटरपोल सदस्य देशों के लिए जाँच का समन्वय करता है।

CBI के सामने चुनौतियाँ

- **राजनीतिक हस्तक्षेप:**
  - अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे **'पिंजरे में बंद तोता'** करार दिया।
  - प्रायः प्रशासन द्वारा गलत कार्यों को दबाने और विरोध को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
- **परिचालन संबंधी चुनौतियाँ:**
  - विलंबित जाँच, जिसका उदाहरण जैन हवाला डायरी केस जैसी लंबी जाँच है।
  - बोफोर्स और हवाला घोटाले जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों को ठीक से नहीं संभालने के कारण विश्वसनीयता की हानि।
- **जवाबदेही और संसाधन:**
  - सूचना का अधिकार अधिनियम से छूट, सार्वजनिक जवाबदेही का अभाव।
  - कर्मियों की भारी कमी और सीमित वित्तीय संसाधन प्रभावशीलता में बाधा डालते हैं।
- **सीमित शक्तियाँ और पहुँच:**
  - जाँच शक्तियाँ राज्य सरकार के समझौते के अधीन, जिससे क्षेत्राधिकार प्रतिबंधित होता है।
  - उच्च स्तर पर अधिकारियों की जाँच के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता है।

सुधार के लिए आवश्यक उपाय

- **स्वायत्तता और वैधानिक स्थिति:**
  - स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए CBI को सरकारी नियंत्रण से अलग करना।
  - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी अन्य संस्थाओं के समान वैधानिक दर्जा प्रदान करना।
- **उन्नत संसाधन और बुनियादी ढाँचा:**
  - जवाबदेही के साथ वित्तीय संसाधन और प्राशासनिक सशक्तीकरण बढ़ाना।
  - दक्षता में सुधार के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं में निवेश करना।
- **कानूनी सुधार:**
  - परिचालन संबंधी स्पष्टता को बढ़ाते हुए DSPE अधिनियम को एक समर्पित क़ानून से बदलना।
  - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के अनुसार, CBI के संचालन को विनियमित करने के लिए नया कानून पेश करना।

राज्यों द्वारा सामान्य सहमति की वापसी

- **कानूनी ढाँचा:**
  - दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6, केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर CBI जाँच के लिए राज्य की सहमति को अनिवार्य करती है।
  - संघ सूची की प्रविष्टि 80 राज्य की अनुमति से पुलिस शक्तियों के विस्तार की अनुमति देती है।
- **सहमति के प्रकार:**
  - **सामान्य सहमति:** CBI को प्रत्येक जाँच के लिए नई अनुमति माँगे बिना मामलों की जाँच करने में सक्षम बनाता है।
  - **विशिष्ट सहमति:** तब आवश्यक होती है जब सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, जिससे निर्बाध जाँच में बाधा आती है।
- **राज्य की कार्यवाही:**
  - मिजोरम, वर्ष 2015 में सामान्य सहमति वापस लेने वाला पहला राज्य बन गया, इसके बाद महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम हैं।
  - केंद्र सरकार पर राजनीतिक लक्ष्यीकरण के लिए CBI का उपयोग करने के आरोपों ने मुख्य रूप से विपक्ष शासित राज्यों में वापसी को प्रेरित किया।
- **वापसी (Withdrawal) का प्रभाव:**
  - CBI ने राज्य की सहमति के बिना केंद्र सरकार के अधिकारियों या निजी व्यक्तियों से जुड़े नए मामले दर्ज करने की शक्ति खो दी।
  - अधिकारी राज्य में प्रवेश करने पर पुलिस शक्तियाँ खो देते हैं, जिससे जाँच में बाधा आती है।
- **लंबित जाँचों पर प्रभाव:**
  - **वापसी (Withdrawal)** से सहमति वापस लेने वाले राज्य के क्षेत्र में, अन्य राज्यों में चल रही जाँच या मामलों पर कोई असर नहीं पड़ता है।
  - उच्च न्यायालय, सहमति की स्थिति की परवाह किए बिना CBI जाँच का आदेश देने का अधिकार रखते हैं।
- **कानूनी उदहारण:**
  - काजी लेंडहुप दोरजी बनाम CBI (1994) में, वापसी (Withdrawal) से लंबित जाँच पर कोई असर नहीं पड़ा।
  - विनय मिश्रा बनाम CBI मामले में कलकत्ता HC के फैसले में भ्रष्टाचार के मामलों में बिना किसी परवाह के समान व्यवहार पर जोर दिया गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

- **अधिदेश:** भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED), मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जाँच करता है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) सहित कानूनों को लागू करता है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की संरचना

- **मुख्यालय:** नई दिल्ली में स्थित, प्रवर्तन निदेशालय (ED) का नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक द्वारा किया जाता है।
- **क्षेत्रीय कार्यालय**: मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में फैले हुए हैं, प्रत्येक का नेतृत्व विशेष प्रवर्तन निदेशक करते हैं।
- **क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय:** इसमें 10 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 उप-क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व क्रमशः उप निदेशक और सहायक निदेशक करते हैं।
- **कार्य:** यह धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जाँच करता है, अपराध संबंधी आय की कुर्की और जब्ती जैसी कार्रवाई करता है और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।

CBI और ED निदेशकों के लिए कार्यकाल विस्तार

- **पृष्ठभूमि:** 1990 के दशक में भ्रष्टाचार के आरोपों को संबोधित करने वाले विनीत नारायण मामले से उपजा। वर्ष 2021 में संशोधनों का उद्देश्य भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराधों से लड़ने में नेतृत्व की निरंतरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है।
- **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) अधिनियम संशोधन, 2021:** एक समिति द्वारा अनुशंसित वार्षिक विस्तार के साथ, ED निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की अनुमति देता है।
- **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम संशोधन, 2021:** एक समिति सिफारिश पर वार्षिक विस्तार के साथ, CBI निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की अनुमति देता है।
- **उठाए गए मुद्दे:**
  - CBI और ED की स्वतंत्रता से संभावित समझौता।
  - स्वायत्त एजेंसियों के कार्यकारी नियंत्रण पर चिंता।
  - मामले के परिणामों और एजेंसी की शुचिता पर प्रभाव।
  - विस्तार मानदंड के लिए 'सार्वजनिक हित' शब्द पर स्पष्टता का अभाव।
  - विधायी प्रक्रिया को दरकिनार कर कार्यकाल विस्तार के लिए अध्यादेशों का उपयोग।
  - CBI और ED संचालन का कथित राजनीतिकरण।
  - एजेंसी प्रमुखों के कार्यकाल की अवधि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत।

9 लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका

परिचय

भारत में सिविल सेवाओं में सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं जो राष्ट्र की स्थायी कार्यपालिका शाखा का गठन करते हैं। इन सेवाओं ने 'औपनिवेशिक शासन प्रणाली' से 'कल्याणकारी व्यवस्था' की ओर परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रायः शासन के 'स्टील फ्रेम' के रूप में वर्णित, लोक सेवाओं ने वर्षों से सरकारों के बीच स्थिरता और सहज बदलावों को सुगम बनाया है।

सिविल सेवाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 53 और 154:** संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति या राज्यपाल में प्रत्यक्ष रूप से या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निहित होती है।
- ये अधिकारी स्थायी सिविल सेवा का गठन करते हैं और **संविधान के भाग - XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ) (अनुच्छेद 308- 323)** द्वारा शासित होते हैं।
- **अनुच्छेद 309:** यह संसद और राज्य विधायिका को क्रमशः केंद्र या किसी राज्य के मामलों से संबंधित सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 310:** केंद्रीय अथवा राज्य के अधीन सिविल सेवा से जुड़े किसी पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
- **अनुच्छेद 311:** केंद्र या राज्य के अधीन सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या पदावनति।
- **अनुच्छेद 312:** अखिल भारतीय सेवाएँ।

लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की आवश्यकता

लोकतंत्र के शासन के लिए सिविल सेवाएँ आवश्यक हैं, जो राष्ट्र की जटिल और विविध आवश्यकताओं का प्रबंधन करने हेतु प्रशासनिक सुदृढ़ता प्रदान करती हैं। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

- **स्थिरता और निरंतरता:** लोक सेवाएँ राजनीतिक परिवर्तनों के दौरान सुशासन में स्थिरता और नीतिगत निरंतरता बनाए रखती हैं। इसका उदाहरण भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था में, सुशासन को समर्थन देने की भूमिका है।
- **विशेषज्ञता और विशिष्टता :** भारत में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा सिविल सेवा परीक्षा या अमेरिका में फेडरल रिजर्व की भर्ती जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती, सार्वजनिक प्रशासन में विशेष ज्ञान लाती है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है।
- **निष्पक्षता और गैर-पक्षपात:** सिविल सेवक तटस्थता बनाए रखते हैं, राजनीतिक हितों से ऊपर सार्वजनिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो सिंगापुर की सिविल सेवा में देखे गए विश्वास और दक्षता का केंद्रीय सिद्धांत है।
- **नीतियों का स्थानीय अनुकूलन:** सिविल सेवक राष्ट्रीय इच्छाशक्ति और स्थानीय आवश्यकताओं के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, नीतियों को क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुकूल बनाते हैं। यह भारत के मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो ग्रामीण माँगों के अनुरूप रोजगार समाधान तैयार करता है।
- **दक्षता और जवाबदेही:** सिविल सेवाएँ समयबद्ध नीति-कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं और कदाचार को संबोधित करने के लिए प्रणालियों के साथ-साथ अपने आचरण के लिए जवाबदेह होती हैं, जैसा कि ब्रिटेन की योग्यता आधारित और जवाबदेह सिविल सेवा प्रणाली में देखा जाता है।

सिविल सेवा सुधार

सिविल सेवाओं में दक्षता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए हाल की पहलें:

- **सुदृढ़ सतर्कता तंत्र:** भ्रष्टाचार की रोकथाम और पता लगाने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना। इसके लिए, मौजूदा सतर्कता तंत्रों की समीक्षा की आवश्यकता है।
- **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System-CPGRAMs)** के कार्यान्वयन को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- **ई-ऑफिस का कार्यान्वयन:** सभी मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सकती है; सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भी इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **ई-समीक्षा:** महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक वास्तविक- समय ऑनलाइन प्रणाली।
- **सेवाओं का त्वरित वितरण:** प्रत्येक विभाग को प्रशासनिक विलंब को कम करने, कुशल सेवा वितरण और भागीदारी प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए।
- **मध्य-कैरियर प्रशिक्षण को बढ़ावा:** सीखने और ज्ञान को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया गया।
- **पार्श्विक प्रवेश (Lateral Entry) सुधार:** निजी क्षेत्र के कार्मिकों को सरकार के प्रशासनिक पद पर चुना जाता है, भले ही उनका चयन नौकरशाही व्यवस्था में न किया गया हो या वे उसका हिस्सा न हों।

सिविल सेवाओं द्वारा निभाई गई भूमिका

पेशेवर लोक सेवक के 8 क्षेत्र

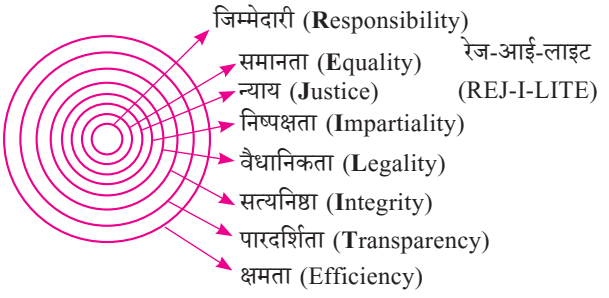

- **नीति निर्माण में सलाहकारी भूमिका:** लोक सेवक नीति-निर्माण क्षेत्रों को परिभाषित करने में कार्यपालिका की सहायता करते हैं। वे नीति प्रस्ताव तैयार करते हैं, विभिन्न विकल्पों और समाधानों का मूल्यांकन करते हैं तथा वर्तमान नीतियों के लिए कार्रवाई का एक कार्यक्रम विकसित करते हैं, साथ ही आवश्यक सुधार भी करते हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को संस्थागत बनाना:** वे विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कल्याणकारी राज्य के साधन तथा समाज में आधुनिक विचारों के अग्रदूत के रूप में कार्य करते हैं।
- **शासन में निरंतरता:** साथ ही, न्यूनतम प्रयास के साथ मौजूदा व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित करना एवं सामाजिक व्यवस्था को **सकारात्मक और नकारात्मक अर्थों** में स्थायित्व प्रदान करना।
  - **सकारात्मक अर्थ में,** वे व्यवस्था की निरंतरता में मदद करते हैं।
  - **नकारात्मक अर्थ में,** वे कभी-कभी परिवर्तनों को अस्वीकार कर देते हैं और समाज में प्रयोग की दर को धीमा कर देते हैं। जैसे-अन्य सेवाओं पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की प्रधानता बनाए रखने के लिए नौकरशाही का पक्ष समर्थन (लॉबिंग)।

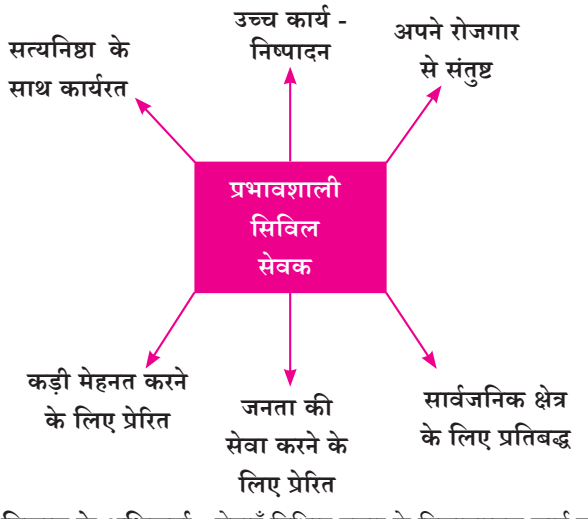

- **विकास के अभिकर्ता :** सेवाएँ विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य करती हैं जैसे कृषि में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग कार्यों को बढ़ावा देना, डिजिटल विभाजन को पाटना आदि।
- बड़े बदलावों की सिफारिश करने वाली विभिन्न समितियों के अध्यक्ष पूर्व सिविल सेवक हैं।
  - जैसे - अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव को मापने के लिए राजीव महर्षि समिति।
- **प्रतिनिधि कार्यों का निर्वहन:** सरकार के विभिन्न स्तरों पर, शक्ति और जवाबदेही सिविल सेवकों को सौंपी जाती है।
- **देश के कानून का प्रशासन:** यह नियमों को लागू करके समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करता है।
- **निगरानीकर्ता:** लोक सेवक सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करते हैं। **जैसे - कुरुक्षेत्र के IFS संजीव चतुर्वेदी** ने अवैध पेड़ कटाई और हॉग हिरण के अवैध शिकार के लिए ठेकेदारों के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज की।
- **राजनीतिक अस्थिरता के समय में निरंतरता:** जब चुनाव आदि के कारण सरकारें बदलती हैं तो सिविल सेवाएँ अभिशासन चलाती हैं।
- **रिकॉर्ड-कीपिंग:** सिविल सेवक सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार दिन-प्रतिदिन के कामकाज का रिकॉर्ड रखते हैं।
- **संचार का माध्यम:** वे जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं जहाँ से वे अन्य अधिकारियों और मंत्रियों को इनपुट प्रदान करते हैं तथा नागरिकों एवं नीति निर्माताओं के मध्य संचार के एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।

भारतीय सिविल सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारक

- **सामान्यवादी सिविल सेवा से संबंधित चुनौतियाँ:** एक सामान्यवादी सिविल सेवा की एक विशेष सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ होने के लिए आलोचना की जाती है। **उदाहरण के लिए -** एक सामान्यवादी सिविल सेवक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की विशेष भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।
- **अकुशल प्रोत्साहन प्रणालियाँ:** योग्य एवं ईमानदार सिविल सेवकों को पुरस्कृत नहीं किया जाता है। **जैसे - अशोक खेमका** (IAS) का 30 वर्षों की सेवा में 56 बार तबादला किया गया।
- **अप्रचलित नियम और प्रक्रियाएँ:** अप्रचलित नियम एवं प्रक्रियाएँ सिविल सेवकों को स्वतंत्र निर्णय लेने और कुशलतापूर्वक कार्य करने से रोकती हैं। जैसे - पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होती है न कि प्रदर्शन और दक्षता के आधार पर।
- **पर्याप्त पारदर्शिता एवं जवाबदेही प्रक्रियाओं का अभाव:** विभिन्न समितियों और सर्वेक्षणों से पता चला है कि सिविल सेवा में अनैतिक प्रथाएँ सामान्य हो गई हैं और उनकी ईमानदारी, तटस्थता और निष्पक्षता के बारे में जनता की धारणा खराब हो गई है। **जैसे** - तमिलनाडु में IPS अधिकारी बलवीर सिंह द्वारा वैज्ञानिक जाँच के बजाय शारीरिक उत्पीड़न।
- **सिविल सेवकों में उदासीनता:** सिविल सेवक अपने पद स्थायित्व के साथ-साथ, रिक्तियों की अधिक संख्या (अकेले IAS में 22% रिक्तियाँ हैं) के कारण अधिक कार्यभार सहित कई अन्य कारणों से, नागरिकों की जरूरतों के प्रति उदासीनता दिखाते हैं। **उदाहरण:** उत्तर-पूर्व में जिलाधिकारी ने नागरिकों को कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के लिए थप्पड़ मारा।
- **मनमाना और स्वेच्छाचारी स्थानांतरण:** राजनीतिक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अनुचित स्थानांतरण से कार्यकाल अस्थिरता उत्पन्न हुई है। जैसे - संजीव चतुर्वेदी (IFS) ने हरियाणा सरकार द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से इनकार कर दिया।

- **वस्तुनिष्ठ प्रणाली का अभाव:** उद्देश्यपूर्ण प्रणाली का अभाव, निम्न स्तरीय कार्य संस्कृति को जन्म देता है जो प्रशासनिक शिथिलता को बढ़ावा देता है और अच्छे कार्य को नजरअंदाज कर देता है। **उदाहरण के लिए:** योग्यता और प्रदर्शन की परवाह किए बिना सुनिश्चित करियर प्रगति (बेलनाकार प्रणाली, जहाँ पूरे बैच को पदोन्नत किया जाता है)।

परिणामस्वरूप, सरकारी सेवा में पेशेवरों के पार्श्विक प्रवेश (Lateral Entry) की अंतर्निहित आवश्यकता उत्पन्न होती है।

लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु नौकरशाही में सुधार

भारत सरकार ने दक्षता, पारदर्शिता और अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सिविल सेवाओं में सुधार के लिए कई रणनीतिक उपाय लागू किए हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission-ARC)

प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) भारत में सिविल सेवाओं को आकार देने और परिष्कृत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों की समीक्षा और अनुशंसा करने के उद्देश्य से स्थापित, प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई चरणों को पार किया है।

भारत में सिविल सेवाओं के संबंध में प्रमुख समितियों और उनकी सिफारिशों के उदाहरण।

- **प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) (1966):** शुरुआत में मोरारजी देसाई और बाद में के. हनुमंथैया द्वारा इसका नेतृत्व किया गया।
  - सरकारी कार्यों में विशेषज्ञता की आवश्यकता को मान्यता दी गई, जिससे कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक दोनों क्षेत्रों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों के लिए चयन पद्धति तैयार की गई। वरिष्ठ स्तर पर तकनीकी पदों पर पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञता लाना है।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) (2005):** वर्ष 2005 में गठित, इसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। इसकी प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:
  - **सिविल सेवा परीक्षा का पुनर्गठन:**
    - प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं को लगातार दिनों पर एक साथ आयोजित करना या प्रारंभिक परिणामों के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना।
    - एक सामान्य परीक्षा के माध्यम से, राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में शामिल करना।
  - **अनिवार्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:**
    - एक सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान प्रारंभिक चरण में और समय-समय पर अनिवार्य प्रशिक्षण।
    - एक निगरानी तंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति (1996) के कार्यान्वयन की निगरानी।
  - **जवाबदेही और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय:**
    - सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता के लिए सुझाव।
    - ईमानदार सिविल सेवकों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और उत्पीड़न से बचाने के लिए संशोधन।
    - शिकायत निवारण के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना।
  - **प्रदर्शन मूल्यांकन और पदोन्नति:**
    - 'वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट' (ACR) से 'प्रदर्शन मूल्यांकन' की ओर बदलाव।
    - पदोन्नति हेतु सहमत कार्य योजनाओं के बजाय वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर जोर।
  - **विकेंद्रीकरण और नागरिक-केंद्रित शासन:**
    - विकेंद्रीकरण के साथ शासन से प्रभावी शासन पर ध्यान केंद्रित करना।
    - सिविल सोसाइटी संगठनों और निजी क्षेत्र को शासन में भागीदार के रूप में देखना।
- **कोठारी समिति (1976):** समिति ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक अनुक्रमिक प्रणाली की सिफारिश की। समिति का मानना था कि चरणों के माध्यम से उम्मीदवारों की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार होगा। इस नवोन्मेषी दृष्टिकोण ने तीन चरण की परीक्षा प्रक्रिया को जन्म दिया: वैकल्पिक और सामान्य अध्ययन को कवर करने वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रारूप के साथ एक प्रारंभिक परीक्षा, 9 लिखित पत्रों के साथ एक मुख्य परीक्षा और अंततः एक व्यक्तित्व परीक्षण।
- **सतीश चंद्र समिति (1989):** वर्ष 1989 में, सतीश चंद्र समिति को कोठारी समिति द्वारा प्रस्तावित मौजूदा सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न में सुधार का सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। कोठारी मॉडल के सार को बरकरार रखते हुए, सतीश चंद्र समिति ने मामूली समायोजन की सिफारिश की। विशेष रूप से, एक 'निबंध' प्रश्न पत्र पेश किया गया था और साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक बढ़ाए गए थे।
- **वाई.के. अलघ समिति (2001):** व्यापक पुनर्गठन और पुनर्संरचना की दृष्टि से, समिति ने सिविल सेवा परीक्षा में महत्त्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा। इस दूरदर्शी दृष्टिकोण का उद्देश्य सरकार के आर्थिक और प्रशासनिक तंत्र को समकालीन युग की उभरती माँगों के साथ जोड़ना है।
- **होता आयोग (2004):** होता समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए तंत्र की समीक्षा समिति के रूप में जाना जाता है, का गठन वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसने कई सिफारिशें कीं जिनमें शामिल हैं:
  - डोमेन विशेषज्ञता शुरू करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा में सुधार करना।
  - सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य अध्ययन के पेपर का भार कम करना और विशेष विषयों पर अधिक जोर देना।
  - सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा 28 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करना।
- **खन्ना समिति (2010):** खन्ना समिति की सिफारिशों के बाद वर्ष 2010 में सिविल सेवा अभियोग्यता परीक्षा (CSAT) की शुरुआत की गई थी। हालाँकि, हिंदी माध्यम के छात्रों के विरोध के बाद इस परीक्षा को केवल एक योग्यता परीक्षा के रूप में सीमित कर दिया गया था।
- **बासवान समिति (2016):** समिति ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा को वर्तमान 32 वर्ष से घटाकर 26 वर्ष करने की सिफारिश की।

क्या आप जानते हैं?

टी.एस.आर. सुब्रमण्यम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य: यह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्त्वपूर्ण फैसले के रूप में चिह्नित हुआ। इस मामले में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिविल सेवक मौखिक निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

समाचारों में सिविल सेवा से संबंधित मुद्दे

'सामान्यीकृत' बनाम 'विशेषीकृत' नौकरशाही बहस

सामान्यीकृत बनाम विशेषीकृत बहस नौकरशाही, राजनीतिक, मीडिया और सिविल सोसाइटी क्षेत्रों में हमेशा मौजूद रहने वाली एक चर्चा है।

- **सामान्यीकृत:** इन व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में व्यापक ज्ञान और कौशल होता हैं। वे विभिन्न भूमिकाओं और चुनौतियों का सहजता से सामना करते हुए लचीलापन और अनुकूलन क्षमता प्रदान करते हैं। हालाँकि, विशिष्ट क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता सीमित हो सकती है, जिसके लिए विशेषज्ञों के सहयोग की आवश्यकता होती है।
- **विशेषीकृत (टेक्नोक्रेट्स):** ये विशेषज्ञ एक विशिष्ट क्षेत्र में गहन ज्ञान और विशेषज्ञता का दावा करते हैं, जो अमूल्य तकनीकी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे अपने क्षेत्र की जटिल समस्याओं के लिए प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं। हालाँकि, उनमें व्यापक प्रशासनिक अनुभव और प्रणालीगत अन्तःक्रिया की समझ में कमी हो सकती है।

पहलू	सामान्यीकृत नौकरशाही	विशेषीकृत नौकरशाही
भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ	भूमिकाओं में बहुमुखी प्रतिभा, विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में अनुकूलनीयता।	गहन डोमेन विशेषज्ञता के साथ विशेष भूमिकाओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करना।
नेतृत्व की स्थिति	उच्च प्रशासनिक स्तरों पर नेतृत्व की स्थिति ग्रहण करते हैं ।	विशिष्ट डोमेन में विशेषज्ञ सलाहकार हो सकते हैं; विविध कौशल की आवश्यकता वाली नेतृत्व भूमिकाओं में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ।
निर्णय निर्माण	व्यापक प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, समग्र नीति विकास में योगदान।	विशिष्ट क्षेत्रों में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए विशेष ज्ञान।
प्रशिक्षण कार्यक्रम	व्यापक कौशल सेट विकसित करने के लिए LBSNAA जैसे व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम।	तकनीकी और विशिष्ट भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए डोमेन-विशिष्ट प्रशिक्षण।
अनुकूलनशीलता चुनौतियाँ	गहन डोमेन ज्ञान की आवश्यकता वाली विशेष तकनीकी भूमिकाओं में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।	तेजी से विकसित हो रहे शासन परिदृश्य के लिए अनुकूलनशीलता की आवश्यकता है।
संतुलन के लिए रणनीतियाँ	परिवर्तनशील पोस्टिंग, अंतर-सेवा सहयोग और लचीली भर्ती नीतियाँ।	विशेषज्ञता को संतुलित करने के लिए लचीलेपन, सहयोग और परिवर्तनशील भूमिकाओं के अवसरों पर जोर देता है।

सिविल सेवकों के लिए कैडर मुद्दा

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सफल सिविल सेवा उम्मीदवारों को उनकी पसंद के कैडर या उनके गृह राज्य में आवंटित किए जाने का कोई अधिकार नहीं है, और यह भी कहा कि चयन से पहले वे देश में कहीं भी 'खुली आँखों से' सेवा करने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन बाद में होम कैडर के लिए संघर्ष करते हैं। .
- **अखिल भारतीय सेवाओं की पुष्टि:** आवेदक अखिल भारतीय सेवा के लिए एक उम्मीदवार के रूप में अत्यंत सावधानीपूर्वक देश में कहीं भी सेवा करने का विकल्प चुनता है।

IAS संवर्ग (कैडर) नियमों में बदलाव

अखिल भारतीय सेवा (AIS) नियमों में हालिया बदलाव:

- केंद्र सरकार को सिविल सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने और पेंशन वापस लेने का अधिकार:
  - केंद्र सरकार ने **भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service-IAS), भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service-IPS) और भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service-IFoS)** के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार स्वयं को दिया है। इसमें गंभीर कदाचार या गंभीर आपराधिक दोषसिद्धि के मामलों में उनकी **पेंशन रोकने या वापस लेने** की शक्ति शामिल है। संशोधित नियमों में इस बात पर बल दिया गया है कि पेंशन रोकने या जारी करने पर केंद्र सरकार का फैसला अंतिम माना जाएगा।
- **पेंशन-रोकने वाले प्राधिकरण में बदलाव:**
  - पहले, **अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958** के अंतर्गत **नियम 3(3)** केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के संदर्भ के आधार पर पेंशन रोकने या वापस लेने की अनुमति देता था। हालिया संशोधन केंद्र सरकार को ऐसे मामलों में अधिक प्रत्यक्ष अधिकार प्रदान करते हैं।
- **'गंभीर कदाचार' और 'गंभीर अपराध' की परिभाषा:**
  - संशोधित नियम निर्दिष्ट करते हैं कि **'गंभीर कदाचार'** आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों या जानकारी के **अनधिकृत संचार या प्रकटीकरण** जैसे कार्यों से संबंधित है। एक **'गंभीर अपराध'** में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के दायरे में आने वाला कोई भी अपराध शामिल है।
- **सुरक्षा और खुफिया संगठनों के सदस्यों पर प्रतिबंध:**
  - खुफिया या सुरक्षा-संबंधी संगठनों के सदस्य **प्रतिबंधों के अधीन** हैं। उन्हें अपने संबंधित संगठन के प्रमुख से पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना **सामग्री**

लिखने या प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया है। इस विनियमन का उद्देश्य **संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा** करना और सुरक्षा बनाए रखना है।

- **राज्यों का विरोध:**
  - **राज्यों के साथ कोई परामर्श नहीं:** संशोधन के अनुसार राज्य सरकार को प्रतिनियुक्ति के लिए उतनी संख्या में अधिकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है जितनी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व को आवश्यकता है।
  - **संघर्षपूर्ण संघवाद:** एकतरफा फैसला लेने से सहकारी संघवाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच तनाव बढ़ सकता है।
  - **अखिल भारतीय सेवा (AIS) अधिकारियों के बीच निम्न मनोबल:** प्रस्तावित संशोधनों का IAS अधिकारियों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
  - **केंद्र में प्रतिनियुक्ति:** पिछले अनुभवों से पता चलता है कि यदि IAS अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें दंडात्मक पदों के रूप में केंद्र में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।
  - **राज्य नियुक्त किए गए IAS अधिकारियों की संख्या कम कर सकते हैं:** राज्य IAS कैडर की नौकरियों की संख्या और प्रत्येक वर्ष नियुक्त किए गए IAS अधिकारियों की संख्या कम कर सकते है।
  - **राज्य की स्वायत्तता प्रभावित होती है:** प्रस्तावित परिवर्तन भारत की संघीय राजव्यवस्था की अवधारणा और राज्य की स्वायत्तता के विरुद्ध है। यह संशोधन राज्यों को सिविल सेवाओं में मात्र उपांग बना देता है।
  - **केंद्र द्वारा दुरुपयोग:** 'विशेष परिस्थितियों' में और सार्वजनिक हित में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को मुक्त करने की राज्यों की क्षमता का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। जैसे - सीमा सुरक्षा बल (SSB) के महानिदेशक के रूप में IPS अर्चना रामसुंदरम की नियुक्ति।
- **इन परिवर्तनों के परिणाम:**
  - **दीर्घकालिक क्षति:** प्रस्तावित परिवर्तनों का IAS अधिकारियों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
  - यदि राज्यों को IAS अधिकारियों की वफादारी पर संदेह होने लगे, तो वे IAS कैडर पदों की संख्या और IAS अधिकारियों की वार्षिक भर्ती को भी कम कर देंगे।
  - यह सिविल सेवकों के कैडर को बनाए रखने के लिए राज्य की स्वायत्तता पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। राज्यों की स्वायत्तता कम हो गई है जिससे देश की संघीय राजनीति प्रभावित हो रही है।

संघीय व्यवस्था में, केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद और विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे सभी विवादों को **'सहकारी संघवाद की भावना' और 'व्यापक राष्ट्रीय हित'** को ध्यान में रखते हुए हल किया जाना चाहिए।

पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) मुद्दा:

- परंपरागत रूप से पदोन्नति के माध्यम से सिविल सेवकों को नियुक्त करने के स्थान पर, पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry), प्रशासनिक पदक्रम के मध्य या वरिष्ठ स्तरों पर सीधे विशिष्ट कार्यक्षेत्र (डोमेन) के विशेषज्ञों की भर्ती पर लागू होता है।

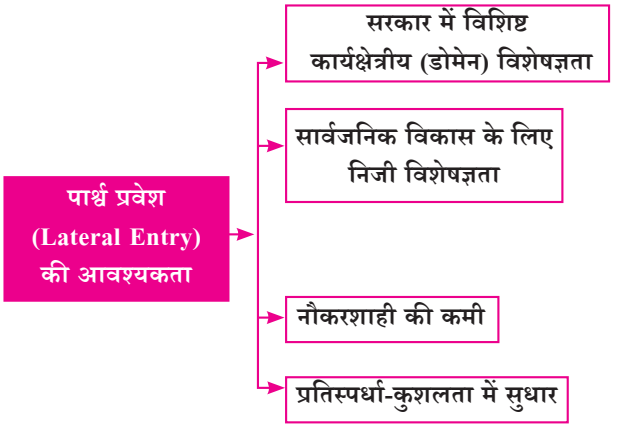

पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) के संबंध में विभिन्न विशेषज्ञ समूहों/समितियों की सिफारिशें-

- **प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग:**
  - इसने विशेषज्ञता की आवश्यकता को पहचाना क्योंकि सरकार के कार्य विविधतापूर्ण हो गए थे।
  - **प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)** इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रदर्शन मूल्यांकन को सशस्त्र बलों से अपनाया जा सकता है, जो गैर-प्रदर्शन करने वालों को बाहर निकालने में सहायता कर सकता है।
  - **वर्ष 2003 में सुरिंदर नाथ समिति** और वर्ष **2004 में होता समिति** ने भी सिविल सेवाओं में विशिष्ट कार्यक्षेत्रीय (डोमेन) विशेषज्ञता की सिफारिश की थी।
- वर्ष 2005 में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग **(ARC)** ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) की सिफारिश की।
- **पार्श्व प्रवेशकों के प्राथमिक उदाहरण:** नंदन नीलेकणि, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, विजय केलकर, अरविंद सुब्रमण्यम और रघुराम राजन सभी को विभिन्न समितियों और संगठनों का नेतृत्व करने के लिए सेवाओं के बाहर से लाया गया है।

विशेषज्ञ या डोमेन विशेषज्ञ की आवश्यकता

- **तकनीकी ज्ञान:** ये डोमेन विशेषज्ञ नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन से जुड़ी जमीनी स्तर की अंतर्दृष्टि और वास्तविक चुनौतियों का समाधान प्रदान कर सकते हैं।
- **जटिल स्थितियाँ:** प्रशासन से संबंधित कार्य अब अधिक जटिल, तकनीकी और विषय विशिष्ट होते जा रहे हैं, इसलिए केवल एक विशेषज्ञ ही इन्हें प्रभावी ढंग से निपटा सकता है।
- **क्षेत्र ज्ञान का अभाव:** सामान्यवादी या पारंपरिक नौकरशाह विशिष्ट क्षेत्रों की वास्तविकता से अवगत नहीं हैं। जैसे - कला पृष्ठभूमि वाले IAS अधिकारी, साइबर सुरक्षा चुनौतियों को उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते जितना एक आईटी पृष्ठभूमि वाला अधिकारी।
- **शासन और प्रदर्शन में सुधार:** नीति आयोग का वर्ष 2017-2020 के लिए तीन-वर्षीय कार्य एजेंडा, क्योंकि इससे "मौजूदा कैरियर नौकरशाही में प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी।"
- **अधिकारी-रिक्ति अंतर को भरना :** देश में लगभग 1,500 IAS अधिकारियों (कार्मिक मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार) की कमी है। बासवान समिति (2016) ने भी इन रिक्तियों को भरने के लिए पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) की वकालत की थी।

- **सरकार में प्रतिभा का प्रवेश और प्रतिधारण:** छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट (2006) के अनुसार, पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) 'उन पदों के लिए भी सरकार में प्रतिभा के प्रवेश और प्रतिधारण को सुनिश्चित करेगी जिनकी खुले क्षेत्र में उच्च माँग और अधिमूल्य है।

पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) के विरुद्ध तर्क

- **कार्यक्षेत्र अनुभव की कमी:** बाहरी प्रतिभाओं में सिविल सेवा द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यक्षेत्रीय अनुभव की व्यापकता और गुंजाइश का अभाव है। जैसे- वॉल-स्ट्रीट बैंकर उनकी आर्थिक नीतियों के सामाजिक प्रभाव को समझने में विफल रहे।
- **कार्यान्वयन से संबंधित समस्या:** व्यावसायिक सिविल सेवक, बाहरी प्रतिभाओं की तुलना में नीति निर्माण और जमीनी स्तर के कार्यान्वयन के बीच अंतर को पाटने में बेहतर हैं।
- **विफलता के उदाहरण:** यहाँ तक कि कई बार डोमेन विशेषज्ञ भी बुरी तरह विफल रहे हैं। जैसे - एयर इंडिया का मामला।
- **गैर-अनुकूल वातावरण:** सक्षम वातावरण का दक्षता पर अधिक प्रभाव पड़ता है, और यहाँ तक कि सबसे अच्छे प्रबंधक भी लालफीताशाही जैसे खराब परिचालन वातावरण में अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकते हैं।
- **प्रेरित रुचि:** लोगों की अलग-अलग प्रेरणाएँ और रुचियाँ होती हैं। इस प्रकार, थोड़े समय के लिए अधिकारियों के पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) से अनैतिक आचरण को बढ़ावा मिल सकता है।
- **आंतरिक खींचतान:** बड़े पैमाने पर पार्श्व प्रेरण के परिणामस्वरूप सरकारी कार्मिक प्रबंधन प्रणाली में अविश्वास का मत बढ़ेगा।
- **सिविल सेवकों की भूमिका को दुर्बल करता है:** सिविल सेवक पहले से ही संस्थागत रूप से सुस्थापित परिदृश्यों में दक्षता के साथ कार्य कर रहे हैं। पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) से उनका मनोबल गिरेगा।

आगे की राह

- बाहर से नेतृत्व करने के बजाय, एक सुदृढ़ प्रबंधन संरचना, आतंरिक रूप से रचनात्मकता को प्रोत्साहित और पोषित करती है।
- पार्श्व प्रेरण समाधान नहीं है, बल्कि अधिक कठोर प्रदर्शन मूल्यांकन और बेहतर कर्मचारी प्रबंधन है।
- भारत की सिविल सेवा को राजनीतिक दबाव से सुरक्षा और विशेषज्ञता-आधारित करियर पथ जैसे सुधारों की आवश्यकता है।
- सरकार कुछ मिशन-मोड परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) पर विचार कर सकती है जहाँ निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता महत्त्वपूर्ण है। यह निजी क्षेत्र और सरकारी कर्मचारियों का एक संयोजन होना चाहिए।

सिविल सेवाएँ और कोविड-19

- "जिज्ञासु और कागजी जुनूनी भारत सरकार लगातार गलत कदम उठा रही थी क्योंकि उसे वर्तमान घटनाओं के बारे में गलत जानकारी थी" - स्वर्गीय सर सी.ए. बेली।
- कोविड संकट के दौरान यह और अधिक स्पष्ट हो गया। महामारी की दूसरी लहर का सबसे खराब चरण केंद्र और राज्य स्तर पर नौकरशाही की विफलता के साथ-साथ कोविड संकट के प्रति सरकार की बेहद अपर्याप्त प्रतिक्रिया का परिणाम था।
- **प्रणालीगत विफलता:**
  - सरकार के विभिन्न अंगों के बीच **तालमेल की कमी** और उनमें से प्रत्येक की क्षमताओं के बारे में जागरूकता ने सरकार की कोविड के प्रति प्रतिक्रिया को कमजोर कर दिया।
  - **संसाधनों का उपयोग करने में विफल:** संसाधनों की उपलब्धता का ऑडिट नहीं किया गया जिसके कारण स्वास्थ्य प्रशासन विफल हो गया। कुछ क्षेत्रों में प्रयासों का दोहराव हुआ।
  - **उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण:** अनियोजित शहरी समूहों की उपेक्षा करना। उदाहरण के लिए धारावी की तब तक उपेक्षा की गई जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई।
  - **बोझिल प्रक्रिया:** पिछले कुछ महीनों में सरकार 400 से अधिक नियम और विनियम लेकर आई है, जिससे नागरिकों के लिए स्थिति अधिक से अधिक दस्तावेजीकरण आधारित हो गई है। जैसे - क्षतिपूर्ति लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेज़।
  - **केंद्रीकृत प्रवृत्ति:** पहली कोविड-19 लहर के दौरान, महामारी विज्ञानियों ने सरकार पर कोविड-19 रणनीति तय करने में सांख्यिकीविदों और नौकरशाहों की बात सुनने का आरोप लगाया।

केस अध्ययन और सर्वोत्तम प्रथाएँ: कोविड और नौकरशाही

- डॉक्टर से नौकरशाह बने, महाराष्ट्र के नंदुरबार के कलेक्टर डॉ. राजेंद्र भरूद जिले को मेडिकल ऑक्सीजन, अस्पताल के बिस्तर, कोविड-19 रोगियों के लिए आइसोलेशन वार्ड और एक सुनियोजित टीकाकरण अभियान की पर्याप्त आपूर्ति के साथ चालू रखने में कामयाब रहे।
- लोहित जिले में काम करने वाले प्रवासी श्रमिक घर वापस नहीं गए, बल्कि प्रिंस धवन IAS के तहत जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लागू होने पर न केवल राशन और आपूर्ति के साथ उनकी देखभाल की, बल्कि प्रतिबंध हटने पर उन्हें नौकरी की पेशकश की।
- 'भीलवाड़ा मॉडल' कोविड-19 के प्रसार - 'क्रूर रोकथाम' को रोकने में इतना सफल रहा है। भीलवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट को इसकी संकल्पना का श्रेय दिया जाता है।
- रेलवे कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला गया। रेलवे ने आइसोलेशन इकाइयों के रूप में काम करने के लिए लगभग 64,000 बिस्तरों वाले लगभग 4,000 आइसोलेशन कोचों का एक बेड़ा तैनात किया । इन आइसोलेशन कोचों को भारतीय रेलवे नेटवर्क पर माँग के स्थानों पर आसानी से ले जाया और तैनात किया जा सकता था।

सिविल सेवा बोर्ड

- पंजाब में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय सिविल सेवा बोर्ड (CSB) का गठन किया है।
- **भारत में सिविल सेवा बोर्ड का विकास:**
  - होता समिति (2004) और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बाद, वर्ष 2016 के कार्मिक विभाग नियमों ने सभी राज्यों के लिए ऐसे बोर्ड बनाना अनिवार्य कर दिया।
  - **टी.एस.आर. सुब्रमण्यम और अन्य बनाम भारत संघ वाद (2013)** में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को नौकरशाहों के प्रमोशन और पोस्टिंग पर विचार करने के लिए एक सिविल सेवा बोर्ड स्थापित करने का आदेश दिया, ताकि नौकरशाही को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके और राजनीतिक आकाओं द्वारा लगातार तबादलों को समाप्त किया जा सके।

सिविल सेवा बोर्ड की संरचना:

- CSB का नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य के वरिष्ठतम अतिरिक्त मुख्य सचिव या अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, वित्तीय आयुक्त या तुलनीय रैंक और स्थिति का एक अधिकारी शामिल होते हैं।
- इसमें एक सदस्य सचिव भी होगा जो राज्य सरकार का प्रधान सचिव या कार्मिक विभाग का सचिव होगा।

सिविल सेवा बोर्ड की आवश्यकता:

- **कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना :** एक IAS अधिकारी अभी भी एक पद पर औसतन लगभग 15 महीने ही बिताता है, जो अनिवार्य 3-5 वर्षों से बहुत कम है।
- **शासन पर नकारात्मक प्रभाव:** सिविल सेवकों को अपने काम में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हासिल करने के लिए एक पद पर लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं है।
- किसी भी पद पर संतोषजनक कार्यकाल पूरा करने से पहले अधिकारियों की बार-बार और अनुचित पदोन्नति को प्रशासनिक मानकों में गिरावट के लिए लंबे समय से दोषी ठहराया जाता रहा है।
- बार-बार स्थानांतरण और पोस्टिंग के कारण पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार होता है।

सिविल सेवा बोर्ड का महत्त्व

- **सिविल सेवकों का राजनीतिक दबाव से पृथक्करण:** यह नौकरशाही को राजनीतिक दबाव से बचाने में मदद करता है और सिविल सेवकों के अनावश्यक और बार-बार होने वाले स्थानांतरण को समाप्त करता है, जो निम्न सिविल सेवक मनोबल और निम्न प्रशासनिक मानकों का एक प्रमुख कारण है।
- **निष्पक्षता की भावना को बढ़ावा:** इससे सिविल सेवकों को अपने काम में तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखने में भी सुविधा होगी।
- **सुरक्षा की भावना को बढ़ावा:** यदि अधिकारियों के पास एक निर्धारित कार्यकाल है तो वे प्रभावी प्रशासन करने में सक्षम होंगे और यह सेवा वितरण में अच्छा प्रशासन सुनिश्चित करेगा।

सिविल सेवा बोर्ड की सीमाएँ

- **अनुपालन का अभाव:** आज तक, केवल 20 राज्यों ने सिविल सेवा बोर्ड (CSB) बनाया है, वर्ष 2020 में ऐसा करने वाला पंजाब सबसे नया राज्य है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने बोर्ड की स्थापना के लिए अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया है।
- **हितों का टकराव:** बोर्ड का नेतृत्व नौकरशाहों द्वारा किया जाएगा जिनका प्रक्रिया के परिणाम में निहित स्वार्थ हो सकता है। इस प्रकार, तटस्थता सुनिश्चित नहीं है।
- **राजनीतिक वर्ग का हस्तक्षेप:** सरकारों को सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को संशोधित करने, बदलने या अस्वीकार करने का अधिकार है, इसके लिए लिखित रूप में कारण दर्ज किए जाने चाहिए।
- राजनीतिक कार्यपालकों में असुरक्षा का भाव है कि निश्चित कार्यकाल उपनियम से उनका नियंत्रण कम हो गया है, क्योंकि स्थानांतरण अनुशंसा की समीक्षा करने का एकमात्र अधिकार सिविल सेवा बोर्ड (CSB) के पास है।

स्थानांतरण और नियुक्ति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपाय

- **अखिल भारतीय सेवा (AIS)** नियमों को संशोधित किया गया है और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के कार्यकाल के निर्धारण के लिए प्रावधान किए गए हैं।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर शक्ति का निर्धारण) विनियम,1955 को वर्ष 2010 में संशोधित किया गया, जिससे सभी राज्यों में सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम कार्यकाल स्थापित किया गया।
- **"महाराष्ट्र सरकारी सेवक स्थानांतरण विनियमन और आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में देरी की रोकथाम अधिनियम, 2005।"** यह IAS अधिकारियों और कुछ राज्य सरकार के कर्मचारियों, दोनों को तीन वर्ष तक सेवा देने का प्रावधान करता है।

आज तक के प्रत्येक आयोग ने न्यूनतम कार्यकाल की आवश्यकता पर जोर दिया है, लेकिन सरकार लगातार टालमटोल कर रही है। अब यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है कि सिविल सेवा बोर्ड के निर्णयों को सरकारें तुच्छ आधार पर पलट न दें। संसद इस क्षेत्र में कानून भी पेश कर सकती है। इससे सिविल सेवाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी, जिससे उन्हें निष्पक्ष और बिना पक्षपात के कार्य करने की अनुमति मिलेगी, जो भारत में सुशासन के लिए आवश्यक है।

मिशन कर्मयोगी

सितंबर, 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity Building -NPCSCB) 'मिशन कर्मयोगी' को अपनी मंजूरी दी।

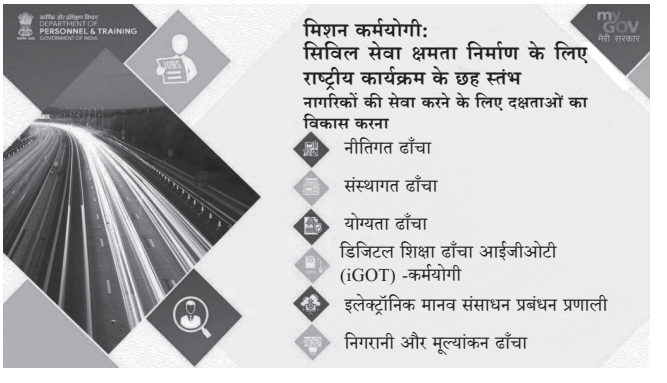

उद्देश्य

- कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए, व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।
- इसका उद्देश्य नए भारत के दृष्टिकोण (New India's Vision) के अनुरूप सही मानसिकता, कौशल और विशेषज्ञता के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा बनाने का है।
- इसका उद्देश्य भारतीय लोक सेवकों को भविष्य के लिए अधिक नवाचारी, सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनशील, प्रगतिशील, जानकार, उत्साही, खुला और प्रौद्योगिकी सशक्त बनाना है।

मिशन कर्मयोगी की आवश्यकता

- भारत तीव्र गति से विकास कर रहा है, इसके साथ ही नई चुनौतियाँ भी आती हैं, जिनके लिए शासन क्षमताओं को आनुपातिक रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है।
- नौकरशाही में प्रशासनिक क्षमता के साथ-साथ **डोमेन विशेषज्ञता में भी सुधार की जरूरत** है।
- सही कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को खोजने के लिए, भर्ती प्रक्रिया को औपचारिक बनाया जाना चाहिए और सार्वजनिक सेवा को नौकरशाह की क्षमता से मेल खाना चाहिए।
- भारतीय नौकरशाही को बदलाव की जरूरत है और इसे बदलने के लिए हाल के वर्षों में एक बड़ा सुधार किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

- इस योजना के अंतर्गत सभी स्तरों पर **केंद्र सरकार के 46 लाख कर्मचारियों** को शामिल किया जाएगा और इसकी लागत पाँच वर्षों में 510 करोड़ रुपये होगी। आधे वित्तीय भार को बहुपक्षीय सहायता द्वारा 50 मिलियन डॉलर की राशि से वित्तपोषित किया जाएगा।
- **'नियम-आधारित' से 'भूमिका आधारित मानव संसाधन प्रबंधन' दृष्टिकोण में परिवर्तन**। मानव संसाधन (HR) प्रबंधन में सिविल सेवकों के कौशल को नौकरी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर उनके कार्यभार को सुरेखित करना शामिल है।
- **एक साझा प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी वातावरण का निर्माण करना**, जिसमें शिक्षण सामग्री, संस्थान और कर्मचारी शामिल हों।
- सभी सिविल सेवा पदों पर भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षताओं की रूपरेखा (Framework of Roles, Activities, and Competencies-FARC) दृष्टिकोण लागू करना।
- डोमेन जागरूकता तैयारी के अलावा, योजना 'कार्यात्मक और व्यावहारिक क्षमता' के साथ-साथ 'प्रदर्शन मूल्यांकन प्रबंधन प्रक्रिया' पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
- **कार्यक्रम मॉड्यूल और संस्थागत संरचना:** कार्यक्रम को लागू करने के लिए एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT) कर्मयोगी मंच का उपयोग किया जाएगा। क्षमता निर्माण के संदर्भ में, मंच में सावधानीपूर्वक तैयार की गई डिजिटल ई-लर्निंग सामग्री को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह अन्य सेवा संबंधी मामलों को भी एकीकृत करेगा जैसे परिवीक्षाधीन अवधि के बाद पुष्टिकरण, तैनाती, कार्य आवंटन और रिक्त पदों की सूचना।
- **प्रधानमंत्री की मानव संसाधन (HR) परिषद:** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, यह मिशन को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी।
- **क्षमता निर्माण आयोग: इसे निम्नलिखित निरीक्षण भूमिका निभाने के लिए गठित किया गया-**
  - यह वार्षिक क्षमता-निर्माण योजनाएँ बनाएगा और उन पर नजर रखेगा, साथ ही सरकार के मानव संसाधनों का लेखा-जोखा भी रखेगा।
  - सिविल सेवा क्षमता के विकास से संबंधित सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यात्मक निगरानी करना।
  - मानव संसाधन प्रबंधन, भर्ती और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सरकारी नीतिगत पहल की सिफारिश करना।
  - समन्वय इकाई का नेतृत्व कैबिनेट सचिव द्वारा किया जाएगा।

कार्यक्रम से जुड़ी चुनौतियाँ

- **भारतीय नौकरशाही का रूढ़िवादी दृष्टिकोण:** भारतीय नौकरशाही मूलतः अपरिवर्तित और रूढ़िवादी बनी हुई है। यह सुधारों और नए विचारों का विरोध करती है।
- दूरस्थ स्व-शिक्षा, अग्रपंक्ति कार्यकर्ताओं को पूरक कौशल हासिल करने और उनके अनुभवों की पुनश्चर्या करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह हमेशा मुख्य ज्ञान विकसित करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है।
- **प्रणाली का अति केंद्रीकरण:** एक गतिशील सार्वजनिक सेवा कार्यबल के लिए एक विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण और शिक्षण ढाँचे की आवश्यकता होती है।

मिशन कर्मयोगी के इच्छित लाभ:

- सेवा वितरण में जवाबदेही और पारदर्शिता सुशासन को बढ़ाएगी। इसके अलावा, इससे स्थानीय स्तर पर जरूरतों के प्रति सिविल सेवकों की जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
- **नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण:** 'यथा-स्थान पर अधिगम' सरकार और लोगों के बीच की दूरी को पाटने में मदद करेगा। इसके अलावा, इससे स्थानीय स्तर पर जरूरतों के प्रति सिविल सेवकों की जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
- सभी स्तरों पर मध्य-स्तरीय प्रशिक्षण की कमी ने सामान्यीकरण और विशेषज्ञता के बीच असमानता पैदा कर दी है। इस प्रकार, यह इस अंतर को कम कर देगा।
- प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा और संस्थानों में प्रशिक्षण लक्ष्यों और शिक्षाशास्त्र के मानकीकरण के परिणामस्वरूप, भारत के सिविल सेवक अधिक रचनात्मक, सक्षम, प्रगतिशील और प्रौद्योगिकी-सक्षम बन गए हैं।

मिशन कर्मयोगी का अंतिम लक्ष्य आम आदमी के लिए 'जीवन जीने में आसानी' (Ease of Living) के साथ-साथ नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण और 'व्यवसाय करने में आसानी' (Ease of Doing Business) प्रदान करके सरकार और लोगों के बीच की खाई को पाटना है।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

- "आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है।" इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिए। **(2020)**
- ''केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण के लिए की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।'' व्याख्या कीजिए। **(2019)**

- प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएँ तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थीं, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। **(2017)**
- "पारंपरिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है।" टिप्पणी कीजिए। **(2016)**
- "भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती।" सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोजगार योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन-से उपाय किए हैं? **(2016)**
- 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' के ईमानदारी सूचकांक में, भारत काफी नीचे के पायदान पर है। संक्षेप में उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए, जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है। **(2016)**
- क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमे परिवर्तन का कारण रहा है? समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए। **(2014)**
- अनेक राज्य सरकारें बेहतर प्रशासन के लिए भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों जैसे जनपद व तालुकों को विभाजित कर देती हैं। उक्त के आलोक में, क्या यह भी औचित्यपूर्ण कहा जा सकता है कि अधिक संख्या में छोटे राज्य, राज्य स्तर पर प्रभावी शासन देंगे? विवेचना कीजिए। **(2013)**

Saarthi

THE COACH

1 : 1 MENTORSHIP BEYOND THE CLASSES

- **Diagnosis** of candidates based on background, level of preparation and task completed.
- **Customized solution** based on Diagnosis.
- One to One **Mentorship.**
- Personalized schedule **planning.**
- Regular **Progress tracking.**
- **One to One classes** for Needed subjects along with online access of all the subjects.
- Topic wise **Notes Making sessions**.
- One Pager **(1 Topic 1 page)** Notes session.
- **PYQ** (Previous year questions) Drafting session.
- **Thematic charts** Making session.
- **Answer-writing** Guidance Program.
- **MOCK Test** with comprehensive & swift assessment & feedback.

Ashutosh Srivastava
(B.E., MBA, Gold Medalist)
Mentored 250+ Successful Aspirants over a period of 12+ years for Civil Services & Judicial Services Exams at both the Centre and state levels.

Manish Shukla
Mentored 100+ Successful Aspirants over a period of 9+ years for Civil Services Exams at both the Centre and state levels.

WALL OF FAME

UTKARSHA NISHAD
UPSC RANK - 18

SURABHI DWIVEDI
UPSC RANK - 55

SATEESH PATEL
UPSC RANK - 163

SATWIK SRIVASTAVA
SDM RANK-3

DEEPAK SINGH
SDM RANK-20

ALOK MISHRA
DEPUTY JAILOR RANK-11

SHIPRA SAXENA
GIC PRINCIPAL (PCS-2021)

SALTANAT PARWEEN
SDM (PCS-2022)

KM. NEHA
SUB REGISTRAR (PCS-2021)

SUNIL KUMAR
MAGISTRATE (PCS-2021)

ROSHANI SINGH
DIET (PCS-2020)

AVISHANK S. CHAUHAN
ASST. COMMISSIONER
SUGARCANE (PCS-2018)

SANDEEP K. SATYARTHI
CTO (PCS-2018)

MANISH KUMAR
DIET (PCS-2018)

AFTAB ALAM
PCS OFFICER

ASHUTOSH TIWARI
SDM (PCS-2022)

CHANDAN SHARMA
Magistrate
Roll no. 301349

YOU CAN BE THE NEXT....

8009803231 / 8354021661

D 22&23, PURNIYA CHAURAHA, NEAR MAHALAXMI SWEET HOUSE, SECTOR H, SECTOR E, ALIGANJ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH 226024

MRP:- ₹ 130